राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या : 6

शुक्रवार,

18 फरवरी, 2005

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान।

भरतपुर एवं अलवर जिले को बाढ़ राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त राशि का आबंटन

77. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में विभिन्न जिलों के लिए बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं अन्य मरम्मत कार्यों के लिए राशि का आबंटन किया गया है ? यदि हां, तो आबंटित राशि का विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त राशि आबंटन के क्या मानदण्ड रखे गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त आबंटित राशि का अब तक क्या-क्या उपयोग किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला अलवर एवं भरतपुर के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

सहायता मंत्री (डा. किरोड़ी लाल) : (1) जी हां। सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में विभिन्न जिलों के लिए बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिगस्त सड़कों एवं अन्य मरम्मत कार्यों के लिए राशि का आबंटन निम्न प्रकार किया गया है :-

क्र. सं.	नाम अभिकरण	राशि लाख रुपये
1.	सा.नि. विभाग	4280.00
2.	<u>जिला कलक्टर्स</u>	
	(अ) सड़क कार्य हेतु	514.36
	(ब) बाढ़ सहायता हेतु	512.94
3.	कृषि विपणन बोर्ड	200.00
4.	स्थानीय निकाय	3000.00
5.	सिंचाई विभाग	500.00
6.	जन स्वा. अभि. विभाग	50.00
	योग :	**9057.30**

जिलेवार आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार सड़कों एवं नहरों आदि के पुनरूद्धार हेतु जिला कलक्टर्स एवं विभिन्न विभागों/एजेंसियों की मांग के अनुसार राशि का आबंटन किया गया है।

(3) जिला कलक्टर्स/विभिन्न विभागों/एजेंसियों को आबंटित राशि का उपयोग सड़क कार्य, सिंचाई विभाग के कार्य, कृषि विपणन बोर्ड के कार्य एवं

(डा. किरोड़ी लाल)

स्थानीय निकायों में मरम्मत के कार्य तथा पेयजल की क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत के कार्यों के लिए किया जा रहा है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। अतिरिक्त राशि का आबंटन किया जाना उचित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, खण्ड (2) में आपने उत्तर दिया है, मैंने पूछा था "सरकार द्वारा उक्त राशि आबंटित करने के क्या मापदण्ड रखे गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।" अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है "राज्य स्तरीय समिति के निर्णय के अनुसार सड़कों एवं नहरों आदि के पुनरूद्धार हेतु जिला कलक्टर्स एवं विभिन्न विभागों/एजेंसियों की मांग के अनुसार राशि का आबंटन किया गया है।" और दूसरा मैंने पूछा, भरतपुर और अलवर के लिए खण्ड (4) में तो आपने कहा कि जी नहीं, आवश्यकता नहीं है। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अलवर और भरतपुर के जिला कलक्टर, पी.डब्ल्यू.डी., इर्रिगेशन, लोकल बोडीज और मार्केटिंग बोर्ड के प्रस्ताव कितने-कितने रूपयों के थे जिनकी इन्होंने आपको मांग की थी क्योंकि आपने अलवर और भरतपुर के साथ यह सारा सदन जानता है, जब कभी भी बाढ़ राजस्थान में आती है तो अलवर और भरतपुर में भयंकर बाढ़ आती है और आपने जो पक्षपातपूर्ण तरीके से आबंटन किया है, अलवर में 20 लाख रुपये आपने पी.डब्ल्यू.डी. को दिये हैं और 15 लाख रुपये इर्रिगेशन को दिये हैं और भरतपुर को कुल 51 लाख रुपये पी.डब्ल्यू.डी. और सब मिलाकर दिये गये हैं और जिन जिलों में बाढ़ नहीं आती है, वहां आपने 1073, 1018, 1036 ऐसे दिये हैं। आपने स्वयं के जिले में क्या दिया है, यह आप इससे देख सकते हैं। मैं तो आपसे यह चाहता हूं कि आप यह बतायें कि अलवर और भरतपुर जिले के विभिन्न विभाग या कलक्टर द्वारा कितनी-कितनी राशि की मांग आपके विभाग से की गई थी?

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, 25-8-2004 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसमें 11 सदस्य थे और बैठक में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के दीर्घकालीन पुनरूद्वार हेतु उचित निर्णय के लिए विस्तृत तखमीने की आवश्यकता है। सम्बन्धित विभागों से, कलक्टर से तखमीने मंगवा लिये जाये। तखमीनों की जांच एवं प्रमाणीकरण सम्बन्धित जिला कलक्टर और प्रभारी सचिव द्वारा आवश्यक रूप से कराया जाये जो कि करवाया गया है। सिंचाई विभाग पंचायती राज संस्थाओं के स्वामित्व वाले ऐसे बांध/तालाब, जो बांध अतिवृष्टि में अभी क्षतिग्रस्त हुए, उनकी मरम्मत के लिए पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से धनराशि उपलब्ध कराई जाये और उसको प्राथमिकता से ठीक कराया जाये। अध्यक्ष महोदय, पशुओं में रोग की रोकथाम की दृष्टि से सी.आर.एफ. से पांच लाख रुपये उपलब्ध कराये गये प्रदेशभर में और 10 लाख रुपये मेडिकल एण्ड हैल्थ के दिये गये। इन्दिरा आवास योजना की दृष्टि से झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा में जहां मकान ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गये थे, उनको प्राथमिकता दी गई।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अलवर और भरतपुर की बात कहीं है कि कितनी आपके पास मांग की गई। आपने झालावाड़ को सारा कुछ दे दिया, इसमें कुछ नहीं है और माननीय अध्यक्ष महोदय के जिले को तो एक ही लाख रुपये दिये गये हैं। आप तो यह बतायें कि अलवर और भरतपुर को विभिन्न.....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप तो यह बता दीजिये कि डिमाण्ड क्या थी और आपने अलाट क्या किया ?

श्री जुबेर खान : ....मदों में कितने पैसों की मांग की गई और आपने कितना पैसा दिया।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले उनका जवाब आने दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, जिन विभिन्न जिलों से मांग आई, उस मांग के अनुरूप, मैं जिलेवार बोलूं?

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, केवल अलवर-भरतपुर की बताइये। दो का ही पूछा है।

श्री समर्थलाल : विभिन्न जिलों का नहीं, केवल अलवर और भरतपुर के लिए मांग आई, उसके लिए आपने क्या किया, यह है।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे नहीं बोलें, बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री समर्थलाल : मैं तो खड़े-खड़े बोल रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल : अलवर और भरतपुर की मांग, अलवर में मांग 20 लाख रुपये की पी.डब्ल्यू.डी. से आई और 15 लाख रुपये की मांग इर्रिगेशन से आई और अलवर जिले को 35 लाख रुपये उपलब्ध करा दिये गये।

श्री जुबेर खान : यह तो दिये जो हैं। मांग कितने की आई ? यह तो आपने स्वीकृत की है। मांग कितने की आई ?

श्री अध्यक्ष : बता दिया ना, बता दिया ना। मांग बताई है ना।

डा. किरोड़ी लाल : मांग है न। मांग के अनुसार हमने स्वीकृत कर दिया।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, इसको पटल पर रखवा लिया जाये कि मांग अलवर जिले से पी.डब्ल्यू.डी. की, इर्रिगेशन की और कलक्टर की मार्फत कितने की आई ? माननीय मंत्री महोदय हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। अलवर जिले से तीन करोड़ की मांग सिर्फ पी.डब्ल्यू.डी. हैड के अन्तर्गत आई है। सिर्फ पी.डब्ल्यू.डी. हैड से तीन करोड़ की मांग आई है।

डा. किरोड़ी लाल : अब आप भाषण कर रहे हो या मेरी बात सुन रहे हो ?

श्री समर्थलाल : आप एक बात मेरी भी सुन लो, मंत्री महोदय।

डा. किरोड़ी लाल : मैं दो मिनट इनका जवाब दे दूं, जवाब दे दूं इनका।

श्री समर्थलाल : मैं अध्यक्षजी की अनुमति से बोल रहा हूं। अध्यक्षजी, जरा इधर भी......

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने अलवर का बता दिया।

श्री अध्यक्ष : पहले जवाब आने दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से पी.डब्ल्यू.डी. से 20 लाख रुपये, लोकल बोडी से 20 लाख रुपये की, इर्रिगेशन से 8.68 लाख रुपये की और फ्लड असिस्टेंस कलक्टर ने जो दी, उसमें भरतपुर से 2.50 लाख, इस ढंग से भरतपुर को 51.18 लाख की राशि उपलब्ध करा दी गई।

श्री जुबेर खान : मेरा तो स्पेसिफिक सवाल है। आपने यह उपलब्ध कराई है पर आपके पास मांग कितने की आई थी ? अलवर और भरतपुर से पी.डब्ल्यू.डी., इर्रिगेशन, कलक्टर्स, इनसे आपको पैसों की मांग कितने की थी ? यह तो आपने दिया है और आप यह तुलना ही बता दीजिये। आप तीन जिलों की तुलना बता दीजिये। अलवर से कितने की मांग आई और कितनी स्वीकृत हुई ? झालावाड़ से कितने की मांग आई और कितनी स्वीकृत हुई ? सवाईमाधोपुर से कितने की मांग आई और कितने की स्वीकृत हुई ? आप तीनों का कम्पेरिजन बता दीजिये इस सदन में।

श्री अध्यक्ष : आपने अलवर भरतपुर के बारे में ही प्रश्न पूछा है, यह झालावाड़ कहां से आ गया ?

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सारा बता देता हूं।

श्री जुबेर खान : ये बिलकुल गलत कह रहे हैं You please don't protect the hon'ble minister because he is misleading the House.

श्री अध्यक्ष : ये अलवर भरतपुर का बता रहे हैं। जो प्रश्न है उसकी सूचना है इनके पास।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, हमने बरसात और अतिवृष्टि का क्राइटेरिया बनाया था। जहां ज्यादा बरसात हुई, उसके कारण से नुकसान हुआ, वहां पर पैसा दिया गया। अलवर और भरतपुर में ज्यादा बरसात नहीं हुई थी, बरसात हुई ही नहीं थी, नेग्लीजेबल बरसात थी और जितना पैसा मांगा उतना पैसा हमने उपलब्ध करा दिया और दूसरे जिलों की पूछते हो तो मैं रेनफाल के रेश्यो लेकर आया हूं। रेनफाल के रेश्यो के हिसाब से झालावाड़ में सबसे ज्यादा

(डा. किरोड़ी लाल)

बरसात हुई थी, कोटा में सबसे ज्यादा बरसात हुई थी, बून्दी में सबसे ज्यादा बरसात हुई थी, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में बरसात हुई थी। वहां भारी नुकसान हुआ था, उसके कारण से जितने डेमेजेज वहां पर हुई....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी खड़े हैं, पहले आप विराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : ....मांग के अनुसार उनको पैसा आबंटित कर दिया गया.....

श्री अध्यक्ष : अब पूछिये आप। हां, दुर्गाप्रसादजी, पूछें। आप विराजें।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय जो सवाईमाधोपुर से सम्बन्धित हैं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अलवर का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें पहले। वह बोल रहे हैं न। आपको भी मौका दूंगी, आपको भी दूंगी।

श्री समर्थलाल : ठीक है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय जिला सवाईमाधोपुर से सम्बन्धित हैं, इन्होंने यहां पर भी भेदभाव बरता है। जिला सवाईमाधोपुर में सवाईमाधोपुर कांस्टीट्यूएंसी से आप एम.एल.ए. बनकर आये, मैं गंगापुर जो सब डिवीजन है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो अलवर, भरतपुर का है, सवाईमाधोपुर बीच में कहां से आ गया ? अलवर, भरतपुर का है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : महोदय, मेरी पूरी बात सुनिये। मैडम, मेरी बात तो सुन लीजियेगा। मैं गंगापुर से एम.एल.ए. बनकर आया, इन्होंने मेरे जितने भी फ्लड रिलीफ के पैसे थे, तमाम काट दिये और सवाईमाधोपुर में पूरे पैसे ले गये।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। माननीय समर्थलाल जी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैंने इनको एक पत्र लिखा, इन्होंने उस पत्र का जवाब भी नहीं दिया। महोदय, सुन तो लीजियेगा। मैंने इनको पत्र लिखा कि महोदय, आपको फ्लड डेमेज रिपेयर के अन्तर्गत 536 लाख रुपये भारत सरकार ने जो मंजूर किये थे उनमें से सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, सवाईमाधोपुर ने....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न इर्रिलेबेंट है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : 98 लाख रुपये गंगापुर की रिपेयर के लिए प्रस्तावित किये थे, आपने किस आधार पर उन 98 लाख रुपये को कैंसिल कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण दे रहे हैं ?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : मैडम, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 98 लाख रुपये गंगापुर को जो अलाट हुए थे वह किस आधार पर काटे और पूरे पैसे आप सवाईमाधोपुर में क्यों ले गये ? आप तो इसका जवाब दे दीजिये मुझे।

श्री अध्यक्ष : भाषण अलाउ नहीं है, भाषण अलाउ नहीं है, केवल प्रश्न पूछना अलाउ है। समर्थलाल जी।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं गंगापुर का अलाटमेन्ट बता दूं....

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : कोई आवश्कता नहीं है, इर्रिलेवेंट प्रश्न है।

श्री समर्थलाल : कृपया आप विराजें। अध्यक्ष महोदय, अलवर के अन्दर अकाल-राहत और अनावृष्टि नुकसान हुआ। उस नुकसान का मापदण्ड पी.डब्ल्यू.डी. और इर्रिगेशन विभाग ने राहत मंत्रीजी को पहुंचाया और द्वारा कलक्टर के आया और कलक्टर के द्वारा जो राशि की मांग की गई उसमें से

(श्री समर्थलाल)

केवल पैंतीस लाख रुपये इन्होंने दिये हैं और वह केवल अकेले थानागाजी को दिये हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वसुन्धराजी ने एक पत्र माननीय विधायकों को लिखा था कि-"जैसा कि आपको विदित है के राज्य के पच्चीस जिलों में 18613 ग्राम इस वर्ष भी बरसात की कमी के कारण अकाल से प्रभावित है।" बाद में उन्होंने यह कहा कि कि-"राज्य के वित्तीय संसाधन भी सीमित हैं, ऐसी स्थिति में मुझे आपके सहयोग की अति आवश् कता है। मैं चाहूंगी कि आप अपने क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों हेतु अकाल राहत सम्वत् 2061 सम्पादन प्रक्रिया अन्तर्गत सामग्री की राशि विधायक कोष से आबंटित कर जिला कलक्टर को प्रस्ताव अपनी सहमति के साथ प्रेषित करायें ताकि श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके एवं इस पुनीत कार्य में आप पुण्य के भागीदार बन सकें।" मैं यह निवदेन करना चाहता हूं मंत्रीजी, आपसे, कि अलवर के इर्रिगेशन विभाग, पी.डब्ल्यू.डी. से जितने मापदण्ड आये, जितने एस्टीमेट्स आपके पास आये करोड़ों की संख्या में आये हैं, लाखों की संख्या में आये हैं, उनमें से केवल आपने पैंतीस लाख रुपये दिये हैं और अन्य जिलों में आपने लाखों रुपये ही नहीं, बल्कि कहीं ग्यारह लाख, कहीं पन्द्रह लाख, बीस लाख, कहीं एक करोड़, कहीं डेढ़ करोड़ दिये हैं, तो क्या यह भेदभाव नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये माननीय सदस्य।

श्री समर्थलाल : पुनीत कार्य में हमसे तो आप सहयोग लेना चाहते हैं और आप पुनीत कार्य में सहयोग नहीं करना चाहते राहत मंत्री होने के नाते, तो यह पुनीत कार्य आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं ? यह पाप आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं ?

डा. किरोड़ी लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको व पूरे सदन को अच्छी तरह से पता है कि बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा बरसात हुई थी और वहां सबसे ज्यादा क्षति हुई। उस बांसवाड़ा की सड़कों की मरम्मत के लिए हमने छह करोड़ रुपये दिये और अलवर में बरसात नहीं हुई थी और बरसात नहीं होने के कारण कोई सड़क नष्ट नहीं हुई। यह तो हमने सोचा कि थोड़ा-बहुत

(डा. किरोड़ी लाल)

पैसा अलवर को भी दे दो, भरतपुर को भी दे दो, यह आप मेहरबानी मानो हमारी कि हमने आपको पैसा दे दिया।

श्री समर्थलाल : इसका मतलब यह हुआ कि जिला कलक्टर ने जो रिपोर्ट भेजी है....

श्री श्रवण कुमार : आप तो यह बताओ कि झुन्झुनूं को कितना दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं को। झुन्झुनूं का भी ध्यान है क्या इनको ?

श्री समर्थलाल : जिला कलक्टर और राज्य सरकार के अधिकारियों ने जो रिपोर्ट भेजी है वह मिथ्या है ? यदि वह मिथ्या है तो उनको सस्पैण्ड किया जाए।

श्री अध्यक्ष : कलक्टर की रिकमंडेशन के आधार पर दिया है।

श्री श्रवण कुमार : झुन्झुनूं की तरफ ध्यान है क्या, इनको पूछो झुन्झुनूं में कितना दिया।

श्री समर्थलाल : और यदि मिथ्या नहीं है तो राज्य सरकार पर मैं इसका दोषारोपण करता हूं।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम क्वेश्चन आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बरसात अलवर में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता।

श्री जुबेर खान : बरसात अलवर में कम हुई, आप यह बता दीजिये जब बरसात कम हुई है और आप कह रहे हैं कि झालावाड़ में ज्यादा बारिश हुई है तो झालावाड़ जिले में कितने गांवों को आपने अकालग्रस्त घोषित किया है और अलवर जिले में कितने किये हैं ? इसका मतलब अलवर जिले में ज्यादा गांव घोषित होने चाहिए।

डा. किरोड़ी लाल : मैं बता रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : एक मिनट मंत्रीजी, एक सवाल है।

डा. किरोड़ी लाल : रामनारायणजी, दो मिनट, इनका जवाब दे दूं मैं।

श्री रामनारायण मीणा : आप साथ का साथ जवाब दे दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : मेरे वहां खुद के इलाके में 47 प्रतिशत खराबा था, वह पचास प्रतिशत से ऊपर नहीं हुआ तो जिला सवाईमाधोपुर अकाल में घोषित नहीं किया। इसी ढंग से झालावाड़ को भी घोषित नहीं किया गया। किसी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव नहीं किया जा रहा है चाहे आपदा प्रबन्धन के काम हों चाहे अकाल के काम हों।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने माननीय मंत्रीजी को पत्र लिखा, इनके सैक्रेटरी को पत्र लिखा है और मैंने बताया यह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, आज दिन तक न उसका जवाब आया, न उनकी स्वीकृति जारी हुई।

श्री अध्यक्ष : यह तो अलवर, भरतपुर का प्रश्न है। प्रश्न तो अलवर-भरतपुर का है।

श्री रामनारायण मीणा : इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सदन के सदस्य के साथ जिस तरह का भेदभाव हो रहा है, पोलिटिकली हो रहा है....

श्री श्रवण कुमार : यह प्रश्न पहले झुन्झुनूं का....(व्यवधान) झुन्झुनूं के बारे में आप कुछ और नहीं सोच रहे हो क्या ? सड़कें टूट गई हैं, एक पैसा दिया नहीं।

श्री रामनारायण मीणा : और यदि वह पत्र आपके सैक्रेटरी के, आपके पास आया तो उसकी स्वीकृति जारी करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री श्रवण कुमार : झुन्झुनूं का क्या हुआ ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, झुन्झुनूं में मापदण्ड से ज्यादा बरसात हुई, सड़कें टूट गई, एक पैसा भी दिया तो पूछो। भरतपुर को दे दिया, अलवर को दे दिया, आप झुन्झुनूं के बारे में भी तो सोचो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री रामनारायण मीणा : नुकसान हुआ पुलिया का, मैंने यह बताया कि .....(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : जहां आप बैठी हैं, झुन्झुनूं के बारे में तो बताओ इनको थोड़ा-बहुत।

श्री रामनारायण मीणा : पुलिया टूट गई है, कृपा करके इनकी मदद करें। मैंने आपको अर्ज किया, तालाब टूट गये.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल अलवर, भरतपुर का है।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : हां, अलवर, भरतपुर का ही मैं बोल रहा हूं साहब।

डा. किरोड़ी लाल : आप बैठो रामनारायणजी, मैं बता रहा हूं।

श्री कैलाश त्रिवेदी : मंत्री महोदय, एक मिनट आप हमारी भी सुनें, फिर आप बोलें।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद। श्री माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला तो भरतपुर और अलवर से आपके पास मांग किस-किस के द्वारा कितनी राशि की किस तारीख को आई है ?

श्री अध्यक्ष : वह तो पूछ लिया उन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कृपया उसको टेबल कर दें, हमको जानकारी दे दें। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि इन दोनों जिलों में, चूंकि यह मामला तो 1994-95 की बाढ़ का है, उस वक्त में नुकसान हुआ, पहले का है, इसमें किस-किस हेड में कितने पैसे खर्च हो गये जिसके लिए आपको कब-कब आवेदन किया है और उसके अगेंस्ट में आपने कितने पैसे दिये हैं। सवाईमाधोपुर से कितनी डिमाण्ड आई और कितने दिये और अलवर, भरतपुर से कितनी डिमाण्ड किस-किस के द्वारा कितनी तारीख को आई, कृपया आप यह दो जानकारी दे दें क्योंकि अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो यह जानकारी दी है कि भरतपुर से....

डा. किरोड़ी लाल : आप भाषण मत दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप भाषण दे दो और हम सवाल पूछें उसका कोई जवाब मत दो आप। मैं आपके माध्यम से अध्यक्षजी, केवल यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आपने जो बात कही कि अलवर और भरतपुर से इतनी डिमाण्ड आई थी, यह सही नहीं है। इसलिए कब, किसने कितनी राशि की आपसे मांग की, कृपया, आप इसकी जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर त्रिवेदी, आप भी पूछ लें। मंत्रीजी, वह पूछ रहे हैं।

श्री कैलाश त्रिवेदी : वह आपके साथ ही है, आप दें का जवाब। माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि आपने.....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप खड़े ही क्यों हैं तो, बात तो सुन लें, इनका प्रश्न तो सुन लें, मंत्री महोदय।

श्री कैलाश त्रिवेदी : बाढ़ राहत के अन्दर अलवर, भरतपुर और राजस्थान के जितने भी रोड्स क्षतिग्रस्त हुई या तालाब टूटे, इनका एस्टीमेट विभागों के आधार पर आपने तखमीने के अनुसार राशि स्वीकृत की या आपने अपनी मनमर्जी से कौन से रोड़ छोड़ दिये, कौन से तखमीने छोड़ कर के राशि आबंटन की, वह सूची हमको बतायें कि आपने कौन-कौन सी रोड्स छोड़ी, कौन-कौन से बांध छोड़े और किस-किस को प्रायोरिटी देकर आपने पैसे स्वीकृत किये। अगर आपने तखमीने के अनुसार स्वीकृति दी तो यह बतायें, और अगर तखमीने के अनुसार स्वीकृति नहीं दी तो बतायें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करें, प्रश्न। बस, विराजें आप। हां, मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, एक तो नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य रामनारायणजी और गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य और नगर से आने वाले माननीय सदस्य का मुझे कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ और अगर उनके पास है तो उसको सदन के पटल पर रखें।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रस्ताव तो कलक्टर ने किये, हमारी डिमाण्ड थोड़े ही है। हम तो कह रहे हैं कि किस-किस की डिमाण्ड आई। आप इसको उलझाइये मत।

डा. किरोड़ी लाल : जवाब दे रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इनके पास जवाब नहीं होता है उसको इर्रिलेवेंट साइड में ले जाते हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो यह पूछ रहे हैं, आपके पास, हमारी है या नहीं, आपके पास किस-किस की डिमाण्ड आई और किस तारीख को आई ? कितनी राशि की आई ? आप तो वह बता दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : आप उत्तेजित मत होइये, दे रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा : मैंने आपको लिखा, आपके सैक्रेटरी से पूछ लीजिये पहले, चिट मंगवा लीजिये। आपके सैक्रेटरी का जवाब आया है कि साहब, हम इस पर कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन आपका जवाब नहीं आया। आपके सैक्रेटरी के पास होने का मतलब गवर्नमेन्ट के पास आ गया।

डा. किरोड़ी लाल : आपका पत्र आया ही नहीं, आप विराज जाइये।

श्री रामनारायण मीणा : आपके सैक्रेटरी के पास आ गया तो फिर तो स्वीकृति जारी करोगे ?

डा. किरोड़ी लाल : दुर्गाजी, आपका भी पत्र नहीं आया, आप विराज जाओ। +++ मत बोलो आप।

श्री रामनारायण मीणा : फिर तो स्वीकृति जारी करोगे न आप, इतना सा जवाब दे दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : असत्य वाचन मत करो।

श्री रामनारायण मीणा : आ गया, आपके सैक्रेटरी के पास आ गया तो जारी करोगे कि नहीं करोगे ? मैंने आपके कलक्टर को लिखा.....

श्री अमराराम (धोद) : आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं है तो आपके पास आता कहां से ?

श्री रामनारायण मीणा : मैंने आपके कलक्टर को लिखा है। जिला कलक्टर ने उसमें क्या कार्यवाही की हम तो इतनी ही जानकारी चाहते हैं। क्या एम.एल.ए. के पत्र की कोई वेल्यू नहीं है ? एम.एल.ए. का पत्र लिख कर

(श्री रामनारायण मीणा)

समय खराब करना माना जाता है सरकार के द्वारा ? आप जिला कलक्टर से पूछ लीजिये। मेरा अर्ज करना है आप दोनों अधिकारियों से पूछ लीजिये उसके बाद में बता दीजिये यदि आया है तो स्वीकृति जारी करोगे कि नहीं करोगे ?

डा. किरोड़ी लाल : गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य विराज जाएं।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप असत्य बोल रहे हैं कि मैंने लैटर नहीं लिखा। उसकी कॉपी मेरे पास में है और मैं फ्लोर आफ द हाउस रख रहा हूं उस कॉपी को आप इसकी जांच करवा लें। मैंने लैटर लिखा है आपको। आप बिलकुल असत्य बोल रहे हैं।

श्री जुबेर खान : हमारा तो जवाब दीजिये तखमीना कितना आया ? हमारा सिर्फ यह जवाब दिला दीजिये आप।

श्री अध्यक्ष : +++ शब्द असंसदीय है कृपया एक्सपंज कर दिया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले जवाब दे दीजिये कितने तखमीने आये ?

श्री कैलाश त्रिवेदी : .....(व्यवधान)..... कितने नेग्लेक्ट किये यह बतायें आप ? आपने कितने तखमीने पास किये जिसकी राशि स्वीकृत की है और कितने निग्लेक्ट किये वो सूची रखिये सदन में।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप बार-बार इस सवाल को पूछ रहे हैं नगर से आने वाले माननीय सदस्य भी और अपने भाई...। अलवर का पी.डब्ल्यू.डी. से प्रस्ताव आया था 20 लाख का। 20 लाख दे दिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसका आया, कितनी तारीख को आया ?

डा. किरोड़ी लाल : किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से प्रस्ताव नहीं आया।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो कलक्टर को देते हैं आप तो किसका आया वो बताओ न। आप जन प्रतिनिधि में उसको उलझा क्यों रहे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हो ? आप तो कितनी तारीख को किसका एक्स.इएन. का है कि एस.ई. का है, कितनी तारीख को आया किसका है एस.ई. का है कि एक्स.इएन. का है ?

डा. किरोड़ी लाल : पी.डब्ल्यू.डी.। इसमें तारीख नहीं है। तारीख बता दूंगा। पी.डब्ल्यू.डी. से इसमें तारीख नहीं है चीफ इंजीनियर का लैटर है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तारीख नहीं चिट्ठी नहीं आप तो यह लिस्ट बता रहे हो।

श्री जुबेर खान : हमारे पास कागज है तीन करोड़ का। तीन करोड़ के प्रस्ताव पी.डब्ल्यू.डी. से आये आप इनके भी रखवायें और आप स्वयं जांच करायें। हां, इनसे भी रखवा लीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत पढ़ रहे हैं। आप टेबल कराइये इसको।

श्री जुबेर खान : आप इनसे टेबल कराइये। तीन करोड़ का पी.डब्ल्यू.डी. का आया खाली अलवर जिले से।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई तारीख नहीं है किसका पत्र है चीफ इंजीनियर अलवर में बैठता है क्या कि एस.ई. बैठता है अलवर में ?

श्री जुबेर खान : जिसने भेजा है तीन करोड़ का आप टेबल कराइये इनसे और आप देख लीजिये स्वयं इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है आप टेबल करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके पास कागज ही नहीं है। (व्यवधान).....

श्री जुबेर खान : आप अधिकारियों के कहने से गलत मत कहिये। आप टेबल कर दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : कौनसा कागज नहीं है ?

श्री जुबेर खान : आप टेबल कर दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : कौन सा कागज नहीं है आपके अलवर में......।

श्री जुबेर खान : ......(व्यवधान)...मांग आयी है। मांग कितने की आयी है और आप टेबल कर दीजिये पी.डब्ल्यू.डी. अलवर से ?

डा. किरोड़ी लाल : 25-6-2004 के बाद जो एस.एल.सी. की मीटिंग हुई उसमें तमाम प्रस्ताव मांगे गये जो उस तारीख तक प्रस्ताव आ गये उनको राशि आबंटित कर दी गयी उसके बाद में जो प्रस्ताव आये वो अब भी विचाराधीन हैं चूंकि आपदा प्रबन्धन अब सैंक्शन कर नहीं सकता। अब तो अगली बरसात आएगी और सड़क टूटेगी तब सैंक्शन करेंगे।

श्री जुबेर खान : आप तो टेबल कर दीजिये क्योंकि आप गलत कह रहे हैं तीन करोड़ रुपये के प्रस्ताव आपके पास आये एक साथ आये। आप टेबल करिये। टेबल कराइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : .....(व्यवधान).....माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर और भरतपुर कलक्टर के प्रस्ताव किस तारीख को आये आप उनको टेबल कर दीजिये। अगर आपके पास हैं तो और नहीं हैं तो, मना कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री नन्दलाल मीणा।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, टेबल करायें ये सरासर गलत कह रहे हैं सदन में।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके पास जानकारी कुछ है नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे सवाल लगते हैं पैसा खराब होता है हमारा टाइम बरबाद होता है। मंत्रीजी से हमने स्पेसिफिक सवाल आपके माध्यम से पूछा था कि कलक्टर अलवर और कलक्टर भरतपुर दोनों ने किस तारीख को कितनी डिमाण्ड की है ? नहीं तो हम बतायें हमारे पास है। उसको आप टेबल करिये आपके पास है तो। आप गुमराह कर रहे हैं सदन को।

श्री जुबेर खान : आप टेबल कर दीजिये। सोमवार को ही आपको पता चल जाएगा कि आपका जवाब गलत है, आपके कागज गलत हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनके पास कोई चिट्ठी नहीं है कोई जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मंत्रीजी के पास जो सूचना थी, वो उन्होंने आपको दे दी यदि आप सन्तुष्ट नहीं है तो दूसरे नियमों में आइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक सवाल अलवर, भरतपुर का है कि डिमाण्ड कितनी आयी थी और आपने स्वीकृति कितनी की है वो डिमाण्ड टेबल कर दीजिये आप। इनके पास चिट्ठी नहीं है कोई एम.एल.ए. का पत्र नहीं है, प्रधान का भी नहीं है। हम तो कलक्टर को लिखते हैं कलक्टर ने आपको चिट्ठी भेजी है।

डा. किरोड़ी लाल : आपके वहां सड़क ही क्षतिग्रस्त नहीं हुई अबकी बरसात में।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है माननीय मंत्री।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्यों दिया पैसा आपने ? पहाड़ी में ...... (व्यवधान).....

डा. किरोड़ी लाल : आपके वहां बरसात नहीं थी सड़क नष्ट नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री, मैंने नैक्सट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री नन्दलाल मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : सड़क ही डेमेज नहीं हुई। आप गये हो क्या एक बार भी नगर में और पहाड़ी में ? कभी गये हो क्या नगर और पहाड़ी में ? आप तो खेड़ली से ही वापस आ जाते हैं। कामां, पहाड़ी, नगर गये हो क्या कभी आप ?

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें। नगर से आने वाले माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लक्ष्यों की प्रगति

78. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के सात जिलों में "जिला गरीबी

(श्री नन्दलाल मीणा)

उन्मूलन परियोजना" संचालित है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2004-05 में किन-किन बिन्दुओं पर क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) योजना के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अब तक क्या उपलब्धि रही ? कितने गरीबों की गरीबी का उन्मूलन किया गया ? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले अधिक है ? यदि हां, तो उपयोजना क्षेत्र में आने वाले चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एवं सिरोही जिलों के गरीबों की गरीबी उन्मूलन परियोजना से कितने परिवारों को आर्थिक मदद उपलब्ध करवायी गई ? तहसीलवार लाभान्वितों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2004-05 में आबंटित बजट का क्या लक्ष्य निर्धारित था उसकी उपलब्धि क्या रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) : अध्यक्ष महोदय, (1) हां, यह सही है कि राज्य के सात जिलों बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द एवं टौंक में वर्ष 2000 से जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना कार्यरत है।

यह परियोजना लक्ष्य निर्धारित न होकर राज्य के सात जिलों के 42 विकास खण्डों के 7039 गांवों में ग्रामीण गरीबों को गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से समूह में जोड़ना, उनकी क्षमता का विकास कर संशक्तिकरण करना एवं गांवों में सामुदायिक ढांचागत, भूमि आधारित एवं आय सृजन गतिविधियों हेतु लघु परियोजनायें स्वीकृति कर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है जिससे लगभग 2,80,000 गरीब परिवार लाभान्वित होंगे।

वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए लक्ष्य के अन्तर्गत कुल समूहों का गठन 5225 और जिसका जिलेवार औसत है 750, लाभार्थियों की संख्या

(श्री कालूलाल गुर्जर)

52,250 औसत है 7500, स्वीकृत उप परियोजनाओं की संख्या 5225 औसत है 750, वित्तीय प्रावधान 200 करोड़ रुपये इस साल रखा था और उसमें से अब तक जिलेवार औसत है 28.50 करोड़।

(2) योजना का संचालन तहसीलवार न किया जाकर पंचायत समितिवार किया जा रहा है जिसके परियोजना लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :- 7 जिले हैं सातों जिलों में काम चल रहे हैं, सात जिलों में गांव 7039 और 7039 में ही परियोजना चालू है, लाभार्थियों की संख्या 2,80,000 है उसमें से 1,72,364 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है, वित्तीय प्रावधान कुल 623.05 करोड़ रुपये है उसके अगेंस्ट में अब तक 215.43 करोड़ रुपये जनवरी तक खर्च किया जा चुका है।

जिला बारां में कुल 7 खण्ड हैं उनमें कुल 21283 लाभार्थी हैं। जिला चूरू में कुल 8 खण्ड हैं उसमें 23,762 लाभार्थियों की संख्या है। जिला दौसा में कुल 7 खण्ड है उनमें 31438 लाभार्थी हैं। जिला धौलपुर में कुल 5 खण्ड हैं उनमें लाभार्थियों की संख्या 12645 है। जिला झालावाड़ में कुल 7 खण्ड हैं उनमें 27618 लाभार्थियों की संख्या है। जिला राजसमन्द में कुल 8 खण्ड हैं उनमें 18800 लाभार्थियों की संख्या है। जिला टौंक में कुल 8 खण्ड हैं उनमें 36818 लाभार्थियों की संख्या है।

(3) जी हां। जनजाति उप योजना क्षेत्र में बी.पी.एल. जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या से प्रतिशत अन्य जिलों से कुछ अधिक है, परन्तु राज्य के गरीबतम सात जिलों में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना (डी.पी.आई.पी.) लागू की गई। जिसका आधार, क्षेत्र आधारित, व्यक्तिगत आधारित एवं संसाधन आधारित, गरीबी है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा ग्यारह मानदण्ड तैयार किये गये थे जो परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है जिसके आधार पर आयोजना विभाग द्वारा सात गरीबतम जिलों का चयन किया गया था। अतः उक्त योजना क्षेत्र में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर एवं सिरोही जिलों के गरीबों को गरीबी उन्मूलन परियोजना में सम्मिलित नहीं होने के कारण इन जिलों के गरीबों को आर्थिक मदद उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

(श्री कालूलाल गुर्जर)

(4) वर्ष 2004-05 में आबंटित बजट 200 करोड़ रुपये का है, जिसमें से जनवरी, 2005 तक 82.56 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(मानदण्ड के लिए कृपया परिशिष्ट "2" देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान के सात जिलों बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द और टौंक में वर्ष 2004 से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिया। मेरा सवाल यह था खण्ड-3 में कि क्या यह भी सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले अधिक है ? इसका उत्तर है, जी हां।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, जब राजस्थान में इन सात जिलों में जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हाथ में लिया उससे अधिक गरीब ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के जो क्षेत्र हैं चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर इन जिलों के साथ आपने पक्षपात क्यों किया, पहले तो यह बतायें। जिस किसी ने भी किया, सन् 2000 में किया है। क्या मैं यह मानूं कि 2000 में राजस्थान की लोकप्रिय सरकार आदिवासियों और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रति संवेदनहीन थी।

डा. सी.पी. जोशी : क्या यह सही है मंत्रीजी, कि इन जिलों का चयन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, पहले आप इसका जवाब दे दें। इन सात जिलों का चयन भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ या नहीं, पहले यह बता दें।

श्री नन्दलाल मीणा : यह योजना 2000 से लागू हुई है। गरीबी उन्मूलन की योजना राजस्थान के सात जिलों में सन् 2000 में प्रारम्भ की गई और उस समय राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और माननीय जोशीजी, आप उस समय पंचायती राज के मंत्री थे। मैं यह मानूं कि आप ब्राह्मण होने की वजह से हरिजन और आदिवासियों के खिलाफ हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मैं खिलाफ हूं या यह खिलाफ हैं यह जानते हैं खुद ही कि यह आदिवासियों के कितने समर्थक हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है। राजेन्द्र राठौड़ इनके मित्र हैं कि मैं इनका मित्र हूं, यह जानते हैं। यह सवर्ण के साथ हैं या आदिवासी के साथ है सब जानते हैं इनको।

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने दीजिए मंत्रीजी को।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे जवाब के साथ परिशिष्ट "अ" लगाया है और उसमें 11 तरह के मानदण्ड तय कर रखें हैं और इन मानदण्डों के आधार पर सात जिलों का चयन हुआ है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दूसरे जिलों का नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ इसके बारे में मैं यह कह सकता हूं कि इन मानदण्डों में वह नहीं आये होंगे इसी कारंण से नहीं हुआ होगा। जो मानदण्ड में आये उन जिलों को लिया गया। अब सरकार की मंशा यह है कि यह चूंकि वर्ल्ड बैंक से स्पोंसर्ड स्कीम है और वर्ल्ड बैंक की टीम के सामने हमने प्रस्ताव रखा कि राजस्थान के सभी जिलों में गरीबी है इसलिए इनको लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 में इसमें कुल 15 लाख रुपये खर्च किये। इसके बाद 2000-01 में 1.45 लाख और उसके बाद 2001-02 में कुल 5 करोड़ 13 लाख और 2002-03 में 18 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किये गये। इस तरह से इसमें कुल 623 करोड़ का प्रावधान था। शुरू के 4-5 सालों में बिलकुल काम कांग्रेस पार्टी के शासन में नहीं हुआ। इस कारण से वर्ल्ड बैंक की टीम ने इसको अनसैटिस्फेक्ट्री घोषित कर दिया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसमें तेजी से काम किया और 2003-04 में दिसम्बर से मार्च तक हमने काफी खर्चा करके उस साल 107 करोड़ खर्च किया और इस साल हम डेढ़ सौ करोड़ से ऊपर पार कर लेंगे, अब यह सेटिसफेक्ट्री हो गई है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों को और सदन को आश्वस्त करता हूं कि इस योजना को राजस्थान के सभी 32 जिलों में लागू करने का हमारा प्रयास है और वर्ल्ड बैंक ने भी अब इसको सैटिस्फेक्ट्री घोषित कर दिया, यह सब जगह लागू हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह गुर्जर।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात है कि यह योजना राजस्थान में आई और उस समय हमारी गवर्नमेन्ट के समय हमने दिल्ली से तय कराया था कि यह योजना राजस्थान में शुरू हो और उस समय तीन जिलों में यह योजना लागू हुई थी। उसके बाद बढ़कर सात जिलों में हो गई। आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान दो स्टेट को इसमें लिया गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस समय.....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, आप इतिहास बता रहे हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : प्रश्न ही पूछ रहा हूं। एन.जी.ओ. के माध्यम से जो काम आप करते हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह ज्यादा जानकारी जोशीजी को है उनसे आप पूछें। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आपके मंत्रीजी कह रहे हैं कि उस समय हमने यह योजना लागू की है। उस समय यह नाथूसिंहजी ग्रामीण विकास के मंत्री थे और यह कह रहे हैं कि हमारे टाइम में हुई और आपके मंत्री कह रहे हैं कि हमारे टाइम में नहीं हुई। दोनों में से सही कौन है आप तय कर लो।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह आपसी टौंक जिले के अन्तर विवाद को फ्लोर पर क्यों ला रहे हो ? आप विराजो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पहले सरकार में चयन हुआ और उसके बाद लागू हुआ 2000 में और 2005 तक सब लोगों को लाभान्वित करना था...

श्री सी.डी. देवल : मंत्रीजी कहते हैं कि जिलों का चयन कांग्रेस के राज में हुआ, योजना बी.जे.पी. के राज में आई। उस समय के मंत्री कह रहे हैं कि हमारे टाइम में यह योजना आई है। तो फिर यह मंत्रीजी सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस के राज में लागू हुई उसका चयन हुआ बी.जे.पी. के राज में और चयन होकर....(व्यवधान) भ्रष्टाचार में लिप्त होकर.....(व्यवधान) इन्होंने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया, मैं यह कहना चाहता हूं।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि जिन एन.जी.ओ. को आप सलेक्ट करते हैं तो कुछ का तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सलेक्शन हो जाता है और कुछ का स्टेट लेवल पर एक कमेटी बना रखी है वह सलेक्ट करती है। इसमें बहुत भारी घपला है। कितने मामलों में, कितने एन.जी.ओ. के खिलाफ ए.सी.डी. में केस चल रहे हैं ? सलेक्शन के मामले में भी और जो सहायता दी जा रही है उसके मामले में भी। उन एन.जी.ओ. ने हरियाणा में भैंस देने के नाम पर फिक्स कर रखा है कि यहीं से भैंस खरीदनी पड़ेगी और उसमें कमीशन लिया जाता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कितने एन.जी.ओ. के खिलाफ ए.सी.डी. में केस चल रहे हैं।

दूसरा, क्या विभिन्न जिलों में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं पंचायत समितियों के माध्यम से क्या उनमें आप एक हाई पावर कमेटी बनाकर उन सब की जांच करायेंगे ?

तीसरा, जिन एन.जी.ओ. को काम दिया जाता है वह एन.जी.ओ. बाहर के हैं। वह एन.जी.ओ. ऐसे हैं जो स्टेण्ड ही नहीं करते हैं उस चीज के लिये और उन एन.जी.ओ. की रिपोर्ट मंगाते हैं दूसरे एन.जी.ओ. से। एन.जी.ओ. का जो सलेक्शन किया जाता है वह किस आधार पर किया जाता है ? क्या उसमें जो गड़बडियां हैं उनकी आप जांच करायेंगे ?

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं कि एन.जी.ओ. का सलेक्शन कैसे होता है। यह सही है कि एन.जी.ओ. का सलेक्शन राज्य स्तर पर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एन.जी.ओ. का सलेक्शन नहीं होता है। माननीय सदस्य की यह सूचना गलत है।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, टौंक जिले का मैं बता रहा हूं। टौंक जिले में जिला स्तर पर एन.जी.ओ. को डी.पी.आई.पी. का काम नहीं दिया है तो आप जांच करा कर देखें मंत्रीजी। आप पहले अपने विभाग से पूछ लो कि यह किस आधार पर हो रहा है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो हम जांच करा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार ने एक अरावली

(श्री कालूलाल गुर्जर)

संस्था का निर्माण कर रखा है और अरावली संस्था एन.जी.ओ. का सलेक्शन करती है। डी.पी.आई.पी. योजना के काम जिन एन.जी.ओ. को दिया जाता है उनका सलेक्शन कुछ मानदण्ड तय करके अरावली संस्था के द्वारा किया जाता है और अरावली संस्था जिनको चयनित करती है उन्हीं को डी.पी.आई.पी. का काम मिलता है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आपके अधिकारी जिसकी लिस्ट दे देते हैं...... (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर : आप बाद में पूछ लेना। अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि इस तरह से एन.जी.ओ. का सलेक्शन होता है, वह बिलकुल फेयर होता है। अब आप कहते हो बाहर के एन.जी.ओ. को ज्यादा दे दिया यहां के एन.जी.ओ. को कम दिया या यहां के एन.जी.ओ. को नहीं दिया। बिहार के आ गये, यू.पी. के आ गये। यू.पी. और बिहार के एन.जी.ओ. अगर अच्छा काम करते हैं तो कानून में प्रावधान है, कोई रोक नहीं है। इसके बावजूद भी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है तो अब नये एन.जी.ओ. का हम सलेक्शन करेंगे तो उसमें लोकल को प्रायोरिटी देंगे लेकिन जो पहले हुआ है उसमें तो जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। जहां तक शिकायतों के बारे में आपने कहा है, शिकायतें हमारे को जितनी भी मिली हैं जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उसमें से कुछ का निस्तारण हो गया और कुछ की जांच चल रही है। जहां तक ए.सी.डी. का सवाल है कि ए.सी.डी. में कितने मामले दर्ज हैं। उसकी सूचना मेरे पास नहीं है क्योंकि यह अलग से प्रश्न है अगर आप पहले पूछते तो मैं बता देता।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आपके स्टेट लेवल के जो अधिकारी हैं वह जिन एन.जी.ओ. की लिस्ट अरावली को पकड़ा देते हैं कि इसको करके लाना, इसको मत लाना उसके आधार पर उनका सलेक्शन होता है और पैसे देकर सलेक्शन होता है ? आप चाहेंगे तो मैं इसके लिये प्रूफ दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरी पंचायत समिति में दो एन.जी.ओ. के खिलाफ जांच हुई।

(डा. एन.एस. गुर्जर)

ए.सी.डी. में मामला गया। एक एन.जी.ओ. काम छोड़कर भाग गया और उसके बाद ए.सी.डी. में मामला गया। यह अभी हुआ है। इसलिए एन.जी.ओ. के मामले में आप जांच कराइए। आपको यही पता नहीं है कि कितने एन.जी.ओ. के खिलाफ ए.सी.डी. में केस चल रहे हैं।

श्री कालूलाल गुर्जर : मैंने कहा न कि शिकायतें आई। शिकायतें आने के बाद हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं उनके भी सुझाव आए कि डी.पी.आई.पी. के काम में थोड़ा और सुधार लाया जाए। इसके लिए हमने मंत्रिमण्डल की एक उप समिति बनाई है और उप समिति काम कर रही है। वह सुझाव देगी कि डी.पी.आई.पी. के कार्यों को किस प्रकार से संचालित किया जाए। जिससे ज्यादा से ज्यादा फेयरनैस हो। किसी प्रकार का कोई लिकेज नहीं हो। कोई शिकायतें नहीं आए। इसके ऊपर हमने एक कमेटी भी बना रखी है, वह कमेटी जांच करके रिपोर्ट देने वाली है। जैसे ही जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम उसे लागू करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने इनका नाम पुकार लिया है। हेमराज मीणा का नाम पुकार लिया है।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : बारां जिले में एक संस्था कार्यरत है जिस संस्था ने डी.पी.आई.पी. के कामों में बहुत गड़बड़ी की है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि उस संस्था के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया ? उस संस्था को अभी भी काम दे रहे हैं जिस संस्था के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, उसको भी यह काम दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री हेमराज मीणा : मेरा दूसरा सवाल यह है कि बारां जिले में 21283 का लाभ इन्होंने बताया है। बारां जिले में 21283 गरीबी उन्मूलन के लोगों को सहायता मिली है, उनको लाभ दिया गया, यह लाभ फर्जी दिया गया है क्योंकि जिन लोगों को वेल्डिंग का प्लांट दिया गया उनके घर में वेल्डिंग का प्लांट नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि कमेटी ने कब-कब इसका वेरीफिकेशन किया ?

(श्री हेमराज मीणा)

क्या भौतिक सत्यापन किया गया है ? यदि भौतिक सत्यापन हुआ तो कब हुआ ? इसकी जानकारी मंत्री दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने बारां के बारे में बताया.....

श्री अध्यक्ष : उनका भी आ जाने दीजिए, उनका भी आ जाने दीजिए, दोनों का साथ में ही।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबी उन्मूलन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। माननीय मंत्रीजी, आपने तीसरे खण्ड के उत्तर में यह जवाब दिया है कि वर्ष 2004-05 में आबंटित बजट 200 करोड़ रुपये का है जिसमें से जनवरी 5 तक 82 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने गरीबी उन्मूलन योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है ? 200 करोड़ के प्रावधान के विपरीत मात्र 82 करोड़ रुपये इस साल में खर्च हुए हैं जबकि यह साल पूरा होने को आ गया तो इसके लिए राज्य सरकार ने किसकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की है, यह बता दीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, वास्तविकता तो यह है कि 200 करोड़ का लक्ष्य है और चूंकि इस साल दो-दो, तीन-तीन बार आचार-संहिता लग गई, लोकसभा चुनाव में भी लगी, अभी पंचायतों के चुनाव में भी लग गई और बीच में नगरपालिका चुनाव में भी लग गई, इस कारण से गति थोड़ी धीमी रही है लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमारा लक्ष्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 200 करोड़ के अगेन्स्ट में 150-200 के बीच में लक्ष्य पूरा हो जाएगा जो कि राजस्थान में और सालों में सर्वाधिक होगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हेमराज मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मेरे यहां पर बहुत घोटाला है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हीरालाल।

श्री कालूलाल गुर्जर : बारां के बारे में आपने बताया....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हीरालाल। नियमों के मुताबिक रोजाना 12 प्रश्न पूछे जाने चाहिए। चूंकि, आप लोग खड़े हो जाते हैं इसलिए मैं केवल 3 से आगे बढ़ नहीं पाती हूं, सहयोग कीजिए, 12 नहीं तो 10 प्रश्न तो पूछे जा सकें। आखिर जो प्रश्न देते हैं वह सब चाहते हैं कि हमारे प्रश्नों के उत्तर भी आए। एक प्रश्न पर इससे अधिक समय नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री हीरालाल।

श्री नंदलाल मीणा : गरीबी उन्मूलन का, सबसे गम्भीर, मानवीय दृष्टिकोण से देखे जाने वाला मामला है।

श्री अध्यक्ष : सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।

निगम बस अड्डा, निवाई का अन्यत्र स्थानान्तरण

79. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कौन-कौनसी व कितनी बस सेवाएं संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बसों की संख्या के अनुपात में निवाई शहर का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का बस स्टैण्ड छोटा है, जिसकी वजह से बस स्टैण्ड पर भारी भीड़ रहती है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान बस स्टैण्ड पर स्थान का अभाव होने की वजह से नागरिक सुविधाओं का अभाव है ?

(4) क्या सरकार उक्त बस स्टैण्ड को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री युनूस खान) : (1) राजस्थान परिवहन निगम के विभिन्न आगारों द्वारा निवाई शहर होकर वर्तमान में दैनिक 131 बसों द्वारा 195

(श्री युनूस खान)

एकल परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। आगारवार संचालित मार्गों एवं उनके सामने अंकित परिचक्रों एवं बसों की संख्या दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

(4) निगम का वर्तमान में उक्त बस स्टैण्ड के स्थानान्तरण का कोई विचार नहीं है। क्योंकि निगम की वितीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री हीरालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि एक जनवरी से डागरथल-जयपुर, सनारा-जयपुर, रावली-जयपुर, चतरभुज-जयपुर यह बसें बन्द कर दी गई हैं जबकि पहले यह चालू थी। जनवरी से बसें बन्द की हैं। डागरथल-जयपुर, सनारा-जयपुर, रावली-जयपुर, चतरभुज-जयपुर। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बन्द कर दी हैं लोग निजी वाहनों, जीपों से आने के लिए मजबूर हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं। (व्यवधान) खरेड़ा-जयपुर, मंत्रीजी यह बताएं कि कब तक चालू करने का विचार रखते हैं ?

श्री युनूस खान : अध्यक्ष महोदय, निवाई विधान सभा क्षेत्र में सात रूट्स की बसें बन्द की हैं। उसमें लोड फैक्टर नहीं आने की वजह से उन बसों को बन्द किया गया है। बसें घाटे में चल रही थीं और सवारियां नहीं मिल रही थीं इसलिए बन्द किया गया। माननीय सदस्य, इस तरह के कोई प्रस्ताव आएंगे तो हम जरूर बसें चलाएंगे।

श्री हीरालाल (निवाई) : प्रस्ताव क्या, पहले बसें चालू थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामनारायण मीणा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसान से बढ़कर बस स्टैण्ड के स्थानान्तरण को समझ रहे हैं बड़े ताज्जुब की बात है ? श्री रामनारायण मीणा।

वन्य जीव रोजड़ा से फसलों को होने वाली हानि से बचाव

80. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में फसल नष्ट करने वाले जानवरों में सर्वाधिक संख्या रोजड़ों की है ?

(2) क्या यह सही है कि रोजड़ों की संख्या में तेजी से हुई वृद्धि के कारण सरकार द्वारा रोजड़ों को मारने की स्वीकृति दी जाने का अधिकार कतिपय अधिकारियों को प्रदत्त किया गया है ? यदि हां, तो अनुमति दिये जाने का आधार क्या है ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रोजड़ों को मारने की इजाजत प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने तथा उन पर क्या निर्णय लिए गए ? वर्ष 2004 में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों तथा उन पर जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या सरकार उक्त समस्या की गम्भीरता तथा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के निराकरण के लिए और अधिक प्रभावी नीति निर्धारित करने तथा रोजड़ों को वन्य जीव सूची से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण दवे) : (1) जी, हां।

(2) जी, हां। जो रोजड़े किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मारने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार के प्रसारित आदेश के अनुरूप अनुमति दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं की प्रतियां परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। 1993 से अब तक मात्र 13 आवेदकों ने कुल 81 रोजड़ों को मारने की अनुमति देने हेतु निवेदन किया जिन्हें विभाग द्वारा अनुमति दी जा चुकी है।

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

उपलब्ध सूचना अनुसार वर्ष 2004 में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। सैनिक छावनी, डिपो, गंगानगर द्वारा एक पागल रोजड़े को मारने की स्वीकृति चाही गई। रोजड़े को मारने की स्वीकृति जारी की गई। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। क्योंकि रोजड़ों को वन्य जीव सूची से हटाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित नहीं है। रोजड़ों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अनुसूची में 3 से 5 में स्थानान्तरित करवाने के सम्बन्ध में भारत सरकार को वर्ष 1992 से ही निवेदन किया जाता रहा है। भारत सरकार द्वारा रोजड़ों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 5 में स्थानान्तरित करने से मना कर दिया गया है तथा समस्याग्रस्त स्थानों पर उक्त अधिनियम की धारा 11(1) (बी) के तहत कार्यवाही करने का सुझाव दिया। उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि मिलिट्री जो हमारे देश की सुरक्षा करती है, आर्मी, उसके अधिकारियों को इजाजत लेनी पड़ी, उन्होंने दरख्वास्त दी 16 फरवरी, 2004 को, आपके अधिकारी 17 फरवरी को चिट्ठी लिखते हैं और उनको इजाजत मिली 27 फरवरी को, यानी 11 दिन बाद। इस दौरान मंत्रीजी आपको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 बनाया था उसकी प्रस्तावना में भी साफ लिखा हुआ है कि तीव्र गति से खतम होते हुए जंगली जानवरों, पक्षियों के लिए अधिनियम बनाया था। या तो मनुष्यों की आबादी बढ़ रही है या रोजड़ों की आबादी बढ़ रही है। आप स्वयं मानते हो कि राजस्थान में रोजड़ों की संख्या बढ़ रही है और वह किसान जिसको पांच साल पहले सरसों, गेहूं की रेट जो मिलती थी, आज भी वही मिलती है। सूखी जमीन है। क्या 10 दिन तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक उस रोजड़े से रक्षा करता रहेगा ? गोली चलाते हैं तो मुकदमा चलता है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह से इजाजत देना और 1992 में चिट्ठी लिखने के बाद कोई कार्यवाही नहीं करना, क्या इसको भारत सरकार के

(श्री रामनारायण मीणा)

समक्ष उठाएंगे ? क्या कोई स्पेशल अमेंडमैन्ट करने की आप बात करते हैं ? चूंकि सैक्शन 61 जो आपका है "पावर टू एण्टर एण्ट्रीज इन शिड्यूल" इसके लिए नोटिफिकेशन करने का जो पावर आपको है, उस पावर के तहत आपने नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया और नहीं किया तो इसका क्या कारण रहा ? रोजड़ा फिरता हुआ जानवर है।

आप "नील गाय" शब्द को हटाने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे। ये धार्मिक भावना भड़काते हैं। जबकि रोजड़ा न आपको दूध देता है, न बछड़ा देता है, शक्ल-सूरत से हो। आज भी आपके यहां से गाय के बछड़े जाने की शिकायतें हैं, भैंस कटने की शिकायतें हैं, बकरे कटने की शिकायतें हैं। क्या रोजड़ों का मांस, जो एक्सपोर्ट किया जा सकता है जिससे आप फॉरेन एक्सचेंज से मनी भी कमा सकते हैं, इस सबके बारे में आप करने की और बिना किसी इजाजत के, और उसमें, जैसे आपके एस.डी.ओ. को दरख्वास्त दी मंत्रीजी....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह भाषण दे रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ?

श्री रामनारायण मीणा : आप कृपा करके शांत रहिये। रोजड़ा मारने की इजाजत दी और एस.डी.ओ. ने दरख्वास्त लेने के लिये मना कर दिया बहुत सी जगह पर।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्वेश्चन पूरा करें। आप क्वेश्चन पूछें।

श्री रामनारायण मीणा : इन सबके लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं, यह बताने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 61 के तहत शिड्यूल बने हुए हैं। शिड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 धारा 61 के तहत शिड्यूल चेंज करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। राज्य सरकार ने बार-बार पत्र केन्द्र सरकार को लिखा। इस शिड्यूल थर्ड के अन्दर "नीलगाय" का उल्लेख है और इसको शिड्यूल फिफ्थ में लाने के लिये बार-बार पत्र लिखा था और राज्य सरकार ने धारा 11(1) बी के तहत अपनी तरफ से कार्यवाही की, और माननीय सदस्य ने जो गंगानगर की जो एप्लीकेशन 2004 में आयी थी,

15 रोज बाद तत्काल उसके निस्तारण में, एक जंगली रोजड़ा था उसको मारने की स्वीकृति प्रदान कर दी। (व्यवधान) धारा 11(1)(बी) के तहत तत्काल राज्य सरकार ने तमाम पुलिस अधीक्षकों को, जिला कलक्टर्स को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स को, तहसीलदारों को, नायब तहसीलदारों व क्षेत्र वन अधिकारियों को आथोराइज कर रखा है। जहां आज तक 13 प्रार्थना पत्र आये थे उनमें 81 रोजड़ों को मारने की परमिशन मांगी थी, 45 रोजड़ों को मारा गया। जैसे ही प्रार्थना-पत्र आते हैं तत्काल उस पर कार्यवाही की जाती है।

शिड्यूल 3 को 5 में ट्रान्सफर करने के लिये केन्द्र सरकार को अधिकार है। राज्य सरकार इसमें अधिकृत नहीं है। केन्द्र सरकार इसमें संशोधन करके अधिकृत करती है और यह शिड्यूल एक (व्यवधान) सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको शिड्यूल 3 में रखा गया। रोजड़ों को, वन्य जीव की सुरक्षा की जाए, शिड्यूल एक के अन्दर, शिड्यूल 3 के अन्दर और पांचवां जो शिड्यूल है उसमें किसी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हमने बार-बार निवेदन किया था। केन्द्र सरकार अगर 61 के तहत इसमें परिवर्तन का आदेश देती है तो हमें कोई इसका एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप भारत सरकार को पुनः लिखें कि यह "नील गाय" वर्ड नहीं लिखें इसको "रोजड़ा" लिखें। और यह लिखें कि यह दक्षिण भारत में कहीं नहीं होता है, यह इन 4-5 प्रान्तों में होता है जो कि किसान की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिये आप एक बार पुनः लिखें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो चिन्ता प्रकट की, राजस्थान के किसान सही रूप से चिन्तित हैं।

श्री अध्यक्ष : 'नीलगाय' के बजाय 'रोजड़ा' शब्द लिखें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : 'नीलगाय' एक शब्द लिखा हुआ है इससे धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। दूसरा, इसका पनपने का कारण कृषि में विस्तार और वन्य जीव संरक्षण के अन्दर जो इसको प्रोटेक्शन दे रखा है इसके कारण से है। अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना और राज्य सरकार और राजस्थान के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

किसानों की भावनाओं को देखते हुए पुनः मैं केन्द्र सरकार को शिड्यूल पांच में लाने के लिये अनुरोध करूंगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा है।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न, तब तक आप.... (व्यवधान) सेम-डे ही उसे....

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री बहादुर सिंह गोदारा।

श्री रामनारायण मीणा : इस तरह का अगर कोई मामला हो.... (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट से हाथ उठाकर बैठा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब असली बात तो हो गयी, अब आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है मेरा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इम्पोर्टेण्ट है।

श्री अध्यक्ष : नो, नो, नॉट अलाउड।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, + + +

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी, मेरे 10 में तो चने खा गये और 2 बीघा के टमाटर खा गये, मेरा क्या होगा। कुछ तो मुझे मुआवजा दिलवाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो, नो, नॉट अलाउड।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट से मेरा हाथ ऊपर था। आपने नहीं देखा और मेरा हाथ आप कभी नहीं देखती हैं। (व्यवधान)

मृत प्राय: समाज कल्याण संस्थानों के कार्यों में गति

81. **श्री बहादुर सिंह गोदारा** (नोहर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार मृत प्राय: पड़ी समाज कल्याण संस्थानों को पुनर्जीवित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्रीजी। नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने दूसरा क्वश्चन पुकार लिया।

समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर) : जी नहीं। विभाग द्वारा झालाना डूंगरी (जयपुर) स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण संस्थान, यू.पी.एस.सी. एवं आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित प्रशासनिक सेवाओं में इच्छुक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिये कोचिंग हेतु चलाया जा रहा था। परन्तु इस कार्य में असफल रहने के कारण यह मृत प्राय: है। अब इसको प्रशिक्षण संस्थान के रूप में काम लेने के लिए पुनर्जीवित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 दिसम्बर, 2004 से अनुसूचित जाति/जन जाति के यू.पी.एस.सी. सिविल सेवाएं (प्रारम्भिक परीक्षा) में चयनित होने वाले अभ्यार्थियों को, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रुपये 1,20,000/- से अधिक नहीं हो, को प्रधान परीक्षा की तैयारी के लिये रुपये 75,000/- एवं प्रधान परीक्षा में चयनित को साक्षात्कार की तैयारी के लिए रुपये 25,000/- देने की अनुप्रति योजना लागू कर दी है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि एक इस संस्था का ही सवाल नहीं है। सवाल है कि समाज कल्याण छात्रावास जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रहने के लिये खोले गये थे, आज करीबन-करीबन बन्द हो रहे हैं और वह इसलिये बन्द हो रहे हैं कि आपने बढ़ी हुई मंहगाई के अनुसार उनको अनुदान नहीं दिया, उनको खर्चा नहीं दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो बन्द हो गये हैं क्या भविष्य में

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

उन छात्रावासों को सही ढंग से अनुदान देकर पुनः चालू करने का इरादा रखते हैं ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं निवेदन कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न से सम्बन्धित तो है। समाज कल्याण संस्थान में आते हैं वह भी, क्यों नहीं है ? सम्बन्धित तो है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : यह सम्बन्धित ही है।

श्री मदन दिलावर : संस्थान अलग संस्था होती है। वह विभाग के अन्तर्गत चलने वाला छात्रावास है।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण की संस्था नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ये संस्थान जो पूछना चाह रहे हैं इनकी भावना है गैर सरकारी छात्रावास जो अनुदान से चल रहे हैं। इनकी भावना यह है और वे इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं। वे स्वयंसेवी संस्था के अन्तर्गत आते हैं फिर भी मैं निवेदन करना चाहूंगा.....

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : संस्थानों में तो सारे संस्थान आ गये, संस्थानों में तो सारे संस्थान आ गये।

श्री मदन दिलावर : फिर भी जवाब दे रहा हूं।

फिर भी मैंने यह कहा किसी भी अनुदानित छात्रावास को जहां कोई कारण न हो वहां बन्द नहीं करते हैं। यदि कोई छात्रावास बिना कारण के बन्द किया होगा पूर्ववर्ती सरकार ने तो हम उसको एग्जामिन करेंगे और उसको चालू करने का प्रयत्न करेंगे। अदरवाइज तो जहां अनियमितता थी, गलत तरीके से संचालन कर रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था ऐसे संस्थानों को या छात्रावासों को तो चालू करने का तो कोई कारण नहीं है।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : आपके हर डिपार्टमेन्ट में भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या आप उन डिपार्टमेन्ट्स को बन्द कर देंगे ? मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे नोहर, भादरा, रावतसर में समाज कल्याण की ओर से छात्रावास चल

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

रहे थे। अब वह सारे छात्रावास बन्द पड़े हैं। क्या आप उन छात्रावासों को पुन: चालू करने का इरादा रखते हैं या नहीं ?

श्री मदन दिलावर : आप राजकीय छात्रावासों के बारे में कह रहे हैं या अनुदानित छात्रावासों के बारे में कह रहे हैं ? यह थोड़ा स्पष्ट कर दें।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : अनुदानित छात्रावास जो समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाये जा रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : अनुदानित छात्रावास स्वयं-सेवी संस्थाएं चलाती हैं। सरकार उसमें अनुदान देती है। इसलिये जो ठीक प्रकार से संस्थाएं जिन छात्रावासों को संचालित करती हैं उनको हम नियमित रूप से अनुदान देकर के चालू करते रहते हैं। और जो इस प्रकार के बन्द किये हैं तो उनको एक बार हम एग्जामिनकर लेते हैं और यदि लगता है कि वास्तव में उनको अनुदानदेना आवश्यक है तो उस पर पुनर्विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामचन्द्र सराधना।

पुलिस अभिरक्षा से फरार कैदी

82. **श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2005 तक पुलिस अभिरक्षा से कितने अभियुक्त/कैदी कब-कब व कहां-कहां से फरार हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटनाओं में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) राज्य में 1 जनवरी, 2004 से 31 जनवरी, 2005 तक पुलिस अभिरक्षा से कुल 83 अभियुक्त/कैदी फरार हुए। कब-कब, कहां-कहां से फरार हुए का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर वर्णित है।

(गुलाबचन्द कटारिया)

(2) उक्त घटनाओं में जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" के कालम संख्या-7 में तथा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का वर्णन कालम संख्या-8 में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामचन्द्र सराधना : अध्यक्ष महोदय, सूची के क्रम संख्या 2, 3 और 45 पर जो कैदी फरार हुए थे उनके बारे में जांच की गयी और यह बताया गया कि कर्मचारी दोषी नहीं पाये गये। कर्मचारी दोषी नहीं पाये जाने का कारण क्या था क्योंकि फरार जो कैदी हुआ था उसके साथ में कोई न कोई कर्मचारी निश्चित रूप से था या बिना किसी कर्मचारी के वह कैदी अकेला भ्रमण कर रहा था जो फरार हो गया और कर्मचारी दोषी नहीं रहा।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि मोहम्मद सलीम नाम का एक अपराधी, एफ.आई.आर. नम्बर 155, अजमेर में 24-8-2004 को दर्ज हुई और मुकदमा धारा 224 में दर्ज हुआ। उस पर एफ.आर. लगा दी गयी। उधर एफ.आर. लगा दी गयी और उधर किसी कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया तो फिर इस अपराधी पर मुकदमा दर्ज होने का क्या कारण रहा ? इसमें न तो कोई कर्मचारी दोषी रहा और न वह अपराधी दोषी रहा क्योंकि उसमें एफ.आर. लगी है यह जानबूझकर उस आदमी को टार्चर करने के लिए यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मैं एक निवेदन और करना चाह रहा था, मेरा प्रश्न यह है कि क्रम संख्या-66 पर एफ.आई.आर. नम्बर 71/4 जो बांदीकुई में दर्ज हुआ है उसका जवाब अब आपने दिया है कि अभियोगी रेलवे चेकिंग स्टाफ की अभिरक्षा से फरार हुआ है। वह किसी भी अभिरक्षा से फरार हुआ है, उसमें दोषी कौन है और यह अभिरक्षा से, रेलवे चैकिंग पोस्ट स्टाफ से हुआ है तो उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है, यह भी इसमें नहीं बताया गया है।

अन्तिम प्रश्न मेरा यह है कि हर जगह, हर बार यह जेल से फरार होने की खबरें आती रहती हैं। इस पर माननीय मंत्रीजी, आपने क्या गौर से देखा कि

(श्री रामचन्द्र सराधना)

क्या कारण हैं जिनके कारण जेल से अपराधी फरार हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ताकि आइन्दा के लिए ऐसा कार्यवाही नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें काफी विस्तृत जानकारी चाही है पर इसमें 21 प्रकरण तो ऐसे हैं जिसमें किसी को भी हमने दण्डित नहीं किया। अधिकांश जो फरारी हुई उसमें कुछ ही समय बाद वापस उनको पकड़ लिया गया। 13 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें हमने 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष : पकड़ लिया लेकिन भागे तो थे ही न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 12 प्रकरण हैं, जिसमें हमने 16 की कार्यवाही उनके विरुद्ध की। 7 प्रकरण है, जिसमें 16 और 18 दोनों की कार्यवाही की। 18 प्रकरण में हमने निलम्बन किया। 3 प्रकरण में चेतावनी देकर छोड़ा गया। कोई भी केस नहीं है जिसमें मैरिट के आधार पर जिस व्यक्ति का भी जो दोष था उसको दण्डित नहीं किया। सारे के सारे केस में हमने उनको, इनमें 54 व्यक्तियों को तो वापस गिरफ्तार कर लिया तो यह जो कुछ केसेज हैं आपके उनमें कुछ जो केसेज पेंडिंग हैं, जिनमें फरारी पर हम पकड़ नहीं पाये, उन लोगों के खिलाफ जो हमने कार्यवाही की है यानि मैंने प्रत्येक केस के बारे में पूरा डिटेल आपको दिया है। इसमें और भी कहीं आपको कोई संदेह लगता हो, चूंकि, प्रश्नकाल तो पूरा हो रहा है, आप इसके बाद भी मिलकर, आप किसी पर्टिकूलर केस के बारे में अगर कहीं भी कोई अनियमितता आपकी निगाह में या ध्यान में आता है तो आप मुझसे व्यक्तिगत बात करके भी जो भी इसके तहत अगर कहीं भूल रही है, सामान्यत: जितना मैंने देखा उसके आधार पर मुझे नहीं लगता पर आपको किसी केस के बारे में कोई संदेह लगता है, कार्यवाही में कोई कमी रही तो आप मुझे बतायें, मैं निश्चित रूप से उस केस को दुबारा देखकर अगर उसमें कहीं कमी है तो निश्चित रूप से उसकी उचित कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :-

(1) श्री सी.डी. देवल एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली में बढ़ रहे अपराधों के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य कल इस विषय पर बोल चुके हैं। स्थगन प्रस्ताव का विषय भी नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(2) मोहम्मद माहिर आजाद एवं 14 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के पूर्वी जिलों के विकास में कथित उपेक्षा के सम्बन्ध में।

(3) श्री महीपाल सिंह यादव एवं 16 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में विद्युत सप्लाई अनियमित रूप से होने एवं विद्युत सम्बन्धी अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री सी.डी. देवल, सदस्य की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास के समबन्ध में।

(2) श्री अर्जुनलाल मीणा, सदस्य की ओर से सोम-कमला-अम्बा परियोजना आसपुर, जिला-डूंगरपुर के डूब क्षेत्र का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।

(3) श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में नरमे-कपास की फसल का पूर्ण भाव दिलवाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनपोल स्थित चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री नवरतन राजोरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण की सीवरेज लाइनों की समस्या के सम्बन्ध में।

(7) श्री हरीश कुमावत, सदस्य की ओर से कुचामन सिटी थाना क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

295, श्री सी.डी. देवल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, 15-16 माननीय सदस्यों ने पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा का जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, आपने अभी व्यवस्था में यह फरमाया कि उसके ऊपर सरकार से जवाब मांगा है। हमारी समझ में नहीं आया कि सरकार से जवाब किस बारे में मांगा है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार से जवाब इस बारे में मांगा है कि क्या सचमुच में पूर्वी राजस्थान के प्रति कोई विकास के सम्बन्ध में उपेक्षा की जा रही है और की जा रही है तो कौन-कौन से मदों में की जा रही है ? यह मांगा है मैंने। क्या बात है ? आपकी पीड़ा को समझा है और आपकी पीड़ा को समझकर ही जवाब मांगा है वरना जवाब मांगने की आवश्यकता भी नहीं थी।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी राजस्थान की हालत बहुत खराब है और आप बोलने भी नहीं देना चाह रही हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, जवाब आने के बाद तो आप हमको मौका दे देंगे क्या ? जवाब आने के बाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आने पर दूंगी मौका। हां, जवाब आने पर आपको मौका मिलेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, हम कोई बात कहते उस पर सरकार कोई विशेष पैकेज देने की बात करती पर.......(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, बिजली के लिए दिया था। बिजली के लिए दिया था। बिजली में हो रही धांधली के लिए हमने लिखकर दिया था। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, प्रार्थना करते पर (व्यवधान). यह आपके वैश्म में मिलकर अपनी समस्या बताते इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय से मिलकर, वैश्म में मिलिये। (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बिजली की अनियमित सप्लाई के विरोध में आपको 18 माननीय सदस्यों का स्थगन प्रस्ताव दिया है और पंचायत चुनावों के बाद इस सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, यह जनता चुनावों के बाद में (व्यवधान) बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है। स्थगन प्रस्ताव है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को कहते-कहते, समझाते-समझाते, नियमों को ध्यान दिलाते-दिलाते थक गयी हूं। महीपाल सिंह यादव। श्री सी.डी. देवल, 295 पढ़ें। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। श्री सी.डी. देवल बोलेंगे, 295 पढ़ेंगे।

श्री महीपाल सिंह यादव : किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, इस समय फसल खड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो।

श्री महीपाल सिंह यादव : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी पर्ची है, पर्ची है आपकी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पर्ची कहां है ? अभी तो विद्युत के सम्बन्ध में सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त करूंगी तब ही तो कुछ बताऊंगी, जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : आपकी तो खड़ी फसल पर खूब बारिश हो गयी है। आप क्यों बिजली की बात कर रहे हो ?

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार को भेज ही रही हूं और क्या कह रही हूं आपको।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री अध्यक्ष : तो जानकारी प्राप्त किये बिना मैं आपसे क्या कहूं ? (व्यवधान)

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री अध्यक्ष : श्री सी.डी. देवल 295 पढ़ें।

श्री महीपाल सिंह यादव : xxx

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। आप अब किसान की बात नहीं करें, स्थान ग्रहण कर लीजिए। मैं कह रही हूं कि आप स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण करें। श्री सी.डी. देवल साहब, आसन जब पांवों पर होता है तो आपको भी स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। अब श्री सी.डी. देवल बोलेंगे।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष : नो-नो, मैं आपको अनुमति नहीं दे रही हूं। मैं किसी को अनुमति नहीं दे रही हूं, केवल सी.डी. देवल को अनुमति दे रही हूं।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : स्कूल की बिल्डिंग गिर गयी है इस सम्बन्ध में इन्फोर्मेशन दे रहा हूं....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, जीरो ऑवर में यह परम्परा रही है कि कोई भी माननीय सदस्य अपने बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसी के तहत माननीय सदस्य आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष : न परम्परा है, न मेरा ध्यान आकर्षित होगा। श्री सी.डी. देवल।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : ऑन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जीरो ऑवर में बोलने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नई-नई परम्परा डालना चाहते हैं, नहीं। सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री संयम लोढ़ा : ऑन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में एक स्कूल की बिल्डिंग ध्वस्त होने से....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने पुकारा है नाम सी.डी. देवल का और यह अव्यवस्था मेरे यहां पर रहते हुए नहीं होगी। मैं जिसका नाम पुकारूंगी वही बोलेगा।

एक माननीय सदस्य : हमारा अधिकार तो रहा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री रामलाल (बनेड़ा) : कोई इन्फोर्मेशन दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप फिर खड़े हो गये। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। .....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसको कहते हैं अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, इन्फोर्मेशन तो देने दीजिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करती। आपको नियमों की जानकारी है। मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं रखती। श्री सी.डी. देवल 295 पढ़ें।

श्री जुबेर खान : आपसे एक निवेदन कर दें कि आप यह दोनों तरफ ही करिये कि बिना आपकी परमिशन के कोई खड़ा होकर नहीं बोलेगा। यह दोनों तरफ लागू कर दें। हम आपका आदर करते हैं। हम उस बात को मानेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों तरफ ही लागू कर रही हूं। मैं वह बात सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी कह रही हूं। आप भी नहीं बोलेंगे। श्री सी.डी. देवल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति बालिका सदन की व्यवस्था अत्यन्त दयनीय है। गरीब छात्रों को दी जा रही सुविधायें अधीक्षक व अधिकारी हड़प जाते हैं। जिससे छात्राओं का जीवन खराब हो रहा है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अमर सिंह गोदारा ने सारी स्थिति से समाज कल्याण मंत्री को अवगत कराया है किन्तु समाज कल्याण मंत्री ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बालिका सदन की स्थिति तो और भी खराब है। इस सदन की अधीक्षिका अंजना मानव ने 28-11-2004 को एक लड़के को बालिका सदन में भर्ती कर दिया और उसका नाम सरिता रख दिया। यह लड़का लड़कियों के बीच में रहता रहा और बाद में सदन की एक लड़की को लेकर फरार हो गया। पुलिस की गिरफ्त में आने के

(श्री सी.डी. देवल)

बाद पता चला कि सरिता लड़की नहीं, कोई लड़का है, किन्तु सम्पूर्ण जानकारी होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इससे भी शर्मनाक घटना इस सदन की 18 वर्ष की कुमारी सुमन नाम की लड़की गर्भवती हो गयी और दिनांक 20-5-2004 को सांगानेरी गेट अस्पताल में उसका गर्भपात कराया गया और इस घटना पर पर्दा डालने के लिये सदन का गेट रजिस्टर बालिका सदन की अधीक्षिका सुश्री अंजना मानव ने अपने घर पर रख दिया और विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी समाज कल्याण मंत्री द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। बालिका सदन में पूरे राजस्थान से दुःखी, असहाय और बेसहारा औरतें भर्ती की जाती हैं। उनकी इज्जत के साथ किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका एक नमूना है। सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करे और बेसहारा लोगों को संरक्षण दें और दोषियों को दण्ड दे।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल मीणा।

श्री रामलाल (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में गायत्री उच्च बालिका विद्यालय है, इसकी रात को साढ़े 6 बजे बिल्डिंग ध्वस्त हो गयी जिसमें कई औरतें बैठी थीं जिसमें दो तो वही एट-द-स्पॉट मर गयी। 10-12 अस्पताल में भर्ती है भीलवाड़ा में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब यह 295 पढ़ चुके उसके बाद इसको आप उठा सकते हैं, उससे पहले नहीं। श्री अर्जुन लाल मीणा।

सोम-कमला-अम्बा परियोजना, आसपुर (डूंगरपुर) के डूब क्षेत्र का मुआवजा

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत सोम-कमला-अम्बा परियोजना, आसपुर जिला डूंगरपुर के डूब क्षेत्र के मुआवजा बाबत निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, सोम-कमला-अम्बा परियोजना, आसपुर, जिला-डूंगरपुर में बांध बनने से बहुत लोगों का डूब क्षेत्र का मुआवजा भूमि का, मकान का

(श्री अर्जुन लाल मीणा)

नहीं मिला है। बहुत-सी बार सरकार को निवेदन करने के बावजूद ग्राम पंचायत कराकला के विभिन्न गांव डूब क्षेत्र के आ रहे हैं। ग्राम पंचायत अमतोदा, इन्टालीखेड़ा के विभिन्न गांवों में रहने वाले गरीब, आदिवासियों को अब तक उनके मकान अपनी जमीन का पूरा मुआवजा नहीं मिला है।

अतः सरकार से निवेदन है कि सोम-कमला-अम्बा परियोजना, आसपुर, जिला-डूंगरपुर के डूब क्षेत्र का मुआवजा शीघ्र दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

नरमा-कपास की फसल का पूर्ण भाव दिलवाने

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत नरमे-कपास के भाव के बारे में निवेदन है कि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले में नरमे-कपास की अच्छी फसल हुई है परन्तु नरमा-कपास किसानों के घरों में आज भी पड़ा है। गत वर्ष नरमा-कपास के भाव 2700/- रुपये प्रति क्विंटल के लगभग था। परन्तु इस वर्ष नरमा-कपास के पर्याप्त भाव नहीं मिल रहे हैं। इस वर्ष नरमा-कपास के भाव में 800 रुपये, 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम है। जिसके कारण फसल पर कुल खर्च की लागत भी प्रायः नहीं मिल रही है जिसके कारण किसान आज कर्जायत हो गये। यह किसानों के साथ अन्याय है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आप और वक्ता के बीच पार्लियामेन्ट मिनिस्टर घूम रहे हैं, कितनी गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, भविष्य में ध्यान रखेंगे।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जो एजेन्सी नरमा-कपास खरीद कर रही है वो एजेन्सी पूर्ण रूप से जितना नरमा-कपास धान मण्डी में आता है, उतना नहीं खरीद कर रही है। खरीद पूर्ण नहीं होने के कारण किसान को सात-आठ दिन तक नरमे-कपास की रखवाली के लिये धान मण्डी में रहना पड़ता है। नरमे-कपास के भाव केन्द्र सरकार निर्धारित करती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि किसानों

(श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची)

को उनकी फसल का उचित भाव दिलवाये जाने की उचित व्यवस्था की जाये, ताकि किसानों को आर्थिक हानि, कर्जायत होने से बचाया जाये।

मुझे दुःख इस बात का है कि विपक्ष ने रावला-घड़साना किसान आन्दोलन की तो चर्चा की, परन्तु जो किसानों को नरमा-कपास के भाव में घाटा लगा है, फसल का भाव कम मिला है, उसके बारे में कुछ बात नहीं की। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार भविष्य में किसान को उसकी फसल का पूर्ण भाव दिलाने की व्यवस्था करेगी ताकि किसान को कर्जायत होने से बचाया जा सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल गुप्ता।

किशनपोल विधान सभा क्षेत्र स्थित चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में स्थित कतिपय चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था करने बाबत मेरा निवेदन है। किशनपोल विधान सभा क्षेत्र में हरिबक्श कांवटिया एवं बनीपार्क सैटेलाइट दो प्रमुख सरकारी चिकित्सालय स्थित हैं। इन दोनों चिकित्सालयों के आउट-डोर में प्रतिदिन लगभग एक हजार से अधिक मरीज उपचार कराने के लिये आते हैं। लेकिन दोनों ही चिकित्सालयों में आउटडोर और इण्डोर मरीजों की संख्या की तुलना में चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ नहीं होने के कारण जनता को अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, हरिबक्श कांवटिया अस्पताल 200 शैयाओं वाला चिकित्सालय है लेकिन 50 ही शैयाएं हैं।.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आप कहां पढ़ रहे हैं ? आप अलग से पढ़ रहे हैं कुछ।

श्री मोहन लाल गुप्ता : वह कुछ बात रह गयी थी इसलिये पढ़ दी मैंने।

श्री अध्यक्ष : यह कोई बात हुई ? 295 में जो लिखा है वहीं पढिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : इसमें मेडिकल जूरिस्ट, ई.एन.टी. और पैथोलोजी का कोई चिकित्सक पदस्थापित नहीं है, जबकि इस चिकित्सालय में 16 थानों में दर्ज मामलों के व्यक्ति एम.एल.सी. हेतु यहां आते हैं। ज्यूरिस्ट नहीं होने के कारण सामान्य मेडिकल आफिसर को ही यह कार्य करना पड़ रहा है। इस चिकित्सालय में गायनिक के कई चिकित्सक हैं। लेकिन नवजात शिशुओं की समुचित देखभाल हेतु कोई नर्सरी वार्ड की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण कई बार नवजात शिशुओं का उपचार करने में चिकित्सकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ा चिकित्सालय बनीपार्क सैटेलाइट के नाम से है। इस चिकित्सालय में एक्स-रे एवं विभिन्न जांचों की सुविधा है। लेकिन कोई रेडियोलोजिस्ट और पैथोलोजिस्ट नहीं है। विभाग द्वारा इस चिकित्सालय में आउटडोर मरीजों की संख्या लगभग 1000 से ऊपर प्रतिदिन है। लेकिन चिकित्सक मरीजों की संख्या की तुलना में अत्यधिक कम हैं। कम से कम 6 चिकित्सा अधिकारी और पदस्थापित किया जाना आवश्यक है।

मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर एवं बनीपार्क सैटेलाइट चिकित्सालय, जयपुर में अविलम्ब समुचित चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ का पदस्थापन करवाकर जनता को राहत प्रदान कराने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरतन राजौरिया।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों की मरम्मत

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सड़कों की हालत जीर्ण-शीर्ण होने तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से मरम्मत कार्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-295, विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री नवरतन राजोरिया)

अध्यक्ष महोदय, फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में जो सड़कें बनी हुई हैं उनमें अधिकांश सड़कें वर्षों पुरानी हैं और वे जर्जर हो चुकी हैं। माननीय मंत्री महोदय एवं विभागीय अधिकारियों को मैंने अनेक बार सड़कों की मरम्मत करने हेतु लिखित एवं व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया है किन्तु सड़कों की मरम्मत तो दूर, प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही भी विभाग ने की हो, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है।

मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि सी.आर.एफ. मद के अन्तर्गत जयपुर जिले में कालवाड़-जोबनेर-पचकोडिया-रेनवाल सड़क प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव किया हुआ था। मुझे जानकारी मिली है कि विभागीय अधिकारियों ने उसमें गफलत कर उसकी प्राथमिकता बदल दी है तथा दूसरे स्थान पर सी.आर.एफ. रोड प्राथमिकता में न होते हुए भी उसकी स्वीकृति प्रदान कर मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता के साथ भेदभाव किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, कालवाड़-जोबनेर-पचकोडिया-रेनवाल सड़क बीस-पच्चीस वर्ष पूर्व बनी थी जिस पर आज तक डामरीकरण नहीं किया गया है। इस सड़क की दुर्दशा हो गयी है, जिस पर वाहन चलना मुश्किल हो गया है। यह सड़क नावां, कुचामन, नागौर, भादवा, लूणवा, डीडवाना जाने के लिए राज्य राजमार्ग का काम भी करती है जिस पर प्रतिदिन हजारों भारी वाहन गुजरते हैं। इस सड़क की प्राथमिकता से मरम्मत की जानी आवश्यक है। इसी प्रकार हिंगोनिया, वेणियां का बास, प्रतापपुरा, जगमालपुरा, आस्टी, हस्तेड़ा, देनवाल, बासड़ी, बाघावास, पचकोडिया से लोहरवाड़ा, सिनोदिया स्थिति सड़कों की हालत भी जीर्ण-शीर्ण है, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि उक्त सड़कों की अविलम्ब मरम्मत करावें तथा जिन अधिकारियों ने मेरे क्षेत्र में अपनी इच्छा से प्राथमिकता बदली है, उसकी भी जांच कर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजकिशोर शर्मा।

जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में सीवरेज लाइन समस्या

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-295 के अन्तर्गत जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में सीवरेज लाइनों की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के वार्ड नम्बर 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56 एवं 57 की सीवरेज सम्बन्धी समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के वार्ड संख्या 51, 52 व 54 में ईदगाह से आमेर की तरफ सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें सीवरेज लाइन नहीं है, उसमें आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा सीवरेज का कार्य स्वीकृत हुआ था। जिसमें विभिन्न कॉलोनी जैसे संतोष सागर, गोविन्द नगर (पश्चिम), शंकर नगर, कैलाशपुरी, गुर्जरघाटी, कागदीबाड़ा, डिफेन्स कॉलोनी, बास-बदनपुरा की विभिन्न कॉलोनी, गणेश कॉलोनी व इसके अतिरिक्त विभिन्न कॉलोनियों में सीवरेज लाइनों का कार्य अधूरा है तथा जहां सीवरेज लाइन डाली है वहां पुनः सड़क निर्माण नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 49 और 51 में शेष बचे हुए भाग के लिए टेण्डर आमंत्रित किये थे। इसके लिए अन्तिम बार 19-2-2004 को पुन: निविदा आमन्त्रित की गयी थी। उसे भी स्थगित किया हुआ है। इसलिए इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करावें।

वार्ड 49 में कॉलोनी वन विहार, ईदगाह कच्ची बस्ती, सूर्यनगर, गणेश कॉलोनी, ऋषि गालब नगर, गुलजार कॉलोनी, रीछबन्दर बस्ती मौहल्ला गोरियान में भी सीवर लाइन नहीं है। इसलिए इन कॉलोनियों में भी सीवर लाइन डालना अति आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त वार्ड 55, 56, 57 जो कि चारदीवारी के अन्तर्गत है, इसमें कई स्थानों पर बहुत पुरानी सीवर लाइन डली हुई है, वर्तमान समय में ये लाइनें छोटी पड़ गयी हैं जिससे आये दिन सीवरेज रूक जाती है इसलिए सडकों पर गन्दगी बहती रहती है। इसलिए सर्वे कराकर जहां-जहां समस्या है वहां बडी आधुनिकतम सीवरेज लाइन डाली जावे।

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, पूरे जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के लिए सीवरेज कार्य पूर्ववर्ती सरकार के समय में रूडिप द्वारा स्वीकृत किया हुआ है किन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। इसके साथ जहां सीवर लाइन डाल दी गयी है वहां रोड का निर्माण नहीं कराया जा रहा है जिससे जगह-जगह गड्डे व आने-जाने में लोगों को समस्या हो रही है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में सीवरेज के अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जावे तथा साथ-साथ रोड भी बनाया जावे ताकि वहां के नागरिकों को रोज-रोज होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के रूप में जहां पुरानी सीवर लाइन डली हुई है उसमें वार्ड 54 में सन्तोष सागर कॉलोनी, गली नम्बर-2 का उदाहरण देता हूं जहां पर सीवर लाइन का गन्दा पानी उबाल खाकर बाहर आ रहा है जिससे आने-जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश चन्द कुमावत।

कुचामन सिटी (नागौर) थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने

श्री हरीश चन्द (नावां) : अध्यक्ष महोदय, कुचामन सिटी, जिला नागौर थाना क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

1. अध्यक्ष महोदय, कुचामन सिटी थाना क्षेत्र हमेशा शान्त रहा है परन्तु कुछ लोगों द्वारा राजनैतिक द्वेष तथा स्वार्थ पूर्ति को लेकर यहां की समरसता में जहर घोलना प्रारम्भ कर दिया गया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन यदि शीघ्र कार्यवाही करती तो ऐसे लोगों को बढावा नहीं

(श्री हरीश चन्द)

मिलता परन्तु उनकी शिथिलता की वजह से आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ने लगी है। कुचामन थाना क्षेत्र की एफ.आई.आर. नम्बर 55/2004 की जांच अभी तक पूरी नहीं कर दोषी लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश नहीं हुआ जबकि यह रिपोर्ट 13-3-2004 को दर्ज हुई है। अब तक रुकी कार्यवाही की वजह से ही दूसरे अपराध बढ़ रहे हैं।

2. हाल ही पंचायत चुनावों की रंजिश की वजह से निर्वाचित वार्ड पंच, पंचायत दीपपुरा में अकेली महिला को दिन में घेर कर उसके साथ मारपीट व उसकी लज्जा भंग एवं लूटपाट दिनांक 7-2-2005 को की गयी जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना, कुचामन में संख्या 20/2005 दर्ज है। इस प्रकार की निन्दनीय घटना के अपराधियों को तत्काल पकड़ा जाकर नसीहत दी जाती तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगती। ऐसी घटनाओं के माध्यम से जहर फैलाकर जो वातावरण बनाया जा रहा है, वह अनुचित है। दर्ज मुल्जिमानों ने अग्रिम जमानत करा ली है परन्तु निष्पक्ष जांच करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। पीडित महिला ने जांच परेड में उनकी पहचान कर ली हो तो तथ्य सही प्रकट होंगे। दोनों पक्षों के हितैषी यहां बढ़ रही हिंसात्मक घटनाओं को रोक सकते हैं व इलाके में समरसता कायम रह सकती है अन्यथा अशान्त वातावरण बढ़ेगा व राजनैतिक द्वेष रखने वाले लोग यहां की समरसता को बिगाड़ेंगे व अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ेगी।

मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से इन दोनों प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही कर बिगडते वातावरण को सुधारने का अनुरोध करता हूं। शिथिलता बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। अब मैं पर्चियों पर आती हूं लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह भी बताना चाहूंगी कि पर्ची किसी विशेष घटना, जो इसके दौरान हुई हो, उस पर है। जितनी पर्चियां आयी हैं, अब एक पर्ची आयी है ढाणी व मजरों में घरेलू विद्युत कनेक्शन देने में शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में। यह क्या पर्ची हुई ? बताइये मुझे आप। दूसरी पर्ची आयी कि आज मैं अकाल पर चर्चा करना चाहता हूं। एक यह पर्ची हो गयी। तीसरी पर्ची

(श्री अध्यक्ष)

है, वो फिर भी समझ में आती है। एक है उचित मूल्य की दुकान डीलर खरकडा, जमवारामगढ़ को कैरोसीन ब्लैक करते हुए पुलिस थाना जमवारामगढ़ द्वारा पहचानने की, कूपन लेकर श्रमिकों को भुगतान और गेहूं नहीं देने के कारण। यह ठीक है।

लेकिन यह किसी एक स्पेसिफिक इन्स्टेन्स को लेकर पर्चियां हुआ करती हैं कि बोलना है, कोई आज की कार्यवाही में है नहीं इसलिए लेकिन इस तरह के जनरल सब्जैक्ट पर आप पर्चियां देने लग गये।

श्री रामप्रताप कासनिया। श्री रामप्रतापजी, दो-तीन मिनट में आप अपनी बात कह दीजिए जो बात है क्योंकि यह कोई पर्ची का विषय नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको समय दे रही हूं।

आप बीच में नहीं, उसके बाद बोलियेगा। कोई बात है तो अब इन चारों की पर्चियां खत्म हो जाएं उसके बाद आप अपना प्रश्न उठाइयेगा।

डा. एन. एस. गुर्जर : ऐसी पर्चियों को तो अलाउ ही मत किया करें।

श्री अध्यक्ष : अब क्या बताऊं वह अलाउ तो कर ली इन्होंने पहले लेकिन यह पर्चियां अलाउ करने लायक हैं नहीं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की ढाणियों में विद्युत कनेक्शन

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर ......

श्री अध्यक्ष : काल अटेंशन देते आप, करते ध्यान आकर्षित।

श्री रामप्रताप कासनिया : ढाणियों के अन्दर जो विद्युत कनेक्शन करने की सरकार ने छूट दी है उसमें बहुत त्रुटि रह गयी। यह एक किलोमीटर लाइन जो 15 ढाणियों के पीछे देने का जो सरकार ने निर्णय लिया है इससे

हनुमानगढ, गंगानगर जिले में तो एक भी ढाणी का कनेक्शन नहीं हो पाएगा। जहां पर मजरों में लोग बसे हुए हैं उनको तो जरूर इसका लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, गंगानगर और हनुमानगढ जिले में लोग अपने खेतों में ढाणियां बनाकर रहते हैं। वह ढाणियां कोई सामूहिक नहीं हैं। एक-एक मुरब्बे के अन्दर एक-एक ढाणी है। एक किलोमीटर लाइन अगर आप देओगे तो एक मुरब्बे में कम से कम चार ढाणी एक लाइन पर बनी हो तब जाकर एक किलोमीटर लाइन में 15 कनेक्शन हो पाएंगे। हमारे तो इस तरह की आबादी ढाणियों में है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि गंगानगर और हनुमानगढ जिले की ढाणियों में कनेक्शन देने के लिए आप या तो कम से कम एक ढाणी को तीन पोल फ्री देने की घोषणा करें अन्यथा एक किलोमीटर की जो लाइन है इसको एक ढाणी में डिवाइड कर दें अलग-अलग, यह प्रतिबन्ध मत लगाइये कि एक किलोमीटर लाइन तब ही मिलेगी जब पन्द्रह कनेक्शन होंगे "न नौ मण तेल होवे और न राधा नाचे" तो मेरा मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि आप हनुमानगढ और गंगानगर जिले के निवासियों को ढाणी में कनेक्शन देने में नियमों में शिथिलता प्रदान करें ताकि वह भी रोशनी का मुंह देख सकें।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री तगाराम चौधरी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : अध्यक्ष महोदय, एक.......

श्री अध्यक्ष : यह पर्चियां खत्म होने दीजिए। बार-बार खडे हो रहे हैं आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : मैं पहली बार खडा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : नो, नो। श्री तगाराम चौधरी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है।

श्री अध्यक्ष : बाद में। इनके बाद दीजिएगा।

श्री रामप्रताप कासनिया : मन्त्रीजी उत्तर दे एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट दिलवा दो।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में अकाल राहत कार्य

श्री तगाराम चौधरी (बाडमेर) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है. आपका आदेश शिरोधार्य है कि आज अकाल राहत पर चर्चा तो नहीं है परन्तु मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं बाडमेर और जैसलमेर दो जिले और यूं जोधपुर संभाग को भी भले ही लें, पश्चिमी क्षेत्र में बरसात भी देरी से आती है और पहले वापिस लौट जाती है। कुदरत भी हमको नहीं बख्शती। मैं आपसे यह निवेदन करूं अकाल राहत मन्त्रीजी यहां विराजमान नहीं हैं कि बाडमेर जिले के 1916 गांव अभावग्रस्त हैं और वहां पर श्रमिक संख्या। मार्च से एक लाख बढाई जाए, यह मेरा छोटा सा निवेदन है सरकार से।

दूसरा निवेदन है कि पशु शिविरों के बारे में विचार करके पशु शिविर भी बाडमेर, जैसलमेर में जल्दी स्थापित किये जाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पक्के काम भी लिए जाएं। किसानों के खेतों में टांके, पेयजल की स्थिति बहुत गम्भीर रहती है तो किसानों के खेतों में टांके भी दिलाए जाए। अधूरी पिछले अकालों की सडकें है उनकी मरम्मत के रूप में मुरड की सडकें बनाई जाएं तो मजदूरी भी मिलेगी कंकरीट खोदने की, मुरड खोदने की और श्रमिक भी वहां पर उपयोगी कार्य कर सकेंगे।

इसी तरह से अनुग्रह राशि, मेरा सुझाव है कि जो पेंशन में भी नहीं आते, विधवाएं हैं, वृद्व हैं, असहाय हैं, अपंग हैं, लूले या लंगडे हैं उनको अनुग्रह सहायता के रूप में अकाल में तो सहायता दी जाए। इस प्रकार के मेरे कुछ निवेदन हैं। एक निवेदन पुन: कर देता हूं कि वहां पर आगजनी की घटनाएं भी बहुत होती हैं तो उनके लिए एक-एक पक्का कमरा बनाने का इस तरह से मेरा बहुत ही कम समय में आपसे अनुरोध है सदन से और इस सरकार से। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री जुबेर खान।

जिला परिषद में नियुक्तियां

श्री जुबेर खान (रामगढ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जिला परिषद में दो तीन साल पहले भर्तियां हुई थीं उनमें कुछ अभ्यर्थियों को शिकायत रही कि हमारा मैरिट

(श्री जुबेर खान)

में आने के बाद भी नम्बर नहीं आया और हमसे नीचे वालों का नम्बर आ गया। वह लोग हाई कोर्ट गये। हाई कोर्ट में सरकार अपील में गयी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक से वह केस जीत गये। सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद तत्कालीन शिक्षा सचिव ने 26-6-2003 को चिट्ठी लिखी जिला परिषदों को जनरल कि इस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए और......

श्री अध्यक्ष : 2001 को लिखी।

श्री जुबेर खान : हां, 30-7-2003 को चिट्ठी लिखी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, चितौडगढ, भरतपुर। विषय अपील संख्या 4417/2002, कैलाश चन्द्र शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं इनके साथ निर्णित अन्य विशेष अनुमति याचिकाओं में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-7-2002 की पालना के क्रम में। उपरोक्त विषय पर विशेष अनुमति याचिका में दिनांक 30-7-2002 को पारित निर्णय की पालना सुनिश्चित करने के लिए इन विशेष अनुमति याचिकाओं में जो अभ्यर्थी याचक थे उनकी पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विषय, आदेश दिनांक 10-10-2002 जिला परिषदों को पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है। यदि जिला परिषद मार्ग दर्शन की आड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30-7-2002 की पालना सुनिश्चित नहीं करती है तो अवमानना के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-7-2002 की पालना में विषयान्तर्गत निर्देशित विशेष अनुमति याचिका का पक्षकार याचक जो वरीयता के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए पात्रता रखता है उसे तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए। भविष्य में निर्णय की पालना के अभाव में यदि कोई अवमानना प्रकरण न्यायालय में लाया जाता है तो उसके लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। विनोद जुत्थी, शासन सचिव।

उन्होंने यह चिट्ठी लिख दी इसके आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को नौकरी दी।

श्री अध्यक्ष : चिट्ठी कब लिखी, तारीख कौनसी को लिखी, तारीख तो बताइये।

श्री जुबेर खान : 30 जुलाई, 2003 को लिखी। उसके बाद छह लोगों को 16 अगस्त, 2003 को इसी आदेशों के तहत छह जो अभ्यर्थी थे उनको नौकरी दे दी पंचायत समिति जैसलमेर और सब में और यह दी है तारीख 16 अगस्त, 2003 को। इसी की अनुपालना में कुछ लोगों को नहीं दी गयी। मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक लडका बाबूलाल यादव, निवासी अलवर, उनको जिला परिषद में गये, अपने कागज दे दिये, उन्होंने लिखा है कि जिला परिषद जैसलमेर, श्री फलां, विषय प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु, विषयान्तर्गत लेख है कि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पक्षकार अभ्यर्थी हैं। विज्ञापन संख्या 98 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30-7-2000 की पालना में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उसमें आप द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई गई है फलस्वरूप निर्णय की पालना में प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। अत: लौटती डाक से प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए ताकि नियुक्ति की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके। यह तारीख 5-2-2004 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर इस बाबूलाल को लिख रहा है। बाबूलाल ने इसके बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय की सर्टिफाइड कापी वहां दे दी और आज तक इन लोगों को चक्कर कटाया जा रहा है। नियुक्ति नहीं दी जा रही है। मन्त्रीजी, आपके होते हुए या तो आप स्पष्ट कर दें कि यह पात्रता नहीं रखते हैं। अगर पात्रता नहीं रखते हैं तो आप स्पष्ट बतायें कि आप इसके उत्तरदायी नहीं है कि आपको नौकरी मिले और अगर मिल सकती है क्योंकि परिषदें बदल गयीं, सरकार बदल गयी, इसका एक निरन्तर प्रक्रिया पर असर नहीं पडना चाहिए। यह मैं मानता हूं कि स्थानीय जिला परिषदों में यह सम्भावना हो सकती है कि उनके मन में यह हो कि हमारे बच्चे नहीं हैं। यह दूसरे जिलों के हैं। इसके लिए अगर आप उनकी भावना की कद्र करना चाहते हैं तो नियमों में और कानूनों में परिवर्तन कीजिए कि जिले के अन्दर के अलावा किसी को नौकरी नहीं देंगे। जब यह मैरिट में आ गये, झुंन्झुनूं के, सीकर के, जयपुर के, अलवर के, भरतपुर के बच्चे और नियमानुसार आ गये। फिर कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक से इनके पक्ष में जब निर्णय दिये

गये हैं और फिर कोई जिला परिषद मनमाने तरीके से इनको नियुक्ति नहीं देती है तो यह गलत बात है और आपके होते हुए यह लोग धक्के खायें। या तो आप इनको बुलाकर के समझायें कि आप इस कानून के तहत पात्रता नहीं रखते हैं और अगर रखते हैं तो तुरन्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आप निर्देशित कीजिये। मुश्किल से थोड़े ही बच्चे बचे हैं। इसका निष्पादन करें और आगे जो कार्यवाही सरकार करना चाहे करे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कोई न कोई आप संकट हरण करें। मन्त्री महोदय, आज कैसे आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ? आप बतायें कि सही है या गलत है। अगर सही है तो निर्देशित कीजिये। हर चीज के लिए तो अध्यक्ष महोदय निर्देशित नहीं करते हैं। आप सुओमोटो उठकर के जवाब देते हैं। आज क्यों नहीं दे रहे हैं ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : आप आदेश दें तो कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : हां, कह दीजिये।

श्री रामप्रताप कासनिया : कृषि मंत्रीजी, मेरी पर्ची का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : अब बात दूसरी उठ गयी।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, ढाणियों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : अब शिक्षा मंत्रीजी खडे हैं। उनको जवाब देने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जुबेर खानजी ने जो प्रश्न उठाया है वह प्रश्न दो-तीन साल का नहीं है। यह प्रश्न है 1998 के चयनित लोगों का और 1998 में तत्कालीन सरकार ने जिला परिषदों के माध्यम से 7 हजार वेकेंसीज निकाली थीं और 7 हजार वेकेंसीज के अन्तर्गत इनकी सब जगह पर एक सूची बन गयी थी। उसमें कुछ बोनस मार्क्स थे। ग्रामीण क्षेत्र के बोनस मार्क्स थे, राज्य के बोनस मार्क्स थे। इन बोनस मार्क्स को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में बहुत से वाद पैंडिंग हुए। उसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने बोनस अंकों को समाप्त करने का निर्देश दे दिया। उस निर्देश के बाद में उनको हटाकर 7

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हजार लोगों को लेने की बात हुई और 7 हजार के अगेंस्ट में 7 हजार लोगों को नियुक्ति का आदेश दे दिया गया। उसके बाद में जो लोग बच गये थे वह हाई कोर्ट में गये, सुप्रीम कोर्ट में गये और विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों के अनुसार 1181 या करीब 1800 के करीब नियुक्तियां और हो गयीं। इस प्रकार से 7 हजार की निकाली हुई पोस्टिंग के खिलाफ 8181 के लगभग होंगे, दो-चार में गिनती इधर-उधर हो सकती है। इतने लोगों की नियुक्तियां हो गयीं। इन नियुक्तियों के बाद भी कुछ लोगों ने कहा कि हम चयनित बेरोजगार हैं। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सब इन नियमों को जानते हैं और न्यायालयों के आदेश हैं कि जितनी वेकेंसीज निकालते हैं, घोषित करते हैं उससे ज्यादा को भर्ती नहीं कर सकते हैं फिर भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश थे इसलिए वह भर्ती हो गये।

अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त का उल्लंघन हुआ। जो लोग न्यायालय के आदेश से आ गये वह लोग ऐसे थे जो लोअर मेरिट के थे और उनसे अपर मेरिट के लोग बच गये थे। यह बात हुई थी। उसके बाद में जिस आदेश का वह कह रहे हैं जुत्थी साहब का तत्कालीन शिक्षा सचिवजी ने एक आदेश यह जो आप कह रहे हैं वह निकाला कि इस प्रकार से, इस प्रकार से नियुक्तियां कर दी जायें लेकिन इस आदेश को 15 दिन बाद में विदड्रा कर लिया। इसके खिलाफ भी लोग हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने कह दिया कि डेट तय कर दें कि इसके बाद जो भी आयेंगे उनको किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं दी जाये। इसके बाद में पांच साल तक 1998 के बाद में इन लोगों में से एक भी नियुक्ति नहीं हुई और वैसे भी जो चयनित लिस्ट होती है एक समय तक होती है। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मेरे सामने यह विचार आया तो मुझे उचित नहीं लगा कि जो नीचे के लोग थे मेरिट के वह भर्ती हो गये और बाकी लोग भर्ती नहीं हो पाये। इसमें जो दूसरा सबसे बडा कारण आया, संवैधानिक जो समस्या पैदा हुई वह यह हुई कि जो लोग भर्ती हो गये वह तो हो गये लेकिन अब जो बचे हुए हैं उनमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. का कोटा भी पूरा होता नहीं है। मैरिट के आधार से, एक परेशानी तो उनके सामने आयी। दूसरी परेशानी आयी कि जब लिस्ट मांगी गयी, जिला

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

परिषदो से, मैंने एक सूची मंगाई थी उनके कहने से कि कितने लोग बच गये जो चयनित थे तो 13600 लोगों की लिस्ट और आ गयी। यह कभी भी नहीं होता है कि 7 हजार का चयन करना हो और 7 हजार के अगेंस्ट में हम 21 हजार का चयन करें। 8 हजार हों, 9 हजार हों, 18 हजार हों, यह बात समझ में आती है। इसके बाद मैंने दूसरा पत्र भेजा, मैंने कहा जो आपके जिले में चयनित हुए हैं लोएस्ट मार्क्स के आदमी, उससे ज्यादा के जो आदमी हैं उनकी लिस्ट भेजिये और जब वह लिस्ट मांगी तो मुझे और भी तकलीफ हुई क्योंकि वह 14200 की आ गयी। जिला परिषदों में दे देकर नम्बर लिखा लिया। इस सारी स्थिति को करने के लिए तीन काम मैंने किये। एक काम तो मैंने यह किया कि जो भर्ती की प्रक्रिया चालू की इसमें 1998 के चयनित जो लोग अपने आपको कह रहे थे उनको, पैराटीचर्स को और इन सब लोगों को एज में छूट देकर यह कहा कि एक जनवरी, 1998 को जो जिस उम्र का था, उस उम्र में भर्ती की छूट देकर उसको परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी। एक काम हमने उनके साथ यह किया। इसके बाद दूसरा काम किया कि तत्कालीन शिक्षा सचिव बी.एन. शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और यह कहा कि इसके बारे में वह अपनी राय दे। इस कमेटी की भी बहुत मीटिंग हुई। इन कमेटी ने उन चयनित लोगों को भी सुना और उसके बाद में इस कमेटी की जो राय आयी वह इनके फेवर में नहीं थी। उन्होंने एडवोकेट जनरल से भी राय ली। सबसे कानूनी राय लेने के बाद कहा कि हम यह नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने फिर ज्ञापन दिया और बाद में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। जिसको 28 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उसमें यह मुद्दा भी शामिल है कि जो लोअर मार्क्स के ऊपर वाले लोग रह गये हैं उनके साथ प्राकृतिक न्याय किस प्रकार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अब दुबारा सूची बनाने के लिए मैंने कहा है, मेरे से मिलने के लिए आये थे सारे लडके तो मैंने कहा कि आप यह बतायें कि अब आप में से कितने लोग इस लिस्ट में आ गये जो अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की है। उसमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

से भी बहुत से लोग आ गये हैं। मैं तो आपको यही आश्वस्त कर सकता हू कि इनके बारे में मेरे मन में और राज्य सरकार के मन में इस बात की पूर्ण सहानुभूति है कि जो सबसे लोएस्ट नम्बर वाला आया है उसके ऊपर वाला जो रह गया है उसको न्याय किस प्रकार से दिया जा सकता है। इसलिए वह जों कमेटी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बनी है। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार अपना मानस तय करेगी लेकिन वस्तुस्थिति इसमें यह है। धन्यवाद।

डा. भंवरलाल राजपुरोहित : अध्यक्ष महोदय, 20-20 हजार रुपये लिये गये थे....(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। यह जो बोनस अंक दिये गये थे। वह इसलिए दिये गये थे यू.पी. और बिहार के लोग ज्यादा मार्क्स लेकर के और फर्जी डिग्रियां लेकर के राजस्थान में भर्ती हो जाते थे और हमारे यहां के लड़के रह जाते थे। हमने डिस्ट्रिक्ट के अलग किये, ग्रामीण एरिये के अलग किये और वह मार्क्स लगभग 15 हो जाते थे। उसके कारण हमारे राजस्थान के लड़के अधिक संख्या में भर्ती हुए। मैं 1993 से 1998 तक रहा, पांच साल तक, कई लोग कोर्ट्स में भी गये, हाई कोर्ट में भी गये। वह लोग जीते नहीं। दूसरे स्टेट्स में भी उन्होंने इस प्रकार का प्रोविजन कर रखा है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि पिछली सरकार के समय में किस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार हार गयी।

श्री अध्यक्ष : क्या कहना चाहते हैं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : जिसके कारण वह बोनस अंक हमको समाप्त करना पड़ा। जिसकी वजह से यू.पी. और बिहार के लडके आने लग गये और हमारे लड़के, गांव के बच्चे रहने लग गये। यह प्रावधान इसलिए किया गया था, माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं, सरकार अभी भी बोनस अंक देकर के हमारे जो जिले और ग्रामीण एरिये के बच्चे हैं उनको दे और अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में ढंग से रखे तो इससे हमारे राजस्थान के गांवों में रहने वाले गरीब बच्चों को लाभ होगा। यह सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या चाहते हो ?

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि ढाणियों में कनक्शन हो जायें। मत्रीजी जवाब देना चाहते हैं। आपकी इजाजत हो तो क्या पता भला हो जाये! बैठ हैं ना मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : मैं तो किसी मंत्री को मजबूर तो नहीं कर सकती हूं।

श्री रामप्रताप कासनिया : अभी घनश्यामजी ने दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह उन्होनें दे दिया अपनी मर्जी से। वह देना चाहें तो दें मुझे क्या आपत्ति है। वह देना चाहें तो दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने कहा था।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह परम्परा गलत डाल रहे हैं, यह न पर्ची का विषय है और न कोई बात है और उस पर मंत्री का जवाब और मांग लेते हैं, यह परम्परा उचित नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : परम्परा तो श्रीमान् डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि आप मेरी जनरोसिटी का फायदा उठा रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : ईश्वर करे आप हमेशा जनरस ही रहो।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने फरमाया, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की ढाणियों के बारे में, आपकी जो स्थिति है वही जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, सभी जगह लोग जहां ढाणियों में, खेतों में रहते हैं, उनकी है। अब हमने जो स्कीम है उसमें नियम बनाए हैं कि 11 की जो लाइन है उससे एक किलोमीटर दोनों साइड में अगर 15 उपभोक्ता हैं तो 1500 रूपए प्रति कनेक्शन उनको डिमाण्ड नोट भरने पर कनेक्शन दे दिया जाएगा। बहुत अच्छी स्कीम है और जैसी हमारे डिपार्टमेंट की वित्तीय स्थिति है, उसमें इससे ज्यादा हम अभी और कुछ नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ए.आर.ई.पी., एक्सलरेटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, उसमें हमने 4 हजार करोड रुपये मांगे हैं, अगर वह पैसा उपलब्ध हो जाएगा.....।

श्री अध्यक्ष : उसमें सारे जिले थोड़े ही हैं, सारे जिले नहीं है, इनकी समस्या का समाधान तो नहीं हुआ न ?

श्री गजेन्द्र सिंह : सारे जिले तो नहीं हैं लेकिन जो ढाणियां हैं, उनको तो हम ले सकते हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया : यह लक्ष्मण रेखा तो तुडवा दो, डिवाइड तो कर दो इसको। एक ढाणी के अनुपात में जितने पोल आते हैं वह तो फ्री कर दो।

श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टीबी) : मंत्रीजी, इस योजना से हमें तो कुछ लाभ मिल नहीं रहा है। हनुमानगढ और गंगानगर जिले में, यदि कुछ उनका भी कुछ समाधान हो तो हमें लाभ मिले।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन। मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक पर्ची बाकी रह गई है, पहले उनको मौका दे दूं। श्री रामचन्द्र सराधना।

श्री रामलाल (बनेडा) : मुझे अलाउ किया है पर्ची के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैंने रामचन्द्र सराधना को अलाउ किया है।

श्री रामलाल (बनेडा) : मुझे नहीं किया है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, इनको किया है।

विभिन्न योजनाओं में दिये गये कूपन राशन डीलर द्वारा ले लेने के बावजूद भी गेहूं नहीं देना

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ) : माननीय अध्यक्षजी, जमवारामगढ तहसील की ग्राम पंचायत खांकरडा के खराणा में लोगों की वेदना

(श्री रामचन्द्र सराधना)

को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत विकास कार्य करवाए जा. . एस.ई.आर.वाई के तहत वहां भी कार्य करवाए गए थे और करवाए जाने वाले कार्यों की मजदूरी कैश और गेहूं दो भागों में दी जाती है। नकद का भुगतान अलग से किया जाता है और गेहूं का भुगतान अलग किया जाता है। गेहूं भुगतान के लिए उनको कूपन दिए जाते हैं। इन कामों के लिए भी वहां के लोगों को कूपन दिए गए थे। खास तौर से एस.सी. और एस.टी. की महिलाएं ज्यादातर उसमें काम करने वाली थीं। पिछले दिनों तक तो कहते रहे कि गेहूं नहीं आया और गेहूं जब आया तो वह गेहूं जो राशन डीलर के मार्फत बंटवाया जाता था, उचित मूल्य की दुकान के मार्फत बांटना था। उस महाशय ने वहां पर इत्तला करवाई कि सब लोग कूपन इकट्ठा करके मेरे पास आ जाओ और गेहूं ले जाओ। कूपन इकट्ठा करके सारे मजदूर वहां आ गए और उसने कूपन इकट्ठे करके गेहूं नहीं दिए और कल के लिए बहाना बनाकर टाल दिया। आज तक उन लोगों को वह गेहूं नहीं मिला है और वह राशन डीलर कूपन लेकर फरार हो गया।

इसकी शिकायत जयपुर जिला कलक्टर को की तो उन्होंने एस.डी.ओ. के मार्फत जांच करवाई, जांच में डीलर दोषी पाया गया तो उसे निलम्बित कर दिया गया लेकिन फिर भी उनको गेहूं तो नहीं मिला। निलम्बन के 15 दिन बाद ही सरकारी सम्बल उस डीलर को मिला और वह वापस बहाल हो गया। पन्द्रह दिन बाद उसने फिर एक केरोसिन की गाडी को ब्लैक कर दिया, पुलिस वालों ने केरोसिन की गाडी को जब्त कर लिया और आज तक उसकी कार्यवाही भी नहीं हो पाई।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एस.सी. एस.टी. की उन श्रमिक महिलाओं ने अपनी मेहनत करके पसीना निकाल-निकाल कर वह कूपन प्राप्त किए थे और उनका गेहूं आज तक नहीं मिला और वह राशन डीलर उनके कूपन लेकर पार हो गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उसको निलम्बित किया गया इसलिए उसकी वही गतिविधियां अब भी चालू हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उसको सरकारी सम्बल है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं

(श्री रामचन्द्र सराधना)

कि उसके खिलाफ कार्यवाही करके उसको सस्पैण्ड किया जाए और वहां की राशन व्यवस्था दूसरे आदमी को देकर लोगों को राहत दी जाए और जिन श्रमिकों को गेहूं नहीं मिला है उनको गेहूं दिलाया जाए। धन्यवाद।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 157 और 158 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामलाल (बनेडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पाइण्ट आफ इन्फोरमैशन पर बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : वह नियमों की बात कर रहे हैं।

श्री रामलाल : नियमों की बात क्या कर रहे हैं, वह तो खुद ही सभापति हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर : मेरे बाद में बोल देना।

श्री रामलाल : आप खुद सभापति हैं, आप बार-बार बोल रहे हैं, मैंने कितनी बार निवेदन किया है।

डा.एन.एस. गुर्जर : मैं रूल कोट कर रहा हूं, आप विराज जाओ।

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं गायत्री उच्च प्राथमिक विद्यालय......।

श्री अध्यक्ष : टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य किसी नियम की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।.

श्री रामलाल : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है, कोई घटना घटी है उसके बारे में मैं कह रहा हूं।

डा. एन. एस. गुर्जर : इसको बाद में उठा लेना।

श्री रामलाल : इसको आप बाद में उठा लेना।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको मौका दूंगी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

विज्ञापनों में माननीय अध्यक्ष को प्रवक्ता, विधान सभा लिखे जाने बाबत

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 157 और 158 के अन्दर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व, "तेल बचाओ दुपहिया वाहन महिला रैली 2005" दिनांक 18-2-2005 को निकाली गई। इस रैली का आयोजन दो संस्थाओं ने किया। "चलाएं दुपहिया आत्मनिर्भरता के लिए, चलाएं समझदारी से तेल संरक्षण के लिए" इस संदेश से भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर रैली को सफल बनाया। इसमें प्रवेश केवल स्कूटर, मोटर साइकिल तथा साइकिल महिला चालकों के लिए, स्थान कानोडिया गर्ल्स कालेज, जयपुर, समय प्रातः 11 बजे, उदघाटनकर्ता श्रीमती सुमित्रा सिंह, प्रवक्ता राजस्थान विधान सभा, प्रवक्ता राजस्थान विधान सभा। इसके लिए जो संचालक थे, एक थे-श्री ए. चटर्जी, महा-प्रबन्धक, आर.एस. तथा राज्य स्तरीय समन्वयकर्ता इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, मार्केटिंग और दूसरे थे, श्री सुमन कुमार, राज्य समन्वयकर्ता, पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन, 2 सी एच, इन दोनों ने यह विज्ञापन छपवाया, भास्कर में तारीख 17, पेज 11, राजस्थान पत्रिका में तारीख 17-1-2005, पेज 9, कुछ और अखबारों में भी यह विज्ञापन छपवाया।

इस विज्ञापन में आपके लिए, इस महान सदन की आप माननीय अध्यक्ष हैं, आपके लिए उन्होंने "प्रवक्ता" शब्द का यूज किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद दूसरे दिन भी उन्होंने इसी तरह का एक और विज्ञापन अखबारों में छपवाया उसमें भी.....।

श्री रामनारायण चौधरी : यह अध्यक्ष का मामला है, हमारे अध्यक्ष का नाम है फिर आप यहां कैसे उठा रहे हैं, यह डिस्कशन में आएगा ही नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उठा रहा हूं। विराज जाइए आप, आप तो सीनियर बहुत हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रभु, ऐसे नहीं उठाते हैं विशेषाधिकार हनन का मामला।

डा. एन.एस. गुर्जर : ऐसे कैसे नहीं उठाते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका विशेषाधिकार का प्रस्ताव मुझे मिल गया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप पूरा सुन लें। मैं मेज़ पार्लियामेंट को कोट करना चाहता हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 57 तो विलोपित ही हो गया, उसके आधार पर कैसे कर रहे हैं ? 58, इण्ट्रोडक्शन आफ बिल है, यह आप थोड़ा देख लें।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, मैं 157-158 की बात कर रहा हूं कोई विलोपित नहीं हुआ। यह हमारे विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव (व्यवधान) एक मिनट सुनिए।

श्री रामनारायण चौधरी : नियमों के तहत माननीय सदस्य नहीं बोल सकते जब तक आप अनुमति न दो, किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, गलत परम्परा डाल देंगी।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं अनुमति ले रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : (मुख्य सचेतक) : गलत परम्परा डालेंगे यह।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं कंसेंट मांग रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि मैं कंसेंट मांग रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने प्रस्ताव मुझे दे दिया। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं आपसे परमिशन चाहता हूं क्यों ? एक मिनट आप विराज जाएं। (व्यवधान) मैं मेज पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट के मामले में दुनिया की सबसे बडी किताब है, बाइबिल समझी जाती है, उसको कोट करना चाहता हूं, पेज 68, Breach of privilege and Contempt.

(डा. एन.एस. गुर्जर)

When any of these rights and immunities both of the Members individually and of the Assembly in its collective capacity which are known by the general name of privileges are disregarded or attacked by any individual or authority the offence is called a breach of privilege and is punishable under the law of Parliament. (व्यवधान) आप एक मिनट सुनिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। फिर आप इस पर बोल सकते हो। अध्यक्ष महोदय, सारे माननीय सदस्यों ने आपको चुना है और आप एक इंस्टीट्यूशन हैं, व्यक्ति नहीं हैं और आपके विरुद्ध कोई भी इस तरह की बात जो इस सदन के और आपके महत्व को कम करती हो या डेरोगेटरी हो इस तरह का प्रिविलेज ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इसको आप प्रिविलेज कमेटी को रैफर कर दें।

डा. एन.एस. गुर्जर : महावीरजी, आप एक मिनट विराज जाएं।

श्री अध्यक्ष : मैं क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी, पहले उसको देखूंगी उसके बाद इस पर व्यवस्था दूंगी। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध और जो समाचार पत्रों ने छापा है उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मैंने प्रस्ताव आपको दिया है।

श्री अध्यक्ष : हां, दे दिया आपने।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप विचार करके इस पर अपनी रूलिंग्स दें यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देखकर, विचार करके उसके बाद इस सम्बन्ध में व्यवस्था दूंगी। (व्यवधान) अब आप बोल लीजिए।

श्री रामलाल (बनेडा) : जो ज्यादा तैराक होते हैं पानी में ही मरते हैं। इतने कानून जानने वाले इसमें खुद ही फंस रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था गृह मंत्रीजी पधार गये, भीलवाड़ा में नगर परिषद क्षेत्र में एक गायत्री उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहां पर रात को राधेश्याम टेलर के खाना था तो पूरी स्कूल की बिल्डिंग नीचे गिर गई। वहां दो किलोमीटर दूर

(श्री रामलाल)

पुलिस स्टेशन है उसको सूचना करने के बाद भी वहां से दो-ढाई घण्टे तक कोई नहीं आया। जब वहां के जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को सूचना अखबार वालों ने की तब जाकर कार्यवाही हरकत में हुई। सरकार का यह नमूना है। इसलिए मैं आपको इंफार्मेशन दे रहा था। 10-12 औरते भी घायल हैं, भीलवाडा के एम.जी. अस्पताल में भर्ती हैं, दो औरतो की डेथ हो गई है, जिसमें दो-तीन ज्यादा सीरियस घायल हैं। उसके लिए मैं आपकी मार्फत गृह मंत्रीजी को निवेदन कर रहा था मरने वालों को कुछ मदद करें और समय पर पुलिस वाले वहां पहुंच नहीं पाये या एस.डीं.एम. नहीं पहुंच पाया और कलक्टर व एस.पी. को सूचना देने के बाद दो-ढाई घण्टे बाद आये, थाने के दो किलोमीटर दूर स्कूल है, इस तरह की घटना घटी है, सरकार का नमूना है। इसलिए आपको सूचना देनी थी, आप उचित कार्यवाही करावें।

श्री अध्यक्ष : होम मिनिस्टर साहब को कह दीजिएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह प्राइवेट स्कूल थी, सरकारी स्कूल नहीं थी। उसमें कोई प्राइवेट ही उनका फंक्शन था। वह गिर गया है। उसमें कुछ लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन सबको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, ट्रीट्मेंट चल रहा हैं। वह प्राइवेट स्कूल थी और प्राइवेट ही फंक्शन था।

श्री रामलाल : प्राइवेट स्कूल गिर नहीं सकती ? उसके खिलाफ कोई कार्यवाही तो हो सकती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : करेंगे कार्यवाही।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट आफ इंफार्मेशन।

मैं आपके माध्यम से स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय ने एक आदर्श जीवनशैली प्रस्तुत की, वो धर्मशाला में रूकते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक पांच सितारा होटल से कम में विश्वास नहीं करते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या इंफार्म करना चाहते हैं सदन को ? क्या सूचित करना चाहते हैं, अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : गोवा के विधायकों का अपहरण करके जयपुर के पास सनराइज नाम के पांच सितारा होटल के अन्दर उनको किडनेप करके रखा गया है। एक तरफ छोटी-छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है, पुलिस बलात्कारियों को पकड़ नहीं पा रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड : क्या कहना चाहते हैं ये ? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की पूरी पुलिस उस रिसोर्ट (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

श्री महावीर प्रसाद जैन : +++ घुस आये हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या पाइंट आफ इंफार्मेशन है ? (व्यवधान) सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं ये।

श्री रामनारायण चौधरी : बोलने नहीं दे रहे। सब खड़े हो गये। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, सदन का समय व्यर्थ में खराब करते हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, कहीं भी किसी का अपहरण होता है तो कोई एफ.आई.आर. रिपोर्ट जरूर होती है। एफ.आई.आर. की रिपोर्ट सदन के पटल पर लाकर रखें। फालतू की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, आसन बडा सहृदय है, आपकी बडी कृपा भी रहती है, सब माननीय सदस्य अपनी बात चाहे पांइट आफ इंफार्मेशन से उठाएं, चाहे और किसी माध्यम से उठाएं आप कृपापूर्वक इनको अलाउ करते हैं, पर ये दुरुपयोग करते हैं। (व्यवधान) कोई ऐसी सामयिक घटना हो गई हो, कोई ऐसी आवश्यक घटना हो गई जिससे सदन को अवगत कराना जरूरी हो (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : क्या दुरुपयोग किया ? आप एक गलत राजनैतिक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दो-तीन दिन से यह परम्परा-सी चल गई। (व्यवधान) कुछ भी बोलें।

श्री संयम लोढ़ा : बलात्कारियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सोनिया गांधी क्या करती हैं ? (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल : हम भी पाइंट आफ इंफार्मेशन उठाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले मुझे सुन लें। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, इस प्रदेश के लोकतंत्र द्वारा निर्वाचित यह सर्वोच्च फोरम है, सर्वोच्च मंच है और इस मंच का प्रयोग और उपयोग जनहित के लिए तो होना चाहिए, लेकिन एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाएं और मेरी जनरोसिटी का, क्योंकि मैं देख रही हूं नियमों का पालन कोई नहीं कर रहा है, न सत्ता पक्ष करता है, न प्रतिपक्ष करता है। प्रतिपक्ष तो पहले करता है फिर सत्ता पक्ष उद्वेलित होकर, उत्तेजित होकर वो भी करता है, दोनों ही तरफ से हो रहा हैं। लेकिन नियमों से चलेगा यह सदन और जब नियमों से सदन चलेगा तो इस प्रांगण का उपयोग भी आपको जनहित में और ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहते हैं सदन के अन्दर जिसका कोई मतलब निकलता हो, जिसका कोई सार हो, यह आरोप इन पर लगा दिया, उन पर लगा दिया, कृपा करके भविष्य में इसे न दोहरायें। मुझे वैसे ही आप लोग कठोर कहते हैं, फिर भी मेरी जनरोसिटी का फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी नियमों का पालन करवाने के लिए मुझे कुछ कठोर होना पडेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन कभी भी कठोर नहीं होता है और हमेशा कठोर रहता है, लेकिन आसन से अनुमति मांगी गई थी, पाइंट आफ इंफोर्मेशन उठाया, माननीय सदस्य इंफोर्मेशन देना चाहते थे ये सब खड़े हो गये, इकट्ठे हो गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या इंफोर्मेशन है। आप नियमों की अवहेलना करते हो। आप हमें यह पाठ पढ़ा रहे हैं। हमें आप यह पाठ पढ़ाएंगे ? आपसे हमें कुछ सीखना है, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। मैं निवेदन कर रहा था आपने आसन से यह कहा (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कल को इधर से कोई बोलेंगे सोनिया गांधी क्या करती हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का जो नैतिक पतन हुआ है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस पार्टी का जो पतन हुआ है। सोनिया गांधी कांग्रेसी है, कल कोई कहे सोनिया गांधी फाइव स्टार में क्या करती हैं (व्यवधान) अपने यहां तो देखें सोनिया गांधी क्या करती हैं ?

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री कालीचरण सर्राफ : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री गोविन्द राम मेघवाल : x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री हीरालाल (निवाई) : x x x

श्री कन्हैयालाल मीणा : x x x

श्री जालम सिंह रावलोत : x x x

श्री बद्रीलाल जाट : xxx

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री गोविन्द राम मेघवाल : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री बंशीलाल खटीक : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा : xxx

श्री गोविन्द राम मेघवाल : xxx

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राकेश मेघवाल : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री रामनारायण चौधरी : xxx

श्री प्रहलाद गुंजल : xxx

श्री भवानी सिंह राजावत : xxx

श्री अध्यक्ष, कह दीजिए, आप भी कह दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था, आज सवेरे आपने बहुत अच्छी व्यवस्था दी कि आपकी परमिशन के बिना कोई नहीं बोलेगा। अभी माननीय सदस्य को आपने पाइंट आफ इंफोर्मेशन के नाम से इजाजत दी और मुझे बडा अफसोस है कि सत्ता पक्ष के मंत्री, चीफ व्हीप और माननीय सदस्य उनको रोक रहे हैं। वह पाइंट आफ इंफोर्मेशन सुन लें आपको उसका जवाब देना है तो आप जवाब दे दें, लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबाना एक तरीके से पाप है, अधर्म है इसीलिए मैं कहना चाहता हूं.......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री गोविन्द राम मेघवाल : x x x

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब मैं आपकी परमिशन से बोल रहा हूं। (व्यवधान) आप पाइंट आफ इंफार्मेशन को सुन लें और सुनने के बाद कोई भी मंत्री इसका जवाब देना चाहें, जवाब दे दें।

श्री भवानी सिंह राजावत : x x x

श्री प्रहलाद गुंजल : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय संसदीय सचिवगण, आप तो थोडा धैर्य रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री घनश्याम तिवाड़ी : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय संसदीय सचिव। माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

मुझे इस सदन को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह अखबार के आधार पर कई लोग यहां पर प्रश्न उठाते हैं, बीच में न बोलें प्लीज, लेकिन सत्ता पक्ष को भी क्या होता है कि यदि नियमों के विपरीत भी कोई एक बोलने खड़ा हो गया तो आपको भी इस बात का पूरा अधिकार है कि वह जो सूचना दे रहे थे, अखबार के आधार पर ही दे रहे थे, उन्होंने कौन सा जाकर देखा है, कहां क्या हो रहा है, कौन ठहरा, प्लीज आप बीच में नहीं बोलेंगे, अखबार के आधार पर ही दे रहे थे और आपके पास भी मौका था कि आप

(श्री अध्यक्ष)

उसको ठीक तरीके से रिफ्यूट करते और कहते कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है लेकिन, मैं खड़ी हूं और आप माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष कह रहे हैं, क्या बात हुई ? यह नियमों के विपरीत है, जब अध्यक्ष खडा हो तो माननीय अध्यक्ष नहीं होता है, नहीं, आपका इस तरह से बोलना उचित नहीं है। तो आपके पास मौका था, एक साथ खड़े होकर बात सुनते नहीं, क्या वह कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, जीरो ऑवर था, जीरो ऑवर के अन्दर वह कोई पाइंट आफ इंफार्मेशन अपना यदि दे रहे थे तो आपके पास भी मौका था, आप उस बात को ठीक तरीके से रिफ्यूट करके और इन पर चार्ज लगाते कि आपने गोवा में क्या किया, क्या न किया, उसको तो आप भूल गये, एक साथ खडे होकर, बाहें चढ़ाकर जैसे कोई यहां कुश्ती कर रहे हों, ऐसा नजारा पेश करते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि, ठहरिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप मेरे जिले से आते हैं, इस कुर्सी पर भी बैठते हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, सात बार जीत चुके हैं आप लेकिन आप बीच में इस प्रकार से बोलते हैं बिल्कुल ठीक नहीं लगता है मुझे इसलिए निवेदन कर रही थी कि इसको इस प्रकार से एक दंगल का एक अखाड़ा न बनाया करें, आप वह जो बात कह रहे थे, उनको कहने दीजिए उसके बाद आपके पास भी मौका था, एक एक खड़ा होकर अपनी बात कहता लेकिन इस तरीके से जो आप करते हैं ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है और सदन की हमारी गरिमा के बिल्कुल विपरीत है, अपनी विधान सभा का आज भी हिन्दुस्तान में नाम है, अपनी परम्पराएं हैं, शानदार परम्पराएं हैं उन परम्पराओं को फिर वही बात, अध्यक्ष महोदय, क्या बात हुई, सिट डाउन प्लीज, नो, सिट डाउन प्लीज। स्थान ग्रहण कर लें। पहली बार आये हैं जीतकर आपको कुछ शायद जानकारी है नहीं दूसरी बात आ गये होंगे तो मैं निवेदन कर रही थी कि इस सदन की गरिमा, इस सदन की शानदार परम्पराएं जो हैं पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर साख हैं, उस साख को बनाए रखें।

अब क्या रह गई बात, क्या चाहते हैं ?

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री राजेन्द राठौड़ : x x x

श्री भवानी सिंह राजावत : x x x

श्री सयम लोढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : किसी अखबार के आधार पर कहा है, आपको पर्सनली जानकारी है क्या ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" x x x

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री रामनारायण चौधरी : x x x

श्री अध्यक्ष : विराजिये। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

खनिज विभाग

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज विभाग की अधिसूचना संख्या 14 (9) खान/ग्रुप-2/2004 दिनांक 18-12-2004 जिसके द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में सशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : कृपयां स्थान ग्रहण करें। श्री नरपत सिंह राजवी। मैंने कहा स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अशोक बैरवा "खण्डार" : x x x

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन किया, स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण कर लीजिये आप।

प्रतिवेदन

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (वर्ष 2000-2001)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त अधिनियम, 1951 की धारा 37 (7) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा

(श्री नरपत सिंह राजवी)

ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा-परिक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

सहजरासर बास ग्राम (लूणकरणसर) का विद्युतीकरण

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर के ग्राम बास सहजरासर को विद्युतीकृत किये जाने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री युनूस खान।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005

श्री युनूस खान (खेल मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृति)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री युनूस खान : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान क्रीडा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अध्यादेश, 2004 (वर्ष 2004 का अध्यादेश संख्या-6) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिया जाने वाला विधेयक। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 सदन में विचार के लिए रखा गया है। मैंने इस विषय में प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाना चाहिए था लेकिन मैं इस अवसर पर अपनी बात रखना चाहता हूं।

(समय : 13.24 बजे)

(डा. एन. एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर राज्य सरकार राजस्थान में चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। सरकार का यह कदम इस राजस्थान को चिकित्सा के क्षेत्र में एक अनूठी प्रगति की ओर ले जाने वाला कदम नजर आता है। लेकिन इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया नें काफी प्रगति की है और उस अनुपात में बराबर न सही, हमारे देश में भी काफी प्रगति हुई है लेकिन जब इस दृष्टि से ईमानदारी से चर्चा करें और विश्लेषण करें तो आज चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान को अन्य प्रान्तों की ओर देखना पड़ता है। राजस्थान के क्षेत्र में चिकित्सा के अभावों का परिणाम है कि आज कोई राजस्थान का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यक्ति जब कभी असाध्य बीमारी से ग्रस्त होता है तो उसको कभी दिल्ली, कभी बम्बई और कभी अहमदाबाद के अस्पतालों की ओर देखना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के सम्पन्न और सक्षम व्यक्तियों के लिए तो बाहर जाकर के उपचार कराना सम्भव हो सकता है लेकिन राजस्थान का गरीब इन हालातों में, उसके सामने दम तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं और राजस्थान के शिक्षा मंत्री महोदय से उम्मीद करूंगा कि सरकार जिस मन्शा से, जिस उद्देश्य से राजस्थान के मेडिकल विश्वविद्यालय के इस विधेयक को लाना चाहती है उसका काम राजस्थान की आशा और अपेक्षा के अनुकूल होना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह कल्याणकारी पहल जो की है यह राजस्थान के हित की दृष्टि से बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हमको यह बहुत सहज लग रहा है कि आज हम विधेयक पेश कर रहे हैं लेकिन इस विधेयक के विलम्ब के कारण राजस्थान के न जाने कितने हजारों लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ा इसकी परिकल्पना किसी के मन में नहीं है। आज मेडिकल कालेजज राजस्थान के विश्वविद्यालय के अधीन काम करते हैं। कभी राजस्थान का विश्वविद्यालय इस देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कहलाया जाता था और आज भी उसकी क्षमता, विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कराना, उनका प्रबन्ध करना, लगभग दो लाख के समतुल्य विद्यार्थी हैं, उनका प्रबन्ध करता है। इन हालातों में एक विश्वविद्यालय दो लाख विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन और उसमें मेडिकल जैसे टिपिकल कोर्सेज जिनको सीखने और समझने का दायित्व इस समाज और मानव के जीवन से जुड़ा हुआ है और कितना प्रभावित होता रहा है यह घटनाक्रम कि कार्य के दबाव के कारण राजस्थान के विद्यार्थी जो मेडिकल की डिग्री, एम.बी.बी.एस. साढ़े चार साल में होनी चाहिए थी, लगातार पिछले कई सालों से साढ़े पांच साल में डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। क्या हमें इस विषय पर विचार नहीं करना चाहिए कि मेडिकल के इस विद्यार्थी का जो एक साल का हनन हुआ है, एक साल की बर्बादी हुई है वह न जाने कितने सालों से यह सिलसिला चल रहा है, उसके जीवन के उस एक साल की भरपाई का नुकसान का मापदण्ड कौन तय करेगा? आज इस विधेयक ने जिसमें राजस्थान में मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की भावना

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यक्त की है, निर्णय होने जा रहा है उसके मन में एक विश्वास की उमंग आई है। न केवल उम्मीद जगी, मैं तो सभापति महोदय, केवल इतना कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम सरकार करने जा रही है। राजस्थान में सर्वत्र इस बात की चर्चा है कि मेडिकल के विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद मेडिकल शिक्षा का शिक्षा चक्र संतुलित होगा। उसके सिलेबस में ठीक तरीके से सुधार होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नये तरीके, अनुसंधान के तरीके ईजाद होंगे, समय पर परीक्षाओं का परिणाम आयेगा और एक सन्तुलित चक्र बनने से इस राजस्थान की एम.बी.बी.एस. की डिग्री की विश्वसनीयता इस देश में ही नहीं, दुनिया में बढेगी। आज हम दूसरे प्रांतों की तुलना में डिग्री में एक साल पिछड गये हैं। हमारा कोर्स एक साल लम्बा होता है तो अन्य प्रान्तों में ही नहीं, दुनिया में हमारे इस राजस्थान के विद्यार्थी की डिग्री पर एक सवालिया प्रश्न खडा होता है।

ये सारे विषय इस सदन में बहुत पहले चर्चा किये जाने चाहिए थे लेकिन "देर आये दुरूस्त आये" मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कि इन्होंने राजस्थान में इस चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में इस विधेयक को लाकर के एक अनुकरणीय काम किया है लेकिन मैं इस अवसर पर उम्मीद करना चाहता हूं कि सरकार को इस विधेयक के अन्दर कुछ उल्लेख करना चाहिए, कुछ नीति निर्धारित करनी चाहिए और इस सारी बातों का इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय में जब प्रत्येक विषय के अलग-अलग डीन होते हैं, केवल मेडिकल के सारे प्रान्त के विषय को रिप्रजेन्ट करने के लिए एक डीन की व्यवस्था। जहां कभी शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा हो, 50 डीन बैठकर कोई निर्णय करे, वहां मेडिकल के डीन की आवाज दब जाती है और इसका खामियाजा चिकित्सा शिक्षा ने भुगता है। नई व्यवस्था में यह तय किया जाना चाहिए कि चाहे वह मनोविज्ञान के क्षेत्र का मामला हो, चाहं वह न्यूरोसर्जरी या हार्ट का मामला हो, चिकित्सा विज्ञान के हर विषय का डीन इस क्षेत्र में उपलब्धियां स्थापित करने के लिए अलग-अलग होना चाहिए, इस बात का भी इस विधेयक में वर्णन किया जाना चाहिए, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि आबादी का घनत्व बढा है, इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट हुआ है, एटमोस्फियर चेंज हुआ है, नाना प्रकार की बीमारियां फैली हैं। उनके साथ-साथ चिकित्सीय अनुसंधान भी हुआ है लेकिन चिकित्सीय अनुसंधान और चिकित्सीय इलाज के साथ-साथ महत्व है इसके साथ काम करने वाली लेब्रोरेट्री भी सुदृढ होनी चाहिए और इसलिए इसमें इन नियमों में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में छोटे-मोटे तमाम कोर्सेज हो। न केवल मेडिकल, पैरा मेडिकल, लैब टैक्नीशियन के कोर्स हो या फिजियोथैरेपी और रेडियोग्राफी का कोर्स हो, इन तमाम कोर्सों को, जिनका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सम्बन्ध चिकित्सा शिक्षा के साथ जुडा है, इस विद्यालय के अधीन निश्चित रूप से कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत तय किया जाना चाहिए यह तय होगा तो हर क्षेत्र में प्रगति होगी, विश्वसनीयता बढेगी, काम ठीक होगा, समाज को इसका लाभ मिलेगा। हम जिस परिकल्पना के आधार पर विधेयक लाकर राजस्थान में विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, वह हमारी मंशा पूरी होगी और इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव को जनहित में परिचालित करने की अपनी बात को वापस लेते हुए इसका समर्थन करना चाहता हूं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कई सारे मेडिकल कालेज हैं। हमें यह भी चिंता करनी पडेगी कि कोटा में 1992-93 में मेडिकल कालेज अस्तित्व में आया। मेडिकल कालेज जब अस्तित्व में आया तो 50 सीट की राजस्थान की सरकार ने मान्यता दी लेकिन जब एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, एक प्लान बनाया, उसके अनुकूल आगे बढ़े लेकिन 1998 में सत्ता परिर्वतन होने के बाद चिकित्सा शिक्षा की इससे बडी दुर्गति नहीं हो सकती, दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि कोटा के मेडिकल कालेज के लिए पिछली सरकार ने एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया। उसका नतीजा क्या हुआ ? आज बिल्डिंग का अभाव है, आज वहां नर्सिग कर्मचारियों के स्टाफ का अभाव है, आज वहां रिक्त पद पड़े हैं और पिछली सरकार ने जाते-जाते इसमें 50 से 100 सीटों का प्रावधान कर दिया लेकिन इस विषय पर विचार नहीं किया कि 100 सीटें करने के बाद क्या एम.सी.आई. से बडी आसानी से इसको मान्यता मिल जाएगी ? और नतीजा यह हुआ कि अभी दिसम्बर के महीने में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

एम.सी.आई. की टीम ने जब इसका निरीक्षण किया और उस निरीक्षण के बाद सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया गया जिसमें 50 से 100 सीटें करने की बात कही गई है। हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं चिकित्सा की गति को, यह भी हमको विचार करना पड़ेगा।

आज मैं इस मंच से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने समझने की कोशिश की इस बात को और इसके आधार पर पिछले 2004-05 के बजट में 275 लाख रुपये का प्रावधान इस महाविद्यालय की गतिविधियों को ठीक करने के लिए किया है और वर्तमान में 1000 लाख का प्रस्ताव है। लेकिन इतना भी नाकाफी हैं। हम चाहते हैं कि चिकित्सा के नये आयाम खड़े होने चाहिए। चिकित्सा शिक्षा कोई सामान्य बात नहीं है। यह इस राष्ट्र की महती आवश्यकता है। इसका प्रसंग, इसका सम्बन्ध जन जीवन से जुड़ा हुआ है और हम इसके साथ न्याय करना चाहते हैं तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि कभी डिमांड आती है, अस्पताल में 1000 बैड के निर्माण के नाम पर 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता होनी चाहिए, महाविद्यालय भवन के लिए छह करोड रुपये की आवश्यकता होनी चाहिए। मैं तो आज इस विधेयक के पारण पर आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम जिस मंशा के साथ इस क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन काम करते चले जा रहे हैं, उनकी बीमारू हालत को सुधारने पर चिन्तन करना चाहिए और उनका चिन्तन करके हमें तय करना चाहिए कि उनको एकदम नई स्थिति में खड़ा करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक हो, किया जाना चाहिए और इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि कोटा के मेडिकल कालेज को ठीक स्थिति में लाकर खडा करने के लिए सरकार टुकडों की बजाय अगर 50 करोड़ का पैकेज उसके लिए स्थापित करे तो इस सदन में मैं स्वागत करना चाहता हूं, मांग करना चाहता हूं और उससे राजस्थान में एक सन्देश जाएगा और मुझे उम्मीद है सभापति महोदय, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली, सड़क आदि मामलों में संवेदनशील राजस्थान की मुख्य मंत्री और राजस्थान की सरकार इस अवसर पर मेरे विचार और भावना को समझेगी। इस सदन में और

(श्री प्रहलाद गुंजल)

राजस्थान की जनता कोटा की जनता की भावना को समझेगी और मेरी इस मांग के अनुरूप कोई न कोई दृढ़ फैसला करेगी और अन्त में एक बार फिर अपने जनहित में परिचालित किये जाने के प्रस्ताव को वापस लेते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद माहिर आजाद (अनुपस्थित)। डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए तो सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने का मानस बनाया है लेकिन मुझे तकलीफ है, जिस उद्देश्य के लिए हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति इस एक्ट के माध्यम से नहीं हो पाएगी। जब मैं यह बात कहता हूं तों मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस एक्ट के अलग-अलग प्रोविजन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम इन बातों को गम्भीरता से लें। जल्दी में जो हम यह एक्ट ला रहे हैं यूनिवर्सिटी का उससे न तो यूनिवर्सिटी की ग्रोथ हो पाएगी, न यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग स्मूथ हो पाएगी और न जो एकेडेमिक इश्यूज हैं जिसमें राजस्थान विश्वविद्यालय से मेडिकल कालेज को जोडना या वहां पर समय पर परीक्षा नहीं होकर लोगों का नुकसान हो रहा था, उस उद्देश्य को भी प्राप्त नहीं कर पायेंगे इसलिए मैं सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब हम यह कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी, मेडिकल कालेज की जगह हमने नाम दिया है हैल्थ साइंस बिल। इसका मतलब हमारे मन में एक कल्पना है कि मेडिकल साइसेंज के अन्दर जो आपने यहां डिफाइन किया है, इसके अन्दर "..to disseminate and advance knowledge in medicine and dentistry...."

इसके अन्दर, इसके अलावा भी हैल्थ साइंसेज में और चीजें भी हो सकती हैं जिसकी कल्पना इस टाइटल में तो की गई है। माननीय सभापति महोदय, जो आब्जेक्टिव लिखा है - "The objects of the University", उस आब्जेक्टिव में इसकी कल्पना नहीं की गई है। इसलिए अच्छा होता माननीय मंत्री महोदय, हम जब हैल्थ साइंस का कंसेप्ट कर रहे हैं तो हैल्थ साइंस में

(डा. सी.पी. जोशी)

क्या-क्या चीजें आती हैं, क्या-क्या चीजें आने की सम्भावना है, आज टेली मेडिसिन बता रहे हैं, आज जो मेडिकल की फैकल्टी हैं अभी तक, राजस्थान यूनिवर्सिटी में साइंस फैकल्टी थी. आर्टस फैकल्टी थी, फाइन आर्ट्स फैकल्टी थी. मेडिकल फैकल्टी थी पर यह एक मेडिकल फैकल्टी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जब हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो मेडिकल फैकल्टी के अन्दर अलग-अलग ब्रांच की फैकल्टी डवलप होगी। आज साइंस के अन्दर जैसे -जैसे साइंस का डवलपमेंट हुआ है, वैसे-वैसे साइंस के अन्दर बायो-सबजैक्ट स्टार्ट हुए, आर्गेनिक सबजैक्ट स्टार्ट हुए पर यहां पर हमने कल्पना की है एक फैकल्टी की, यह बर्ड लिखा है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, फैकल्टी का मतलब क्या होगा। मेडिकल फैकल्टी includes all the branches which are imparting education in this faculty. न्यूरोलोजी है, मेडिकल है, पैथोलोजी है, फिजियोथेरेपी है, यह सब मिलाकर आज एक फैकल्टी है। अब आपने इसमें खाली फैकल्टी लिखा है। इसका मतलब मेडिकल में और कौन-कौनसी फैकल्टी होगी। जब हम यूनिवर्सिटी की कल्पना करते हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय है तो राजस्थान विश्वविद्यालय में साइंस फैकल्टी है, राजस्थान विश्वविद्यालय में आर्टस फैकल्टी है, आर्टस के अन्दर भी सोराक साइंस फैकल्टी हैं, फाईन आदर्श फैकल्टी हैं, जो अलग-अलग फैकल्टी है लेकिन इसमें हमने कल्पना ही नहीं की।

माननीय सभापति महोदय, जो बिल हम लाये हैं, उस बिल को उठाकर देख लें, फैकल्टी का मतलब क्या है, उसको डिफाइन नहीं किया हमने। फैकल्टी में आने वाले समय में अब आप मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो आपको एनविशेज करना पडेगा। फिजियोथेरेपी के जितने काम हैं, उनकी एक अलग फैकल्टी होगी जो आज टेली मेडिसिन आगे बढा रहे हैं, सर्जरी के माध्सम से टेली मेडिसिन को आगे बढा रहे हैं उसका कम्पोनेंट आज जो दूसरी ब्रांचेज हैं उसके साथ लिंक करना चाहते हैं वह ठीक ढंग से नहीं हो पायेगा। आज गायनोकालॉजी का जिस तरह का एक्सपांसन हो रहा है, जिस तरह के आज कैंसर के नये ग्रोथ पैदा हो रहे हैं, वैसे-वैसे आज नेफ्रालाजी डिपार्टमेंट नया डवलप हो गया है। एक जमाने में नेफ्रालॉजी डिपार्टमेंट था ही नहीं। आज साइकेटिक का डिपार्टमेंट नया डिपार्टमेंट हो गया हैं। आज नया कंसेप्ट आ

(डा. सी.पी. जोशी)

गया है कि प्रिवेंटिव हैल्थ के सम्बन्ध में सोचें या क्यूरेटिव हेल्थ के सम्बन्ध में सोंचे। आज दिन तक विश्व विद्यालय की एजुकेशन सारी क्यूरेटिव के ऊपर चल रही है कि हम बीमारी होने के बाद इलाज करें। नया कंसेप्ट यह नहीं है सभापति महोदय, नया कंसेप्ट है प्रिवेंटिव। हम किस तरह से बीमारियां नहीं फैले उसको रोकने का काम करें। इस सम्बन्ध में, फैकल्टी के सम्बन्ध में आपने कोई कन्ल्पना नहीं की। अच्छा होता आप डिफाइन करते कि हेल्थ साइंस में आप क्या-क्या चीज एनविसेज कर रहे हैं। क्या मन में कल्पना है। हेल्थ साइंस का मतलब हम किन चीजों को करना चाहते हैं, हम तो यहां तो लोगों के सामने कह रहे हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल ला रहे हैं। Medical University is one of the components of this health sciences. It cannot be the only component. इसलिए मेरा सबसे पहला निवेदन है कि पहले तो यह क्लियर किया जाय कि आप मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं या आप हैल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। यदि आप हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो यह पूरा एक्ट, माननीय सभापति महोदय, खोटा एक्ट है। यह खोटा एक्ट मैं इसलिए कहता हूं कि यह एक्ट उन सब चीजों को एनविसेज नहीं कर रहा है जिसके सम्बन्ध में आगे आप बढ रहे हैं। आपने बात तो की बहुत आगे की और कानून बनाया सब कंजरवेटिव। दो चीजें नहीं हो सकती, आप सिम्पल कह देते हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बात खतम हो जाती। लेकिन आपके मन में कल्पना है, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बनाकर एक नई चीज आप करना चाहते हैं। मैं तो उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं लेकिन कल्पना तो हमारी इसकी और हमने सारा मेडिकल कालेज की जो प्रोब्लम थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उसको आधार बनाकर एक्ट बना दिया। यह एक्ट इनएफिसिएंट, हेस्ट में लिया गया एक्ट है। मैं अब आगे उदाहरण देकर आपको बात बताना चाहता हूं सभापति महोदय। आपको मालूम हैं राजस्थान में मेडिकल कालेज कितने हैं। अब आपने इसमें क्या लिखा हैं, कांस्टीट्वेंट कालेज। डेफिनेशन में लिखा है- "constituent college' means a college maintained by the University ;...." इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जो यह यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसमें एक कालेज कांस्टीट्वेंट कालेज होगा। कांस्टीट्वेंट कालेज एक होगा राजस्थान में तो जयपुर का होगा। फिर आरएनटी अजमेर, आरएनटी उदयपुर,

(डा. सी.पी. जोशी)

आरएनटी बीकानेर, यह एफिलेटेड कालेज होंगे या कांस्टीट्वेंट कालेज होंगे, यह इसमें आपने एनविसेज नहीं किया है। मैं चाहूंगा आप इसमें क्लियर करें। इसमें लिखा हैं- "constituent college' means a college ....." आज राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का कांस्टीट्वेट कालेज राजस्थान के जयपुर के अन्दर है पर बाकी सब कालेज उसके अन्दर एफिलेटेड कालेज हैं लेकिन जो हमारा मेडिकल कालेज है। सभापति महोदय, उसमें यह जो कंसेप्ट हम कांस्टीट्वेंट कालेज का ड्राईव कर रहे हैं आर्टस यूनिवर्सिटी से, वह इर्रिलेवेंट हैं। आज वहां पर कांस्टीट्वेंट कालेज के हिसाब से जो स्टेटस जयपुर कालेज का है वही आरएनटी मेडिकल कालेज उदयपुर का है, वही आरएनटी कालेज अजमेर का है, वही आरएनटी कालेज बीकानेर का है। सभापति महोदय, फैकल्टी में प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर तो वहां आरएनटी मेडिकल कालेज उदयपुर में भी प्रोफेसर हैं। मेडिकल में प्रोफेसर बीकानेर के अन्दर भी है। बीकानेर के अलावा आपके अजमेर के अन्दर भी है। आप आई का ले लें, ईएनटी का ले लें, आप सर्जरी का ले लें, नेफ्रालाजी का ले लें, और किसी डिपार्टमेंट का ले लें, हर जगह वहां पर सब प्रोफेसर हैं। अब यह कांस्टीट्वेंट कालेज में आप एक कालेज को कास्टीट्वेंट बनायेंगे, इसका मतलब बाकी सब कालेज जो एफिलेटेड हैं उनके प्रोफेसर का स्टेटस क्या होगा। जब यूनिवर्सिटी बनाते हैं, राजस्थान में प्रोफेसर है केमेस्ट्री का, तो एफिलेटेड कालेज के अन्दर प्रोफेसर नहीं है। वहां पर व्यवस्था इस तरह की है कि एफिलेटेड कालेज के अन्दर लेक्चरर होगा, प्रिंसीपल होगा, पी.जी. कालेज का प्रिंसीपल होगा लेकिन प्रोफेसर वहां पर एक ही जगह पर है लेकिन यहां पर आरएनटी मेडिकल कालेज के जितने कालेज हैं उन सब कालेज में हर सबजेक्ट का प्रोफेसर है, रीडर है और लेक्चरर है। तो आप एक को कांस्टीट्वेंट कालेज बनाकर क्या करना चाहते हैं। एफिलेटेड कालेज का मतलब आपको यह सोचा जाना चाहिए था कि राजस्थान के जितने मेडिकल कालेज हैं आज के दिन, वह सब कांस्टीट्वेंट कालेज हैं और जो आज नया कालेज खुला है यहां पर प्राइवेट का, जो स्वर्णकार ने खोला है या जो आज दूसरा कालेज दिल्ली रोड पर खुला है, यह दो कालेज उसके एफिलेटेड कालेज हो सकते हैं पर आपने तो जितने कालेज हैं उन कालेजों को भी आपने इसमें एनविसेज नहीं किया, आपके एफिलेटेड कालेज होंगे या कांस्टीटॅवेंट

(डा. सी.पी. जोशी)

कालेज होंगे। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री महोदय, आप जब निर्णय करें तब बतायें कि यह आपने जो डेफिनेशन किया है कि कांस्टीट्वेंट कालेज मतलब एक कालेज, इसका मतलब राजस्थान में एक कालेज को आप कांस्टीट्वेंट कालेज बनायेंगे बाकी सब कालेज एफिलेटेड कहलायेंगे। मैं उदयपुर क्षेत्र का विधायक होने के नाते, माननीय गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं, आपने बिल पास किया है, मुझे बतायें कि आप एग्री करते हैं कि उदयपुर का कोई एफिलेटेड कालेज होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमने केबिनेट में ध्यान नहीं दिया है, इस पर सोचा जाना चाहिए। यदि जयपुर का कालेज कांस्टीट्वेंट कालेज बनेगा, उदयपुर का आरएनटी कालेज एफिलेटेड कालेज बनेगा तो यह एकेडेमिकली साउण्ड नहीं है, यह ठीक ढंग का निर्णय नहीं है, इस निर्णय के फार रीचिंग इफेक्ट्स होंगे। मैं समझता हूं कि हमने हेस्ट में इस सम्बन्ध में ध्यान नही दिया। " ' Faculty' means a Faculty of the University. A Faculty of the University means. एक फैकल्टी, आपने जब हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है तो there will be a number of faculties. There cannot be only one faculty मेडिसिन की, there has to be a number of Faculties. जैसे-जैसे सबजेक्ट ग्रो करता है वैसे-वैसे ही सब चीजें होती हैं। एक जमाने में मेथेमेटिक्स फिलासापी का पार्ट थी। फिलासापी के बाद मेथेमेटिक्स साइंस में आई। आज मेथेमेटिक्स साइंस में भी है, आर्टस में भी है, सोशल साइंस में भी है। आपको यह फैकल्टी के सम्बन्ध में कल्पना करनी पडेगी कि कौन-कौन सी फैकल्टी, किसको क्लप करेंगे आप फैकल्टी के सम्बन्ध में। नेफ्रालाजी को टेली मेडिसिन के साथ लिंक करेंगे या आज जो दूसरी फिजियोथैरेपी है उसके साथ लिंक करेंगे। आपको इसमें डिफाइन करना पडेगा कि फैकल्टी कौन-कौन सी होगी, एक, दो, तीन, चार, यह डिफाइन नहीं किया, हमने 'ए' फैकल्टी लिख दिया। 'ए' फैकल्टी का मतलब आल मेडिकल जो फैकल्टी आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में थी उसका पार्ट है, वह फैकल्टी का पार्ट हो गई। मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में भी माननीय मंत्रीजी ने पता नहीं, क्यों ध्यान नहीं दिया। दिया है तो मुझे खुशी होगी जब जवाब देंगे। आप इसमें बतायें मुझे, "...to administer, manage and control the hospitals, including the Rehabilitation and Artificial".......

(डा. सी.पी. जोशी)

यह भी लिखा है आपने। मतलब यह जितने भी कालेज, यह जो प्राइवेट क्लिनिक चल रहे हैं. रिसर्च सेंटर चल रहे हैं उनको मेनेज करने का काम भी यह करेगा। बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। "......to establish a tele-medicine department ....." I have yet to understand, I have yet to understand-can there be a tele-medicine department. Tele-medicine cannot be a department. Tele-medicine is a media.

आज किसी को, जयपुर के प्रोफेसर को, उदयपुर के प्रोफेसर को यदि किसी से कंसल्ट करना है तो वह जो ई-गवर्नेस के अन्दर कंसेप्ट शुरू हुआ है, उसमें उसकी कंसलटेंसी लेने के लिए वह उस विधा के साथ जुड सकता है। यह काम सर्जरी वाला भी कर सकता है, यह काम मेडिकल वाला भी कर सकता है, यह काम गायनिकी वाला भी कर सकता है, यह काम फिजियोथेरेपी वाला भी कर सकता है। Then you have put it-tele-medicine one department which it cannot be. Tele-medicine cannot be a department, tele-medicine is a media.

जिस मिडिया के थ्रू हम अलग-अलग डिपार्टमेंट की चीजों को लिंक करेंगे पर हमने इसमें एनविसेज किया है कि टेली मेडिसिन एक डिपार्टमेंट होगा। इसका मतलब टेली मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट होगा उसमें हेल्थ की जिस तरह की व्यवस्था करनी है, उसमें जैसे कंसलटेंसी फिजियोथेरेपी की देनी हैं, जैसी कंसलटेंसी दूसरे की देनी है, हर कंसलटेंसी में टेली मेडिसिन की अलग-अलग चीजों का उपयोग लेना पडेगा। कहीं फेक्स मशीन से काम चल जायेगा, कहीं टेलीप्रिन्टर से काम चल जायेगा, कहीं दूसरी चीजों से काम चल जायेगा। वह उस एक्सपर्ट की नीड पर निर्भर करेगा कि उस एक्सपर्ट को क्या-क्या चीजें चाहिए, हर मेडिकल की जो अलग-अलग ब्रांचेज हैं उनके साथ अलग-अलग करेगा, इसको भी हमने लिख दिया- "....to establish a tele-medicine department..." I have yet to understand and I have to find out, आपके साथ यदि ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, इतने प्रोफेशनल आदमी बैठे हैं, can there be a tele-medicine department ? I have yet to find out. I haven't heard कि टेली मेडिसिन कोई डिपार्टमेंट किसी जगह एक्जिस्ट कर रहा हो। यह एक मीडिया है. जमाना बदल रहा है, उसमें एक मीडिया का तरीका है। टेलीफोन एक तरीका था, टेलीफोन से

(डा. सी.पी. जोशी)

हम कंसल्ट कर सकते हैं। टेलीफोन भी एक तरीका था। टेली मेडिसिन के साथ जो व्यवस्था जुड़ी हुई हैं इसमें इन्स्टांस में आप चीजों को भेजकर सूचना ले सकते हैं। यह टेली मेडिसिन की नई विधा है। टेलीफोन भी एक विधा है लेकिन टेली मेडिसिन एक डिपार्टमेंट होगा, मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता कि हमने यह कल्पना कैसे की ?

माननीय सभापति महोदय, मैं और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जुरिस्डिक्शन। मैंने जुरिस्डिक्शन के सम्बन्ध में कहा कि राजस्थान में जितने मेडिकल कालेज हैं उनमें से फैसला करना पड़ेगा कि एक को कांस्टीट्वेंट कालेज बना रहे हैं या सब को बना रहे हैं। सब को बना रहे हैं तो मुझे बतायें कि can this Act debar some one ?

आज यदि आपके, यह जो मिस्टर सोनी का कालेज है, वह यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलेट होना चाहता है तो एक्ट आपको डिबार करता है क्या ? मैं तो नहीं आना चाहता आपकी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी में। आप तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बिल ला रहे हो। It will be my choice. I want to be associated with the Rajasthan University. Can you compel me,

यह रूल परमिट करता है जिसमें आपको कि नहीं, आपको इस हैल्थ यूनिवर्सिटी के साथ ही जुड़ना पड़ेगा। यह प्रोवीजन नहीं लिखा हुआ है इसमें। फिर यह च्वाइस है मेरी। आपने खुद ने देखा है, आज एआईसीटी रिकाग्नाइज करती है डिग्रीज को, आज एआईसीटी के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया कि यूनिवर्सिटी चाहे तो वह भी बी.ई. की डिग्री दे सकती है। प्रोफेशनल आपके एआईसीटी एक्जिस्ट कर रहा है तब भी आप डिग्री दे सकते हैं यूनिवर्सिटी की, यह सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। अब मुझे बताइये माननीय शिक्षा मंत्रीजी, एम.सीआई. का रोल ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है कि एम.सी.आई. नाम की कोई चीज है। There are certain conditions. प्रोफेशनल जो आपने डिग्री बना रखी है, उसकी कौंसिल बना रखी है एम. सी. आई. की। एम.सी.आई. प्रोफेशनली जो चीजें करता है वह प्रि-रिक्विजिट है डिग्री के लिए एम.बी.बी.एस. और एम.एस.के। You can establish college, You can establish a University but you cannot compel M .C.I.

(डा. सी.पी. जोशी)

एम.सी.आई. की गाइड लाइन्स को आपको एडहेयर टू करना पड़ेगा। इस सारे एक्ट में एक भी वर्ड एम.सी.आई. का नहीं लिख रहे हैं। मैं नहीं जानता, मतलब. हमने कैसे किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मा. घनश्यामजी आप से निवेदन करना चाहता हूं एम.सी.आई. के अन्दर जैसे कल प्रश्न आया था, उस प्रश्न को उल्टे ढंग से लें आप, मेडिकल कालेज जब खुलता है तो मेडिकल कालेज की कुछ प्रि-रिक्विजिट हैं कि मेडिकल कालेज में यह मशीनें होनी चाहिए, वह मशीन प्राइवेट के साथ नहीं जुड़ सकती। आप एक मेडिकल कालेज के अलावा जो हॉस्पिटल है उसमें आप सोसायटी बनाकर सर्विसेज दे सकते हैं लेकिन मेडिकल कालेज में मैंने यदि पांच करोड़ का इनवेस्टमेंट किया और मुझे काम करने की मशीन पर आपने अलाउ किया और मैं उसको लड़कों को अलाउ नहीं करूंगा तो वह पी.जी. करने वाला आदमी, जो इंटर्नशिप है, वह इंटर्नशिप क्या करेगा। आज आप प्राइवेट में जो सीटी स्केन को अलाउ कर रहे हैं, अच्छा है, मरीजों को फायदा मिलेगा, पर उस सीटी स्केन की मशीन पर जो प्राइवेट फर्म का आदमी है वो स्टूडेंट को सीखने के लिए क्या अलाउ करेगा कि नहीं करेगा यह आपके एक्ट में प्राविजन नहीं है। वो जो इन्टर्नशिप कर रहा है। एम.बी.बी.एस. करने के बाद उस आदमी को प्राइवेट आदमी अलाउ नहीं करेगा कि तू यहां पर मशीन में काम कर सकता है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया है मेरा आदमी लगेगा मैं पैसा लूंगा आपका अधिकार नहीं है लेकिन गवर्नमेंट की सीटी स्केन मशीन लगी हुई थी उसमें डिपार्टमेंट का आदमी काम करता था। बच्चा जाकर वहां सीखता था और काम करता था You are denying that right which is against the professional ethics of M.C.I.

एम.सी.आई. की प्रिरिक्विजिट कंडीशन है उसमें आप यह चीज नहीं कर सकते। आपने दो चीजों को मिक्स-अप कर दिया। मेडिकल कालेज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट इश्यू है और मेडिकल की व्यवस्था करना डिफरेंट इश्यू है। सरकार के पास पैसा नहीं था। सरकार ने सोसायटी बनायी पेशेंट से पैसा ले रही है मेंटिनेंस करना चाहिए अच्छी चीज है उसको एप्रिशियेट करता हूं। राठौड़ साहब के समय में शुरू हुई अच्छी चीज है। पर यह उस एम.सी.आई. की जो कंडीशन है उसके वायलेशन में नहीं हो सकता एम.सी.आई. की कंडीशन में

(डा. सी.पी. जोशी)

मस्ट है आज यदि सीटी स्केन मशीन पर वो प्राइवेट आदमी उस पी.जी. करने वाले लड़के को अलाउ नहीं करेगा then which rule permits ? और एम.सी.आई. आपकी डिग्री को डिस्कोग्नाइज कर देगी। ये तो गवर्नमेंट को अलाउ करना था कि वहां गवर्नमेंट वहां इन चीजों की फैसेलिटी करेगी यह एम.सी.आई. में चीजें लिख रखी हैं। आज तो यूनिवर्सिटी में कितनी बिल्डिंग बनेगी, कितना नक्शा बनेगा एक साल में कितना काम होगा, कितना एरिया कंस्ट्रक्ट होगा यह प्रिरिक्वीजिट है, कितनी लैण्ड होगी। ये सब चीजें हैं कि आपको दो साल में तीन सौ बैड का हास्पिटल करना है उसके बाद पांच सौ बैड का करना है इसका इतना कंस्ट्रक्शन होगा, लेबोरेटरी इतनी होगी Everything is meticulously well -planned by the M.C.I.

उसमें ये चीजें लिखी हुई हैं। अब हम आज इस पापूलेस्टिक मेजर में हैं कि मैं मंत्री हूं मैंने ऐसा फैसला किया है लोगों को, गरीबों को न्याय करा रहा हूं, सस्ता कर दिया है। ये बहुत अच्छे इमोशंस हैं but emotions cannot ignore the guideline of the M.C.I.

मैं समझता हूं इसके सम्बन्ध में भी यह सोचा जाना चाहिए कि क्या हम एम.सी.आई. के जो आपको खुद को मालूम है कि हमारी सरकार के समय में जो एक डेंटल कालेज हमने रिकोग्नाइज किया एम.सी.आई. में उसकी डिग्री रिकोग्नाइज नहीं हो सकी, तकलीफ आयी उसमें जो डेंटल काउन्सिल की रिक्वायरमेन्ट थी वो पूरी नहीं हुई। डेंटल काउन्सिल की गर्वनमेंट कालेज खोलने के बाद नहीं हो पायी। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में हमें सोचना चाहिए। इसमें हमने यह भी एनविसेज नहीं किया है कि आप जो एन.ओ.सी. देंगे नया डेंटल कालेज खोलने की नया पैरा मेडिकल कालेज खोलने की उसके सम्बन्ध में क्या यार्डस्टिक है, कौन पूरा करेगा, इसमें कोई मेंशन नहीं है। वो एक अलग विधा होगी। यह यूनिवर्सिटी अलग बनेगी। यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो कालेज खोल रहे हैं डेंटल कालेज खाल रहे हैं, मेडिकल कालेज खोल रहे हैं उससे सरकार से एम.सी.आई. से अलग जाना पड़ेगा तो फिर यह सब जब हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो उसके साथ एनविसेज करना चाहिए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के इन्टरवेंशन को इसमें जगह दी गयी है यह मैं आगे जाकर बताऊंगा। आपने जो प्रोफेशनल चीजें हैं रिक्वायरमेंट हैं उनको जगह

(डा. सी.पी. जोशी)

नहीं दी है। स्टेट गर्वनमेंट की जो रिक्वायरमेंट की जो चीजें है उनको आपने जगह दी है इसलिए मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं इस सम्बन्ध में भी माननीय मंत्रीजी जब जवाब दें तो निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे कि हम यह बात करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, वाइस चांसलर Very key position. Vice-Chancellor of an academic University and Vice-Chancellor of a professional University, there has to be some different between the two.

एक अच्छा प्रोफेशनल आदमी, आज यहां पर अपने डॉक्टर बैठे हुए हैं हिन्दुस्तान में मोस्ट पापूलर डॉक्टर है हम भी जानतें हैं एक्सटेंशन के बाद आपने आगे बढाया है उसमें वाइस चांसलर का सलेक्शन आप क्या करवा रहे हैं माननीय घनश्यामजी आप सुनिये वाइस चांसलर की कमेटी बनायी हुई है आपने I am shocked, I tell you. Three Secretaries of the Government. सैक्रेटरी की क्वालिफिकेशन क्या है ? मैं भी बी.ए. पास करके आई.ए.एस. बन सकता हूं, आप भी बन सकते हैं आई.ए.एस. सैक्रेटरी बन जाएगा। सैक्रेटरी बनने के बाद वाइस चांसलर के सलेक्शन में माननीय सभापति महोदय, -".....One person nominated by the Board not being a person connected with the University....; one person to be nominated by the Chancellor ......; three Secretaries to the Government nominated by the State Government .'

Are we running a Government Department ? or are we running a University ?

प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं हम तो जिसमें एक्सटेंशन का आ गया न्यूरोलॉजो के बारे में जानता नहीं है, नेफ्रोलॉजी के बारे में जानता नहीं है और सैक्रेटरी जो 25 साल पहले उसने बी.ए., बी.एस.सी. किया है तीन सैक्रेटरी मिलकर वाइस चांसलर के पैनल को बनायेंगे। पांच आदमियों में से तीन आदमी तो ये कर दिये आपने Are you, Ghanshymji, running a Government Department ?

एक नयी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं नयी यूनिवर्सिटी की नयी कल्पना कर रहे हैं हम। नयी चीजें आएंगी और हमने कंजरवेटिव सोच रखा है। मैंने

(डा. सी.पी. जोशी)

कहा न बात तो हमने कही हैल्थ साइसेंज की और हमारा दिमाग चल रहा है उल्टा। हमने वाइस चासंलर के सलेक्शन में तीन सैक्रेटरी का सलेक्शन किया है यह घनश्यामजी न डेमोक्रेसी के लिए ठीक है न इलेक्टेड रिप्रजेंटेटिव के लिए ठीक है, न हाउस में जो पास करवा रहे हैं उनके लिए ठीक है और न प्रोफेशनली ठीक है यह। आप इसकी जगह रखते कि तीन रिकोग्नाइजड राजस्थान के जो मेडिकल के एक्सपर्ट हैं धारकर साहब जैसे आदमी हैं और भी आदमी हैं बहुत से उनमें से रखते तो बहुत खुशी होती But you are putting 3 Secretaries. I don't know कि हम इतना पापूलर डिसीजन लेना चाहते हैं कि हम, अभी गुंजल साहब कह रहे थे कि इतना काम हो जाएगा जनता को बहुत राहत मिलेगी और हम क्या करेंगे। हम एकेडेमिक कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि the competence and excellence of an academician cannot be judged by a Secretary. आज भी हमारा फर्म कंविक्शन है कि एकेडेमिशन के जो एक्सपर्ट हैं उसको जज के लिए सैक्रेटरी कंपीटेंट नहीं हैं। फाइल डिस्पेच करने के लिए, सजा देने के लिए ठीक है लेकिन एकेडमी के लिए एक्सीलेंसी उसमें है कि नहीं है इसका जजमेंट करने का काम सैक्रेटरी नहीं कर सकते और आपने तीन सैक्रेटरी रख दिये Is it a progressive step ? or is it a retrogressive step ?

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमें सोचने की आवश्यकता है। आपने इस बिल में वाइस चांसलर में रखा है दो क्लोंज रखी हैं। वाइस चांसलर पहली बार जो अपाइंट होगा क्योंकि हमने सब चीजें बोरोउड की है यूनिवर्सिटी की कहां-कहां से बोरोउड की है हम भी शिक्षा मंत्री रहे हैं। यह यूनिवर्सिटी का बिल बना है घनश्यामजी के साइन हुए हैं बाकी दिमाग लगा-लगा कर सैक्रेटरी बैठा हुआ है। ऐसे यूनिवर्सिटी नहीं बनती। नयी यूनिवर्सिटी बनाना, नयी सोच, नये आदमी को बुलाकर बात करते अब आप इसमें क्लोंज देखिये। पहले लिखा है.......(व्यवधान).......महावीरजी, आप जितना नहीं बोलें उतना अच्छा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आपने कोई उदाहरण पेश किया हो तो बतायें।

डा. सी.पी. जोशी : सब मैंने ही बनाये हैं बिल यूनिवर्सिटी के।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप तो नत मस्तक थे उनके आगे। नत मस्तक थे उनके आगे।

डा. सी.पी. जोशी : आप विराजिये आपके वश का रोग नहीं है। आज दिन तक हर यूनिवर्सिटी के बिल पर मैंने ही विचार रखे हैं अपने। यह रिकार्ड में है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : विचार अच्छे है लेकिन आपको समय मिला उस समय आपने क्या किया वो बतायें।

डा. सी.पी. जोशी : आप मेरे विचार को इन्टरप्रेट करवायें। अब आप बैठे। बेकार में आपके वश का रोग नहीं है बैठो। आप जो काम कर रहे हैं अब तक वो ही काम करें। विराजिये आप। मैंने कुछ नहीं किया विराजिये आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई भी एक माडल आपने पेश किया हो तो वो बतायें जरा।

डा. सी.पी. जोशी : माडल आप खुद खड़े हो न मेरा। मेरा माडल आप खुद खड़े हो न। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप चीफ व्हिप हो यह क्या कम माडल हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा : महावीरजी, यह बौद्धिक रूप से आपके वश का आपके समझने का मामला नहीं है। आप चुपचाप बैठे रहिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको तो ठेका चलाना है।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं-नहीं, यह बौद्धिक रूप से आपके वश का नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : आप हमारे माडल हो चीफ व्हिप हो इससे बड़ी चीज क्या है लोकतंत्र में ? क्या बात कर रह हो ? आपसे बड़ा चीफ व्हिप हमें मिल नहीं सकता। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या हो सकता है ? माननीय सभापति महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वाइस चांसलर के एज के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि पहली बार जो दो में क्लाज लिखा है........

"The Vice-chancellor shall hold office for a term of three years

from the date on which he enters upon this office or until he attains the age of sixty two years which is earlier :......"

ये तो आपने ऊपर लिख दिया 62 साल। नीचे क्या लिखा आपने

"provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term :....."

इसका मतलब क्या हुआ कि पहले साल में वाइस चांसलर बनने के लिए तो 62 साल से कम आयु वाला आदमी बन सकता है लेकिन सैकण्ड टर्म वाला 65 साल का बन सकता है। तो सेकंड में 65 साल क्या रोकता है ? या तो आप इसको डिबार करते या उसको डिबार कर देते । 62 के बाद में सेकंड टर्म भी ले सकता है तीन साल का तो आप 65 कर देते क्या तकलीफ थी ? आप उसको पढ लें। आप मुझे करेक्ट कर दें। आपकी मंशा है, मंशा कानून से नहीं जाती मंशा बर्ड से जाती है इन्टरप्रिटेशन कानून का जो आप कानून बना रहे हैं उससे होता है। आपकी बहुत अच्छी मंशा है पर यह मंशा जो बता रहा है। उसमें मैं फिर दुबारा पढ़ रहा हूं

" Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term :...."

इसका मतलब वो सेकेंड टर्म में हो जाएगा 65 साल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि हमने इसको कैसे किया इस सम्बन्ध में भी आप निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। मैं आगे यह बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपने जो इमरजेंसी वेकेंसी क्रियेट होगी वाइस चांसलर की उसमें क्या-क्या प्राविजन किये एक दूसरे के कंट्रावेंशन में। इसमें लिखा है आपने सैक्शन-5 में लिखा है

"......the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the functions of the office of the Vice-Chancellor."

यह आपने ऊपर क्लाज लिख दिया नीचे क्लाज क्या लिखा आपने, 8 में लिखा है आपने

(डा. सी.पी. जोशी)

"During the pendency, or in contemplation of any inquiry referred to in sub-section (2). the Chancellor may order that till further orders - ..."

आगे लिखा है

"....(b) the functions of the office of the Vice-chancellor shall be performed by the person specified in the order."

वहां स्टेट गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसा होशियार आदमी वाइस चासंलर आ गया और स्टेट गवर्नमेंट की और उसकी नहीं बन रही है तो ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस से बनाना पड़ेगा नीचे आपको अपाइंटमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है वो सस्पेंड करके आदमी को दूसरे आदमी को चार्ज दे देगा। यह प्रोविजन आपने कर दिया। आप या तो यह करिये या वो करिये दो काम मत करिये। दोनों चीजों का आपने प्राविजन कर दिया इसको भी दिखवा लीजिये आप कि यह जब डेमोक्रेसी में सरकारें बदल रही हैं चासंलर और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जिस तरह की बातें कल कोई होशियार आदमी चांसलर आ गया तो वो उस वाइस चांसलर को सस्पेंड करेगा उसको टर्मिनेट नहीं करेगा दूसरे आदमी को वाइस चांसलर का काम दे देगा। वो आपको डिबार नहीं करता जबकि ऊपर लिख रखा है वेकेंसी होगी तो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस से होगी इसको भी आप चैक कर लें कि आगे जाकर यह स्थिति हमारी नहीं बंने।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका समय तो ले रहा हूं लेकिन मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्यों मैंने जनमत की बात की। आप खुद छात्र नेता रहे हैं आपने एक्ट पढा है। अभी तक यूनिवर्सिटी के एक्ट में हर एक्ट में रजिस्ट्रार ही सभी एग्जामिनेशन कराने का, अपाइंटमेंट करने का, एग्जामिनर का सारा काम रजिस्ट्रार का है एक्ट में। जब से व्यवस्थाएं भंग हुई तब से एक नयी पोस्ट क्रियेट हो गयी। कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन ये टोटल एक्ट के बायलेशन में है। जब से रजिस्ट्रार के पावर में हमने यह कर दिया कि रजिस्ट्रार को इधर तो सब पॉवर दे दिये हमने और उधर कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन की नयी पोस्ट क्रियेट की और कंट्रोलर आफ एग्जामिनेशन के साथ एग्जामिनेशन कमेटी और कायम कर दी। अब आपने इसमें आथोरिटी भी

(डा. सी.पी. जोशी)

बनायी है और इसमें आपने ये सब चीजें डिफाइन की उसमें मैं समझता हूं कि यह रेट्रोग्रेशिव स्टेप हैं जिसमें आप नयी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो Registrar should be competent. रजिस्ट्रार ही सब चीजों को करना चाहिएं जो हमें दूसरी पेरेलल बाडी खड़ी नहीं करनी चाहिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का काम करे।

एग्जामिनर अपाइंट करने का काम करे, एग्जामिनर की लिस्ट बना दे उससे आपकी ज्यादा सूचना बाहर जाती है और एग्जामिनेशन की सीक्रेसी रूकती है। रजिस्ट्रार को करने के पीछे जो मंशा थी वह यही थी कि एक आदमी है जो सारी चीजों को अपने नॉलेज में रखे। एग्जामिनर कौन अपाइंट होगा, पेपर कहां सैट होंगे, यह सीक्रेसी सबसे ज्यादा इम्पोरटेंट चीज किसी डिग्री की वह सबसे कम्प्रोमाइज हुई, जब से हमने रजिस्ट्रार के साथ एक कंट्रोलर एग्जामिनेशन की व्यवस्था और की है। इसमें कंट्रोलर एग्जामिनेशन की व्यवस्था भी की है, एक कमेटी बनाने की व्यवस्था भी की है मैं यह समझता हूं यह स्टेप भी आगे के लिये ठीक स्टेप नहीं है।

सभपति महोदय, अब मैं आता हूं Constitution and composition of the Board of Management. नई-नई चीजें हम कर रहे हैं। नई-नई चीजों में हमने क्या कि.....(I) Chairman- (a) The Vice-chancellor of the University. (II) Ex-officie Members- (a) The Secretary to the Government of Rajasthan , Finance Department.

सब जगह व्यवस्था पैसे की होती है.....

(b) the Secretary to the Government of Rajasthan, Medical Education Department; (c) The Director of Medical Education Govt. of Rajasthan;......

अब आप यह बतायें मुझे बोर्ड आफ मैनेजमेंट में एक सैक्रेटरी की जगह यह चीजें क्यों रखना चाहते हैं? हम प्रोफेशनली, एक्सपर्ट की अच्छी बोर्ड आफ मैनेजमेंट बनाये। प्रोफेशनल डिग्री है उस डिग्री में राय ठीक दे सके, पेपर ठीक ढंग से बन रहा है या नहीं, आगे उसकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी। सबसे सुप्रीम बोडी बोर्ड आफ मैनेजमेंट है और सबसे कन्जरवेटिव हमने बोर्ड आफ

(डा. सी.पी. जोशी)

मैनेजमेंट को बनाया है। इसमें स्पेस ही नहीं दिया हमने। आप इसको देखिए, अब अलग-अलग जगह दिया है आपन...(III) Nominated Members-(a) two person nominated by the Vice-chancellor from amongst the Deans of the Faculties for one year...." Deans of the faculties.

मेडिकल एक फैकल्टी है, यहां फैकल्टी लिख दिया। यहां फैकल्टीज कर दिया डीन आफ द फैकल्टीज। इसमें डीन कौन होगा बताये मुझे ? डेंटल का अलग होगा, फीजियोथैरेपी का अलग होगा, यह तो नहीं है। आज की तारीख में पूछे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में डीन, मेडिकल साइंस कौन है तो या तो एस.एम.एस. का प्रोफेसर होगा या दूसरे कालेज का सीनियर प्रोफेसर होगा। क्योंकि हमने दूसरे से नकल की तो डेफिनेशन तो एक फैकल्टी लिखा है। यहां लिख दिया.....Deans of the Faculties for one year..." फिर लिखा ... "(c) two eminent educationists to be nominated by the Chancellor for three years ; ...." Eminent educationists, you have to qualify it.

मैंने नोमिनेट कर दिया सी.पी. जोशी को तो ... I am not expert in medical sciences. Educationist relevant with the subjects, field.

यहां पर हम मेडिकल के प्रोफेसर रहेंगे तो आप उसको क्वालिफाई कीजिए कि जो एजुकेशनिस्ट कर रहे हैं वह एजुकेशनिस्ट केवल मात्र हैल्थ साइंस बना रहे हैं उसका ही एजुकेशनिस्ट से रेलेवेंट है दूसरे का रिलेवेंट नहीं होगा यह भी हमें क्वालिफाई करना चाहिये। इसमें। दो तो आप चासंलर से करवा लीजिए, दो स्टेट गवर्नमेंट से करवा लीजिए। एक में तीन साल कर दिया, एक में एक साल कर दिया और फिर आपने कर दिया (e) two members of State Legislature to be nominated by the State Govt. for 3 years." घनश्यामजी, आप मेरे मिलने वाले हैं, शिक्षा मंत्री हैं मुझे नोमिनेट करेंगे मेडिकल यूनिवर्सिटी में। बडी यूनिवर्सिटी है, ट्रांसफर पोस्टिंग करना पड़ता है, डाक्टर का बड़ा ल्युक्रेटिव है। मैं एम.एल.ए. हूं 8वीं पास हूं, 7वीं पास हूं पर घनश्याम जी मुझे नोमिनेट करना जरूरी है क्योंकि मेरा स्टेटस बढ़ता है उससे। Why ? why this ? You have to qualify it. दो एम.एल.ए. रखना है तो एम.एल.ए. की क्वालिफिकेशन कहीं पर तो प्रेस्क्राइब करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट

(डा. सी.पी. जोशी)

अपने आप नोमिनेट करेगी कि देखिए इन लेजिस्लेटर को हमने नोमिनेट किया है... I am not against legislators but I am against this. यह जो पावर है जिस पावर के अन्तर्गत यह जो अपने अलग-अलग यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें अनहैल्दी काम्पीटिशन एम.एल.ए. के बीच में शुरू हो जायेगा कि मुझे यहां नोमिनेट कीजिए, उसको नोमिनेट कीजिए उसमें आज के दिन सबसे ल्युक्रेटिव एम.एल.ए. का अपाइंटमेंट है। किसी बोर्ड आफ मैंनजमेंट को होना चाहिये वह इस यूनिवर्सिटी में होना चाहिये। Everyone knows it. बीमार पड़ते हैं डाक्टर साहब हैं सलाम करेंगे, मिलने आयेंगे, This is far better than to become a minister. स्टेट मिनिस्टर बनना पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर बनने से तो ज्यादा बढिया है कि दो एम.एल.ए. को सिंडीकेट में बनायें तो उसका प्रभाव रहेगा।

यदि मुख्य मंत्रीजी को यही अकोमोडेट करना है कि दो एम.एल.ए. को बनाना है तो बात अलग है but professionally, professionally it is not desirable जब हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो आप इसको देखो। हमने लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। (व्यवधान) आपने बी.ए., बी.एस.सी. की होगी इसलिए याद नहीं है। (व्यवधान) सभापति महोदय, हमने लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। लॉ यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए कि जब हमने यह फैसला किया लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में स्थापित की तो वहां जो वाइस चांसलर है वह जज हैं। स्टेट गवर्नमेन्ट का कोई रोल नहीं है। आप उठाकर देख लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी है आप तो खुद आज शिक्षा मंत्री हैं। लॉ यूनिवर्सिटी जो हमने राजस्थान में बनाई है। (व्यवधान)

श्री सभापति : तगाराम जी, विराजिए। जब किसानों की समस्या आये उस पर आप बोलना।

डा. सी.पी. जोशी : सभापति महोदय, लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में बनाई वह नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टेटस की बनाने की हमने कोशिश की बैंगलोर के बराबर। मिस्टर मित्रा की जो एमिनेंस थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने वह सब चीजें की जो लॉ यूनिवर्सिटी के लिये जरूरी है। अब हम एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी में हम यह करना चाहते हैं उस पर भी हमें सोचने की आवश्यकता है यह चीजें पापुलस्टिक चीजें कर रहे

(डा. सी.पी. जोशी)

हैं वह अलग बात है लेकिन लोंग टर्म में इसका क्या कर पायेंगे यह भी सोचें आप।

फैकल्टी का भी यही मामला है Composition and functions of Faculties. उसको भी आप डिफाइन कर दीजिए। अब मैं आता हूं 33 पर Teachers and officers of the University.

माननीय शिक्षा मंत्रीजी आप 33 को देखिए क्या लिखा है। (व्यवधान)

"The appointment of teachers and officers of the University shall, save as provided in this Act, be made in accordance with the provisions of the Rajasthan Universities'' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

घनश्यामजी, आपने इस एक्ट को पढ़ा है क्या, मैंने पढ़ा है मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूं। मैं आज बताना चाहता हूं कि यह 1974 का एक्ट डिबार करता है 6 मंथ से ज्यादा अपाइंटमेन्ट को। परमानेन्ट सलेक्शन का इसमें प्रोविजन है। आपने आगे क्या लिख दिया....

"(2) Except in cases provided for by the Statutes, teachers and officers of the University shall be appointed under a written contract."

ऊपर तो लिख दिया आप एक्ट 74 से गाइड होंगे नीचे आपने यह भी अलाउ कर दिया। आपको यह फैसला करना पड़ेगा मेरा फर्म कनवेक्शन है Now the 1974 Act becomes irrelevant for a University. आपको यहां पर प्रोफेशनल, एक्सपर्ट आदमी लाने के लिये, कान्ट्रेक्ट सर्विस पर आदमी लाइए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चार साल का कान्ट्रेक्ट दीजिए, पांच साल का कान्ट्रेक्ट दीजिए। उसकी आप इस तरह की सर्विस कीजिए, उनकी नोलेज जब तक अपडेट नहीं हो तब तक टीचिंग इम्पार्ट करें और नोलेज अपडेट नहीं होगी तो टीचिंग करना राजस्थान के मेडिकल स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जायेगा। आज एक बी.ए., बी.एस.सी. पास आदमी एक्सपोजर नहीं है वह काम कर ले और यदि मेडिकल की लेटेस्ट साइंस को समझने वाला आदमी दुनिया के लेटेस्ट इक्युप्मेन्ट के बारे में एक्सपोजर नहीं है और वह यदि डाक्टर के

(डा. सी.पी. जोशी)

यहां लड़कों को पढ़ायेगा तो लड़कों के साथ अन्याय होगा। आपके प्रोफेसर बनने चाहिये कान्ट्रेक्ट सर्विस पर, पांच साल के कान्ट्रेक्ट सर्विस पर बनने चाहिये। उनकी एफिसिएंसी है, नोलेज है, अपडेट नोलेज है तो पांच साल लाये नहीं तो बाहर रखिए लेकिन आटर्स का टीचर या लैक्चरर अपाइंट होगा वही क्लाज इसमें लागू होगा। मैं समझता हूं यह स्टेप भी आपका ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, इसी को आगे और क्लाज किया है स्टेच्यू बनाकर टेम्प्रेरी अपाइंटमेन्ट भी कर सकते हैं। इधर तो आपने एक्ट में यह प्रोविजन कर दिया इधर कान्ट्रेक्ट की व्यवस्था कर दी, स्टेच्यू बनाने का भी एक्ट में प्रोविजन कर दिया, हम टैम्प्रेरी अपाइंटमेन्ट भी कर सकते हैं। 3-3 प्रोविजन एक साथ कर रहे हैं और हमने नई चीज को जगह ही नहीं दी कि कैसे कान्ट्रेक्ट सर्विस को लेकर हम इन चीजों को करें। मैं समझता हूं इस पर ध्यान दिया जाये।

सभापति महोदय, आप भी छात्र नेता रहे हैं। हम आज दिन तक विश्वविद्यालय की एकेडेमिक आटोनोमी की बात करते रहे हैं। स्टेट गवर्नमेन्ट ने क्या-क्या चीजें, वह मैं आपको बताना चाहता हूं।"......grant of any additional or special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including ex-gratia payment or other benefits having financial implications to any of its teachers, officers or other employees."

यह सारे पावर स्टेट गवर्नमेन्ट अपने पास ले रही है यूनिवर्सिटी का बोर्ड क्या करेगा। आप बोर्ड में जाकर देख लीजिए विश्वविद्यालय में कोई कमेटी में जा रहा है, कोई एग्जामिनेशन कर रहा है, कोई एग्जामिनेशन की ड्यूटी कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, क्या कर रहे हैं। वह काम भी आपने इसमें लिख दिया कि कन्ट्रोलर आफ द स्टेट, गवर्नमेन्ट, स्टेट गवर्नमेन्ट के बिना पूछे यह चीजें नहीं कर सकते। मैं समझता हूं यूनिवर्सिटी की इससे ज्यादा खराब स्थिति और क्या होगी मुझे नहीं कहना। आपने यह भी लिख दिया।

"Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- If the State Government is satisfied that, owing to

(डा. सी.पी. जोशी)

mal-administration or financial mismanagement in the University, a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecurd, it may, by notification, declare that the finance of the University shall be subject to the control of the State Government and issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University."

यह तो इन्हेरेंट है, ग्रान्ट आप दे रहे हैं इसको स्पेसिफिक ब्लैक एण्ड व्हाइट में करके हम क्या करना चाहते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण हो गया उसने हमको फोबिया क्रिएट कर दिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो हो गया भविष्य में नहीं हो उसको मीट आउट करने के लिये यह सब चीजें की। एम.ओ.यू. की बात हमने की। एम.ओ.यू. का क्या हश्र हो रहा है। आज वहां एकेडेमिक आटोनोमी क्या हो रही है आप पूछ लीजिए टीचर को। आपको भी टीचर मिलते होंगे। एम.ओ.यू. के कारण क्या स्थिति बनी हुई है ? कटारिया साहब, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप से लोग मिलते हैं, आप उदयपुर से हैं, आप इसको देख लें कि यह चीजे हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ायेगी या हमारी ग्रोथ को रिटायर करेगी। इस सम्बन्ध में भी निश्चित तौर पर सोचना चाहिये। सिमीलरी स्टेच्यू बनाने के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। शिक्षा मंत्रीजी उदयपुर विश्वविद्यालय के स्टेच्यू आज दिन तक नहीं बने हैं।

इसका तरीका इतना कम्बरसम में है कि पहले चांसलर लेगा फिर स्टेट गवर्नमेन्ट लेगी, पास होगा, यह होगा लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक्ट में और चीजें आर्डिनेन्स पहले बनी हुई है, 1948 के पहले बना हुआ था। Everything is well defined. हरेक विश्वविद्यालय में स्टेच्यू आर्डिनेन्स बनाने का प्रोविजन दे रखा है आज दिन तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। इसमें भी एक लिख रखा है हर साल हम विधान सभा में रिपोर्ट रखेंगे, आप बताइये अगर कोई रिपोर्ट आई हो तो। एक भी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट आज दिन तक ले नहीं हुई है। क्या अपराध कर रखा है हमने ? वह की वह बातें लिख दी कि विधान सभा में हम इसको ले करेंगे। मैं समझता हूं कि इतने हेस्ट पर हम क्यों बातें करना चाहते हैं, इसमें लिख रखा है एनुअल रिपोर्ट 44 पर..... The

(डा. सी.पी. जोशी)

annual report, as approved by the Board shall be sent to the State Government for being laid on the table of the House of the State Legislature. वर्षों से लिखा हुआ है, माननीय सभापतिजी, और आज भी हमको कह रहे हैं कि लिखेंगे। जिस चीज का वायोलेशन ही करना है उस चीज को लिखकर क्या करना चाहते हो ? हम कर ही नहीं रहे। एड ही नहीं कर रहे। मान ही नहीं रहे तो फिर इसको हम रखना क्यों चाहते हैं ? ठीक इसी प्रकार 46 में टेम्प्रेरी अरेंजमैन्ट, मैंने आपको बताया कि एक्ट का प्रोविजन कर रखा है, क्वांटिटी का कर रखा है, टेम्प्रेरी अरेंजमैन्ट में लिखा है... At any time after the commencement of this Act and until such time as the authorities of the University are duly constituted, any officer of the University may be appointed by the Vice-chancellor with the prior approval of the Chancellor to carry on the duties of any such authority.

आप बताइये क्या मतलब हुआ ? आपको 1974 का एक्ट फॉलो नहीं करना है? वाइस चांसलर चाहे किसी का अपाइंटमेन्ट कर सकता है यह आपने टेम्प्रेरी व्यवस्था में प्रोविजन कर दिया, मैं समझता हूं कि प्रोविजन की भी आवश्कयता नहीं है। हम लोग जल्दी में प्रोविजन क्यों कर रहे हैं ? यह एक्ट का पार्ट बन रहा है इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि सरकार की अच्छी मंशा है, मैं आपकी इस मंशा का बिलकुल स्वागत करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी सरकार ने इनिशियटिव लिया उसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन यह इनिशियटिव केवल मात्र राजस्थान विश्वविद्यालय अनबिल्डी हो गई है, एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो रहे, यह नहीं हो रहा, आपका यह उद्देश्य है तो आप यह विश्वविद्यालय का बिल मत लाइये।

यदि विश्वविद्यालय का मतलब यह है कि राजस्थान में हैल्थ सांइसेज की एक यूनिवर्सिटी बने, नोर्थ इंडिया में लोग कह सके कि राजस्थान ऐसी जगह है जहां पर जाकर हम कर सकते हैं। आज अपने को घमण्ड से कहना चाहिए, आज हमारे जितने अच्छे मेडिकल कालेज है, जितनी उनकी व्यवस्था है जितने काम्पीटेंट है स्टाफ है, राजस्थान में आज गौरव की बात है कि

(डा. सी.पी. जोशी)

राजस्थान में मेडिकल की एक अच्छी नोलेजेबल फैकल्टी आपके पास अवेलेबल है। उस फैकल्टी को आज के दिन आप यूनिवर्सिटी बनाकर, नये कालेज बनाकर, एफिलेटेड कालेज की स्थापना न करके यह जो व्यवस्था आपने की है यह हैस्ट में उठाया गया कदम है।

मैं समझता हूं कि आपके पास सत्ता है। जनता ने आपको मैनडेट दिया है। खोटे कानून बनाना है, बनाइये। हमारा अधिकार है पाइंट आउट करने का, आपका अधिकार है ताली बजवाकर पास करवाने का, कराइये पास। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय में परिवर्तन करना पड़ेगा यदि आप इसकी ग्रोथ चाहते हैं। नये जमाने में परमानेन्ट फैकल्टी इर्रिलेवेंट हो गई है। नये जमाने में नई ग्रोथ हो रही है, नई चीजें आ रही हैं और कम से कम मेडिकल साइंसेज में तो लेटेस्ट चीजें हो रही हैं। दुनिया का जितना भी एक्सपर्सन नॉलेज का हो रहा है मेडिकल साइंस फैकल्टी में हो रहा है। नये-नये इन्स्ट्रूमेन्ट आ गए हैं। उन इन्स्ट्रूमेन्ट को आपकी राजस्थान सरकार मेडिकल कालेज के बच्चों को देने की स्थिति में नहीं है, उनको एक्सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है। आज प्राइवेट जिस तरह से बिलगेट, अनपढ़ आदमी ने आई.टी. को लेकर हिन्दुस्तान में क्रान्ति कर दी। आज आप राजस्थान की मेडिकल फैकल्टी को खतम करके इस विश्वविद्यालय का बिल लाकर राजस्थान की पूरी एकेडेमिक जो आपकी एक वर्थ बनी हुई है खतम कर देंगे।

मुझे तकलीफ होगी इस बात की दिगम्बर सिंहजी जैसे डाक्टर आपके इस केबिनेट में बैठे होंगे। केबिनेट में बैठने के बाद वह समझते हैं कि बिल है वह प्रोगेसिव बिल है, राजनीति और विश्वविद्यालय की ग्रोथ को बढ़ाने वाला है, जिसमें एक्सपर्ट की सर्विसेज का उपयोग नहीं किया जाए, ब्यूरोक्रेसी से ही सब कुछ चल जाएगा तो मैं समझता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति घनश्यामजी न मेरे लिए होगी न आपकी होगी। इस सदन में हमें दुबारा आकर बातें करनी पड़ेगी। इन भावनाओं के साथ मैंने कहा कि आपने बिल बनाया मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप आर्डिनेन्स भी लेकर आए थे, आर्डिनेन्स के बाद इतनी जल्दी बिल ले आए मैं समझता हूं कि अभी भी समय है Heavens are not going to fall. आप इस विश्वविद्यालय को अपडेट करिए। नये ढंग से करिए। नई

(डा. सी.पी. जोशी)

विधा के साथ कीजिए। नई फैकल्टी के रिक्रूटमेन्ट के साथ करिए। मुख्यमंत्री जी और आपकी भावना है कि राजस्थान में एक अच्छा रेप्यूटेड एवं एक्सेलेंस हैल्थ साइंसेज का विश्वविद्यालय बने, उसके लिए यह आपका बिल उन चीजों को पूरा नहीं करता है। इसलिए यह निवेदन है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। इसमें सरकार को अपना यह इगो नहीं बनाना चाहिए। सोसाइटी के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने के लिए आवश्यक है इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : श्री हरिमोहन जी शर्मा।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, सूचना बहुत महत्वूपंर्ण है।

श्री सभापति : अभी नहीं, बिल में कोई सूचना नहीं।

श्री रामप्रताप कासनिया : पाइंट आफ इंफोरमेशन है।

श्री सभापति : कोई पाइंट आफ इनफोरमेशन नहीं, प्लीज। श्री हरिमोहन जी शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ सांइसेज बिल, 2005 पर आज विचार करके पारण करने के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो रही है, मैं भी अपने विचार इसके सम्बन्ध में अभिव्यक्त करता हूं।

माननीय सभापित महोदय, राजस्थान के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री बौद्धिक दृष्टिकोण और तार्किक दृष्टिकोण से किसी भी बात को सफलतापूर्वक कहने में माहिर हैं। (व्यवधान) किसी भी चीज का अंदाजा आप अपने मन में क्यों लगा रहे हैं ?

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, किसी आदरणीय मंत्री के लिए इस तरह का कमेंट करना मैं समझता हूं कि.....

श्री हरिमोहन शर्मा : इसमें क्या कमेंट है?

सूचना

विधान सभा की लिफ्ट खराब होना

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, इतनी देर में तो मैं कह देता। आज सुबह की बात है। जगन्नाथजी वर्मा, विधायक लिफ्ट से एक नम्बर पर जा रहे थे और तीन कर्मचारी विधान सभा के थे। लिफ्ट एकदम टूटकर गिरी, जैसे कोई बम गिरा हो। मान लीजिए वही लिफ्ट पांचवे फ्लोर से गिरती तो माननीय सदस्य और कर्मचारियों की जान जा सकती थी। यह मैं सूचना देना चाहता हूं।

श्री सभापति : यह विधान सभा का मामला है, सैक्रेटरी साहब को बता दीजिए। यहां हाउस में नहीं बोलिए।

विधेयक पर विचार

श्री हरिमोहन शर्मा : सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि इस बिल का नाम जो इन्होंने रखा वह नाम भी अगर किसी राष्ट्रीय नेता के नाम पर, किसी स्वतन्त्रता सैनानी के नाम पर, राजस्थान में किसी ऐसे लोकप्रिय नेता के नाम पर (व्यवधान) मुझे खुशी होगी कि मोदी साहब का सुझाव मानकर मेरे नाम से कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

इस नाम के पीछे एक राजनीतिक सोच है। राजनीतिक सोच यह है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी नामों के परिवर्तन में विशेष रूचि रखते हैं और जब वह अपने स्तर पर एक नया बिल रख रहे हैं तो इसको भी यदि किसीं उच्चस्तरीय नेता के नाम पर, इस बिल में उनके नाम से यूनिवर्सिटी बना देते तो ज्यादा अच्छा होता। उनको इस तरह के नाम परिवर्तन करने का शौक है। राजीव गांधी संकुल को राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन के नाम पर परिवर्तित किया गया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : आपने नाम का सुझाव दिया, जैसे अशोकजी गहलोत ने जोधपुर में अशोक उद्यान बनाया, अशोक गहलोतजी ने अपने पिताजी के नाम से बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क, जोधपुर में बनाया वैसा ही चाहते हैं क्या आप ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अगर राजनीतिक दृष्टिकोण का सोच नहीं होता और डा. राधाकृष्णन के नाम पर ही उनको नाम रखना था, बौद्धिक दृष्टिकोण से और एक हिन्दुस्तान के शीर्ष शिक्षाविद् के नाम पर तो उनको अवसर था। बिना नाम बदले राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम वह डा. राधाकृष्णन के नाम से कर सकते थे। लेकिन राजनीतिक सोच के चलते, उनका सोच इस स्थान पर, अगर वह काम में लें, मेरा सुझाव है, ज्यादा उपयोगी होगा।

अच्छा हो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं कलाम शिक्षाविद् हैं, साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी को कर दें और अगर राजनीतिक कारणों से नाम पर किसी न किसी प्रकार से अगर सोच में विशालता नहीं तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे महामहिम उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत हैं, आपके जीवन में और राजनीतिक जीवन में आपकी पार्टी को बहुत कुछ दिया है, जब आप नाम बदलना चाहते हैं राजीव गांधी का वह राधाकृष्णन रखना चाहते हैं आपको अवसर था इसका नाम राधाकृष्णन रख देते। अगर वह चांस गया तो मेरा आपसे सुझाव है कि हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति डा. कलाम के नाम पर कर दें। आपको यह भी नाम किन्हीं राजनीतिक कारणों से या कुछ दूसरे लोगों के दबाव के कारण से पसन्द नहीं है तो महामहिम उप राष्ट्रपति के नाम पर रख दें और महामहिम उप राष्ट्रपति ने आपके राजनीतिक जीवन में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है जिसकी बदौलत आप सदन में इस स्थान पर बैठे हैं। यह नाम तो अच्छा लग रहा है न ? इसमें कोई आपत्ति नहीं है ? यह मेरा सुझाव था, सुन लेते तो आप नहीं बोलते। तो इसलिये मेरा कहना यह है कि राजनैतिक दृष्टिकोण से किसी भी राजनीतिक नेता के नाम पर नाम रखकर उसको बदलना, यह एक उच्च स्तरीय मानसिकता का परिचायक नहीं है। अच्छा होता, आप इस यूनिवर्सिटी को उस नाम से करते। एक नयी दिशा, एक नया सोच, एक नया नाम बाद में भी आप बदलोगे, ढूंढ रहे होंगे, कोई दबाव डालेगा यह नाम रखो, कोई राजनीति से परेशान करेगा। अच्छा होता आप स्वयं अपनी तरफ से ही उप राष्ट्रपति का, और नाम पसंद नहीं था तो भैरोंसिंहजी शेखावत के नाम पर यह यूनिवर्सिटी कर देते। (व्यवधान) मैं तो सुझाव दे रहा हूं न, आप अभी भी तैयार नहीं हैं। मान लो आपकी बात अगर ये मान लें, मैं स्वयं सर्वसम्मति से स्वीकार करता हूं। मनवा लो, नहीं मान

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सकते हैं। ये चाहे गलत ही विधेयक रखें, चाहे कोई कितना ही अच्छा सुझाव दें इस सरकार की यह आदत रही है कि बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव हम यहां पर दें लेकिन बहुमत के बल पर उन सुझावों को एक तरफ रखकर उन सुझावों को टोकरी में डालकर अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और उसका हश्र वहीं होता है जो आपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 167 में हमारे सुझावों को नहीं माना और महामहिम राष्ट्रपति ने आपके उस विधेयक को वापस भेजा। मैं दूसरी बात आप से निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान) क्या ?

श्री सभापति : मैंने कुछ नहीं कहा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कान में कोई गड़बड़ होगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : कान में भले ही गड़बड़ हो, जबान में और दिमाग में नहीं होनी चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जबान में कहां बल हैं ?

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं कह रहा हूं न, कान में गड़बड़ चल जाएगी लेकिन जबान और दिमाग में नहीं होनी चाहिए।

श्री कनकमल कटारा : जो कुछ हो रहा है, वह यहां से हो रहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : जो कुछ वहां हो रहा है, वह मेरी वजह से हो रहा है, आप गलतफहमी में हैं।

इसी प्रकार मेरा आपसे निवेदन है और विनम्र प्रार्थना है कि बहुत गम्भीर सुझाव डा. सी.पी. जोशी ने दिये। वे एजुकेशन के हिसाब से एक्सपर्ट भी हैं हम उतने एक्सपर्ट नहीं हैं। हम उतने जानकार नहीं हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने सुझाव दिये हैं और जिस प्रकार का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसिल का और इन सब बातों को आपके सामने रखा है, अच्छा हो आप इन बातों पर गम्भीरता से विचार करके तत्काल इसको पास करवाने के बजाय उन सब बातों पर विचार करने के लिये जो भी आप उपयुक्त कदम समझें, चाहे वह जनमत के लिए परिचालित करने के नाम से हो, चाहे सलेक्ट कमेटी के नाम से हो, चाहे आप अपने स्तर पर किसी भी

(श्री हरिमोहन शर्मा)

नाम से हो आप और हम इस पर गम्भीरता से विचार करके और विचार करने के लिये अवसर दें तो उससे राजस्थान का हित होगा।

आपने आर्डिनेन्स निकाला। क्या आवश्यकता थी ? बिल आप अब पेश कर रहो हो। आर्डिनेन्स निकालने के बाद इतनी जल्दी क्या थी कि आपने 22 सितम्बर को आर्डिनेन्स निकाला। बिल आप आज पेश कर रहे हो। कौनसी ऐसी आवश्यकता थी ? हमारी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी नवम्बर में विधान सभा बुलाने की। 22 सितम्बर को आपने निकाला, क्या उपयोगिता थी ? नवम्बर में आप विधान सभा बुला लेते तो इस 6 महीने के आखिरी दिन के लिये आपको भी दौड़-भाग नहीं करनी पड़ती। और यह आर्डिनेन्स भी नहीं निकालना पड़ता। इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। हर संस्था और सरकार चाहे कोई भी हो, राजनीतिक लाभ उठाने का दृष्टिकोण अलग रखती है। काम हो या नहीं हो, लेकिन साल भर पहले घोषणा कर दो कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और करो साल के अन्त में। तो इसलिये आपने सोचा नगरपालिकाओं के चुनाव थे, पंचायती राज के थे। आपने सोचा उपलब्धि गिनाएं और इसलिये आर्डिनेन्स निकालकर के और आपने कहा कि हम राजस्थान में इस प्रकार की यूनिवर्सिटी का गठन कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय घनश्यामजी, शिक्षा मंत्रीजी से, आप उच्च शिक्षा के मंत्री हैं। आपने जो बजट प्रोविजन किये, वे आपके सामने हैं। आपको याद है कि आप टोटल एजुकेशन पर यूनिवर्सिटीज में आपने टोटल बजट का केवल 41.34 प्रतिशत अब तक खर्च किया है। और संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो आप संस्कृत के विद्वानों का जगह-जगह सम्मान करके, दुपट्टे ओढ़ाकर के उनके तिलक लगाकर के माला पहनाकर के बहुत अच्छे ढंग से संस्कृत के नाम पर प्रचार-प्रसार आप कर रहे हैं, आपका खर्च है 4.19 प्रतिशत। आपने 4 प्रतिशत खर्च किया है संस्कृत यूनिवर्सिटी पर और दूसरी यूनिवर्सिटीज को आप देखें तो 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है। तो इस प्रकार बजट प्रोविजंस कर देने से और उसका समय पर उपयोग नहीं करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यूनिवर्सिटी आप बनायें लेकिन इफेक्टिव रूप से उसका इम्पलीमेंटेशन हो। बजट के प्रोविजंस का उपयोग हो। अधिक से अधिक आदमियों को उसकी सहायता मिले। आपने करीब इसके जो आब्जेक्ट निर्धारित किये हैं, उसमें बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखा

(श्री हरिमोहन शर्मा)

है। आब्जेक्ट्स जो आपने इसके किये हैं उनको आपने 13 भागों में बांटकर अलग-अलग आब्जेक्टस, जिसमें पर्यावरण भी है, मेडिकल एण्ड हैल्थ का भी है और दूसरे भी, ट्रेनिंग का भी है, टीचर्स की ट्रेनिंग का भी है, मेडिकल एजुकेशन का भी है और रिसर्च का भी है। सारे आब्जेक्ट्स आपने इसमें लिखे हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने आपसे पहले पूछा था कि राजस्थान में मेडिकल कालेजज हैं, प्राइवेट मेडिकल कालेजज हैं। मैंने आपसे लिखित में प्रश्न किया था कि यह जो प्राइवेट मेडिकल कालेज हैं, ये लड़कों से मनमाने ढंग से केपिटेशन फीस वसूल करते हैं। उसका जवाब आपने दिया था। न तो राजस्थान सरकार के पास कोई जानकारी है और न किसी ने हमको शिकायत की है। नतीजा क्या निकला कि कितनी बड़ी जानकारी आयी कि जो प्राइवेट मेडिकल कालेज चल रहे थे वह लाखों रुपये केपिटेशन फीस के नाम से वसूल कर रहे थे। आपका जवाब तो यह था कि नहीं, यह नहीं है। और पुलिस विभाग और पुलिस विभाग के गृह मंत्रीजी का जवाब यह था कि इस बारे में कार्यवाही करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया। पर इस प्रकार जो मेडिकल कालेज और दूसरी चीजें हैं, यह यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद इस प्रकार केपिटेशन फीस जो मानो आप करते, चाहे कानूनी दायरे में आप कितने ही बना दें, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई सा भी डाइरेक्शन हो जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेन्ट कितनी विजिलेंट हो जाए लेकिन इसके बावजूद भी जो चुपचाप तरीके से केपिटेशन फीस जो वसूल की जाती है, इसको प्रभावकारी ढंग से रोकने में आप और सरकार विफल रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने घोषणा की थी और फैसले किये थे कि आप स्थानान्तरण जो भी करेंगे, वह नीति बनाकर करेंगे। विधान सभा के सत्र में आपने घोषणा की थी। बहुत विस्तार से घोषणा की थी कि यह सरकार बिना नीति बनाये किसी भी प्राध्यापक का स्थानान्तरण नहीं करेगी। (व्यवधान) प्राध्यापक नहीं कहा था तो क्या कहा था आपने ? (व्यवधान) मतलब यह समझें कि प्राध्यापकों के मामले में बिना नीति बनाये, ऊल-जलूल ढंग से ही यह सरकार, शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा मंत्री काम करेंगे तो फिर गलत नहीं समझें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी मर्जी आये जो समझ लें। मैं समझा दूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : मर्जी आये, जिसका सवाल नहीं है। आप कहते हो हमने प्रध्यापकों के लिये शिक्षा नीति की बात नहीं की। अगर आपका दृष्टिकोण, सरकार का दृष्टिकोण यही है कि प्राध्यापकों के लिये मनमाने ढंग से, राजनीतिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पाटी के कार्यालय में बैठकर, प्रार्थना-पत्र लेकर प्रशासन का राजनीतिकरण करते हुए अगर स्थानान्तरण करेंगे तो मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री गुलाबचंद कटारिया : बिल पर बोलिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : बिल पर ही तो है न, प्राध्यापक। प्राध्यापक नहीं है क्या बिल में ?

श्री तगाराम चौधरी : आज 5 साल पहले तो एम.एल.ए. कह देते थे फ्लां का स्थानान्तरण हो जाना चाहिए, वह आदेश था। (व्यवधान) यह नीति थी आपकी और आप सिद्धान्त की बात कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तगारामजी, बैठें।

हरिमोहनजी, बिल अगर पढ़ा नहीं हो तो मैं कुछ लिखा हुआ अपके पास भेजूं ? कुछ भेज दूं ? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : बिल तो आ गया, मेरी बात सुन लें।

आप यहां नहीं विराज रहे थे, मैंने पहले ही कह दिया, जिस पर माननीय मोदीजी ने एतराज किया था कि बौद्धिक दृष्टिकोण से बातों को अपने ढंग से तार्किक रूप से प्रस्तुत करने में शिक्षा मंत्री का कोई सानी नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया यह। फर्स्ट लाइन ही मेरी यह थी, शुरूआत में। आप नहीं थे। अगर आप मेरी वह पहली लाइन सुन लेते तो यह बात मुझे नहीं कहते। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं साचकर, उद्दश्य जो आपके हैं उसका स्वागत करते हैं लेकिन जिस प्रकार से वैधानिक परिवर्तन की वर्तमान इस 21वीं सदी में यूनिवर्सिटी के प्रारूप की आवश्यकता है, अगर इस दृष्टिकोण के हिसाब से आप और हम देखें तो उसके

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हिसाब से हमको तैयारी करके करना चाहिए। तब तक इसको पास नहीं करना चाहिए बल्कि इसको जनमत के लिये परिचालित कर देना चाहिए।

श्री सभापति : डा. चन्द्रशेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधयेक, 2005 मैंने यह निवेदन किया था, मैंने जो चिट्ठी लिखकर दी कि इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

सबसे पहले मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले एक साल में वर्तमान सरकार ने जो भी महत्वपूर्ण निर्णय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित लिये और उनकी परिणति आगे आने वाले एक या दो साल में जनता को देखनी पड़ेगी या भुगतनी पड़ेगी। अगर उन्होंने इसके बारे में एक जनमत ले लिया होता मेडिकल स्टूडेंट्स का, मेडिकल टीचर्स का, फैकल्टी मैम्बर्स का तो यह हालत दूसरे होते क्योंकि देखिये आप जब मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अपने वहां पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेडिकल कालेज में अण्डर ग्रेजुएट्स एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट्स, पहला मुद्दा जो है उनको अच्छी एजुकेशन देना है। आज मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो आज विदेश के विभिन्न शहरों के अन्दर लगे हुए हैं, वे राजस्थान का, जयपुर का और एस.एम.एस. मेडिकल कालेज का नाम रोशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहां टीचिंग फैकल्टी अच्छी है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह विधान सभा में भी कर रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप क्यों परेशान हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं-नहीं, मैं राजी हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मुझे ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं परेशान होता ही नहीं। मुझे आदत नहीं है। मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं कि आपके पिताजी ने मुझे विधान सभा में एक सर्टिफिकेट दिया था, वह मेरे पास है इसलिए मुझे दूसरे की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यह बहुत अच्छा लड़का है, यह सर्टिफिकेट है।

श्री महीपाल मदेरणा : नये जमाने का नया सर्टिफिकेट लो, पुराना हो गया वह।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह सदन की टेबल पर रखो, हम देखना चाहेंगे उसको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसको मैं सदन के पटल पर रख दूंगा। वह माननीय मदेरणा साहब का भी था और माननीय चन्दमलजी साहब का भी था इसलिए आप दोनों की तो मेरे साथ वैसे ही हो गयी। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : लेकिन आप सर्टिफिकेट लेने में माहिर हैं, भले ही सर्टिफिकेट देने वाले बाद में पश्चाताप करें। (व्यवधान)

डा. चन्दशेखर बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह का जनमत अगर पहले ले लिया होता तो पिछले एक साल के अन्दर कोई दुःखदायी निर्णय आपको नहीं लेना पड़ता। आप एक चीज को मानकर चलिये कि जो मेडिकल कालेज से सम्बन्धित चिकित्सालय है उनका पहला कर्तव्य, उनका पहला दायित्व अच्छे मेडिकल स्टूडेंट्स और अच्छे मेडिकल टीचर्स को डवलप करना है, जिससे कि वे देश में अपना नाम रोशन करे। अब देखिये, गुंजल साहब ने एक बात कही, सबसे पहले मैं उसको कॉण्ट्राडिक्ट कर लूं। उन्होंने यह कहा कि यहां से जो मरीज हैं वह आस-पास के राज्यों में इलाज कराने जाते हैं। जबकि इससे बात बिलकुल उल्टी है। बाहर के पड़ोसी राज्यों के काफी लोग हजारों की तादाद में यहां पर बड़े-बड़े चिकित्सकों के नाम सुनकर यहां चिकित्सा सुविधाओं को देखकर हरियाणा, पंजाब और यहां तक कि जो दिल्ली से लगा हुआ एरिया है वहां के लोग भी यहां आते हैं इसलिए आते हैं कि डाक्टर अच्छे हैं, सुविधाएं अच्छी हैं और सस्ती मेडिकल सुविधाएं जितनी राजस्थान में उपलब्ध हैं, उतनी देश के किसी कोने में उपलब्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल : कई सारी बीमारियों का इलाज कराने के लिए आज भी हमको दूसरे प्रान्त में जाना पड़ता है। दिल्ली, बम्बई की तरफ झांकना पड़ता है। आप बता दें मुझे। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद : देखिये, जैसा माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने यह कहा था कि कल मेडिकल बिल आ रहा है, आप चाहे जो उसके ऊपर बोलना। सबसे पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह निर्णय लिया कि साहब, कॉमर्शियल और एकेडेमिक एक्टिविटी में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जहां पर एकेडेमिक एक्टिविटी होती है वहां पर कॉमर्शियल एटीट्यूट आप नहीं रख सकते क्योंकि अगर वहां कॉमर्शियल एटीट्यूट रखेंगे, चाहे नुकसान हो, कॉमर्शियली आपको लीजिए, लेकिन एकेडेमिक्स में आपको ऊपर रखना पड़ेगा तभी इसकी जो यूनिवर्सिटी है या मेडिकल कालेज है, उसकी आस्था आने वाले समय में डवलप होगी। मैं अभी भी आपको यह कहता हूं कि आप आगे आने वाले समय में देख लेना कि यह जो निर्णय लिया गया है प्राइवेटाइजेशन का, यह अनुचित है। चाहे आप इसको अभी सही मानें लेकिन मेरे विचार से यह सही नहीं है और आगे यह दूसरे मेडिकल कालेजेज में आप देखिये कि 472 करोड़ रुपये अन्तरराष्ट्रीय मॉनिटरिंग फण्ड से आपके पास आये, वे यह कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप सीटी स्केन मशीन लगाओ तो जब वहां सरकारी अस्पताल में अपने सीटी स्केन मशीन लगाने की सोच रहे हैं तो इतने बड़े अस्पताल में अगर अपने ही लगा दी होती यह मशीन तो कितना अच्छा रहता। खैर, इस बात को छोडिये आप। वह इतना ही मेरे को कहना था। मेरा विचार था, मेरे दर्द था इस चीज का कि एकेडेमिक्स अगर कहीं कम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि मैं भी वहां पर रहा हूं, मेरे को भी तकलीफ होती है इसलिए यह निवेदन करना उचित था। आप देखिये, आप यह बिल लेकर आये। आज पिछले 15 साल में मेडिकल साइंसेज के अन्दर जितना एडवांसमैन्ट राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय लेवल पर हुआ है उतना उसके पहले 50 साल के अन्दर नहीं हुआ। क्या यह उचित नहीं रहता कि आप जब पहली बार उच्च शिक्षा मंत्री बने, आपका सबसे पहला निर्णय यह था कि डॉक्टर पी. पी. एस. माथुर को एस.एम.एस. मेडिकल हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट बना दिया जाए। मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि वे इतने अच्छे चिकित्सक हैं और गरीब के लिए उनके दिल में दर्द है। उचित यह होता कि इस तरह के किसी मेडिकल टीचर को आप विदेश में भेजते। आज देखिये इंग्लैण्ड में, अमरीका में मेडिकल एजुकेशन का पूरा सिस्टम

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

रिवोल्यूशनाइज हो गया है क्योंकि इतनी टेक्नोलोजी एडवांस हो गयी पिछले 15 साल के अन्दर कि आप शरीर के हर हिस्से का, हर तरीके से इतना अच्छी तरह से पीपिंग कर सकते हैं। अच्छा यह होता कि वे दूसरी यूनिवर्सिटीज देखकर आते। यहां इंग्लैण्ड और अमरीका में किस तरह से चल रही है। कैसे-कैसे नये-नये सब्जेक्ट्स उसके अन्दर आ रहे हैं। कैसे-कैसे नये सब्जैक्ट्स का कॉम्बिनेशन उसके अन्दर हो रहा है क्योंकि आप यह देखिये कि अगर यूनिवर्सिटी के अन्दर दकियानूसी तरीके से वहीं 10 या 12 मेडिकल सब्जैक्ट्स वहां पढ़ाने का तरीका, वही एग्जाम लेने का तरीका, वही मेडिकल टीचर्स सलेक्ट करने का तरीका अगर यही चलता रहेगा तो हम दुनिया की दौड़ में काफी पिछड़ जाएंगे। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करें और इस तरह के अनुभवी चिकित्सकों को और टीचर्स को आप एक विदेश यात्रा पर भेजें बाकी इतने सारे लोग सरकारी लवाजमे के विदेश यात्रा पर जाते हैं और वापस आकर किसी दूसरे डिपार्टमेन्ट में फिट हो जाते हैं। उनका लाभ नहीं मिल पाता है पर यह लोग कहीं भागकर जाने वाले नहीं हैं। यह मेडिकल कालेज से सम्बन्धित है, यह और कही नहीं जा सकते। तो यह जाए और जाकर देखकर आये और यूनिवर्सिटी को देखें और मालूम पड़े, आज आप देखिये कि हर यूनिवर्सिटी में इतने अलग-अलग तरह के सब्जैक्ट्स के कॉम्बिनैशन शुरू हो गये हैं क्योंकि 20 साल पहले सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के अन्दर कोई अच्छी स्पेशलिटी नहीं थी, अब देखिये आप धीरे-धीरे ग्रो करते-करते इतनी सारी स्पेशलिटी डवलप हो गयी। इस स्पेशलिटी का अब इण्टरएक्शन भी शुरू हो गया। एक आदमी जो यूरोलॉजी के अन्दर खाली स्टोन किडनी में तोड़ने का काम करता है तो वह वही काम करता है वह प्रोस्टेड नहीं निकालता तो इस तरह के कॉम्बिनैशन ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकते हैं अगर इस तरह का अनुभव हम किसी दूसरे देशों से प्राप्त करें जो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है।

आप देखिये कि जो आज की तारीख में मेडिकल कालेज के अन्दर टीचर्स की और मेडिकल स्टूडेंट्स की तकलीफ है और उनकी आत्मा में घुसकर देखा जाए तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि उनकी आज क्या तकलीफ है।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

उनकी तकलीफ यह है कि जैसे एस.एम.एस. मेडिकल कालेज है या दूसरे मेडिकल कालेज हैं, उनके अन्दर जो ब्यूरोक्रेटिक क्लचेज हैं उनको कमजोर किया जाए और जो प्रोफेशनल कॉम्पीटेंट लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आगे लाया जाए। आज समझ लीजिए कि कोई हैल्थ सैक्रेटरी बनता है आज है और छह महीने के बाद दूसरे आ जाएंगे। उनको यह समझने में समय लगता है कि हाउस सर्जन क्या होता है, इण्टर्नशिप क्या होता है, फ्लानां क्या होता है, तो प्रोफेशनली कॉम्पीटेंट लोगों को अगर आप सैक्रेटरी बनायें। प्रोफेशनल कॉम्पीटेंट लोगों को मेडिकल कालेजेज में ऐसे ओहदा पर रखें कि यहां वह हर चीज करने में सक्षम हो और एम्पावर्ड हो फाइनैंशियली भी, तब ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। एक छोटा सा उदाहरण आपको पेश करता हूं। आज कोई मेडिकल स्टूडेंट या कोई डाक्टर छोटा सा प्रिंसिपल या मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना नहीं मानता तो क्या कर सकते हैं वह उसका ? जब तक हैल्थ सैक्रेटरी या समझ लीजिए कि मिनिस्टर से उनको, मिनिस्टर को तो छोड़ दीजिए आप, हैल्थ सैक्रेटरी या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर उसके अच्छे सम्पर्क हैं तो आप लोग उनका कुछ नहीं कर सकते तो यह कैसे डिसीप्लीन मैनटेन करेंगे तो मेरा विनम्र निवेदन यह है कि कुछ इस तरह की चीजें उसके अन्दर इनकारपोरेट करना जरूरी है जहां सर्व-सर्वा प्रोफेशनली कॉम्पीटेंट लोगों का हो और ब्यूरोक्रेटिक क्लचेज जो धीरे-धीरे कालेजेज पर बढ़ती जा रही है उसका ह्रास हो। देखिये आज 80 परसेन्ट लोग गांवों में निवास करते हैं। अब गांव में रहने वाले लोगों को किस तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी से या इस तरह के मेडिकल कालेज से चिकित्सा सुविधा के अन्दर किस तरह लाभ मिले, यह भी सोच रखना बहुत जरूरी है।

सी.पी. जोशी साहब ने एक वर्ड मेंशन किया "टेली-मेडिसन"। "टेली-मेडिसन" को आप दोनों तरफ से लिंक कर सकते हैं। आप यहां के मेडिकल कालेज को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से लिंक कर सकते हैं और यहां के मेडिकल कालेज और टीचिंग फैकल्टी को रूरल लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल हैं, उनसे भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि आज टेली-कम्युनिकेशन के अन्दर जितना एडवांसमेन्ट हुआ है उतना किसी दूसरे फील्ड में नहीं हुआ। आप ई.सी.जी. चूरू में करके और टेली-मेडिसन द्वारा डाक्टर यहां पर उसको देख

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सकता है। मेरा यह निवेदन है कि इस तरह की चीज जिसके अन्दर इसका लाभ रूरल एरिया को भी मिले, क्योंकि यह सारी चीजें इन-इफेक्टिव हो जाती हैं, अगर रूरल के 80 प्रतिशत लोगों को आप इसके लाभ का भागीदार नहीं बना सके। इसके लाभ का भागीदार उनको भी बनाना बहुत जरूरी है।

आज आप यह देखिये, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ मेडिकल सिस्टम अगर कोई है तो वह रूरल एरिया के अन्दर है। क्यों है वहां पर ? क्योंकि वहां के लिये कोई फण्ड ही अवेलेबल नहीं है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज हम बी.पी.एल. की बात करते हैं। बी.पी.एल. में हम यह कहते हैं कि रूरल एरिया के अन्दर बी.पी.एल. को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और मेरे ही एक अतारांकित सवाल के जवाब में यह आया है कि रूरल एरिया में जो राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी बनी हुई है उनका बजट ऐसा कर दिया गया है कि उसका 25 प्रतिशत लाभ बी.पी.एल. परिवारों को मिले। तो 90 प्रतिशत राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी तो डिफंक्ट पड़ी हैं। आज आप बता दीजिये चूरू से आये हुए मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं कि बी.पी.एल. कार्डधारक को चूरू हॉस्पिटल के अन्दर या चूरू के किसी प्राइमरी हैल्थ सेंटर के अन्दर या तारानगर के किसी प्राइमरी हैल्थ सेंटर के अन्दर कोई जांच की सुविधा उपलब्ध है ? नहीं। कोई दवाई उपलब्ध है ? नहीं। तो इस का लाभ जब तक रूरल एरिया को नहीं मिलेगा तब तक इसका औचित्य ही डिफिट हो जायेगा। आप एक एण्ड पर तो खूब एडवांसमेन्ट कर लो और दूसरे एण्ड के लोग बिलकुल डिपराइव हो मेडिकल फैसिलिटी से, यह भी अनुचित है।

देखिये, आज जो मेडिकल कालेजेज हैं उनके अन्दर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहां कोई रीयल रिसर्च नाम की चीज नहीं है। तो रिसर्च बिंग को डवलप करना बहुत जरूरी है। आप यह देखिये राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर आजकल जो आन्दोलन चल रहा है आर. एण्ड डी. का और यहां तक लोगों ने इसको कम्पलसरी कर दिया है कि आपको जितना भी लाभ प्राप्त होता है किसी बड़ी कम्पनी के अन्दर, उसका 25-30 प्रतिशत हिस्सा आर. एण्ड डी. के अन्दर खर्च होना चाहिये। जब तक रिसर्च का काम किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के अन्दर नहीं होगा तो जो टीचर्स या मेडिकल स्टूडेन्ट

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

डवलप होंगे उनके वह रिसर्च लेटीट्यूड ही नहीं आयेगा। मेरा यह निवेदन है कि इसमें आपके जो फाइनेंशल आउट-लुक है उसके अन्दर रिसर्च विंग को ज्यादा स्ट्रेन्थ किया जाये और भी मेडिकल फैकल्टी के पीछे इसको आप सलेक्ट करना चाहते हैं उसमें इस तरह का सलेक्शन क्राइटेरिया रखा जाये जिसमें रिसर्च विंग में या रिसर्च पेपर्स के अन्दर या जो रीयल रिसर्च करके आते हैं इनको ज्यादा लाभ मिल सके।

मेडिकल कालेज के अगर आप टीचर्स को देखें तो ब्रोडली उसको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हैं क्लिनिकल और नोन-क्लिनिकल। क्लिनिकल पार्ट वह है जो रोजमर्रा मरीजों को भी देखता है, रिसर्च भी करता है, इण्डोर आउट-डोर केयर भी करता है, इमरजेंसी केयर भी करता है। और नोन क्लिनिकल विंग वह है जो एनेटोमी, फिजियोलॉजी इस तरह के सब्जैक्ट पढ़ाता है। जिसको कि मरीज की देखभाल से कोई वास्ता नहीं है। आज सबसे ज्यादा उपेक्षित सैक्शन मेडिकल टीचर्स का अगर कोई है तो वह नोन क्लिनिकल सैक्शन है। क्लिनिकल सैक्शन वाला तो प्रेक्टिस करके भी अपनी रोजी-रोटी कमा लेता है। लेकिन नोन क्लिनिकल पार्ट वाला उपेक्षित है। उसके प्रमोशन एवेन्यूज भी नहीं हैं। उसको प्रेक्टिस करने के साधन भी उपलब्ध नहीं है और उसकी हालत एक यूनिवर्सिटी में काम करने वाले टीचर से भी बदतर है। उनकी सुविधाओं में सुधार करना और उनको उचित लाभ देना भी अत्यावश्यक है।

एग्जामिनेशन की जो मैथडोलोजी है, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा जो सबसे पहले मैंने बात कही। एग्जामिनेशन की मैथडोलोजी को चेंज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्टरनेशनल लेवल पर जो एग्जामिनेशन की मैथडोलोजी है, जो तौर-तरीका है वह बिलकुल चेंज हो चुका है। आप इस चीज का अनुमान इससे लगा सकते हैं कि आज कोई स्टूडेन्ट अगर एम.डी. या एम.एस. करता है तो उसके चार साल की पढ़ाई का अवलोकन सिर्फ पांच या छह घण्टे में करके उसको एम.एस. की डिग्री मिल जाती है क्यों ? जबकि दुनिया में इस तरह का सिस्टम और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो एग्जामिनेशन

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

का सिस्टम भी चेंज करना जरूरी है जिससे कि हम इन्टरनेशनल लेवल की रूचि रखेंगे तभी उनके लेवल पर आ पायेंगे, नहीं तो नहीं आ पायेंगे।

आप देखिये, आज दुनिया के किसी भी मेडिकल कालेज में जाकर देख लीजिये। यहां जो मेडिकल टीचर्स काम करते हैं उनके प्रमोशन एवेन्यूज क्यों हैं ? उनका उत्साह कैसे बना रहेगा ? आज जो टीचर्स हैं वह 15-15, 20-20 साल से एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं क्यों ? यह बैकलॉग जब तक खतम नहीं होगा, प्रोपर स्कीम नहीं बनेगी आपकी कि हर पांच या सात साल के अन्दर इनका प्रमोशन होना चाहिये। अब चाहे आप पे-स्केल उसकी वही रख दें क्योंकि डॉक्टर पे-स्केल का भूखा नहीं होता है। डॉक्टर भूखा इस चीज का होता है कि उसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है। एक असिसटेन्ट प्रोफेसर के आगे अगर 20 साल तक असिसटेन्ट प्रोफेसर लिखा रहे तो उसके लिये डूब मरने वाली बात है और उसके आगे टाइम बाउण्ड प्रमोशन होकर अगर प्रोफेसर लिख दिया जाये 15 साल के बाद तो वह खुश है। चाहे आप तनख्वाह उसको उतनी ही देते रहें।

स्टूडेन्ट की फी का मामला मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो मेडिकल स्टूडेन्ट है। इस तरह की यूनिवर्सिटी के बाद में एक बहुत स्ट्रिक्ट फार्मूला डवलप करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ? आधे सैशन के बीच में आप गांव से आने वाले किसी स्टूडेन्ट को यह कहो कि महीने में तेरे पचास हजार लगते थे अब तो तेरे 75 हजार रूपये लगेंगे तो वह सर्वथा अनुचित है। वह यह कहते हैं। मेरे पास भी आये कई स्टूडेन्ट। वह यह कहते हैं कि हमको अगर यह जानकारी होती कि इतना पैसा लगेगा तो शायद हम मेडिकल कालेज में एडमिशन ही नहीं लेते। या सैशन के शुरू में हमें यह बता दिया जाता तो हम उस हिसाब से अपना फ्यूचर प्लान करते. फीस का जो स्ट्रक्चर है it should be very strict structure. और सैशन के बीच में उसको चेंज नहीं किया जाना चाहिये।

यह कुछ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, जो देखता हूं और जिसके बारे में मेरे यह विचार हैं कि अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, मैं आपसे यह आशा करता हूं, क्योंकि मैं आपका बड़ा आदर करता हूं और सम्मान करता हूं और जो सर्टिफिकेट आपको मिला है वही सर्टिफिकेट मैं आपसे वापस मेरे पास

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

लेना चाहता हूं इसलिये आप यूनिवर्सिटी बनायें तो एक बार इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करें जिससे कि और विचार इसके अन्दर इनकारपोरेट हो और विश्व स्तर की यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जिससे आपका भी नाम हो, प्रदेश का भी नाम हो। इसमें पढ़ने वाले लोगों का भी नाम हो और यह एक अल्ट्रा मॉडर्न यूनिवर्सिटी बने।

डा. दिगम्बर सिंह : भ्रमण वाला आइडिया बहुत अच्छा था, क्योंकि अपना दोनों का नम्बर तो आयेगा ही आयेगा। आप वह तो करा लीजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा : आप दोनों घूम आओगे तो हमको कौन पूछेगा ?

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपने मेरे को समय दिया। इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं यह निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री सभापति : श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005....

श्री सभापति : थोड़ा कृपया लम्बा नहीं बोलें। उन सुझावों का रिपीटेशन नहीं हो जो सुझाव पहले आ चुके हैं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : सभापति महोदय, आपके आदेश की पालना और नियम के अन्दर काम करूंगा। मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेडिकल विश्वविद्यालय खोलने का सरकार ने एक मानस बनाया है। यह राजस्थान के लिये बहुत बड़े गौरव की बात है जिसकी बहुत पहले से जरूरत थी और बहुत पहले से इस पर विचार किया जाना चाहिये था। लेकिन सरकार ने मेडिकल विश्वविद्यालय खोलने का जो विचार किया वह राजस्थान के हितों के लिये बहुत अच्छा रहा। इस सम्बन्ध में मैं मेरे कुछ संशोधन प्रस्ताव निवेदन करना चाहता हूं और माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं कि वह इन संशोधनों को अपने जवाब में शामिल करते हुए सदन को आश्वस्त करेंगे। जहां तक राजस्थान में चिकित्सा

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

सुविधाओं का सवाल है अभी आदरणीय वैद साहब बोल रहे थे और मैं भी उम्मीद इस बात के लिये करता हूं कि राजस्थान के अन्दर जयपुर में जो सवाईमानसिंह चिकित्सालय इस वक्त कार्यरत है वह हिन्दुस्तान में चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आप में एक अनुकरणीय स्थान रखता है।

चिकित्सा सस्ती और अच्छी हो इसके लिए राजस्थान में जयपुर का एस.एम.एस. अस्पताल बहुत ही अपने आप में मायने रखता है। कई मायने में मैंने खुद देखा है, यहां पर 45 और 50 हजार रुपये में हार्ट की सर्जरी हो सकती है जिसके लिए बाहर जाकर दो-दो, ढाई-ढाई, तीन-तीन लाख रुपये लोगों को खर्च करने पड़ते हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर हमारे यहां बनती है और उसके अधीन यह सारे, जितने भी मेडिकल कालेजेज हैं, वह जब काम करेंगे तो निश्चित ही और नये आयाम यहां पर स्थापित हो पायेंगे।

चिकित्सा सेवा से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, चाहे वह डाक्टर की डिग्री से लेकर पैरामेडिकल स्टॉफ और वार्ड ब्वाय की डिग्री है, मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन सारे विभागों को इस यूनिवर्सिटी के अधीन लाकर इनके गवर्निंग करने की भी व्यवस्था और इनके ट्रेनिंग करने की भी व्यवस्था अगर इसी के तहत की जाए तो मैं समझता हूं कि वह प्रदेश के और जनहित में होगा।

इस यूनिवर्सिटी से यह तो निश्चित है कि चिकित्सा के नये आयाम स्थापित होंगे लेकिन साथ-साथ मेरा निवेदन यह है कि चिकित्सा उच्च गुणवत्ता की हो, जो इसमें अध्ययन करेंगे, जो डाक्टर बनेंगे उनके लिए ग्लोबलाइजेशन के तहत संसार में किस प्रकार से चिकित्सा का कार्य किया जा रहा है, वह सब उच्च गुणवत्ता के साथ अगर उनकी शिक्षा यहां देने का पूरा प्रावधान किया जाए तो मैं समझता हूं हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय अपना एक अच्छा स्थान प्राप्त कर पायेगा। पहले से ही राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जो डिग्रियां दी जा रही हैं हिन्दुस्तान में उनकी बड़ी मान्यता है और मैं समझता हूं कि मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापित हो जाने के बाद निश्चित ही पूरे संसार के अन्दर हम इस बात के लिए अपना एक नाम दे पायेंगे।

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

एक सबसे बड़ी बात इस बात की हो पायेगी कि जितने भी मेडिकल कालेजेज हैं, चाहे वो प्राइवेट हों और चाहे गवर्नमेन्ट के अधीन चलने वाले हों, कुछ समय से उसमें व्यवधान सुनने में आ रहा था। छात्रों में एडमिशन लेने के बाद जिस प्रकार से बीच में फीस और उसकी बातें उठीं, मैनेजमेन्ट और उनके बीच में व्यवधान हुआ, मैं समझता हूं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी आने के बाद और जो गवर्निंग कमेटी बनेगी उसमें बनाये गये नियमों के तहत अगर वह गवर्न की जायेगी तो इस प्रकार की जो दिक्कतें आ रही हैं, जो छात्रों के लिए सत्र के बीच में इस प्रकार की परेशानियां आ रही हैं उस पर नियन्त्रण हो सकेगा।

एक सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि इसमें जो मुख्य पद हैं उन मुख्य पदों पर टैक्निकल लोगों को नियुक्त किया जायेगा तो मैं समझता हूं वह जनहित में होगा। टैक्निकल आदमी उस परिस्थिति को समझ सकता है कि किस इंस्ट्रूमेन्ट की जरूरत है, मैनेजमेन्ट में किस तरह की जरूरत पड़ेगी, लैब टैक्निशियन की क्या जरूरत है, लैब में क्या काम करना है या किसी भी सब्जैक्ट पर अध्ययन करने के लिए किन-किन बातों की आवश्यकता है। टैक्निकल आदमी इस पर विशेष तौर पर ध्यान दे पायेगा और मैं मानता हूं कि आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी अपने इसमें यह सुझाव सम्मिलित करेंगे।

श्री सभापति : प्लीज समाप्त करें।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : सभापति महोदय, मेरे तीन-चार सुझाव हैं, कोई बहुत लम्बा मैं नहीं बोलना चाहता। निश्चित रूप से आपके आदेशों की पालना करूंगा।

श्री सभापति : दे दीजिए, दे दीजिए।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : जैसा विदेशों में और पूरे संसार में चल रहा है एडवांसमेन्ट मेडिकल साइंसेज, इस बात की बहुत जरूरत है। पुराना ढर्रा हमें बदलना पड़ेगा, पुरानी व्यवस्थाएं हमें बदलनी पड़ेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक जो किया जा रहा था बहुत अच्छी तरह से था लेकिन अगर अपन केवल इसी ढर्रे के आधार पर चलते रहेंगे तो मैं समझता हूं अच्छे

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

चिकित्सक हम तैयार नहीं कर पायेंगे। जब तक अच्छे चिकित्सक तैयार नहीं कर पायेंगे, हमारा प्रदेश 80 प्रतिशत ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण क्षेत्र में जब तक अच्छे चिकित्सक जाकर चिकित्सा सेवा नहीं दे पायेंगे तो मैं समझता हूं, प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता के साथ न्याय नहीं हो पायेगा। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि एडवांस टैक्नोलौजी पूरे संसार में जिस प्रकार से दी जा रही है, उन सबका अध्ययन करके और हमारी इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में दी जायेगी तो मैं समझता हूं बहुत ही अच्छे चिकित्सक हम तैयार कर पायेंगे।

मेडिकल सिस्टम को नये सिरे से इसके लिए हमें डिफाइन करने की जरूरत है। पुरानी बातें हैं, बहुत समय निकल गया और जब से लेकर हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है और जो इसकी शिक्षा का रास्ता रहा है उसमें जो सिस्टम पुराना रहा है उसको अब बदलने की आवश्यकता है। एक तरफ हम टेली-मेडिसंन की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर हम पुराने सिस्टम पर चलेंगे तो निश्चित ही हमारे चिकित्सक पिछड़ते चले जायेंगे और दुनिया में, पूरे देश के अन्दर जो उनको स्थान मिलना चाहिए वह नहीं मिल पायेगा।

राजस्थान में चिकित्सा सुविधा सस्ती हो और अच्छी हो और उसका लाभ ग्रामीण स्तर तक पहुंचे। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण स्तर के सभी चिकित्सालयों को सीधे इस विश्वविद्यालय से जोड़ने की सरकार व्यवस्था करती है तो मैं समझता हूं ग्रामीण परिवेश में रहने वाले आम आदमी को भी उच्च टैक्नोलॉजी की चिकित्सा मिल पायेगी।

सभापति महोदय, एम.बी.बी.एस. की डिग्री जब राजस्थान में दी जाती है उसकी मान्यता है और वह अपने आप में एक गर्व की बात है और यहां से तैयार हुए चिकित्सक पूरे हिन्दुस्तान में जिस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद यह सारे चिकित्सक पूरे संसार के अन्दर अपना नाम स्थापित कर पायेंगे और बाहर के लोग भी राजस्थान में आज भी मेडिकल कालेजेज में पढ़ने के लिए आते हैं, यहां से एम.बी.बी.एस. करके जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि अन्य प्रदेशों के बहुत सारे लोग यहां पर आकर के चिकित्सक की डिग्री प्राप्त कर पायेंगे।

श्री सभापति : रिपीटिशन नहीं, कृपया।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तीन माह के परिचालन के लिए अपने इस संशोधन विधेयक को पेश किया था, मैं उसको वापस लेते हुए केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने रखे हैं, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी अपने जवाब में उनको शामिल करके और इन संशोधन को शामिल करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ मैं इसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 जो इस सदन के विचारार्थ है, जिस पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने आर्डिनेन्स जारी किया और उस आर्डिनेन्स की जगह एक बिल के रूप में आया है, इस पर कुछ बात कहूंगा।

क्योंकि यह सही है कि सरकार की मंशा है कि स्वास्थ्य विज्ञान में नयी-नयी जो भी चिकित्सा सुविधाएं हम इन-इन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से राज्य की जनता को उपलब्ध करा सकें। यह मंशा ठीक है, अच्छी है लेकिन, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तरह-तरह की चिकित्सा सुविधाएं न-सिर्फ अपने देश में प्रान्त में उपलब्ध हैं। हमने इसलिए संशोधन दिया है कि आप इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ लोग, विद्वान लोग या जनप्रतिनिधि आपको सुझाव दे सकें कि जब आप इस तरह की विश्वविद्यालयों की स्थापना करने जा रहे हैं तो ऐसी कोई कमी नहीं रह जाए कि आगे फिर आपको बार-बार संशोधन लाना पड़े।

मैं जो बातें इस सदन में कही गयी हैं, उन को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, मैं यह निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि जैसे हमारे यहां संस्कृत विश्वविद्यालय खुला, बड़ी अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं जिन लोगों ने भी खोला है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की भी बात आयी, वह भी बधाई के पात्र हैं लेकिन यूनानी पद्धति की जो चिकित्सा सुविधा है वह भी एक महत्वपूर्ण

(श्री जुबेर खान)

चिकित्सा सुविधा यहां रही है। मंत्री महोदय, मैं यह नहीं कहूंगा, सरकार कोई भी रही हो लेकिन पिछले पांच-दस सालों से यूनानी चिकित्सा को क्यों नजरअंदाज किया गया है और इसकी उपेक्षा की गयी है। अब यहां 1995 के बाद में आज तक यूनानी की डी.पी.सी. नहीं की गयी जबकि अन्य चिकित्सा चाहे वह एलोपैथी का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे कोई सी चिकित्सा सुविधाएं हों, आप समय-समय पर डी.पी.सी. करते रहे हैं, नियुक्तियां करते रहे हैं, इसमें 1995 के बाद आज तक नहीं हुई है, और भानोत कमेटी ने जो सिफारिश की थी कि इसमें कौन-कौन से पद जोड़े जाएं, क्या सुविधा है, क्योंकि डी.पी.सी. नहीं हो रही थी, उनको भी लागू नहीं किया जा रहा। मेरा निवेदन है कि यह जो यूनानी चिकित्सा पद्धति है, इसको आगे ज़िन्दा रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए।

अब यह तो हो नहीं सकता कि यूनानी पद्धति इसमें तो 'यूनान' का नाम जुड़ा हुआ है, तो एलोपैथी भी कहीं और से आई है इसलिए इसके भी महाविद्यालय खोलने में क्यों नहीं सरकार आगे आती? जैसे आयुर्वेद के महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आपने खोले, उसी प्रकार यूनानी का भी एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की आप घोषणा करें कि हम यूनानी पद्धति को भी जिन्दा रखना चाहते हैं। इसका अपना महत्व है। इसको भी हमको देखना चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रहा था।

दूसरा, हर बार देखा जाता है कि बजट जब भी प्रस्तुत किया जाता है उनमें रखा जाता है इतने सब सेण्टर खोले जाएंगे, इतने आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाएंगे, इतने यूनानी, पहली बात तो पहले ही बहुत कम की घोषणा होती है और घोषणा के बाद भी वितीय स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से वह खुल नहीं पाते हैं। यहां सदन में बजट भाषण में घोषणा भी हो जाती है फाइनैन्स मिनिस्टर यह कह भी देते हैं लेकिन कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी का चाहे लगा लो, चाहे सरकार की इच्छा शक्ति लगा लो उतना इस यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए हो नहीं पा रहा जितना होना चाहिए। तो आप यह भी देखें जो सरकार बजट लाए उसमें यूनानी डिस्पैंसरीज को खोलने का भी कोई न कोई प्रावधान रखे और जो प्रावधान करे उसमें भी ऐसा नहीं हो कि फाइनैन्स डिपार्टमेन्ट की

(श्री जुबेर खान)

फाइनैन्स स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से जो खुलने चाहिए वह नहीं खुल पाए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

एक मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पैंशनर्स को और सरकारी कर्मचारियों को कि आप एलोपैथी से इलाज करा सकते हैं, आप आयुर्वेद से करा सकते हैं, होम्योपैथी से करा सकते हैं तो आप क्लाज यूनानी का भी डाल दो। अगर कोई आदमी यूनानी से अपना इलाज कराता है तो उसको भी रिएम्बर्समैन्ट का हक होना चाहिए। जब आपने यह तीन डाल रखे हैं तो उसको भी डालिए। यह मेरा आपसे निवेदन था क्योंकि आपने यह 12-5-1998 में राज्य सरकार का एक आदेश निकाला है जिसमें कहा गया है राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5(वित्त)नियम/98 दिनांक 12-12-1998 द्वारा पेंशनर/फैमिली पेंशनर को आयुर्वेद/एलोपैथी/होम्योपैथी विधा के उपचार का विकल्प दिया गया है तो आप इसमें यूनानी को भी जुड़वा दीजिए तो मन बड़ा रखिये और आप ऐसी चीजों से करिये जिसकी वजह से यह नहीं लगे कि सरकार कोई पर्टिकूलर क्षेत्र के या पर्टिकूलर उपचार को इग्नोर करना चाहती है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपके यूनानी दवाखानों में राजकीय रसायनशालाओं से जो दवाइयां जाती हैं, यूनानी में नहीं जाती जबकि अन्य औषधालयों में जाती हैं तो आप इसकी भी व्यवस्था करवाइये। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि यूनानी पद्धति के ऊपर भी आप इस चिकित्सा के ऊपर भी ध्यान दीजिए और इसमें भी कम से कम यह चिकित्सा जिंदा रहे और आगे बढ़े।

एक निवेदन मेरा यह है कि आप चाहे कितने मेडिकल कालेज खोल लीजिए, विश्वविद्यालय खोल लीजिए आप तरह-तरह के और भी कर लीजिए लेकिन जब तक जो ग्राम में ग्रामीण आदमी बैठा है और खास तौर से जिला मुख्यालय से साठ सत्तर किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट के बार्डर पर इंटीरियर में बैठा है उसको जब तक आप चिकित्सा सुविधा नहीं दिला पाएंगे तब तक मैं मानता हूं कि सरकार अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा पाएगी। न यह सरकार, न यह सदन निभा पाएगा। आज होता क्या है आर.पी.एस.सी. के थ्रू सलेक्शन होता है।

(श्री जुबेर खान)

सरकार की भी मंशा होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जाएं लेकिन दबाव इतना रहता है जन प्रतिनिधियों का और इन्फ्लुएंस वाले लोगों का कि जा नहीं पाते हैं। आप इसमें यह प्रावधान कीजिए कि आदमी को, अपने किया भी है कि पांच साल बाहर करना पड़ेगा। ग्रामीण एरिया नगरपरिषद के बाहर से शुरू होता है। अब जिले के बोर्डर गांव तक में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज हालत क्या है डिस्पैंसरीज बन्द पड़ी हैं, कोई जाता नहीं है, डाक्टर कहीं जाते नहीं हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि गाइनोकोलोजिस्ट की तो आपके सिटी से अगर तीस किलोमीटर दूर भी आप पोस्टिंग कर देंगे तो भी वहां कोई जाता नहीं है। रिजाइन देना पंसद कर लेते हैं लेकिन वहां नहीं जा पाते हैं तो कोई न कोई व्यवस्था ऐसी की जाए ग्रामीण क्षेत्र में वहां अत्यन्त आवश्यक है, बड़े शहरों में तो प्राइवेट नर्सिंग होम भी हैं और भी सुविधाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जब तक आप चिकित्सा की सुविधा को ठीक नहीं करेंगे तब तक मैं मानता हूं हम अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन मैंने किया है कि आप इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें सुझाव आ सकें और आपके लिए लाभकारी हो सकें। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज बिल, 2005 सदन में आज प्रस्तुत हो रहा है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि हैल्थ साइंसेज बिल यह केवल एलोपैथी चिकित्सा तक सीमित न रहे। इसमें अन्य जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां है, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, योगा एण्ड मेडिटेश्न, जो हमारी भारतीय संस्कृति की मूल धारणा है कि- ''प्रिवेंशन इज बैटर देन क्योर', यह सब चीजें यहां उसमें इन्क्लूड कर ली जाती हैं तो वास्तव में यह राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज बिल राजस्थान के इतिहास में, हैल्थ साइंसेज के इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा।

किन्तु जैसा मुझे मालूम चला, इसमें केवल एलोपैथी के ऊपर ही

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

ज्यादा जोर दिया गया है और उन्हीं डैंटल, मेडिकल और विभिन्न कालेज को इसमें खोला जाएगा उसकी सारी विषय पद्धति को इसमें शामिल किया जाएगा। मेरा यह अनुरोध है कि बीस करोड़ रुपये, आप इसके फाइनैन्स आस्पैक्टस में देखिये, बीस करोड़ आप इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए दे रहे हैं। इतना बड़ा अमाउण्ट दे रहे हैं और एक करोड़ रूपया प्रतिवर्ष इसके रेकरिंग एक्सपेंसेज के लिए राजस्थान सरकार दे रही है। तो मैं समझता हूं कि इन चिकित्सा पद्धतियों पर भी यदि कुछ पैसा खर्च हो जाए, उनके विषय में भी यदि रिसर्च एण्ड डवलपमैन्ट के प्रोग्राम हो जाएं, उनका भी अच्छा सिलेबस हो जाए और हमारे विद्वान शिक्षा मंत्री तो इस विषय में बहुत एक्सपर्ट हैं। खुद भी योगा मेडिटेशन करते हैं। खुद भी विभिन्न प्रकार की वैकल्पिक पद्धतियों में विश्वास रखते हैं और हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी सभी मन्त्रियों की बाबा रामदेवजी की क्लास लगाई थी तो आखिर सिस्टमैटिक ढंग से उनका भी सिलेबस एक होना चाहिए। यह चिकित्सा पद्धति भी एक बहुत अच्छी पद्धति है, निश्चित रूप से उसके भी टीचर्स हों, उनको भी अच्छे वेतन-भत्ते मिलें, उनको भी अच्छी सुविधाएं मिलें, उनका भी एक सिलेबस हो, इस यूनिवर्सिटी के आधार पर उसमें मान्यता प्राप्त लोग पढ़कर निकलकर चिकित्सा पद्धति पर विचार-विमर्श कर सकें जिससे लोग बीमार ही नहीं पड़ें।

मैं अब राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज बिल, 2005 में कहना चाहूंगा कि सैक्शन-2 में आपने एफीलिएटेड कालेजेज के लिए प्रावधान किया है कि एफीलिएटेड कालेज इसमें बनेंगे लेकिन एफीलिएटेड कालेज को मान्यता देने के जो पावर्स हैं वह सैक्शन-5 में हैं, सैक्शन-5 में कहीं भी जो पावर्स एण्ड ड्यूटीज आप यूनिवर्सिटी दे रहे हैं उसमें कही भी एफीलिएटेड कालेज को मान्यता देने के सम्बन्ध में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। आप जरा इसे गम्भीरतापूर्वक देख लें। मैंने अधिकारियों से भी बातचीत की है। इस विषय में उन्होंने कहा सैक्शन-6 में इस प्रकार की पावर हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सैक्शन-6 में इस प्रकार की कोई पावर है। यदि कोई एफीलिएटेड कालेज इस यूनिवर्सिटी से सम्बन्ध रखना चाहता है तो आपके इस एक्ट में सैक्शन-5 में उसे निश्चित रूप से डालना होगा और उसे पावर देनी होगी।

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

मेरा यह अनुरोध है कि आप इस विषय के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। या तो इसमें अमेंडमैन्ट लाएं या इसको अभी जनमत जानने के लिए परिचालित करके उसमें डालें। दूसरी बात यह है दी आब्जेक्ट आफी दी यूनिवर्सिटी, उसमें आपने सैक्शन-4 में 'ए' से 'एम' तक, मैं दुबारा दोहराना नहीं चाहता सारी चीजों को दिया है। हॉस्पिटल के लिए दिया है, नर्सिंग ट्रेनिंग सैण्टर के लिए दिया है, टेली-मेडिसन डिपार्टमेन्ट के लिए दिया है, एन्वायर्समैण्ट पोल्यूशन कण्ट्रोल इंस्टीट्यूशन के लिए दिया है। बहुत सारी धाराएं, विधाएं जो आज के आधुनिक मेडिकल साइंसेज की हैं, आधुनिक विज्ञान की हैं वह सब आपने दी हैं, जेनेरिक थेरेपी दी है, मोसल आफ बायोलॉजी दी है, बॉयो इन्फॉर्मेटिक दी है, ट्रान्सपरेशन को दिया है, बायो टैक्नोलॉली दी है। लेकिन बहुत सारी चीजें, अभी माननीय जोशी जी बोल रहे थे और डाक्टर साहब भी बोल रहे थे। बहुत सारी चीजें आज इसमें रह गयी हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और यदि वहीं होंगी तो बिल का जो हमार उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। मैं कुछ स्पेसिफिक बात चैप्टर 2.4 में आब्जेक्टस आफ यूनिवर्सिटी में यह बात एड करना चाहता हूं टू डवलप न्यूक्लियर मेडिसन के बारे में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। वह तो आब्जेक्टस आफ यूनिवर्सिटी में निश्चित रूप से, टू डवलप स्पोर्टर्स मेडिसन, स्पोर्टस में बहुत मेडिसिन हैं, उसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं चाहता हूं कि उसका भी आब्जेक्ट में से दिया जाये। टू डवलप जेनेरिक मेडिसन ओल्ड एज के लिए जेनेरिक मेडिसन के बारे में काफी दवाइयां और काफी कोर्सेज हैं, काफी सिलेबस हैं। लोग उसमें जाना चाहते हैं। आप इस चीज को भी आब्जेक्ट में शामिल करें अन्यथा यह यूनिवर्सिटी का बिल अधूरा रहेगा। चौथा है डवलप पैरा-मेडिकल कोर्सेज, दो सौ तरह के पैरा-मेडिकल कोर्सेज चलते हैं। जैसा अभी चन्द्रशेखर जी बता रहे थे। देश और विदेश में विभिन्न प्रकार के अंग-प्रत्यंगों के लिए एक-एक प्रकार के शोध और विभिन्न प्रकार के सिलेबस हैं। दो सौ प्रकार के पैरा-मेडिकल कोर्सेज चलते हैं मैं समझता हूं कि उसको भी शामिल किये बिना यह एक्ट अधूरा रहेगा। मेरा एक सुझाव और है, "to develop a centre for research, propagation and awareness for the national health pro-

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

grammes and state health programmes." हैल्थ प्रोग्राम के लिए पैसा जो मिलता है वह नेशनल हैल्थ प्रोग्राम, वह स्टेट हैल्थ प्रोग्राम के तहत विभिन्न प्रकार की चीजों से मिलता है। यदि उनके प्रोग्राम को और सिलेबस को इस यूनिवर्सिटी के बिल में हमने शामिल नहीं किया तो हो सकता है हम उस धनराशि से वंचित हो जायें। यदि उनको शामिल कर लिया जायेगा तो यूनिवर्सिटी को उस प्रकार की धनराशि और सहायता राशि मिलने की सम्भावना काफी है।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं सैक्शन-22 पर आ रहा हूं जिसमें बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट की बात की है। बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट में चेयरमैन वाइस चांसलर होगा, एक्स आफसियल मैम्बर सैक्रेटरी, फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट होगा, सैक्रेटरी गवर्नमेन्ट से होगा। मेडिकल एजुकेशन के साथ रजिस्ट्रार, आफ यूनिवर्सिटी होगा। नोमिनेटेड मैम्बर्स, इसमें आपने लिखा है कि एजुकेशनिस्ट, two eminent educationists. कौन से होंगे तो इसमें स्पेसिफिक आप दिखायें। शिक्षाविद् कोई भी हो सकता है, एक्सपर्ट इन दी मेडिकल फील्ड और 22 के सैक्शन 'सी' में और 'एफ' में आपने दो-दो एमीनेंट एजुकेशनिस्ट का प्रावधान किया है। टीचिंग फील्ड वाले और जो एक्सपर्ट हैं, डाक्टर्स हैं, मान लीजिए डाक्टर धारकर रिटायर होते हैं, उनको हम लेना चाहते हैं एजुकेशनिस्ट के नाते उनका नाम शायद नहीं आये लेकिन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट आफ डाक्टर एण्ड एक्सपर्ट इन मेडिकल फील्ड, उनको हम इसके क्षेत्र में ला सकते हैं। उनकी सेवाओं को दे सकते हैं। इस प्रकार से इस मेडिकल हैल्थ यूनिवर्सिटी को बनाने का जो परपज है वह हमारा सफल नहीं होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इलेक्टेड मैम्बर्स में आपने दो टीचर्स को जो यूनिवर्सिटी और कालेज से हैं उनको इलेक्टेड करने का प्रावधान किया है।

श्री सभापति : नो रिपीटिशन प्लीज, रिपीटिशन नहीं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सारी नियुक्तियां यही कर रहे हैं। फिर मंत्रीजी क्या करेंगे।

श्री मोहनलाल गुप्ता : एक्ट में होगा न यह।

श्री अशोक बैरवा : सारी पोस्टिंग आप ही कर रहे हैं। आपने ही नाम सुझा दिया। आप ही पोस्टिंग दे देंगे तो फिर मंत्री महोदय क्या करेंगे ?

श्री मोहनलाल गुप्ता : मैं एक्ट की बता रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मोहनलाल गुप्ता : एक्ट में यदि प्रावधान नहीं होगा तो फिर वह.....(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : आप नाम मत सुझायें....(व्यवधान) सारी पोस्टिंग आप ही मत करें। सरकार पर भी छोड़ें।

एक माननीय सदस्य : कभी सुनना भी सीखें.......(व्यवधान)

श्री सभापति : आप कहां बीच में आ गये ? माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री मोहनलाल गुप्ता : एक्ट में यदि प्रावधान नहीं होगा तो इस प्रकार की विसंगतियां आ जाएंगी। कोई भी व्यक्ति जान-पहचान से या किसी प्रकार से यहां अपोइंट होकर के इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के बिल की जो भावना है उसके विपरीत अपोइंट होकर के उस भावना के विपरीत कर सकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नो रिपिटेशन।

श्री मोहनलाल गुप्ता : सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं। हमारे साथी कालीचरण सर्राफ भी स्टूडेंट लीडर रहे हैं। हमारे राजेन्द्र सिंह राठौड़ भी रहे हैं, वासुदेव देवनानी भी रहे हैं, घनश्यामजी तिवाड़ी भी रहे हैं, मैं भी स्टूडेंट लीडर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पूरे बिल में स्टूडेंट लीडर्स का कोई भी प्रावधान नहीं रखा। आप स्टूडेंट लीडर्स हों या जो स्वर्ण पदक प्राप्त स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस बोर्ड में और मैनेजमेन्ट में रखने का प्रावधान रखें तो बहुत उचित रहेगा।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो गुप्ताजी के नाम का प्रोविजन कर दें कि गुप्ताजी रहेंगे इसमें।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा : कहां पहुंच गये हैं, वह कहां गये हैं उनका ध्यान कर लेना। उनका अपोइंटमेन्ट कर देना।

श्री मोहनलाल गुप्ता : यदि इस बिल में इस प्रकार के प्रावधान नहीं होंगे तो यह बिल भावना के अनुरूप नहीं रहेगा। जिस भावना के अनुरूप आप इसको लाना चाहते हैं। उसी के साथ-साथ आपने 22, 11 (ई) में एक्स-आफशियल मैम्बर डायरेक्टरेट आफ मेडिकल एजुकेशन रखा है। अब डायरेक्टरेट आफ मेडिकल एजुकेशन की तो कोई पोस्ट है नहीं, कोई बनी नहीं है। उसको आपने रख दिया है तो पहले आप पोस्ट क्रिएट करें। उसके बाद रखेंगे तो यह जो बिल है और यह जो संविधान है वह अधूरा रह जायेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो वाइस चांसलर की नियुक्ति है उसके सम्बन्ध में सी.पी. जोशी साहब ने बोल दिया मैं नहीं कहूंगा लेकिन रजिस्ट्रार और फाइनेन्सियल कंट्रोलर जो इस यूनिवर्सिटी में होगा। मुझे याद है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में तनख्वाहें काफी दिन तक चुकी नहीं थी। राजस्थान विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार की पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति कंट्रोलर नहीं था। इस कारण से बहुत सारी अव्यवस्था राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई। हॉस्पिटल मैनेजमेन्ट के लोग, मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट लोग केवल आई.ए.एस. और आर.ए.एस. आफसर्स के भरोसे हम सरकार को नहीं चला सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी को नहीं चला सकते हैं। हमें कुछ एक्सपर्ट लोगों को इसमें डालना होगा और उसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं जोशीजी की बात को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन रजिस्ट्रार और फाइनेन्सियल कंट्रोलर सी.ए. होने चाहिए। आपने फाइनेन्सियल कंट्रोलर की बात कही है। राजस्थान सरकार किसी भी चीफ अकाउंट आफसर के लेवल के व्यक्ति या उससे ऊपर लेवल के व्यक्ति को यहां अकाउंट्स आफसर लगा देगी और करोड़ों रूपयों का फाइनेन्स वहां रखेगा तो बहुत सारी अनियमितताएं हो सकती हैं, सरकारी फाइलें चलेंगी। अमेंडमैन्ट करके आप क्वालिफाइड सी.ए. को फाइनेन्स कंट्रोलर लगायें। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से यह जो बिल आप लाये हैं, उसका स्वागत है, उसका सम्मान है लेकिन साथ ही साथ माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप इस बिल को, मैंने चूंकि जनमत जानने के लिए मेरा प्रस्ताव दिया था, उसे मैं वापस लेता हूं, लेकिन यदि आप मान लें

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

मेरा सुझाव, हालांकि जनमत के लिए मानेंगे नहीं। फिर भी मैं वापस लेता हूं और इस मेडिकल यूनिवर्सिटी हैल्थ साइंसेज के बिल का स्वागत करते हुए, सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे...(व्यवधान) थर्ड रीडिंग में बुला लेंगे। थर्ड रीडिंग पर बोल लेना....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (उच्च शिक्षा मंत्री) : पारित पर बोल लेना.... (व्यवधान)

श्री सभापति : थर्ड रीडिंग पर बोल लेना.....(व्यवधान) प्रभारी मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विधेयक, 2005 के जनमत जानने के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं वह कोई भी नकारात्मक नहीं हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रकार का सुझाव नहीं है कि जिसके बारे में चर्चा नहीं की जाये। सभी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं यह भी मानता हूं कि कोई भी कानून जब बनता है तो अपने आप में उस दिन परिपूर्ण नहीं होता है, कई बातें रह जाती हैं, कोशिश करते हैं परिपूर्ण बनाने की लेकिन समय-समय पर सबमें कुछ न कुछ संशोधन करने ही पड़ते हैं। जहां तक राजस्थान में मेडिकल शिक्षा का सवाल है "स्वास्थ्य" शब्द का प्रयोग इसलिए है, मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसा जोशीजी ने इंगित किया था। यह स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है और इसकी आवश्यकता भी इसलिए थी कि बार-बार भारत सरकार द्वारा 1994 में जो कमेटी गठित की गई थी, उसने बार-बार सभी राज्य सरकारों को लिखा कि इस प्रकार का विश्वविद्यालय बनना चाहिए। इसकी आवश्यकता थी, आवश्यकता से कोई मना नहीं करता।

मेरे एक बहुत समालोचक मित्र हैं सी.पी. जोशीजी और दूसरे हैं "प्रतिवादी भयंकर", हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य हरिमोहनजी। उनके लिए "प्रतिवादी भयंकर" उपाधि ठीक है। इसका अर्थ समझो, तो उन्होंने भी जो बहुत सकारात्मक सुझाव दिए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन दो-तीन बातों की आपने चर्चा की है उन पर मैं निवेदन करना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहूंगा....। (व्यवधान) मोहनलालजी गुप्ता का नाम भी लूंगा क्योंकि मुझे जयपुर में रहना है, आप ऐसी क्या बात करते हो ? (व्यवधान) ज़ुबेर खानजी ने कहा है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : आप कैसे बने रह सकते हो उस कला में माहिर हो, कहो ही मत, मोहनलालजी से नाराजगी नहीं लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलो ठीक है। आपकी बात भी मान लेते हैं। (व्यवधान) कल्लाजी और मेरे तो बहुत पुराने सम्बन्ध हैं, वह मैंने पहले कह दिया थां, हम साथ-साथ आए थे दोनों।

मैं निवेदन कर रहा था कि इसमें जो उद्देश्य दिया हुआ है बिल में उसमें बहुत स्पष्ट है। स्वास्थ्य विज्ञान के लिए हमने जो बात कही है...।

श्री सभापति : कल्लाजी अभी थर्ड रीडिंग पर बोलेंगे माननीय मंत्रीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, बोल लेंगे।

यह स्वास्थ्य विज्ञान केन्द्र है तो इसके उद्देश्य में साफ-साफ लिखा है- "आयुर्विज्ञान और दंत विज्ञान में ज्ञान का प्रसार और अभिवर्द्धन करना और उसमें दक्ष और व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करना। विद्यमान संस्थाओं को उन्नत करके बहुउद्देशीय अतिविशेषज्ञीय अस्पताल और ट्रोमा केन्द्र के लिए उपलबन्ध करना और उन्हें उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित करना। अपने अस्पतालों में रोगियों का उपचार करना। परिचर्या प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना। पुनर्वास और कृत्रिम अंग केन्द्र, जयपुर, विकृति विज्ञान प्रयोगशालाओं, निदान केन्द्रों और रक्त बैंकों को सम्मिलित करते हुए अस्पतालों का प्रशासन, प्रबन्ध और नियन्त्रण करना। दूर-चिकित्सा विभाग स्थापित करना। प्रजनन और जनसंख्या नियन्त्रण अनुसन्धान संस्थान का विकास करना। आनुवंशिकी विज्ञान विभाग का विकास करना। पर्यावरण और प्रदूषण नियन्त्रण संस्थान का विकास करना। रक्त संचारण आयुर्विज्ञान का विकास करना। पोषण अनुसन्धान केन्द्र का विकास करना। जीन-थैरेपी, अणु जीव विज्ञान, रोबोट शल्य क्रिया, जैव सूचना विज्ञान,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अंग प्रत्यारोपण, जैव-प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान और नैदानिक महामारी विज्ञान और आयुर्विज्ञान और दंत विज्ञान में अन्य सुविधाओं का विकास करना और अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र स्थापित करना।"

इसलिए माननीय जोशीजी, जो बात आपने सर्वप्रथम उठाई, यह मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है इसीलिए इसके उद्देश्यों में इन सब बातों का एक-एक करके स्पष्टीकरण दिया गया है।

सभापति महोदय, आप सब जानते हैं कि आज जितनी तरक्की, उन्नति मेडिकल साइन्स में हो रही है और जितने-जितने प्रकार स्वास्थ्य के बारे में इसमें आ रहे हैं, वह आज के जमाने में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कल्ला साहब मुझे ठीक कर देंगे, पहले हमारे यह था,

"धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, आरोग्य मूल उत्तमम्"

लेकिन उससे आगे कहा है,

"शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्"

यह शरीर इसका माध्यम है, इसलिए सारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखें इसके नियम स्वास्थ्य विज्ञान में हैं, इसलिए इसका नाम स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रखा गया है।

इसके बारे में कई बातें उठाई गई जिनमें सबसे प्रमुख बात उठाई.....।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : इसको आप पढ़ लें। 'क' में आपने लिखा है, "आयुर्विज्ञान और दंत विज्ञान में ज्ञान का प्रसार और अभिवर्धन करना और उसमें दक्ष और व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसन्धान सुनिश्चित करना।" जिसको आप रेफर कर रहे हैं उसमें खाली डवलप करना है, उसमें टीचिंग वर्क नहीं है। डोंट कोरिलेट इट। आपने जो बाद में पढ़ा है-"जीन थैरेपी, आयुर्विज्ञान" इसमें आपने लिखा है-"में अन्य सुविधाओं का विकास करना।" दोनों अलग-अलग चीजें हैं। या तो इसको भी आपने यह जो चीजें बताई है। मैं कह रहा हूं कि इसमें आप यह वर्ड भी जोडिए, "शिक्षण,

अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसन्धान", तब तो आप जो कह रहे हैं वह बात इसमें परिलक्षित होगी। आप दोनों चीजों को कोरिलेट कर रहे हैं, यह अलग-अलग है। एक्सक्लूसिवली आपने लिखा है यहां पर, केवल मात्र आयुर्विज्ञान और दंत विज्ञान के सम्बन्ध में। शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान करना, इसके सम्बन्ध में आपने नहीं लिखा है, यह तो केवल आपके ज्ञान के लिए है बाकी आप जो कर रहे हैं, आपका उचित है लेकिन आप इसको देख लीजिए, यह दोनों डिस्टिन्कशन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं समझ गया आपकी बात। जो उद्देश्य हैं उनमें सारा स्पष्ट है इसलिए आपकी बात भी इसमें समाहित हो जाती है।

आपने दूसरी बात कही "ए फैकल्टी", आप बहुत विद्वान हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, मैं तो अंग्रेजी कम जानता हूं, आप इसको पूरी जानते हैं, "ए" शब्द संख्या को सूचित नहीं करता है। यह संख्या को सूचित नहीं करता है। यह ऑर्टिकल को सूचित करता है। जितनी फैकल्टी इसमें आएंगी, उन फैकल्टी को एक फैकल्टी मत लो।

डा. सी.पी. जोशी : पांच फैकल्टी के नाम आप बता दो मेडिकल की, आई विल बी हैप्पी।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : उससे क्या मतलब है ?

डा. सी.पी. जोशी : आप विद्वान हैं तो आप बताइए मेडिकल की फैकल्टी ? आप बता दीजिए पांच फैकल्टी के नाम ?

श्री तिष्णु मोदी : सभापति महोदय, पांच फैकल्टी का यूनिवर्सिटी के बिल से क्या सम्बन्ध है, आपका।

डा. सी.पी. जोशी : आप विश्वविद्यालय बना रहे हैं, आप फैकल्टी का नाम बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें। प्लीज टेक योर सीट। मंत्रीजी सक्षम हैं जवाब देने में, आप उनको जवाब देने दीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यहां पर सभी प्रोफेसर हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : क्या करें, कई प्रोफेसरों के बीच में यहा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं छात्र हूं और बाकी सब प्रोफेसर हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि संकायों की संरचना के बारे में सैक्शन-27 में साफ-साफ लिखा है, "विश्वविद्यालय में इतने संकाय होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्- संकाय का संकायाध्यक्ष-अध्यक्ष, संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य, संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष, संबद्ध महाविद्यालयों से, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य और संकाय के प्रत्येक विषय में एक स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष, विद्या-परिषद द्वारा नाम निर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।"

कुल मिलाकर फैकल्टी की इसमें पूरी संरचना की गई है इसलिए 'ए' फैकल्टी का मतलब यह नहीं है, फैकल्टी फिर कैसे बनेगी, यह सैक्शन-27 में साफ-साफ लिखा गया है, इसलिए यह बात पूर्ण हो जाती है। कई फैकल्टी है एनोटोमी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी, फिजियोथैरेपी, इनका वर्णन मैं यहां नहीं करना चाहता। (व्यवधान) एम.सी.आई. के बारे में आपने कहा....।

डा. सी.पी. जोशी : ठीक है, आप बोल लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी समझ ज्यादा है, मेरी समझ कम है।

डा. सी.पी. जोशी : आपको पास करना है, मुझे क्या सम्बन्ध है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं बता रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : बिल पास करना है। दीज आर द डिपार्टमेन्ट्स, फैकल्टी, और आप ऐसे क्या कर रहे हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह डिपार्टमेन्ट भी है और फैकल्टी भी है।

डा. सी.पी. जोशी : घनश्यामजी, कम से कम इतना तो अन्याय मत करिए। फैकल्टी और डिपार्टमेन्ट को एक कर दिया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। फैकल्टी का दूसरा नाम निकाल लेंगे।

डा. सी.पी. जोशी : कैसे निकाल लेंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कैसे निकाल लेंगे, नई परिभाषा कर रहे हैं और कैसे निकालेंगे ?

एम.सी.आई. के बारे में आपने बताया कि इसके बारे में इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। एम.सी.आई. का गठन केन्द्रीय अधिनियम द्वारा किया गया है तो सारे नियम विनियम उनके स्वतः ही इस पर लागू होंगे। इस एक्ट में कहीं भी एम.सी.आई. को नियम विनियम लागू होने से रोका नहीं गया है। वह एक रेगूलेटरी अथोरिटी है, उससे सारे देश के साइन्स एण्ड मेडिकल कालेजज का रेगूलेशन होता है, उसी हिसाब से हम चलेंगे, इसमें कोई मीन-मेख नहीं है।

वी.सी. की नियुक्ति के बारे में आपने कहा कि धारा-11 में इसका प्रावधान किया गया है।

मुझे कई बार तकलीफ होती है, मैं आलोचना और सुझावों का हमेशा स्वागत करता हूं लेकिन मैं जब बिल पेश करता हूं तो जो बात करता हूं वह ठीक है और मैं नहीं पेश करता और दूसरा पेश करता है तो वह गलत है। आपने जब कोटा और बीकानेर का पेश किया था उसमें यह की यह बात है, मैं पढ़ लेता हूं। कोटा यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का प्रावधान एक्ट में है जो 2003 में बनी थी।

डा. सी.पी. जोशी : आई एम वेरी सॉरी, आप रिलेवेंट पढ़ लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पढ़कर बनाया है।

डा. सी.पी. जोशी : कोटा में सैक्रेटरी बात दें मुझे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सैक्रेटरी नहीं कह रहा हूं, वी.सी. बता रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : आप क्या बातें कर रहे हैं ? घनश्यामजी, आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सभापति : आप विराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : यह बिल आप पेश कर रहे हैं या गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान पेश कर रही है ?

श्री सभापति : क्या कहना चाहते हैं ? जरा वे रिप्लाई पूरा कर दें उसके बाद आप पूछ लेना।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, इन्होंने 'मैं' पर बहुत जोर दिया। (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय ने 'मैं' पर बहुत जोर दिया कि जब आप कह रहे थे और 'मैं' जो कह रहा हूं। तो 'मैं' पर आप इतना जोर दे रहे हैं, आपकी सरकार पेश कर रही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं मेरे शब्द वापस लेता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : वो उस सरकार से इन्होंने पेश किया था, आप इस सरकार की तरफ से पेश कर रहे हैं। आपको 'मैं' पर इतना अहम क्यों है ? इतना अहम क्यों ला रहे हो ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसको कम कर लेता हूं मैं।

श्री रामनारायण चौधरी : इतना अहम मत लाओ।

डा. सी.पी. जोशी : घनश्यामजी, मैं काफी चाहता हूं मैं उस सरकार में मंत्री था, वो बिल मेरी पार्टी ने रखा है, फिर मैं कह रहा हूं आप फिर चैक कर लें। आई विल बी वेरी हैप्पी, सदन को यह बातें न कहें जो सही नहीं है। कोटा यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी में सैक्रेटरी का प्रोविजन नहीं है। आप कह रहे हैं वहां पर प्रोविजन है।

श्री विष्णु मोदी : ये तो वाइस चांसलर के लिए कह रहे हैं। अपाइंटमेन्ट आफ वाइस चांसलर।

डा. सी.पी. जोशी : विराजिए आप। मैं वही कह रहा हूं आप हरेक में मत उलझिए। वहां पर यू.जी.सी. नॉमिनी, स्टेट गवर्नमेन्ट नॉमिनी है और चांसलर नॉमिनी है। मेहरबानी करके वो बातें मुझसे न कहलाएं। सदन में आप कह रहे हैं मुझे इससे तकलीफ होती है। आप मेरे मित्र हैं कम से कम मेहरबानी करके सदन में अपडेट बातें कहें, आधी बातें न कहें। बाकी आपको बिल पास करना है, खोटा पास करना है, पास कर दीजिए, आपकी मेजोरिटी है। But don't tell like this. आपने बिल पास किया, मैं आपको फिर कह रहा हूं दोनों में सैक्रेटरी का कोई रोल नहीं है। आप आधी बात कर रहे हैं।

(डा. सी.पी. जोशी)

आप किसा को जोर से बोलकर बिठा सकते हैं पर आप सत्य बात को नहीं झुठला सकते। एज ए मिनिस्टर आपकी ड्यूटी थी, आपका सैक्रेटरी आपको फीड बैक दे रहा है तो अपडेट करते अपने आपको। आपने सदन में कह दिया कि हमने बिल रखा उसमें सैक्रेटरी है, बीकानेर व कोटा का नाम ले लिया आपने। आप जिम्मेदार मंत्री हैं, सीनियर मंत्री है, मुख्य मंत्री बनने की कल्पना कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं उसके बाद भी आप यह बातें कर रहे हैं। मेहरबानी करके आप पास कर दीजिए, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, पर खोटी बात मत कहिए। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप सुन लें। माननीय सभापति महोदय, हमारे जो मित्र हैं ये बहुत अच्छे मित्र हैं; लेकिन इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है इसलिए यह गुस्सा आने वाला सदगुण है इसको आप अगर कम कर लेंगे तो मैंने सैक्रेटरी के बारे में बात नहीं की, मैंने कहा कि वाइस चांसलर की नियुक्ति का प्रावधान कोटा विश्वविद्यालय में है, अजमेर विश्वविद्यालय में है। (व्यवधान) एक और नियुक्त कर दिया इसमें। दो सैक्रेटरी और बना दिये क्या दिक्कत है ?

डा. सी.पी. जोशी : घनश्यामजी, एक भी यूनिवर्सिटी में नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, मैंने रखा है इसमें जान-बूझकर।

श्री सभापति : जोशीजी, आप इतनी जल्दी बोलते हैं कि कई चीजें समझ में नहीं आती हैं।

डा. सी.पी. जोशी : मुझे बोलना ही नहीं है, जो घनश्यामजी कह रहे हैं उससे सहमति व्यक्त करनी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रथम वी.सी. की नियुक्ति पर 62 वर्ष की आयु का प्रावधान लागू नहीं होगा। यह धारा 16(6) में लिखा हुआ है। जब दूसरी बार नियुक्त किया जाएगा, जैसा मैंने कहा 62 साल का होने के बाद दूसरी बार उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसलिए 65 साल कह रहे थे वह इसमें लागू नहीं होता है। इस तरह का मैंने इसमें कहा है। इसी प्रकार से इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता राज्य में स्थित सभी मेडिकल और डेंटल कालेज

(घनश्याम तिवाड़ी)

पर लागू होगी, यह धारा 6 में है। यह कहना भी सरासर गलत होगा प्राइवेट कालेज इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं होंगे। कांस्टीट्यूएट कालेज का जहां तक सवाल है विश्वविद्यालय का विकास एक साथ नहीं होगा, विश्वविद्यालय का विकास क्रमगत रूप से होता है। आज मैं अगर यह बात कहूं कि एक बार हमने कोटा परीक्षा लेने के लिए विश्वविद्यालय बनाया, हमने बनाया विश्वविद्यालय। वी.सी.. बनाया। स्टाफ भी नहीं था, आवश्यकता थी, हमने बनाया। कैसे बनाया यह भी पता है। बीकानेर का बिल आया, फिर कोटा का बिल कैसे आया? अपन सबको पता है बीकानेर का नाम काटकर कोटा करके पेश किया। पता है अपने को। अपने को सारी बातों की जानकारी है, लेकिन इस विश्वविद्यालय का विकास इस प्रकार नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय को बनाने की जब कल्पना की है तो कल्पना करने के साथ-साथ 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और इसके लिए पहली बार प्रावधान हुआ। मैं आशा करता हूं कि हमने मांग की है और इस साल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से हमको कम से कम 5-7 करोड़ रुपये इसके लिए देंगी। हम आने वाले तीन वर्षों में 20 करोड़ रुपये खर्च कर इसका पूरा ढांचा खड़ा करेंगे।

सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय के लिए भी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा आपने आर्डिनेन्स इसलिए जारी कर दिया कि नगरपालिकाओं के चुनाव थे। नगरपालिका व नगर-निगमों के चुनाव के लिए जारी नहीं किया था। इस आर्डिनेन्स को जारी करने के बाद हमने 200 एकड़ जमीन इसके लिए लेने का प्रावधान किया है, जयपुर विकास प्राधिकरण को लिखा है। वो काम किया है। इसको करने के लिए हमने इसका प्रशासनिक भवन जो मनोरोग चिकित्सालय के सामने है, 25 हजार मीटर जमीन लेकर उसमें उसकी नींव लगायी है। हमने वी.सी. की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी कर दी थी, लेकिन आचार संहिता के कारण से वो काम नहीं हो सका। इसी प्रकार हमने इसमें और भी काम किये।

जहां तक वैद साहब आपने कहा था बाहर किसी डाक्टर को भेजें तो दो को भेजने की क्या जरूरत है। (व्यवधान) वैदजी, मैं आपको कह रहा हूं और आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बाहर भेजिए ताकि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जाकर वो देखकर आएं। तो दो लोगों को भेजने की जरूरत ही नहीं है। इनमें दोनों काम है, ये डाक्टर भी हैं और बैद भी हैं तो इनको ही भेज देते हैं। बाहर काम हो जाएगा और टू इन वन का काम हो जाएगा। तो दोनों फैकल्टीज का काम हो जाएगा। जैसा जोशीजी कह रहे थे। इसको बनाने के लिए हमने हमारी टीम भेजी, टीम गयी, कलकत्ता भी गयी, लखनऊ भी गई, कई स्थानों पर गई, टीम ने जाकर किया और जिन-जिन स्थानों पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हुई थी उन मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बिलों को भी देखा, उनकी फैकल्टी को भी देखा, उनके कामकाज को भी देखा और फिर राजस्थान की परिस्थिति के हिसाब से जो भी इसमें सुधार कर सकते थे वह हमने सुधार किया है।

मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। उदयपुर से भेदभाव करने का कोई आधार नहीं है। आज एफिलिएटेड कालेज जो बनते हैं और कांस्टीट्यूएट कालेज बनते हैं ज्यादातर हैडक्वार्टर पर, जो विश्वविद्यालय का हैडक्वार्टर है, वहां पर संघटक कालेज है, बाकी एफिलिएटेड है, लेकिन अभी पहले चक्र में किसी भी प्रकार से केवल सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज को संघटक कालेज बनाने का विचार नहीं है, अभी केवल हम प्रशासनिक रूप से इसका ढांचा तैयार करके दो साल के अन्तर्गत इसको सम्पूर्ण विकसित करेंगे, अनुसन्धान को विकसित करेंगे, इसमें होने वाले कामों को विकसित करेंगे। उसके बाद संघटक कालेज की स्थिति है उस पर विचार करके इसमें क्रमगत विकास किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि विषय विशेषज्ञ क्या है। दो एम.एल.एज. की नियुक्ति के बारे में आपने कहा कि उनमें सोचो कि कौन डाक्टर है और कौन वैद्य है। जन-प्रतिनिधि जो यहां पर आते हैं उसको विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। जन-प्रतिनिधि यहां पर इसलिए नहीं आता है कि वो बहुत बड़ा पहलवान है, वो इसलिए नहीं आता कि यहां पर बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, बहुत बड़ा साहित्यकार है या बहुत विषय का जानकार है। जन-प्रतिनिधि इसलिए आता है कि जो गांवों के लोग हैं जो उसके मतदाता हैं उनकी भावनाओं को वो विधान सभा में प्रकट कर सके इसके लिए वो जन-प्रतिनिधि है। हमारे में कौन है ऐसा ? क्या आवश्यकता है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इस बात की ? मैं नहीं मानता कि जन-प्रतिनिधि के लिए इस प्रकार की कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। इसलिए जब जन-प्रतिनिधियों की नियुक्ति की बात इस विश्वविद्यालय में की जाती है तो आम जनता की बात जो अभी सुभाष जी बोलते हुए कह रहे थे, जो गांव का आदमी है, गरीब आदमी है उसको क्या आवश्यकता है वो वहां जाकर बात बता सकेंगे। विषय विशेषज्ञ नौकरी पर मिलते हैं, काम करते हैं वो उसको बताएंगे। जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में है भारतीय प्रशानिक सेवा बनायी गयी है, चला रही है, उनके लोग जाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती। बी.ए. करने के बाद बनते हैं तो बनते हैं। यह परम्परा बनी हुई है तो उसका मैं क्या कर सकता हूं। बनते हैं काम भी करते हैं और प्रशासन का काम भी चलाते हैं और मैं तो यह भी कहने के लिए आज तैयार हूं कि हिन्दुस्तान के सारे विकास में ब्यूरोक्रेसी का अपना स्थान रहा है और उसका योगदान भी रहा है इसको हम नकार नहीं सकते। इसको भी हमको साथ मानकर चलना चाहिए। इसलिए ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति और जन-प्रतिनिधियों की नियुक्तियों के बारे में जो शंका की गई है उन शंकाओं के बारे में किसी प्रकार की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं तीन बात अलग-अलग की गई हैं। रजिस्ट्रार है, फाइनेंशियल मैनेजमेन्ट है और एग्जामिनेशन का कण्ट्रोल। एक आदमी की क्या आवश्यकता है? क्यों करेगा एक आदमी यह काम ? रजिस्ट्रार के बारे में जिस प्रकार की स्थिति कई बार सुनने को मिलती है, ठीक हो तो सुधारा जाना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एग्जामिनेशन का कंट्रोलर, आजकल सारा डवलपमेन्ट इस प्रकार का हो गया है, ई-मेल से सारा काम है, इस प्रकार की तकनीक शिक्षा आ गई है, तकनीकी काम हो गया है, अलग एक काम होता है उस प्रकार का परिपक्व समझदार आदमी परीक्षा कंट्रोलर के लिए चाहिए। इसलिए परीक्षा का इसमें अलग से विधान किया गया है।

इसी तरह से फाइनेंशियल मैंनेजमेन्ट के लिए अलग से (व्यवधान) पहले भी सब जगह है राजस्थान विश्वविद्यालय में एग्जामिनेशन का कंट्रोलर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अलग से है। इसलिए रजिस्ट्रार का महत्व कम करने का मतलब नहीं है. वो प्रशासनिक काम देखे। परीक्षा के बारे में कंट्रोलर अपना काम देखे और वित्तीय प्रबन्धन के बारे में वित्त विभाग से जुड़ा हुआ आदमी काम देखे। इसलिए इस एक्ट में इसका प्रावधान किया है। बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट जिस प्रकार से पहले अन्य विश्वविद्यालयों में अपने हैं, अभी मैं कोटा और बीकानेर का नाम लूंगा तो मेरे मित्र को शायद अच्छा नहीं लगेगा, जिस प्रकार से बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट है उसी से मिलता जुलता कुछ संशोधनों के साथ इसमें भी बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट हमने बनाया है। राज्य सरकार का नियन्त्रण धारा 35 और 36 में है और कोटा विश्वविद्यालय में जो सैक्शन 34 और 35 में किया गया है उसी प्रकार का नियन्त्रण किया गया है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि मेडिकल साइंस में मैं ज्यादा टेक्निकल आदमी तो हूं नहीं, मैं मेडिकल साइंस पढ़ा लिखा भी नहीं हूं लेकिन जिस प्रकार की मुझे सूचना है कि मेडिशंस में 13 विषय पढ़ाये जाते हैं जिसमें पैथेलोजी भी है, सर्जरी भी है। इन 13 ब्रांचेज को ही आगे सुपर स्पेशलिटीज होती है इसलिए इन सब का अलग से उद्देश्यों में अंकन की आवश्यकता नहीं है फिर भी नवीन ब्रांचेज का उल्लेख धारा 4(1) में किया गया है। निजी निवेश से स्थापित मशीनों पर भी अब जो दूसरा प्रश्न आज मेरे सामने पेश किया गया है।

श्री सभापति : इसमें, मंत्री महोदय, मैं भी एक बात कहना चाहूंगा। जैसे आपको जानकारी दी गई है कि फैकल्टी और डिपार्टमेन्ट ये दोनों अलग चीज होती हैं, आप जानकारी कर लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, संशोधन कर लेंगे अगर आपकी जानकारी सही है तो। हां, हां तो मैं इतना पढ़ा-लिखा भी नहीं हूं।

श्री सभापति : मैंने कहा है जानकारी कर लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, कर लेंगे जानकारी, जानकारी करके इसका करेंगे। सभापति महोदय, राजस्थान में इससे जो सम्बन्धित हो गये वह 28 महाविद्यालय हो गये। आज जो स्थिति है हमारी, ओ.पी.डी. में सम्पूर्ण

(घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान के मेडिकल कालेजेज में 49 लाख लोग आते हैं एक साल में, 6 लाख 20 हजार लोग इंडोर पेशेंट्स के रूप में इसमें शामिल होते हैं और ये सारे जो मिलाकर हैं वह चिकित्सा का बहुत बड़ा साधन है ये मेडिकल कालेज और इसलिए हमने तय किया था कि इस विश्वविद्यालय के साथ-साथ केवल विश्वविद्यालय बनाने से ही काम नहीं चलेगा, इस विश्वविद्यालय के साथ-साथ इन सभी मेडिकल कालेजों का जो राजस्थान के 6 मेडिकल कालेज हैं उनका ढांचा पहले मजबूत किया जाए, इस ढांचा मजबूती में हमने सबसे पहले सवाई मानसिंह हास्पिटल जो प्रमुख हमारा सेंटर है उस सेंटर को मजबूत करने का तय करके सौ करोड़ रुपये की योजना सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए हमने बनाई। उसको लागू करने का काम चालू कर दिया। आज यह योजना केवल कागज पर नहीं है। योजना के जो जितने काम हुए हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं। सवाई मानसिंह हास्पिटल में हमने जो काम प्रारम्भ किया उसमें नया ओ.पी.डी. एवं ओ.टी. निर्माण कार्य अक्टूबर, 2005 तक पूरा हो जाएगा।, इसी प्रकार सेमी आई.सी.यू. बर्न का काम पूरा हो गया है, वह चालू हो गया है। इसी प्रकार कैंसर सेमी आई.सी.यू. का लोकार्पण काम भी पूरा हो गया है, मेमोग्राफी मशीन का काम भी पूरा हो गया है, नेफ्रोलोजी की सेमी आई.सी.यू., हेमो डायलिसिस, परिटोनियम डायलिसिंग विंग, नये नेफ्रोलोजी वार्ड का भी शुभारम्भ हो गया है, ब्लड बैंक में हाई स्पीड एनलाईजर की स्थापना भी हो गई है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय प्रोजेक्ट का नवीन निर्माण का काम भी हमने प्रारम्भ कर दिया। सामने दो बड़े बंगले, ये जो पहले हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी देवपुराजी रहा करते थे और उसके पास वाला बंगला, इन दोनों बंगलों की हमने मांग की, दोनों बंगले हमको राजस्थान सरकार के द्वारा मिल चुके हैं, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इनके स्थान पर हम दो हजार वाहनों का पार्किंग वहां पर बना रहे हैं, यह नया काम वहां पर हो रहा है, दो हजार वाहनों का पार्किंग बना रहे हैं। इसी प्रकार से पोली-ट्रोमा का जो वार्ड है और पैरा प्लेजिमा स्पाईनल वार्ड का निर्माण कार्य करीब-करीब कम्पलीट होकर इस मार्च के महीने में एक का उदघाटन हो जाएगा। यह उत्तरी भारत में सबसे वैल इक्विप्ड वार्ड होगा। इसी प्रकार से 250

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नये इसमें हम कोटेज वार्ड बना रहे हैं, इन कोटेज वार्डस को तोड़कर 250 नये कोटेज वार्ड डेढ़ साल में हमने बनाने का तय किया है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जयपुर के कुछ वर्गों को, समाजों को जो उन्होंने एक एक विंग बनाने का तय किया है और इसके बाद में 250 बहुत बढिया आधुनिक ढंग से कोटेज वार्ड इसमें बन जाएंगे। ये सारा काम करने में सौ करोड़ रुपये इस पर खर्च आएगा, बनने के बाद में आज तक इसमें इतना बड़ा काम नहीं हुआ है। कई लोग कहते थे एम्स बनाइये, एम्स बनाइये। मैं आपको, सभापति महोदय, बिलकुल राज्य सरकार की मंशा प्रकट करना चाहता हूं कि वह समय आएगा जब लोग कहेंगे कि एम्स मत बनाइये, आने वाले समय में एस.एम.एस. बनाइये। इस प्रकार की स्थिति हम पैदा करना चाहते हैं इस मेडिकल साइंस के बारे में और उसमें हम लगे हुए हैं जिस पर हम काम करना चाहते हैं। इसी प्रकार के हमने और कई काम किये हैं। यह लिनियर एक्सीलरेटर की जो मशीन थी आज राजस्थान में कहीं नहीं थी, कैंसर के बारे में भी मशीन बीकानेर के लिए स्वीकृति हो गई है, कल्ला साहब, एक दो महीनों में बीकानेर में लग जाएगी और आपके बीकानेर के गामा कैमरा के बारे में भी स्वीकृति हो गई है वह भी लग जाएगा और राजस्थान के.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपको कोई असुविधा नहीं होगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : गामा कैमरा लगे हुए तीन साल से ऊपर हो गये, सभापति महोदय, गामा कैमरा, यहां यह मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल विराजे हुए हैं, गामा कैमरा लगे हुए डेढ़ साल-दो साल हो गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चलो, उसको चलाने की व्यवस्था कर देते हैं, लिनियर एक्सीलरेटर भी लगे हुए कितने साल हो गये ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : लिनियर एक्सीलरेटर जिस समय हमारी मीटिंग हुई थी, हमने मंजूर किया था, वह अभी खरीदना बाकी है, डेफर पेमेन्ट पर खरीदना है, मैं एक-एक चीज का ध्यान रखता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए आपके वह लगा रहे हैं। पेमेन्ट देकर ही लगा रहे हैं, डेफर नहीं करेंगे तो उसको खरीद रहे हैं, जयपुर के लिए भी

(घनश्याम तिवाड़ी)

हम कर रहे हैं। तीन कैथ लैब बना रहे हैं राजस्थान की, हम कोशिश करेंगे अभी कोटा को छोड़कर सभी में हो जाएगा। राजस्थान के सभी मेडिकल कालेज में कैथ लैब हो जाए इस बात की व्यवस्था करें।

न्यूरो सर्जरी की यूनिट, पहले न्यूरो सर्जरी के एक-एक प्रोफेसर या रीडर रहते थे, अब सभी छहों मेडिकल कालेज में न्यूरो सर्जरी की पूरी विंग बना रहे हैं, उसका भी काम कर रहे हैं और सुपर स्पेशलिटीज का सब जगह विकास कर रहे हैं। यह ढांचा है, यह ढांचा बनने के बाद में....(व्यवधान)....

श्री हरिमोहन शर्मा : कोटा में कब बनाओगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अगले साल बना रहे हैं। दूसरा, सभापति महोदय, मैं यह भी बहुत साफ-साफ कहना चाहता हूं कि यह जो हमने एक नई बात शुरू की है राजस्थान में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की इसके बारे में किसी भी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। यह निजी डायग्नोसिस सेंटरों के दबाव के कारण से एम.आर.आई. पहले पांच हजार रुपये में होती थी, सीटी स्केन 1600 रुपये में होती थी, नीति लागू नहीं की, 2000 में अगर यह नीति लागू होती तो इतने दिन तक, 2000 में नीति तय हो गई थी, अगर इतने दिन तक यह होती तो राजस्थान सरकार का पैसा लुटाया नहीं जाता। मैं कहना चाहता हूं 2002 के बाद में यह मशीन तो बहुत बार खराब रही है और यह तो कोई मुहूर्त है या देख लीजिए, वैद साहब, आप अच्छी तरह से जानते हैं होली को, दीवाली को, मकर सक्रांति को ये जितने त्यौहार आते हैं, मैंने पिछले 4-5 साल का देखा है, उनमें से यह मशीन करीब-करीब उस दिन खराब ही रही क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग आते थे उस समय और प्राइवेट के यहां पर भेजा जाता था और प्राइवेट जो चार्ज करते थे, वह चार्ज करते थे। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं यह जो हमने नीति बनाई है इसमें किसी भी प्रकार से किसी भी विद्यार्थी को नुकसान नहीं होगा, विद्यार्थियों को इसमें पढ़ाया जाएगा। यह उसकी व्यवस्था में लिखा हुआ है, 20 परसेन्ट फ्री किये जाएंगे, यह भी लिखा हुआ है और एक साल में बी.पी.एल. कार्ड धारकों पर तीन करोड 60 लाख रुपये का प्रावधान इस चिकित्सा के लिए राजस्थान सरकार ने किया है। इसमें किसी प्रकार की उसमें आपत्ति का सवाल नहीं है, वह काम भी हमने किया है। खुली निविदाएं आमंत्रित की हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके ये प्रोविजंस बहुत न्यून हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और बढाएंगे। खुली निविदाओं में नीरज और ओ.के. ने भी भाग लिया और भाग लेने के बाद में इनसे रेट सबसे ज्यादा, ओ.के. के रेट सबसे ज्यादा, फिर उसने हाई कोर्ट में चेलेंज किया। हाई कोर्ट में चेलेंज करने के बाद पीटिशन खारिज हो गई, खारिज होने के बाद वर्धमान वाले को न्यूनतम दर पर मिल गया तब जाकर यह एक कागज डालकर चले गये और कागज डालकर कह दिया कि हम इससे कम करने को तैयार हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं गृह मंत्रीजी मेरे पास बैठे हुए हैं। अगर यह छूट दें तो कई लोग आते हैं थानेदार बनने के लिए कि साहब, हमको तो फोकट में ही थानेदार बना दो, एक पैसा ही मत देना, बना दोगे क्या थानेदार आप ? आपको उसका सलेक्शन करना पडता है, उसका काम करना पडता है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम इस व्यवस्था को पहले प्रतीकात्मक रूप से सवाई मानसिंह हास्पिटल में लागू कर रहे हैं, इसके बाद राजस्थान के सभी मेडिकल कालेजों में इसको लागू करेंगे, 20 परसेंट लोगों को मुफ्त में करेंगे और सरकारी कर्मचारियों का जो होगा उसमें भी राज्य सरकार का कम खर्चा आएगा और इस प्रकार से हम इस नीति को लागू करेंगे और यह नीति लागू करने का सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ है कि बाजार जो मार्केट हैं वह क्रेश हुआ हैं, 45 परसेंट के रेट पर आज आ गया है। अगर यह लागू नहीं होती तो मार्केट वाले लूटते रहते, पांच हजार रुपये और सोलह सौ रुपये एक गरीब जो मरीज आदमी आता है, चाहे कहीं गांव से आए, चाहे कहीं बाहर से आए, उसको कहते थे तुम्हारे तो कैंसर का खतरा है, केट स्केन कराइये, कराना ही पडेगा, आज उसकी संख्या में कमी आई है लेकिन निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार से आम आदमी का नुकसान नहीं हो।

सरकार का खर्चा ज्यादा नहीं हो और किसी प्रकार से विद्यार्थियों को इसमें नुकसान नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर के मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं, इसकी परम आवश्यकता थी। यह विश्वविद्यालय ही नहीं, इस विश्वविद्यालय के साथ-साथ हम राजस्थान में मेडिकल शिक्षा को और मेडिकल चिकित्सा को और मेडिकल ट्यूरिज्म को बढावा देना चाहते हैं। एक समय आयेगा, आज लोग बाहर जाते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी

हैं, अगर हमारे अस्पताल बढिया होंगे, इसी प्रकार से बढिया लोग होंगे तो राजस्थान में भी लोग चिकित्सा कराने के लिए आयेंगे। हमारा इसमें कोई रातनीतिक उद्देश्य नहीं है। इसमें अगर कुछ कमी होगी, आपके सुझाव आये हैं उनके हिसाब से देख लेंगे और उसके लिए मैं हमेशा खुला हूं इसमें संशोधन करने के लिए। यह कोई बडी बात नहीं है। कोई भी बात को स्वीकार करके हम इसमें संशोधन कर सकते हैं।

एक मुददा माननीय बैदजी ने भी उठाया था कि जो अभी मेडिकल और डेंटल कालेज में विद्यार्थी भर्ती हुए हैं उनकी फीस का मुददा है। प्राइवेट कालेज में वह बहुत महत्वपूर्ण मुददा है। आन्दोलन हुआ, फैसला हुआ लेकिन आप सब को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये कमेटियां बनीं। कमेटियां बनने में भार्गव कमेटी बनी। भार्गव कमेटी ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के बाद में हमारे राज्य मंत्रीजी ने उन सब लोगों को बुलाया, बुलाकर एक समझौता कराया लेकिन इसमें एक बात थी कि वो तीन साल के लिए करना चाहते थे। हमने इसको एक साल के लिए सीमित इसलिए किया कि अगले साल विद्यार्थियों की संख्या बढेगी, अगले साल फिर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने से यह फीस कम होगी। इसके अलावा भी मैंने माननीय मानव संसाधन मंत्रीजी, अर्जुन सिंहजी को पत्र लिखा और बैंगलोर के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में मैं गया था, मैंने वहां पर भी बात की कि क्या कारण है कि हम इन सारे मामलों में, न्यायालय के आदेश तो सर्वमान्य हैं, सिर पर हैं, उसके हिसाब से हम कार्यवाही भी करते हैं, शिरोधार्य हैं लेकिन इसके लिए लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। इसको रेगुलेट करने के लिए लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। बिना लेजिस्लेशन के हजारों रिटों के आधार पर हम इसका फैसला नहीं कर सकते और बैंगलोर के अधिवेशन में मैंने यह प्रस्ताव रखा और भारत सरकार का भी यह मन था, अन्य राज्य सरकारों का भी मन था और यह तय किया गया कि प्राइवेट मेडिकल, इंजीनियरिंग और तकनीकी जितने भी कालेज हैं उनका इसी सत्र में भारत सरकार एक सैण्ट्रल लेजिस्लेशन पेश करेगी और उस लेजिस्लेशन के आधार पर दो प्रकार की अथोरिटी बनेगीं। राज्यो में भी बनेगी और केन्द्र में भी बनेगी और वह कानूनी जामा पहनने के बाद में इसी सत्र में वो आ जाएगा और इस साल तो उनको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रिलीफ मिल ही गई है, इस बजट सत्र में आ जाएगा इसके बाद में रेगुलेटरी कानून बनने के बाद में इसमें हम ठीक प्रकार से काम कर सकेंगे और एक प्रकार से इस समस्या का भी समाधान होगा।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, आज ही के इंग्लिश अखबार में अर्जुन सिंहजी के हवाले से रिपार्पेट छापी है कि वो इसी सेशन में यह बिल पेश करने वाले हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जी हां, मैं यही कह रहा हूं। तो उसके बाद में इसमें सैण्ट्रल लेजिस्लेशन की आवश्यकता है जिसके लिए हमने कहा हैं। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो भी मुद्दे इस बिल के माध्यम से उठाये गये थे उनका मैंने जवाब दिया है बाकी पारण पर बोलूंगा। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव किया गया है उसको निरस्त किया जाना चाहिए और इनको विचारार्थ लिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान) आप विराजें। I am on my legs.

श्री संयम लोढ़ा : मतदान कराइये आप।

डा. सी.पी. जोशी : हां, पक्ष जीता है, आप वोट करवा लीजिये। हां पक्ष जीता। यह हमारा अधिकार है। you can't deny it.

यह हमारा अधिकार है सभापति महोदय, you can't deny it. हां पक्ष जीता, आप वोट करवाइये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कम से कम व्हिप जारी हुए हैं तो पता तो लगेगा कि कौन-कौन हैं।

श्री सभापति : काहे के लिए करा रहे हो ? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : इससे अटेंडेंस हो जाएगी। बढ़ जाएगी।

श्री सभापति : वैसे ही बढ़ जाएगी। विराजिये आप।

श्री रामप्रताप कासनिया : इतने लोग भरे पड़े हैं मेरी तरह के काफी लोग बैठे हैं क्यों करा रहे हो ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 50

खण्ड 2 से 50 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 50 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 50 स्वीकार किये गये।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, जोगारामजी का अमेंडमेंट हैं।

श्री सभापति : मेरे पास कुछ नहीं है। वो नगरपालिका वाले में है। माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलें।

खण्ड-1

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पारित किया जाए।

श्री सभापति : श्री बी.डी. कल्ला। श्री सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी बातें पहले कह दी पर मैं दुबारा हाउस में ये चीजे करेक्ट करने के लिए कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उसमें मैं फिर दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि सारी चीजें एकेडेमिक यूनिवर्सिटी जो बनी उनके क्लाजेज को उन्होंने कम्पेयर किया जब कि हम यह प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एक्ट और स्टेट्यूट डिफरेंट होने चाहिए। जो एक्ट एकेडेमिक यूनिवर्सिटी के हैं, यह बात सही है कि बीकानेर और कोटा यूनिवर्सिटी में स्टेट गवर्नमेंट के सम्बन्ध में फाइनेंशियल जो क्लाजेज हैं वे इसमें भी थे और उसमें भी हैं। वो वित्तीय स्थिति राजस्थान विश्वविद्यालय की बन गई है इसलिए ये क्लॉज कह गये। कुछ सरकार ने भी रखे हैं लेकिन मैं यह मानता हूं कि वो परिस्थिति इस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में नहीं बनेगी इसलिए उन दोनों चीजों को कम्पेयर नहीं करना चाहिए। पर जो सबसे कन्सर्न फील करने की बात है वो किसी भी विश्वविद्यालय, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं किसी भी विश्वविद्यालय, न केवल राजस्थान, हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में यह क्लॉज नहीं हैं कि वाइस चांसलर के सलेक्शन में जो आदमी हैं उनमें एक आदमी तो होगा बोर्ड का, एक आदमी होगा चांसलर का और तीन आदमी होंगे स्टेट सैक्रेटरी। मुझे बहुत खुशी होगी यदि मैं अपने आपको करेक्ट करूंगा, मुझे भी शिक्षा में इंटरेस्ट है। हिन्दुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के सलेक्शन में ये क्लॉज हों जिसमें तीन सैक्रेटरी हों और केवल मात्र दो आदमी एजुकेशनिस्ट हों और फिर स्टेट गवर्नमेंट की रिकमंडेशन पर वाइस चांसलर अपाइंटमेंट करेगा, ऐसा क्लॉज कही पर भी नहीं है। इससे बेहतर होगा, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करना

(डा. सी.पी. जोशी)

चाहूंगा कि यह जरूरी है कि आप कम से कम पहला वाइस चांसलर अपाइंटमेंट करेंगे उसमें यह क्लॉज लागू ही नहीं करें इसलिए आपके पास यह स्कोप है कि पहला वाइस चांसलर अपाइंटमेंट एमीनेंस का आदमी करें। ऐसा आदमी करें जिससे आपकी भावना और हमारी भावना है कि यह यूनिवर्सिटी अपना नाम कर सके जैसे मिस्टर मित्रा आये लॉ कालेज जोधपुर में तो उनका कहना है कि बैंगलोर में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की। आज हमारे पास में भी अच्छा आदमी है या और कोई एमीनेंस का आदमी जिसको आप ठीक समझते हैं, पहला वाइस चांसलर बनाने में तो यह क्लॉज काम नहीं आयेगा लेकिन तीन साल बाद जब पहले वाइस चांसलर की टर्म खतम हो जाएगी उसके बीच में आपने यदि यह अमेंडमेंट नहीं किया It will be the biggest disservice to the excellence of the medical education. यह हरदम मन में चिन्ता रहेगी कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप इतने वर्कलोड से, आप अपने आपसे जुडे हुए हैं आपकी एम्बीशन भी बहुत जुडी हुई है, आपने सारा समय ही नहीं दिया है लेकिन आप एक डिस-सर्विस करेंगे। यदि सैक्रेटरीज वाइस चांसलर के सलेक्शन में काम करेंगे, यह ठीक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आपके पास समय है इसलिए इसको निश्चित तौर पर करें। आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी, अब यह कोई कांस्टीट्यूएंट कालेज होगा ही नहीं can you envisage कि इस एक्ट में फैकल्टी बनेगी, एकेडेमिक कौंसिल बनेगी, प्रोफेसर बनेंगे, बिना कांस्टीटयूएंट कालेज के कोई हो जाएगा There has to be some constituent college. इसलिए आपने पापुलिस्टिक मेजर्स के लिए कह दिया कि उदयपुर नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह बात नहीं है, समझना पडेगा और एकेडेमिक यूनिवर्सिटी बनती है उसमें कांस्टीट्यूएंट कालेज बनता है जहां पर हैड क्वार्टर है, यह बात सही है लेकिन यहां पर आप राजस्थान में जो अलग-अलग जगह मेडिकल कालेज हैं, चाहे वह कोटा में है, चाहे वह उदयपुर में है, चाहे बीकानेर में है, चाहे अजमेर में है, for all practical purposes, they are constituent colleges. The moment you say कि हैड क्वार्टर का कालेज कांस्टीट्यूएंट कालेज होगा, You are depriving and denigration all these colleges to the category of affiliated college which is very unfortunate.

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं। शायद आपके साथ शिक्षा राज्य

(डा. सी.पी. जोशी)

मंत्री बैठे हुए हैं। ये भी अजमेर को रिप्रजेंट करते हैं, कटारियाजी भी रिप्रजेंट करते हैं लेकिन by a single stroke, having one constituent college, you are depriving and denigrating all the colleges

(समय : 16.00 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

to the category of affiliated colleges which is disservice to them.

इसलिए आप मेहरबानी करके यह जो कांस्टीट्यूएंट कालेज का कंसेप्ट एकेडेमिक यूनिवर्सिटी के अन्दर है, वह इस यूनिवर्सिटी के अन्दर लागू नहीं हो। इसलिए आपको खड़े होकर कहना चाहिए कि मेडिकल कालेज के अन्दर all the R & D medical colleges will be constituent colleges. तब तो इसकी बात ठीक होगी। नहीं तो वे सब प्रोफेसर तो एफिलेटेड कालेज के प्रोफेसर हो जायेंगे और एस.एम.एस. का आदमी कौनसी कालेज में जायेगा और आपने कहा कि अभी तो जरूरत ही नहीं है। नहीं जरूरत है तो आपकी एकेडेमिक कांस्टीट्यूएंट कैसे बनेगी, फैकल्टी कैसे बनेगी, एग्जाम एण्ड एपोइंटमेंट कैसे करोगे ? इसका मतलब जिस मोमेंट से आपका बिल came into existence उसी समय में आपको कांस्टीट्यूएन्ट कालेज का फैसला करना पड़ेगा इसलिए आपने सदन को गुमराह किया है। यह मेरा चार्ज है, सदन को आपने गुमराह किया है। इस एक्ट के अन्दर आपको केवल मात्र एक कांस्टीट्यूएन्ट कालेज बनाने का ही प्रोविजन है। आपको खड़ा होकर कहना पड़ेगा कि वह एक ही कांस्टीट्यूएन्ट कालेज जयपुर है तो उदयपुर का कालेज भी एफिलेटेड कालेज है, बीकानेर का कालेज भी एफिलेटेड कालेज है and you are inviting agitation and trouble. जबकि आपको खड़े होकर यह कहना चाहिए कि प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बना रहे हो उसमें there can be more than one constituent college because प्रोफेसर तो उदयपुर में भी हैं, प्रोफेसर तो बीकानेर में भी हैं, you are depriving all those professors. जो वहां पर इन कांस्टीट्यूएन्ट कालेज में प्रोफेसर हैं। जिनके ट्रांसफर करके आपने उनको प्रोफेसर बनाया। वह प्रोफेसर मेडिकल कालेज एस.एम.एस. में नहीं हैं इसलिए वह कांस्टीट्यूएन्ट कालेज का आदमी नहीं होगा। यह आप उस आदमी की सर्विस के साथ बहुत

(डा. सी.पी. जोशी)

बडी डिस्सर्विस कर रहे हैं इसलिए आप मेहरबानी करके मैं यह कहना चाहता हूं, आपको जो इसको पास करने का इम्प्लीक्रेशन हैं, इस इम्प्लीकेशन को आपने फॉलो नहीं किया है। आप मेहरबानी करके फिर जवाब देकर बतायें, यदि बिना कांस्टीट्यूएन्ट कालेज के आपने कहा कि "ए" फैकल्टी, वर्ड "ए" कांस्टीट्यूएन्ट लिखा है। मैं पढ़ूं इसमें आपने क्या पढा है ? आप जो डेफिनेशन देकर गये हैं, कांस्टीट्यूएन्ट कालेंज लिख रखा है, वह वर्ड लिख रखा है, कांस्टीट्यूएन्ट कालेज मीन्स "ए"....."constituent college' means a, college maintained by the University...." It means one college. Which college ? S.M.S. College. Say yes or no. आप खडे होकर बताइये आप, एस.एम.एस. और दूसरा कौनसा होगा ? आप कोई इस सदन के 200 आदमियों को गुमराह करके बिल पास करना चाहते हो ? इसका बहुत सिम्बल है। माननीय दिगम्बर सिंहजी, डाक्टर साहब, आप बैठे हैं, आप मंत्री हैं। आप मेडिकल प्रोफेसर आदमी हैं। इसका मतलब बताइये मुझे। एक कांस्टीट्यूएन्ट कालेज का मतलब क्या कालेज होगा, its simple implication is एस.एम.एस. का कालेज कांस्टीयूट्एन्ट कालेज होगा और जिन डाक्टरों का ट्रांसफर आपने बीकानेर, उदयपुर में किया है They all will be deprived. वह कांस्टीयूट्एन्ट कालेज के पार्ट नहीं बन सकते हैं। यह आप कैसे करना चाहते हैं। मैं समझता हूं, हम इतने हैस्ट में आकर के यह काम कर रहे हैं उसके इम्प्लीकेशन को हम नहीं समझ रहे हैं और आप यह कहेंगे कि हमें नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा कि एम.सी.आई का नहीं होना चाहिए। मैं भी यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूं श्रीमान , यू.जी.सी. कोई चीज होती है, यू.जी.सी. की गाइडलाइन होती है, यू.जी.सी. की पे-स्केल होती है, यू.जी.सी. की क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइव करते हैं। आपने एक शब्द इसमें एम.सी.आई. के बारे में नहीं लिखा। आपको जरूरत नहीं है एम.सी.आई. की ? एम.सी.आई. की जरूरत है। एम.सी.आई. एकेडेमिक (व्यवधान) बाद में बोल लेना।

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय सदस्य, एक मिनट। आप जो "ए" की डेफिनेशन कर रहे हो और आप मंत्रीजी को डोक में डाल रहे हो। आप पूरी बात पढिये। एक मिनट, एक मिनट.....

डा. सी.पी. जोशी : आप उसको बता दो. माननीय सदस्य, मुझे क्यों बता रहे हो। ये बोल लें, मंत्रीजी बोल लें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : नहीं, मैं यह कह रहा हूं......

डा. सी.पी. जोशी : आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये बोल लें। ऐसा नहीं होता। आपके बोलने से कोई मतलब नहीं है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : नहीं, मैं एक मिनट में आपको कहना चाहता हूं। सैक्शन (2) के (ए) में लिखा है, अगर आप इसका मतलब यह समझें 'ए' टीचर मीन्स 'ए' परसन, एक परसन का मतलब एक टीचर ही होगा क्या ? फिर उसमें कांस्टीटयूएन्ट कालेज एक ही कालेज नहीं होगा। "ए" कालेज है। अगर मंत्री महोदय की मंशा यह होती या इनके एक्ट की मंशा होती तो अपन "वन" लिखते, वर्ड होता वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन .....

डा. सी.पी. जोशी : आपका काम लोकल बोडी नहीं है। आप इनसे कहलवा दीजिये। आप इनसे कहलवा दीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : "ए" तो टीचर के लिए, प्लीज लिसन मी।

डा. सी.पी. जोशी : मेरी सुन लें श्रीमान्, आप इनसे कहलवा दीजिये, मैंने सुन लिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच-बीच में बोल रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे देंगे। आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : मैं आपकी ही बात कह रहा हूं श्रीमान् (व्यवधान) स्टूडेंट आफ यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन में है। एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टूडेंट आफ यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है

"......means a person enrolled..."

तो क्या एक ही स्टूडेंट होगा ?

श्री अध्यक्ष : तो फिर बीच-बीच में आप क्यों टोक रहे हैं ? (व्यवधान) नहीं, यह गलत बात है, नहीं-नहीं, यह गलत बात है।

श्री श्रवण कुमार : जो विभाग को हैण्डल कर रहा है, उसको बोलने दो ना। इससे मंत्री थोडे ही बनोगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता : एक स्टूडेंट होगा नहीं, एक दो तीन चार they may be thousands of students.

मैं उनकी बात को बढा रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं "ए" आर्टिकल को सम्बोधित करता है, संख्या को सम्बोधित नहीं करता लेकिन फिर भी माननीय सदस्य को कुछ कहना है तो रिपीट करना है, कर दीजिये, क्या दिक्कत है इसमें।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, फिर मैं विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा हूं, मंत्रीजी, यह रिकार्ड में रहेगा, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ये काबिल नहीं हैं क्या ? मोहनलालजी ज्यादा काबिल हैं।

श्री अध्यक्ष : अब इनको सर्टिफिकेट आप देने लगे काबलियत का।

डा. सी.पी. जोशी : ये मुझसे ज्यादा काम्पीटेंट मोहनलाल गुप्ताजी हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दोनों ही काबिल हो साहब, मैं कब मना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : काबलियत समय पर दिखलाइये अपनी, समय पर दिखाइये अपनी काबलियत।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, इस समय आप सबसे काबिल हैं इसलिए आपसे ही सुनना चाहते हैं। वे अपनी काबलियत भारतीय जनता पार्टी की अपने पास रखी तिजोरी में और हमारा जवाब तो आप ही दीजिये। हां, आपकी काबलियत है।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बहुत केजुअल ले रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप एकेडेमिक कौंसिल के कम्पोजिशन को देख लीजिये। फैकल्टी के कम्पोजिशन को देख लीजिये। हर जगह लिखा हुआ है कि कांस्टीट्यूएन्ट कालेज का आदमी होगा। द मोमेंट आप बिल लाते हो, आपको कांस्टीट्यूएन्ट कालेज का आपरेशन

(डा. सी.पी. जोशी)

डिफाइन करना पड़ेगा इसलिए आप जो ये बातें कह रहे हो, वे इवेजिव और ये पापुलिस्टिक चीजें नहीं हैं। यह कानून बना हुआ है, कानून से गाइड होगा। कोई घनश्यामजी के. शिक्षा मंत्रीजी के भाषण से वकील और कोर्ट उसको इंटरप्रेट नहीं करेगी। इसका सिम्पल इंटरप्रिटेशन है कि आप जो यह बिल पास कर रहे हैं, उसमें कांस्टीटयूएन्ट कालेज एक होगा। आपने खुद ने कहा है यह कि वह जो हैडक्वार्टर पर होगा, वह आपने खुद ने कह दिया है। या तो आप खडे होकर कह दीजिये कि हमने फैसला कर लिया है एस.एम.एस. कांस्टीट्यूएन्ट कालेज होगा तो बाकी सब कालेज एफिलेटेड कालेज होंगे। मैं समझता हूं कि आपको यह जो यहां पर इतनी अच्छी फैकल्टी, इतने अच्छे कालेज हैं, इस यूनिवर्सिटी को बनाने में यह कहना चाहिए था कि सारे कालेज कांस्टीट्यूएन्ट कालेज होंगे, व्हू डिप्राइव यू। जैसा मोहनलालजी कह रहे हैं कि "ए" नहीं है। सभी कांस्टीट्यूएन्ट कालेज होंगे। आपको खडा होकर कहना चाहिए, वह भी आप नहीं कह रहे हैं। पर आप कह नहीं सकते क्योंकि एकेडेमिक कौंसिल की जो फोर्मेशन है, उसमें कालेज दे रखा है, everything is well-defined.

इनके सब चीजों में एफिलेटेड कालेज और कांस्टीट्यूएन्ट कालेज आपको बैल डिफाइन करना होगा तब यह आपरेशन होगा। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी, मुझे यह नहीं है कि मैं विद्वान हूं इसलिए बात कर रहा हूं, मेरे मन में पीडा है और आज कटारियाजी बैठे हुए हैं। आज कटारियाजी उदयपुर जाकर फैसला कर लें कि उदयपुर में एस.एम.एस. कांस्टीट्यूएन्ट कालेज और उदयपुर आर.एन.टी. कालेज एफिलेटेड कालेज हैं। वे खुद वहां से एम.एल.ए. हैं, जन प्रतिनिधि हैं। इनके लिए भी तकलीफ होगी, हमें भी तकलीफ होगी, हमने कैसा फैसला करवा दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप 2-3 चीजों को बिलकुल गम्भीरता से लें। आपने वाइस चांसलर अपोइंट कर दिया लेकिन इसके आपरेटिव पार्ट को समझिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा गुप्ताजी ने कहा है, मैं उनसे 2-3 बातों से सहमत हूं। स्पोर्टस मेडिसिन हैं, न्यूक्लियर मेडिसीन है, ये नई चीज है। मैंने फिर आपको बताया है, उसका भी केजुअल रिप्लाई दे दिया। इसमें अध्ययन, शिक्षण प्रशिक्षण, इसके सम्बन्ध में आपने आब्जेक्टिव में केवल मात्र लिखा है

(डा. सी.पी. जोशी)

मेडिसिन और डेटिस्ट्री बाकी के लिए नहीं लिखा है। आपका जवाब कोई ले-मैन को दे रहे हो क्या ? आपको पास करना है तो आपकी भावना से सहमत हैं और राजस्थान को डुबाना है तो कम से कम हम बाहर चले जायें, हमारी कांशियस तो क्लियर हो कि हमने हमारे शिक्षा मंत्रीजी के दिमाग में सब बातें लाई। उसके बाद भी शिक्षा मंत्रीजी अपनी ब्रूट मेजोरिटी के कारण यह चीजें पूरी करना चाहते हो। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी साहब, बताइये आप, एस.एम.एस. में 100 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, 500 करोड का करवाइये। मेडिकल फेसेलिटी होना अस्पताल में, उसका मेडिकल एजुकेशन से पार्टली सम्बन्ध है। एक एजुकेशन का सम्बन्ध है एक्सटेंशन, रिसर्च और टीचिंग। जो एकेडेमिक यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसके मैन फंक्शन हैं टीचिंग। एग्रीक्लचर यूनिवर्सिटी बनाई है उसमें एक्सटेंशन, रिसर्च और टीचिंग, तीनों चीजें जुडी हुई हैं, यह जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी टीचिंग के साथ रिसर्च भी होना चाहिए, एडवांसमेंट का काम भी होना चाहिए। तब तब हम प्रोफेशल यूनिवर्सिटी बनायेंगे। हम इसको रेफर कर रहे हैं बीकानेर यूनिवर्सिटी से इसको हम रेफर कर रहे हैं कोटा यूनिवर्सिटी से, मैं समझता हूं, हमारा रेफरेंस होना चाहिए लॉ यूनिवर्सिटी, बैंगलोर, हमारा रेफरेंस होना चाहिए लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर। एक्सीलेंस की आप बना रहे हैं तो मेहरबानी करके आप इगो नहीं लें। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी आपकी जो भावना है, हम उससे सहमत हैं। हमें बहुत खुशी है आपने एक स्टैप आगे लिया, हम नहीं ले पायें, इसका धन्यवाद देना चाहते हैं हम पर उस धन्यवाद की पात्रता के लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी, केजुअलवे में विश्वविद्यालय बनाने से आपको नहीं मिल सकता। आप सेक्रेटरीज को वाइस चांसलर के सलेक्शन में प्रोमीनेंस देकर के करना चाहें तो नहीं हो सकता इसलिए मेहरबानी करके आप इन चीजों को भी गम्भीरता से लें। आप इक्विप भी कर रहे हैं अस्पतालों को तो वह अलग चीज है पर मेडिकल में टीचिंग और रिसर्च को फेक्ल्टी बनाना अलग चीज है। आपने कहा, एनोटोमी है, फिजियोथैरेपी है, these are the departments. These are not the Faculties. फैकल्टी ग्रो करेगी, टाइम लगेगी, धीरे-धीरे फैकल्टी टाई-अप करेगी लेकिन फैकल्टी को आपने उसको बता दिया कि साहब, हमने यह केन्द्र पैदा किये हैं

(डा. सी.पी. जोशी)

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जो भावना है माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा दायित्व बनता है सरकार का ध्यान आकर्षित करना, हम अपेक्षा करते हैं आपसे भी कि एक जो एक्सीर्वस के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं, हम भी उसमें भागीदारी निभायें लेकिन सरकार ने अपनी ब्रूट मेजोरिटी से इस तरह के नियम बनाये हैं, जिसमें कानूनी खामी रही है और कहीं आदर्श की बात करें, प्रेक्टिकली यह चीज सम्भव नहीं है तथा हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी कि इस सदन में बैठकर उसके साथ पार्टिसिपेंट करें। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जैसा कहा कि मैं ओपन माइंड हूं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल पास करिये। उसके बाद अपने मन में है वह आप ला सकते हैं तो हम कोई इसमें हार्ड एण्ड फास्ट नहीं हैं, हम आपके इंटेंशन को एप्रिशिएट करते हैं लेकिन गलत और फाल्स आर्ग्यूमेंट देकर आप हमें सेटिस्फाई करना चाहें तो ठीक नहीं है इसलिए शिक्षा मंत्रीजी, हमारी मन में पीडा हो रही है, मुझे आपकी काम्पीटेंसी पर शक नहीं है पर आप ज्यादा बिजी हैं, आपको समय ही नहीं मिला देखने का उसको और घनश्याम तिवाड़ी साइन कर दिये तो फिर यह तो आपका धर्म बनता है कि जब अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छाई भी आपके खाते में जानी और बुराई भी आपके खाते में जानी चाहिए। शिक्षा का एक्सपांशन किया है, ऐतिहासिक काम किया, धन्यवाद पर खोटा बिल बनाया है तो उसकी बुराई भी आपके खाते में जानी चाहिए। ऐसे मुख्य मंत्री भी नहीं बन सकोगे। ऐसे खोटे-खोटे काम करोगे तो लोगों के मन में आएगा कि कैसा मुख्य मंत्री है, जो इस तरह की कल्पना कर रहा हैं, जिसके मन में कोई विद्वता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बिल पेश नहीं करूं तो हो जाएगा क्या ?

डा. सी.पी. जोशी : यह तो आपकी पार्टी के आदमी से पूछो, मुझे नहीं कहना है। यह तो मुझे नहीं कहना है, यह तो आपकी पार्टी से पूछो। आप मेरे मित्र हैं। आपकी एफिशिएंसी बढे। वसुन्धराजी की जगह आप मुख्य मंत्री बने, यह आपकी पार्टी का मामला है लेकिन एफिशिएंसी बनाकर तो बनें, इनएफिशिएंसी के कारण हमको मूर्ख बनाकर बिल पास करा रहे हो, ऐसे ही मुख्य मंत्री बनोगे तो एम.एल.ए. को बहुत तकलीफ हो जायेगी। मेहरबानी

(डा. सी.पी. जोशी)

करके ऐसे काम मत करिये, आप अपनी काम्पीटेंस को बढाइये, एफिशिएंसी को बढ़ाइये, राजस्थान के ......

श्री सांवर लाल : अभी मुख्य मंत्री के मामले में आप चर्चा मत करो, वह कोई ऐसी.....

डा. सी.पी. जोशी : मतलब यह राजेन्द्रजी भी हैं पास में, वह केंडीडेट हैं या किरोड़ी लालजी हैं, मुझे पता नहीं था, मैं समझा कि एक ही उम्मीदवार हैं, आप दो उम्मीदवार हो, धन्यवाद। मुझे लगा कि एक ही उम्मीदवार है, मुझे पता नहीं था कि आपके पड़ोसी भी उम्मीदवार हैं, मुझे ध्यान नहीं था इसका।

श्री सांवर लाल : कोई उम्मीदवार नहीं हैं मुख्य मंत्री के। मुख्य मंत्रीजी हमारी हैं काम्पीटेंट मुख्य मंत्री।

डा. सी.पी. जोशी : अच्छा है, गलती हो गई। आपकी पार्टी का मामला है, मैं नहीं बोलता, मैं विदड्रा करता हूं।

श्री सांवर लाल : आपकी पार्टी की तरह यहां कोई भेदभाव नहीं है, सर्वसम्मत मुख्य मंत्री हैं हमारी।

डा. सी.पी. जोशी : प्रोफेसर साहब, आप आर.एस.एस. के कितने जुडे हुए हो, मुझे मालूम है, आपकी सर्वसम्मति काम नहीं आयेगी, काम आयेगी घनश्यामजी और गुलाबजी की। इसलिए नहीं बोलें तो अच्छा रहे, यह तो अपन जितना कम बोलें उतना ही ठीक है।

श्री सांवर लाल : यह भड़काने की बातें हैं....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : तो क्या मतलब है, सर्वसम्मति किसकी आयेगी, सबको मालूम है..

श्री मोहन लाल गुप्ता : हमारी नेता एक ही है, वसुन्धरा राजेजी।

डा. सी.पी. जोशी : इसलिए मैं इस पर अपनी क्षमा मांगता हूं, आपकी पार्टी की मुझे मालूम नहीं कि इक्विशन बदल गई जो आप आर.एस.एस. के खास आदमी बन गये हो, मुझे बहुत खुशी हुई, साहिब सिंहजी के कारण आप भी इम्पॉर्टेंट आदमी बन गये हो तो, मुझे पता नहीं, पर मैं माफी चाहता हूं, यह सब बोलना नहीं चाहता....

श्री सांवर लाल : हमारी पार्टी का कुछ भी पता नहीं है आपको, फालतू ही परेशान हो रहे हो।

डा. सी.पी. जोशी : मैं विदड्रा करता हूं। मेरी गलती हो गई। मैं विदड्रा करता हूं। आपकी पार्टी चल और मुख्य मंत्रीजी पचास साल राज करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं। पर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेहरबानी करके इसमें रोल आफ एम.सी.आई. कालेज में सर्विसेज रेंडर करना, उसके लिए आप सौ करोड रुपये खर्च करो, पांच सौ करोड रुपये खर्च करो, सुपर स्पेशियलिटी बनाओ, यह अलग चीज है। विश्वविद्यालय की एक्सीलेंस बने, वह एक अलग चीज है। उस विश्वविद्यालय की एक्सीलेंस में एक्ट अच्छा बने। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा कि मैं ओपन माइंड हूं तो मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इसमें जो कुछ कमी और खामी है उसको अच्छा करेंगे और ऐसा विश्वविद्यालय बने जिससे हम गर्व से कह सकें कि हमने एक विश्वविद्यालय बनाया है जो एक एक्सीलेंस का है और उसका फायदा राजस्थान की जनता को मिले, यही बात मुझे आपसे कहनी है।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्षजी, इस परिप्रेक्ष्य में मुझे भी कुछ कहना है। सैक्शन 2 में है- Constituent college means a college maintrained by the University. इसका मतलब यह हुआ कि एक ही कालेज जो जयपुर में स्थित है, वही यह कांस्टीट्वेंट कालेज में रहेगा तो what will happen to our colleges. हमारे उदयपुर में भी मेडिकल कालेज है, अजमेर में भी है, जोधपुर में भी है, बीकानेर में है, कोटा में है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप कहां चक्कर में आ रहे हैं, चपलोत साहब ? आप इनके कहां चक्कर में आ रहे हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं चक्कर में नहीं आ रहा हूं। What do you mean by 'a' ?

"ए" यह सिंगुलर प्रोजेक्शन हो रहा है इसमें और उसके पश्चात् आपने सैक्शन 24 में एकेडेमिक कौंसिल में भी एक के लिए कहा है। एकेडेमिक कौंसिल का जो कांस्टीट्यूशन होगा और जो कांस्टीट्यूट होगा उसमें लिखा है, मेरे को भी थोड़ी शंका है, There shall be an Academic council of the

(श्री शांतिलाल चपलोत)

University consisting of the following members, namely; (a) the Vice-Chancellor, (b) Deans of the Faculties; (c) One professor from each faculty to be nominated by the Vice-chancellor; (d) one principal or Director of a constituent college to be nominated by the Vice-chancellor. इसका मतलब यह है कि कालेज इस एकेडेमिक कौंसिल में रहेगा। कांस्टीट्वेंट कालेज एक ही रहेगा। इसका मतलब जो छह मेडिकल कालेज हैं उनमें से उनकी भागीदारिता नहीं रहेगी तो सारा कॉलेप्स होने की स्थिति में आ जायेगा और आज की तारीख में सब बराबर-बराबर श्रेणी में हैं, एस.एम.एस. का मेडिकल कालेज भी और आरएनटी मेडिकल कालेज भी, दोनों एक इक्विल फीटिंग में हैं। उसके बाद तो वह उनके सबोर्डिनेट जैसे हो जायेंगे। यह मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ है इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इसको भी क्लियर करने की चेष्टा करें और दूसरे सेक्शन 2 में "बी" पार्ट में जो वाइस चांसलर को नियुक्त करेंगे उसमें आपने मात्र सैक्रेटरीज के लिए लिखा है और यह लिखा है इसमें, यह 11 में है-

The Vice-chancellor:-(1) The Vice-chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor, on the advice of the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of;

(a) one person nominated by the Board not being a person connected with the University or any constituent or affiliated college;

(b) one person nominated by the Chancellor who shall also be the convener of the committee;

(c) three Secretaries to the Government nominated by the State Government.

what dose it mean?

इसका मतलब यह हुआ कि सैक्रेटरीज का ही सारा रोल होगा। इसलिए इसमें वापस रि-थिंकिंग करने की आवश्यकता है और इस बारे में मंत्री महोदय क्लियर करें कि What will be the position of the other colleges those who are running in the Rajasthan State ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ठीक है साहब, करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला'

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जब सदन सत्र में नहीं था तो 21 सितम्बर, 2004 को एक आर्डिनेंस के माध्यम से यह बिल लाया गया, आर्डिनेंस जारी किया गया जिसको आज बिल के रूप में ला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, माननीय मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर साहब यह बताने कि कृपा करें सदन को कि क्या अर्जेन्सी थी जिसके कारण आपको आर्डिनेंस लाना पडा ? आर्डिनेंस लाने के लिए हमारे कांस्टीट्यूशन में प्रावधान है, मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 213 पर लाना चाहूंगा :-

If at any time expect when the Legislative Assembly of a State is in session or where there is a Legislative Council in a State except when both the Houses of the Legislature are in session the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to require. तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी सरकम्सटांसेज थीं जिनके आधार पर आपने सितम्बर में आर्डिनेंस जारी कर दिया और आर्डिनेंस जारी करने के बाद आपने इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या-क्या काम किये और क्या आपने वाइस चांसलर की नियुक्ति कर दी, क्या क्या आपने यूनिवर्सिटी के लिए स्टेप्स उठाये और इतनी क्या अर्जेन्सी थी, मैं समझता हूं कि जैसे आज आप बिल लेकर आये हैं, आप सीधा बिल ही लेकर आते और बिल लाने के बाद जो-जो प्रावधान करने थे, सीधे बिल में ही कर देते। इस एक्ट से पहले आपने आर्डिनेंस जारी करके इस शक्ति का दुरुपयोग किया है, यह मैं कहना चाहता हूं। अब मेरे कई माननीय साथियों ने आपको विस्तार से काफी बातें बताई हैं, मैं उन बिन्दुओं पर नहीं जाते हुए जो बातें रह गई हैं, उन बातों को यहां आपके सामने कहना चाहूंगा। खास तौर से जो उद्देश्य आपने बताये, उन उद्देश्यों की तरफ ध्यान करें तो तेरह आब्जेक्ट्स आपने बताये और उसमें से तीन आब्जेक्ट्स की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

1. to develop a genetics department. (2) to development an environment and pollution control institute; (3) to development gene-therapy, molecular biology, robotic surgery, bio-informatics, organs trans-plantation, bio-technology immunology and clinical epidemiology and other facilities in medicine and dentistry and so on. तो यह तीन जो आब्जेक्ट्स आपने बताये, इन तीन आब्जेक्ट्स के लिए आपने कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट या जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे आपने जानकारी प्राप्त करी, इनको डवलप करने के लिए मिनिमम पचास करोड रुपये चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि हिप्सेटोलाजी डिपार्टमेंट जो लीवर ट्रांसप्लांट का काम करता है, लीवर ट्रांसप्लांट कराने वाले व्यक्ति को एक करोड रुपये खर्च करना पडता है और इस डिपार्टमेंट को डवलप करने के लिए मैं समझता हूं कि कम से कम सौ करोड़ रुपये की राशि चाहिए और यह गेस्ट्रोएंट्रालाजी ड़िपार्टमेंट के अन्तर्गत आता है।

मैं आपका ध्यान इस और दिलाना चाहूंगा कि जिस इक्विपमेंट का आपने जिक्र किया लिनियर एक्सीलरेटर, यह करीब-करीब साढे सात, आठ करोड रुपये में आता है। इस मेडिकल सांइस के अन्तर्गत गामा कैमरा ढाई करोड में आता है और अनेक ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो मिनिमम पांच, सात, दस करोड रुपये से कम नहीं आते। इसकी लाइब्रेरी को बनाने के लिए कम से कम दस करोड रुपये की आवश्यकता प्राथमिक रूप से है। मैं आपका यह फाइनेंस अरेजमेंट देख रहा था, आपने जो ज्ञापन दिया है, वित्तीय ज्ञापन, उसमें लिखा है कि बीस करोड रुपये इसकी संरचना के लिए चाहिए और एक करोड रुपये का आवर्ती व्यय आपने इसमें लिखा है कि चाहिए। एक करोड रुपये में आपने तो जैसे कोई सोशल साइंस की कोई यूनिवर्सिटी खोल दी हो अथवा और कोई साधारण यूनिवर्सिटी खोल दी हो, ऐसे प्रावधान किया है। ऐसा लगता है कि हाफ-हार्टेडली आपने काम किया है। इस यूनिवर्सिटी को बनने के लिए कम से कम प्रारम्भिक तौर पर सौ करोड रुपये की आवश्यकता होती है। तब जाकर के एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनती है और इसमें आब्जैक्ट्स में कुछ माननीय सदस्यों ने अच्छे सुझाव दिये कि इसमें जो अल्टरनेटिव थैरेपी है उसका समावेश किया जाना चाहिए था जो आपने नहीं किया आपके आब्जैक्ट्स में।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

उनको डवलप करने के लिए भी आपका प्रावधान होना चाहिए। हमारे प्रदेश में और देश में खास तौर से बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक मेडिसन्स हैं लेकिन आयुर्वेद वालों के पास में लेब्रोरेट्री नहीं है, कैमिकल लैब नहीं है और लैब नहीं है, फिजियोलोजिकल लैब नहीं है उनको रिसर्च के लिए अच्छे साइंटिस्ट्स की आवश्यकता है इनमें कैसे कांबिनेशन हो और हमारी भारतीय पद्धति की जो दवाइयां बनी हुई हैं उसके टैस्ट करके उसका कैसे कामर्शियलाइजेशन करें और वर्ल्ड मार्केट में उनको हम भेजें इसके लिए ऐसी यूनिवर्सिटी में काम करना चाहिए। इसमें आपने वाइस चांसलर देखिये यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंशियल कंट्रोलर ये एक यूनिवर्सिटी के तीन प्रमुख अंग होते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑन डैपूटेशन भेजती है, रजिस्ट्रार गवर्नमेंट भेजती है और वाइस चांसलर के लिए आपने यह कहा कि हमने कोटा के पैटर्न पर किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास कोटा का एक्ट पडा हुआ है कोटा यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा-11 क्लाज-11 के अन्तर्गत-

" Vice Chancellor.- The Vice-chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government upon recommendation of a selection committee consisting of-

(a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college there of ;

(b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission ;

(c) one educationist nominated by the Chancellor;

(d) two persons & nominated by the State Government."

आपने इस एक्ट में क्या किया है, इस एक्ट में आपने सबसे पहले बोर्ड जो भी बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट बनेगा उसमें से एक व्यक्ति को लेंगे इसमें हमें कोई एतराज नहीं है उसके बाद चांसलर का नॉमिनी एक होगा इसमें भी कोई एतराज नहीं है लेकिन आप यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से एड लेंगे या नहीं लेंगे उसका कोई आदमी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है इसमें यह प्रावधान है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति केवल चांसलर करता है। सरकार की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज में ऐसे प्रावधान हैं चाहे वो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी हो, चाहे वर्धमान यूनिवर्सिटी कोटा हो अथवा बीकानेर यूनिवर्सिटी हो अन्य यूनिवर्सिटीज में यह प्रावधान है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह से कुलाधिपति या चांसलर करते हैं लेकिन इसके लिए जो पैनल बनाया जाता है उस पैनल बनाने में यू.जी.सी. नॉमिनी, चांसलर नॉमिनी एंड गवर्नर्स नॉमिनी होते हैं। हमारे यहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी हुई है उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यह प्रावधान है कि उसमें एक प्रतिनिधि गवर्नर का, एक प्रतिनिधि सरकार का, एक प्रतिनिधि आई.सी.ए.आर. का और एक प्रतिनिधि बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट का होता है। इस प्रकार का कम्पोजिशन है लेकिन आपने तो हद कर दी इसमें न तो आपने यह एक तरीके से मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और इस यूनिवर्सिटी में केवल मात्र तीन आदमी तो आपके सैक्रेटरी, सैक्रेटरीज का किसी एक्ट में प्रावधान नहीं है। कोई भी आदमी आप नॉमिनेट कर दें इसमें एक अलग बात है ऐसा लगता है कि आपने अलग कोई गवर्नमेन्ट का डिपार्टमैन्ट खोल दिया है यह यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्सिटी में तीन-तीन सैक्रेटरीज का आपने रख कर किसी भी वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में बता दीजिये कि सैक्रेटरी इसमें नॉमिनेट होंगे। यह हो सकता है वो कोई भी हो सकता है एमीनेंट एजुकेशनिस्ट होते हैं और इसमें मेडिकल एजुकेशनिस्ट को लेना चाहिए। आपको एमीनेंट एजुकेशनिस्ट में भी मेडिकल साइंसेज का जो एमीनेंट एजुकेशनिस्ट है उसका प्रावधान करना चाहिए तो आपने तीन सैक्रेटरीज को लगा कर जो एक ऑटोनॉमी की परिभाषा यूनिवर्सिटी में होती है यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल, एकेडेमिक और हर तरीके से जो ऑटोनॉमी देने की बात की गयी है उसके ऊपर आपने कुठाराघात किया है। यह यूनिवर्सिटी एक सरकार का डाइरेक्ट्रेट जैसे बनता है वैसा बन गया है और यह किसी विभाग की तरह काम करने की मंशा सरकार की दिखती है जो आपकी पार्टी की सोच है उस सोच का परिचायक है और मैं समझता हूं कि

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इसमें आपको परिवर्तन करना चाहिए। हां सकता है कि इसको राष्ट्रपतिजी हमारे जो हैं वो साइंटिस्ट हैं वो इस प्रकार की ऑटोनॉमी को यदि नहीं देखेंगे तो वापस एक बिल वापस आया है वैसे यह बिल वापस आ सकता है इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें एकेडेमिक एक्सीलेंस मेडिकल साइंसेज में जिनको हो उन लोगों को आप नॉमीनेट करें चाहे वो एक हो, दो हो। कोटा यूनिवर्सिटी में आपने दो आदमियों को नॉमिनेट कर दिया है आप दो आदमियों को नॉमिनेट कर दीजिये लेकिन जिस तरीके से आप इसका सरकारीकरण कर रहे हैं यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और थर्ड रीडिंग से पहले आप इसको समझ कर पुनर्विचार करके इसमें आपको संशोधन करना चाहिए। यूनिवर्सिटी का जो इससे भी महत्वपूर्ण भाग आगे आता है वो होता है बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट। बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट में आपने क्या किया है वो मैं बताना चाहता हूं। बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट में आपने एक्स-आफसियो मैंबर लिये हैं। एक्स-आफसियो मैंबर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी और भी हैं लेकिन इसमें आपने ज्यादा संख्या में लिये हैं। मैं बताना चाहूंगा द सैक्रेटरी टू द गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट। अब आपको इसमें बहुत गौर करने की बात है। आजकल आपके यहां सैक्रेटरी नहीं है प्रिंसीपल सैक्रेटरी हैं तो आपको सैक्रेटरी/प्रिंसीपल सैक्रेटरी लिखना चाहिए। शिक्षा मंत्रीजी मैं बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपने व्यवस्था बदल ली है अब आपके सैक्रेटरीज नहीं है प्रिंसीपल सैक्रेटरी हैं प्रिंसीपल सैक्रेटरी के नीचे सैक्रेटरी हैं तो आपके यहां मेडिकल एजुकेशन में सैक्रेटरी है ही नहीं तो फिर कौन नॉमिनेट करेगा इसको ? (व्यवधान) नो-नो, यह कौनसी परिभाषा है मुझे बता दें डिक्शनरी में Secretary includes Principal Secretary.

यह आपकी परिभाषा हो सकती है। यह घनश्यामजी की परिभाषा हो सकती है।

डा. सी.पी. जोशी : यह घनश्यामजी राठौड़ी की परिभाषा हो सकती है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप चाहे जो डेफीनेशन दे देंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह आपकी परिभाषा हो सकती है इसलिए मैं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चाहता हूं कि इसमें भी आप संशोधन करें सैक्रेटरी/प्रिंसीपल सैक्रेटरी टू द गवर्नमेन्ट आफ राजस्थान फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट। इसी प्रकार से द सैक्रेटरी/प्रिंसीपल सैक्रेटरी टू द गवर्नमैन्ट आफ राजस्थान मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमैन्ट, ए डाइरेक्टर आफ मेडिकल एजुकेशन अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि डाइरेक्टर आफ मेडिकल एजुकेशन का पद कब क्रियेट कर दिया ? डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ तो है लेकिन डाइरेक्टर मेडिकल एजुकेशन नहीं है इसलिए एब इनिशियो यह एक्ट आपका गलत बन रहा है इसलिए इसमें या तो आप डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ करो और डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ नहीं करते हैं तो आप बतायें कि मेडिकल एजुकेशन का डाइरेक्टर आपने कब से बना दिया और कब से वो काम कर रहा है ? डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ की बात आती है तो एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वो एम.बी.बी.एस. होता है एम.बी.बी.एस. डाक्टर जो है वो यूनिवर्सिटी में जाकर क्या एकेडेमिक एक्सीलेंस लाएगा यह मैं समझता हूं कि आपके सोचने की बात है उसके बाद है रजिस्ट्रार आफ द यूनिवर्सिटी मैम्बर सैक्रेटरी ये चार आदमी तो आपने यहां पर गवर्नमैन्ट के घुसा दिये उसके बाद nominated members. "....(a) two persons nominated by the Vice-chancellor from amongst the Deans of the Faculties for one year; ....."

वाइस चांसलर को आपने चार आदमी दिये हैं और उसके बाद

".....(d) two Principals of affiliated colleges, one from the Government colleges and another from Private colleges, to be nominated by the State Government for one year; (e) two members of State Legislature to be nominated by the State Government for three years; and (f) two eminent educationists,....."

इसमें मैं चाहता हूं कि टू एमीनेंट मेडिकल एजुकेशनिस्ट यह मेडिकल आप और जोड़ दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

"....... to be nominated by the State Government for three years."

नहीं तो यहां पर कोई हिस्ट्री, इकानोमिक्स या हो सकता है कि कोई

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अलग-अलग विभाग के लोगों को लगा दें तो मेडिकल के एमीनेंट एजुकेशनिस्ट का समावेश किया जाना चाहिए ना इसमें भी करीब-करीब 6 आदमियों को आपने जोड़ दिया तो यह पूरा का पूरा वाइस चांसलर तो वहां पर एक तरीके से बैठा रहेगा जो उसको डिक्टेट करायेंगे वैसा करना पड़ेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में कहीं नहीं बनी है। मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी की आटोनामी के लिए आप इस पर पुनर्विचार करें कोई बड़ी बात नहीं है विधान सभा के सदस्यों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके इसको नये रूप में लाने में कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं कि इस एक्ट में जो-जो प्रावधान किये गये हैं उन प्रावधानों के लिए आपकी राजनीतिक मंशा हो सकती है लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास आर्थिक संसाधनों की कमी है। और जो कदम आपने उठाया है एक तरफ तो आप एक साल में एक करोड़ रूपया देंगे इस यूनिवर्सिटी के डवलपमेन्ट के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके टाइम में आपने एक-एक लाख के प्रोविजन में यूनिवर्सिटी खोली है।

श्री ओम बिरला : एक-एक लाख से कोटा विश्वविद्यालय खोल दिया घोषणा-घोषणा बाकी रह गई। आज तक खाली पड़े हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप कोटा यूनिवर्सिटी को और मेडिकल यूनिवर्सिटी को एक मत कीजिए। अभी मैं बता रहा था जिसके इक्विपमेन्ट 8-8 करोड़ रुपये के हो उस यूनिवर्सिटी को आप एक करोड़ में चलाना चाहते हैं तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप हाफ हार्टेड काम क्यों कर रहे हो ? इस यूनिवर्सिटी के लिये आपने एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया दूसरी तरफ एशियन डवलपमेन्ट बैंक के माध्यम से 60 करोड़ रुपये 6 मेडिकल कालेज को मिले थे। इन 6 मेडिकल कालेज में जो डवलपमेन्ट होते उसमें एम.एम.एस. में भी करीब-करीब 22 करोड़ से ऊपर की राशि खर्च होती। एक तरफ तो आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो और दूसरी तरफ राज्य सरकार प्रतिगामी कदम उठा रही है कि जो ए.डी.बी. से पैसा मंजूर था जिसमें एस.एम.एस. कोटा, एस.पी.एम. मेडिकल कालेज, बीकानेर और अजमेर की मेडिकल कालेज, उदयपुर का आर एन टी मेडिकल कालेज इन 6 के 6 मेडिकल कालेज का पैसा

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

इन्होंने दूसरी योजनाओं में डाइवर्ट कर दिया। सरकार क्या कदम उठाना चाहती है एक तरफ तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज बना रहे हैं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के लिये जो पैसा आया हुआ था 60 करोड़ रूपया वह आप दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं तो कैसे यूनिवर्सिटी का डवलपमेन्ट होगा, कैसे मेडिकल साइंसेज का डवलपमेन्ट होगा ?

श्री ओम बिरला : कल्ला साहब, आप कल भी कह रहे थे 60 करोड़ रूपया नहीं 37 करोड़ रुपये तो अभी हैं और जो डालर के भाव ऊपर हो जाते हैं कटौती मेडिकल कालेज की 60 करोड़ नहीं हुई है आपने पहले भी तीन बार विधान सभा में बता दिया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : 60 करोड़ का प्रावधान किया हुआ था और 60 करोड़ का जो प्रावधान था वह बिलकुल खतम कर दिया है अब और एक नया पैसा नहीं लग रहा है इस प्रोजेक्ट में। एक तरफ तो आप एक करोड़ रूपया लगा कर यूनिवर्सिटी बना रहे हो और दूसरी तरफ जो हमारे मेडिकल कालेज का डवलपमेन्ट हो रहा था उसको आप रोक रहे हो यह दो तरह की बातें कैसे चलेंगी।

कुछ बातें हमारे माननीय सदस्यों ने यहां कहीं उसका मैं समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि यह एक अलग प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। इस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपको तमाम 6 के 6 मेडिकल कालेज कांस्टीट्युएट कालेज बनाने चाहिये। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं यदि आप एक ही कालेज को कंस्टीट्युएट कालेज बनायेंगे तो सबसे पहले तो आपको नये सिरे से इसका सलेक्शन करना पड़ेगा कि एस.एम.एस. में कौन-कौन से प्रोफेसर आयेंगे। यह जो राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज बन रही है इसके प्रोफेसर, रीडर, लैक्चरर का नये सिरे से आपको सलेक्शन करना पड़ेगा और इनका सलेक्शन करने के बाद बाकी को एफिलिएटेड कालेज बनाना पड़ेगा इससे निश्चित रूप से राजस्थान में फिर नई-नई यूनिवर्सिटियों की मांग होगी और सारे मेडिकल कालेज यह चाहेंगे कि हमारे को आटोनोमी दी जाये या आटोनोमस कालेज बनाया जाये। इसलिए इस चीज से बचने के लिये आप इस पर पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके इसमें अलटरनेटिव थैरेपी को आप

(डा. बुलाकीदास ...)

अपने आब्जेक्ट्स में जोड़ें। रिसर्च एकेडेमिक एक्सीलेंस और खास तौर से इसकी आटोनामी की तरफ ध्यान दें, नहीं तो यह महज जैसे मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट का डाइरेक्टेट है वैसे यह डाइरेक्ट्रट बन जायेगा। मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर पुनर्विचार करें और जो मैंने टेक्निकल बिन्दु दिये हैं प्रिंसिपल सैक्रेटरी वाले और दूसरे, यह यदि आपने नही किये तो निश्चित रूप से आगे कहीं कोर्ट में यह चैलेंजेबल होंगे।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद साहब, आप बोलना चाहेंगे ? बोलिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी बातें तो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और नेता प्रतिपक्ष ने कह दीं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं तो शिक्षा मंत्रीजी आपसे 2-3 निवेदन करना चाहता हूं जैसे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपको यह बताना चाहिये था कि आखिर 4 अगस्त को विधान सभा का अंतिम सत्र था तब आपके पास राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने की कोई योजना नहीं थी और एक महीने बाद ही इतनी अर्जेंसी आ गई कि आपको महामहिम राज्यपाल महोदय से अध्यादेश जारी कराना पड़ा। आखिर क्या वजह थी यह चीज तो आपको बतानी चाहिये। 4 अगस्त को एग्जिस्टिंग विधान सभा थी, अन्तिम सत्र हुआ उस रोज आपके पास राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने की कोई कल्पना और कोई योजना नहीं थी और एक महीने बाद इतनी अर्जेंसी आ गई कि आपको अध्यादेश लाना पड़ा आखिर इसकी क्या वजह थी ?

दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी कानून बनता है, राजस्थान विधान सभा में कहा कि माननीय विधायकों को कम्प्यूटर दिया जायेगा तो उसमें यह शर्त नहीं है कि जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ला ग्रेजुएट है वही इसके मैम्बर होंगे। जब आप राजस्थान में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं तो फिर जो 6 मेडिकल कालेज हैं उन 6 को कम से कम इससे एफिलिएटेड रखिए। आप एक को रखकर 5 को इससे अलग रखकर आखिर क्या करना चाहते हैं मेरी समझ से परे है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्दबाजी में मत आइए। जल्दबाजी का

(मोहम्मद माहिर आजाद)

काम अच्छा नहीं होता है। आप एक अच्छी योजना लेकर आये हैं, एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसको गम्भीरता से लेना चाहिये। एक ऐसी मॉडल राजस्थान मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी बने जिसका पूरे देश में नाम हो। इसको आप प्रेस्टीज इश्यू मत बनाइए कि आज ही पास करना है। वैसे आपकी मर्जी आप इसको सलेक्ट कमेटी में भी ले जा सकते थे। आपकी अध्यक्षता में सलेक्ट कमेटी बनाकर आप सम्बन्धित छात्रों से, प्रोफेसर जो अलग-अलग मेडिकल साइंस के हैं उनसे, दूसरे जो लोग हैं उन सबसे सलाह-मशविरा करके मैं समझता हूं एक अच्छा और प्रभावी कानून बिल आप यहां ला सकते थे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप उतावलेपन में जल्दी में इसको मत लाइए। इसमें कई कमियां हैं। मावली से आने वाले हमारे माननीय सदस्य, सभापति महोदय ने जब हां पक्ष और ना पक्ष की राय ली तो उन्होंने हां कह दिया, बाद में उनकी समझ में आई कि नहीं इसमें तो उदयपुर मेडिकल कालेज अजमेर, कोटा, बीकानेर और वह रह जायेंगे केवल जयपुर ही आ जायेगा और कई सदस्यों के मन में भी यह बात आ रही है लेकिन कई कहना चाहते हैं कई नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से यही निवेदन है कि आपने कह दिया 28 कालेज इससे जुड़ेंगे। कौन से कालेज जुड़ेंगे, कब क्या होगा। केवल 20 करोड़ रुपये में आप इसकी कल्पना कर रहे हैं। एक करोड़ रुपये की एक साल में आपके पास व्यवस्था आ रही है। इसलिए सारा वित्तीय प्रबन्ध करके सारी चीजें कर के मेरा आपसे यह निवेदन है कि अगर आप इसको जनमत जानने के लिये नहीं भेजते हैं तो कम से कम आपकी अध्यक्षता में एक सलेक्ट कमेटी बना लीजिए और खूब अच्छी तरह विचार-विमर्श करके जो लेकूनाज इसमें रह गये जैसा वीडियो कांफ्रेसिंग वाले मामले में सरकार को मात खानी पड़ी कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इसको पास कर दें और बाद में इसको कोर्ट या महामहिम राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय इसको वापस रिटर्न कर दें। इसलिए उससे आपकी और हमारी सब की हिन्दी होती है मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायें। अध्यक्ष महोदय, देखिये, क्या कहा मैंने कुछ सुना आपने। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि शिक्षा मंत्रीजी....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आप खुद ही बता दो आपने क्या कहा।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने जो कहा वो आपने मुझे कहा था वही तो कहा है और क्या कहलवाना चाहते हो मुझसे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइए। इसका आटोनोमस रहे, इसका सरकारी तन्त्र मत कीजिए इसमें जो कमियां रही हैं उनको दूर करके इसको प्रभावी तरीके से आप दुबारा लाइए, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (उच्च शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बिलकुल साफ करना चाहूंगा। एक बात माननीय सी.पी. जोशीजी ने कही, माननीय बी.डी. कल्लाजी ने भी कहीं, मांवली से आने वाले हमारे माननीय सदस्य ने भी कहीं। इस विश्वविद्यालय का तीन क्रमों में विकास होगा। पहले परीक्षा करने, इसकी सारी संरचना करने और उसके बाद संघटक कालेज के लिये इसमें प्रावधान है "राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की भूमि, भवन, प्रयोगशालाएं, उपस्कर, पुस्तकें और कोई भी अन्य सम्पत्तियां विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी।" इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल संघटक कालेज एस.एम.एस. कालेज के नहीं है राजस्थान की जितनी भी मेडिकल कालेज हैं जब इनके बारे में किया जायेगा तो उन सबको ध्यान में रखकर किया जायेगा। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप इर्रेलेवेंट कोट कर रहे हैं। आज जिम्मेदार आदमी होकर इर्रेलेवेंट कोट कर रहे हैं। आप पढिये फैकल्टी के पोर्शन को। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप 6.3 पढ़ लीजिए। आप ही हैं क्या, मुझे पढ़ना नहीं आता है क्या ? यह क्या है, अध्यक्ष महोदय, 6.3 पढ़ लीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : 6.3 पढ़ लो। इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : थर्ड स्टेज है, इस प्रकार क्लोज पर चर्चा कहां से होगी।

डा. सी.पी. जोशी : क्लाज पर चर्चा कौन कर रहा है, जनरल है वह बात कर रहा हूं, अपन पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बोलने का यह स्टेज नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : पास कर दीजिए। क्या बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जनमत भेजेंगे और वो भेजेंगे.....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : पास कर दीजिए। खोटे काम करोगे ? क्या बात करते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : भेजो अमेंडमेन्ट ज्यादा ही विद्वान हो तो (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : पास आप खुद ही करोंगे। बहुमत है। हमारे कहने से थोड़े करोंगे (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप हमारी बात सुनिए। मंत्रीजी, सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए पर वह जो चीज कोट कर रहे हैं उसमें यह क्लाज लिखा हुआ है कि सरकार इसको कांस्ट्रियुएट कालेज डिक्लियर कर सकती है। आप छोडिए इसको आप आइये फैकल्टी और एकेडेमिक कौंसिल में। आप बातें कर रहे हैं इर्रलेवेंट बातें कर रहे हैं। एकेडेमिक कौंसिल, एक-एक बोलता हूं। पेज निकालिए (d) One Principal or Director of a constituent college to be nominated by the Vice-chancellor.

इसका मतलब एक कांस्टिट्युएंट कालेज होगा। पेज 22, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब सैक्रेटरी इस तरह की बातें करते हैं, पेज 22 में पढ़ रहा हूं मैं एकेडेमिक कौंसिल में इसमें लिखा हुआ है, One Principal or Director of a constituent college एक कौंसिल कालेज और फिर आगे.....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बनेगा तब होगा ना, अभी तो कोई है ही नहीं।

डा. सी.पी. जोशी : एक मिनट, बिराजिए, एक मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अकल का ठेका थोड़े ही यह कोई।

डा. सी.पी. जोशी : ठेका तो मैंने लिया है, आपने लिया है, आप फिर कैसी बातें कर रहे हैं (व्यवधान)

(डा. सी.पी. जोशी)

(k) one teacher, other than the Principals, from an affiliated college having a minimum ten years experience.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बनेगा तब हो जाएगा।

डा. सी.पी. जोशी : डे वन से एकेडेमिक कौंसिल होगी, किस दुनिया में है आप यूनिवर्सिटी के काम्बीनेशन में है डे वन से....

The moment you have a University you will have an Academic Council.

आप क्या बात कर रहे हैं ? घनश्यामजी, आपको पास करना है मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ होती है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे, यह आप आगे देखिये पेज 27-

(d) One post-graduate college Principal and one post-graduate department Head in each subject of the Faculty from affiliated Colleges, nominated by the Sate Government.

आप डे वन से, आप मेरी बात सुन लीजिए, जैसे ही आप बिल पास करेंगे, यूनिवर्सिटी बन जाएगी, वाइस चांसलर अपाइंटमेन्ट कर दिया उसी दिन आपकी एकेडेमिक कौंसिल आफ फैकल्टी बनेगी। जब एकेडेमिक कौंसिल आफ फैकल्टी बनेगा तो उसी दिन से कांस्टिट्युएंट कालेज होगा, एफिलिएटेड कालेज होगा, आप कह रहे हैं कांस्टिट्यूएंट कालेज सब हो जाएंगे, नहीं हो सकते। आपने जो क्लाज दिया था खड़े होकर कहिए जो आपके पास पावर है जिसको आपने कोट किया, आप खड़े होकर यह कहिए कि राजस्थान के जितने मेडिकल कालेज हैं वह सब कौंसिल कालेज होंगे तब तो बात खतम हुई वह तो आप कह ही नहीं रहे, आप तो कह रहे हैं कि हैडक्वार्टर वाला कौंसिल कालेज होगा तो बाकी सब (व्यवधान) कानून बोलेगा, आपके कहने से क्या होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य....(व्यवधान) प्रभारी मंत्रीजी क्लियर करें।

श्री भवानी सिंह राजावत : क्या जरूरी है कि आप सरकार को डिक्टेट करें?

डा. सी.पी. जोशी : भवानी सिंहजी विराजें। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा था मैं डिक्टेट नहीं करवाने वाला। आपका बहुमत है आप चाहेंगे जब पास होगा। हमारा तो धर्म बनता है। मंत्रीजी, आप आर्ग्यूमेन्ट दे रहे हैं वह खोटा आर्ग्यूमेन्ट दे रहे हैं। खोटा पास करो हमें क्या तकलीफ है, हमें कोई तकलीफ थोड़े ही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समझ में आ गई बात, जवाब दे रहा हूं, क्या बात है....(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप जवाब दें। घनश्यामजी आप जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने आपकी बात सुन ली।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : One constituent college one affiliated college. जब डेफिनेशन दी जाती है तो सिंगल हैड में दी जाती है।

डा. सी.पी. जोशी : ठीक कह रहे हैं (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत : यही तो लिखा हुआ है।

डा. सी.पी. जोशी : हम भी तो यही कह रहे हैं। मंत्रीजी कह रहे हैं कि एक कौंसिल कालेज होगा। (व्यवधान) यही तो कह रहे हैं, हम यह कह दे खड़े होकर।

डा. जालम सिंह रावलोत : एक्ट में प्रावधान किया गया है उसमें हर चीज का जो डिफाइन किया गया है वह सिंगल हैड में किया गया है, यही तो बात है।

डा. सी.पी. जोशी : हम भी तो यही कह रहे हैं, आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं (व्यवधान) हम आपकी बात भी कह रहे हैं डाक्टर साहब, आपकी बात भी कह रहे हैं।

डा. जालम सिंह रावलोत : जवाब तो वह देंगे लेकिन आप तो बार-बार कह रहे हैं वह कालेज नहीं है, वह कालेज नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : मान्यवर, चार या पांच मेडिकल कालेज हैं। पांचों कांस्टिट्युएंट कालेज हैं....

एक माननीय सदस्य : आप वापस कालेज में पढ़ाने का काम कर दीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : आप डाक्टर हैं बात तो सही कहिए (व्यवधान) पास तो आप करेंगे। मेजोरिटी आपकी है। हमें क्या करना है। हमारा धर्म बनता है वही काम करेंगे हम।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बात सुन ली, मैं जवाब दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें विवाद की बात नहीं है। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि सैक्शन-3 के अन्तर्गत अधिसूचित किया जाएगा वह संघटित कालेज होगा। अभी तक हमने एक भी कालेज को संघटित कालेज घोषित नहीं किया। जहां तक एफिलिएटेड कालेज और संघटक कालेज के प्रतिनिधि का सवाल है सारी सरकारी कालेज जब संघटित हो जाएगी तो जो प्राइवेट कालेज है वह एफिलिएटेड कालेज होगी। उनका प्रतिनिधि भी आ जाएगा और उनका प्रतिनिधि भी आ जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार की विवाद की इसमें बात ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स आफ बिजनेस में अभी कल्ला साहब ने कहा कि- Secretary to the Government word hi hai islia Secretary includes Principal Secretary.

एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमने डायरेक्टर, मेडिकल एजुकेशन, एजुकेशन का डायरेक्टर शीघ्र ही बनाया जा रहा है। प्रिंसिपल रूप से सरकार ने अप्रूव कर दिया है इसलिए वह व्यक्ति इसमें मैम्बर बनाया जाएगा। तीसरी बात....(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : Secretary does not include Principal Secretary but Principal Secretary includes Secretary.

श्री घनश्याम तिवाड़ी · Yes.

श्री हरिमोहन शर्मा : यस, और आप कह रहे हैं......Secretary includes Principal Secretary, this is not the fact.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने बात कहा है वह कही है।

श्री हरिमोहन शर्मा : Principal Secretary includes the Secretary.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : A Secretary includes Principal Secretary.

श्री हरिमोहन शर्मा : No. Secretary does not include Principal Secretary. Principal Secretary includes the Secretary.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप भी नहीं मानते, मैं मान रहा हूं। विश्वविद्यालय वी.सी. की नियुक्ति की प्रक्रिया में जिन तीन अधिकारियों की बात कही है वह केवल नियुक्ति नहीं करेंगे पैनल बनाएंगे, नियुक्ति तो गवर्नर महामहिम करेंगे, कोई विवाद की बात इसलिए इसमें नहीं है।

डा. सी.पी. जोशी : स्टेट गवर्नमेन्ट इतनी हैल्पलेस है क्या ? क्या बात कर रहे हो आप। (व्यवधान) घनश्यामजी, आश्चर्य होता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : I am not yielding now.

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कह रहा हूं, माननीय कल्ला साहब ने कहा, मैंने बड़े ध्यान से सुना, आप भी सुन लीजिए। आपने कहा कि 100 करोड़ रुपये लगेंगे आपने तो 20 करोड़ का प्रावधान किया है। आपने तो एक करोड़ का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय एक दिन में नहीं बनते। आज सरकार 100 करोड़ की व्यवस्था नहीं कर सकती। तो 30 साल पहले जो काम नहीं किया गया वह काम आज हम नहीं करें क्या ? मैं कहना चाहूंगा कि वह लोग बोल रहे हैं जिन्होंने एक-एक लाख रुपये देकर एक-एक वी.सी. को नियुक्ति करके (व्यवधान) दो-दो यूनिवर्सिटी बना दिए (व्यवधान) अपने गिरेबान में झांककर देखें तो उनको पता लगेगा कि उन्होंने कितना सत्यानाश किया है।

श्री भवानी सिंह राजावत : बिना जमीन के कोटा यूनिवर्सिटी खोल दी। एक बीघा जमीन नहीं है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : कोटा विश्वविद्यालय को केवल 5 लाख रुपये दिए हैं, एक करोड़ रुपये नहीं दिये। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : एक बीघा जमीन नहीं दी, एक बीघा जमीन।

डा. सी.पी. जोशी - आप तो रक्षा करो, हमने तो एक लाख में किया (व्यवधान) आप एक करोड़ में कर रहे हो बात तो की वो ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं एक करोड़ में नहीं 20 करोड़ में कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कल कल्ला साहब ने कहा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय एक प्रोफेसर पर चल रहा है, 92 प्रोफसेर हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : चयनित नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चयनित है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : चयनित नहीं है, मैंने चयनित का नाम लिया था, चयनित प्रोफेसर एक ही है वहां, बाकी तो प्रमोशन से लगाये गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पूरे साल में, आपके राज में एक भी प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं हुई। हमने 36 डीपीसी करके सारे प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी। आप क्या बात कर रहे हो ? इंजीनियरिंग कालेज की आपके कारण से मान्यता खतम होने वाली थी हमने चारों इंजीनियरिंग कालेज में प्रिंसिपल नियुक्ति कर दिए, उनके बजट का प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, पांच साल तक इन लोगों ने शिक्षा में अराजकता का साम्राज्य स्थापित कर दिया था, यह बोलने लायक नहीं है। एक मास्टर नहीं लगाया। आज पहली बार सरकार जब इस प्रकार का बिल लाई है....

डा. सी.पी. जोशी : नेक काम किया है पहली बार आपने....(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : बिल पर बोलें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप जोर से बोलेंगे तो गलत बात थोड़ी ही ठीक होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सारे जो तर्क दिए गये हैं उन तर्कों का मैंने जवाब दिया है। सरकार विश्वविद्यालय को बहुत बढिया विश्वविद्यालय बनाना चाहती है, राजस्थान के सभी मेडिकल कालेज को एक समान रूप से विकसित करना चाहती है। इन सबको विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध करना चाहती है। राजस्थान को मेडिकल शिक्षा में आगे ले जाने के लिए यह बिल लाया गया है

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसलिए माननीय सदस्य से विनम्र आग्रह करूंगा कि इसको पारित किया जाए। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आर्डिनेन्स के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे ? आर्डिनेन्स क्यों लाए, इसकी क्या जरूरत पड़ी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोल देता हूं आर्डिनेन्स के बारे में।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, एक बात और बता दें कि इसका पार्ट क्या पूरा एस.एम.एस. मेडिकल कालेज होगा या प्रदेश के सारे मेडिकल कालेज होंगे ? इसको तो क्लियर करो, इसको क्लियर करने में क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप मेरे से क्लियर करा लोगे क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं करेंगे तो यह कटारियाजी करा लेंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही है, मत कीजिए, आप तो कह दीजिए हम तो छहों को ही नहीं रखेंगे....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने क्लियर कर दिया। राजस्थान के 6 मेडिकल कालेज को किसी समय भी सरकार चाहेगी उन्हें संघटक कालेज घोषित करेगी। (व्यवधान) सैक्शन 6 में प्रोविजन है। दूसरी बात, मैंने अभी यह कह दिया, उन्होंने कहा कि आपका सेशन अगस्त में था आपने कैसे नहीं किया, इसमें घोषणा की थी मानानीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके बनने के बाद में हमने इसके लिये 25 हजार मीटर जमीन लेकिन प्रशासनिक भवन का निर्माण काम प्रारम्भ कर दिया-दो। इसके बनने के बाद में 200 एकड़ जमीन की हमने इसकी मांग कर ली-तीन। इसके बाद में हमने बी.सी. की प्रक्रिया चालू कर दी-चार और इसके बाद में इसके सारे काम हम कर रहे हैं, टीम बना दी, टीम भेज दी। इसलिये मैं चाहता हूं इसकी आवश्यकता थी लेकिन इस पर भी अगर लाना था तो ये चूक गये, चूक जाते हैं, परिनियत संकल्प ले आते तो इस पर विचार हो जाता। सैक्शंस पर संशोधन ले आते तो एक-एक सैक्शन पर विचार हो जाता।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख है कि लेजिस्लेटिव बिजनस के मामले में भाषण देने में तो यहां पर हैं, तैयारी करने में विपक्ष के सदस्यों ने तो बिलकुल ही तैयारी नहीं की आज यहां पर। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सबसे इनएफिशिएंट मंत्री, पहली बार पता लगा कितने इनएफिशिएंट मंत्री हैं। पहली बार पता लगा, पहली बार पकड़े गये, बाकी पकड़ में नहीं आते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : और अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में उल्लिखित पूरे बिजनेस को पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय आज की कार्य सूची में उल्लिखित बिजनेस को पारित होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची में उल्लिखित बिजनेस को पारित होने तक बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को पारित किया जाए ?

जो पक्ष में हों हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

श्री अध्यक्ष : जो विपक्ष में हों ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005....

डा. सी.पी. जोशी : ना पक्ष जीता। अध्यक्ष महोदय, ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : यू वांट डिवीजन ?

डा. सी.पी. जोशी : डिवीजन होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां, डिवीजन चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ध्वनि मत से पास हुआ, आप दुबारा पुकार लें, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दुबारा पूछ लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप दुबारा पुकार लें। नहीं, ध्वनि मत से हुआ है, आप दुबारा पुकार लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : (स्वीकृत) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पारित किया गया।

राजस्थान, नगर-पालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (स्वायत्त शासन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नगरपालिका (संशोधन विधेयक, 2005 विचार के लिये आज सदन के समक्ष रखा है। मैंने जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का प्रस्ताव रखा था। जिस विधेयक को आज चर्चा के रूप में हम सदन में ले रहे हैं वह विधेयक सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश बहुत जरूरी अध्यादेश था। 74वें संविधान संशोधन के बाद सारे देश के अन्दर स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव 5 साल में करवायें जाने की अनिवार्यता तय हो गयी और इसलिये 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप और राजस्थान नगरपालिका विधेयक अधिनियम 9(1) 'क' के अनुसार......

श्री जुबेर खान : देखिये, अध्यक्ष महोदय, सीनियर मंत्री हैं और आपके तथा माननीय सदस्य के बीच में से निकल कर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीगण आप थोड़ा ध्यान रखा करें। थोड़ा ध्यान रखा करें, नियमों का पालन करें।

श्री प्रहलाद गुंजल : माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जब राजस्थान में स्वायत्तशासी निकायों में चुनाव करवाना तय हुआ तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम धारा 9(1)'क', जिसमें इस बात का प्रावधान है कि जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन कराकर ही चुनाव सम्पन्न करवाये जाएं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, द्वितीय परिसीमन आयोग जिसमें देश ने पार्लियामेन्ट और असेम्बली के डिलिमिटेशन के कारण यह व्यवस्था दी कि जब तक यह परिसीमन पूरा नहीं हो जाता है किसी भी नगरपालिका के वार्ड और राजस्व गांव के पटवार सर्किल को तोड़ा नहीं जा सकता है और इन परिस्थितियों में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 9(1)'क' की लाइट में नये सेंसस के आधार पर चुनाव की मांग को लेकर न्यायालय में जाने की स्थितियां खड़ी हुईं।

श्री जुबेर खान : यह तो मंत्रीजी कहेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल : मंत्रीजी कहें तब मंत्रीजी से सुन लेना।

श्री जुबेर खान : मंत्रीजी देंगे, क्यों जरूरत पड़ी।

श्री प्रहलाद गुंजल : और इसलिये, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नगरपालिका अधिनियम की धारा 9(1)'क' का वायोलेशन न हो इस मंशा से सरकार ने एक आर्डिनेन्स पारित किया। लेकिन उस अध्यादेश को माननीय उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, अगर खाली हम माननीय उच्च न्यायालय के इतने से निर्णय के प्रकाश में जाएंगे कि सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, इन परिस्थितियों में चुनाव होना ऐसा लगता है जैसे कोई नगरपालिका अधिनियम की धारा 9(1)'क' का बायलेशन हुआ है। मैं अब अपने जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को इसलिये वापस ले रहा हूं कि 74वें संविधान संशोधन इस बात के लिये बाधित करता है कि 5 साल में चुनाव करवाया जाना अनिवार्य है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि संवेधानिक परिस्थिति के कारण किसी भी परिस्थिति में चुनाव की प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता है। और 9(1)'क' इस बात का उल्लेख करता है कि नयी सेंसस के जरिये नये डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव सम्पन्न करवाये जाने चाहिए। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं सरकार के इस निर्णय कि भारतीय संविधान की धारा 243 पी.जी., उसने हमारे सामने कानूनी संकट को दूर करने का एक समाधान किया। यह सवाल हम सबके दिमाग में है कि जिस एक्ट को हम इस सदन में पारित करते हैं, हाइकोर्ट के निर्णय में उसमें रिलेक्सेशन के बारे में कोई निर्देश नहीं हैं। क्या उस स्थिति में यह चुनाव करवाया जाना बायलेशन नहीं है ? लेकिन भारतीय संविधान की धारा 243 पी.जी. में स्पष्ट उल्लेख है कि हम लेटेस्ट जनगणना का आधार केवल उसे मानेंगे जिसको राजपत्र में प्रकाशित करके घोषित कर दिया गया हो, जिसके आंकड़े प्राप्त हो गये हों और 243 पी.जी. की व्यवस्था के अनुसार सरकार के सामने केवल (व्यवधान) की जनगणना के आंकड़े राजपत्र में घोषित थे। मैं समझता हूं कि अब मुझे इसका समर्थन इसलिये करना पड़ रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस विधेयक को असंवैधानिक घोषित करने के बाद भी और 243 पी.जी. की लाइट में चुनाव सम्पन्न करवाने के बाद हमारे सामने इस सारे विषय पर अगस्त के महीने में एक परिस्थिति खड़ी होने वाली है कि हम 243 पी.जी. की लाइट में

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जाकर बात करते हैं तो हमारे पास अब आज की स्थिति में जनगणना के आंकड़े आ गये और जनगणना के लेटेस्ट आंकड़े आने के बाद अप्रैल तक विधान सभा का सत्र और उसके बाद डिलिमिटेशन की प्रक्रिया, उस लम्बे प्रोसेस के कारण शायद मैं यह समझता हूं कि अगर इस 9(1)(क) के संशोधन करके ओर्डिनेन्स को अगर नियम नहीं बनाया गया तो अगस्त में या तो चुनाव करना सम्भव नहीं होगा या नगरपालिका अधिनियम की धारा 9(1)(क) का बायलेशन होगा और उस समय सबसे बड़ा चिन्ता का यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि जिस एक्ट को हम इस सदन में मान्यता देते हैं, जिस एक्ट को हम इस सदन में बनाते हैं उसकी पालना सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व होता है और इसलिए अगस्त महीने में आने वाले चुनाव, आज के इस वर्तमान चुनाव के अन्दर हमको संविधान की धारा 243 पी.जी. ने रिलेक्स कर दिया कि लेटेस्ट आंकड़ों का आधार गजट में प्रकाशित, आप 1991 के आंकड़ों को मान सकते हो लेकिन चूंकि हमारे पास इन 45 निकायों के चुनावों के बाद गजट में नोटिफाइड आंकड़े राजस्थान की आबादी के प्राप्त हो गये और अभी डिलिमिटेशन का प्रोसेस प्रारम्भ नहीं हुआ, अगस्त का चुनाव हमारे सामने है। राजस्थान की 100 से ज्यादा नगरपालिकाओं के चुनाव होने हैं। 126 स्थानीय निकायों के और उस समय अगर यह आर्डिनेन्स एक्ट के फार्म में नहीं आएगा, नियम के फार्म में तो बिना डिलिमिटेशन चुनाव करवाया जाना, 243 पी.जी. का भी बायलेशन होगा और संवैधानिक बाध्यता हमको चुनाव कराने के लिए बाध्य करती है और 9(1)(क) का भी बायलेशन होगा। इसलिए हमारे सामने आने वाले म्यूनिसिपल के चुनावों में जहां 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप हम निश्चित अवधि में चुनाव करवाएंगे और निश्चित अवधि पर चुनाव कराने के बाद भारत के संविधान की भावना के अनुरूप जो हमने राजस्थान की इस असेम्बली में म्यूनिसिपल एक्ट पारित किया उस म्यूनिसिपल एक्ट की भी किसी धारा का वायोलेशन नहीं हो इस सारी बात को सुनिश्चित करने के लिए आज इस अध्यादेश को नियम के रूप में सदन में पारित होना अत्यन्त आवश्यक है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इस पर प्रारम्भिक अध्ययन के बाद भारतीय संविधान की धारा 243 पी.जी. की लाइट में जाए बगैर और इस तथ्य की जानकारी के बगैर की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

निर्धारित अवधि तक चुनाव जब नगरपालिकाओं का करायें जाने थे, राजस्थान की जनगणना के गजट नोटिफाई आंकड़ विभाग को प्राप्त नहीं हुए, इस सूचना के अभाव में मैंने जनहित में परिचालित करने का प्रस्ताव रख दिया था और इसलिए मैंने यह सारी जानकारी के बाद, अध्ययन के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री प्रहलाद गुंजल : अगस्त के महीने में जिस पांच साल की संवैधानिक बाध्यता के तहत हम 126 नगरपालिकाओं के चुनाव करवाना चाहते हैं, डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। सेन्सस के आंकड़े इसके पास उपलब्ध हैं। म्यूनिसिपल एक्ट 9(1)(क) का वायोलेशन भी नहीं हो इसलिए इसमें अमेंडमैन्ट जरूरी है इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा। बात तो सीधी-सी है अब प्राब्लम तो है नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय दो पालिटिकल बात मुझे कहनी है, वह तो कह दूं।

श्री अध्यक्ष : पालिटिकल क्या कहेंगे आप ?

श्री हरिमोहन शर्मा : बहुत जरूरी है, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके और इनके रिश्ते जगजाहिर हैं, वैसे ही कह दो।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं सिंघवीजी का सम्मान करता हूं। सीधे और सज्जन आदमी हैं लेकिन फिर भी राजनीति के कारण, राजनीति में निर्णय के कारण आप लोगों की सलाह से जिस प्रकार का यह कांग्रेस के चुने हुए जन-प्रतिनिधियों के साथ अत्याचार करते हैं, वह तो बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : राजनीति फिर कर लेना। राजनीति फिर कर लेना। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, राजनीति फिर कर लेना अभी तो चलने दो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में अपने विचार रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि हम नगरपालिकाओं के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ाते हैं और यह बात भी सही है कि जब-जब भी सत्ता किन्हीं व्यक्तियों के हाथ में रहती है तो चुनाव चिन्ह पर लड़ने वाले प्रतिनिधियों को प्रभावित करने का काम अधिक प्रभावकारी ढंग से वे कर सकते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके जीते हुए, दूसरे के चुनाव चिन्ह से जीते हुए लोगों को सत्ता के प्रभाव में अपनी ओर मिलाकर अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाकर यह वाहवाही लूट सकते हैं कि उनको जनता ने चुना। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि मैंने पंचायती राज के मामले में भी आपसे अनुरोध किया था, वैसा ही अनुरोध मेरा माननीय मंत्रीजी से है कि अगर आप स्वस्थ राजनैतिक परम्परा कायम करना चाहते हैं तो आप अपने चुनाव के आधार पर, अपने सिम्बल के आधार पर जिन लोगों को चुनते हैं अगर आपमें थोड़ी भी ईमानदारी है और सत्ता का दुरुपयोग करके उन लोगों को हमारे चुनाव चिन्ह पर जीतने वालों को प्रभावित करके, प्रलोभन देकर (व्यवधान) अगर आप नगरपालिकाओं में अपना बहुमत बनाकर यहां झूठी वाहवाही नहीं लूटना चाहते हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एण्टी-डिफेक्शन बिल में जो प्रोविजन्स हैं वह नगरपालिका अधिनियम में जोड़ा जाना चाहिए। आपके चुनाव चिन्ह पर जीते वह आपका और हमारे चुनाव चिह्न पर जीते वह हमारा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जैसी नीयत आपकी है, वैसी ही हमारी है।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारी जो नीयत थी आप यह कहते हो कि आपको इधर बैठा दिया तो आप इसी इन्तजार में बैठे हो ? आना चाहते हो तो आओ, पहले आप आ जाओ, हम तो उधर आ जाएंगे, हमको दिक्कत नहीं है उसमें.....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जब राजनैतिक चर्चा करते हैं, मैं आपकी इस बात का पक्षधर हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा आपसे यह सुझाव, विनम्र अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : यह तो इधर ही बैठते हैं, इधर जाते ही नहीं कभी, इधर ही बैठते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा आपसे सुझाव है कि इस प्रकार का परिवर्तन अपन करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अच्छा सुझाव है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपने जो नगरपालिका या स्वायत्त शासन मंत्री बनने के बाद जो चुनकर कांग्रेस की नगरपालिका के सदस्यों को, नगरपालिका के चुने हुए अध्यक्षों को, नगरपालिका के चुने हुए उपाध्यक्षों को जो गिन-गिन कर डिस्क्वालिफाइड किया है, जो गिन-गिनकर हटाया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह इसमें कहां है ? आज के इस अमेंडमैन्ट में कहां है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको मुझसे बहुत ज्यादा, सात गुणा ज्यादा अनुभव है लेकिन बोला तो जा सकता है। राजनैतिक दुर्भावना से आपने काम किया है। हम तो अपेक्षा करते थे कि हमारी डिवीजन के बहुत भले आदमी हैं जो बात भी भली-भली करते हैं। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : हरिमोहनजी, आप जो बात बोल रहे हैं, थर्ड रीडिंग में बोल सकते हो।

श्री भवानी सिंह राजावत : हमने आपसे कम किया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : केवल आपने इसमें यह कहा कि यह किया जाए, यह किया जाए। क्या किया जाए उसका कारण बताओ ? वह थर्ड रीडिंग में बोलना।

श्री अध्यक्ष : वह और बता रहे हैं उन्हें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, यह इनकम्पलीट है और हमारी राय है कि जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाया जाए जिसमें एण्टी डिफेक्शन का भी हो और इस बात की व्यवस्था हो कि सरकार किसी भी चुने हुए आदमी को सस्पैण्ड नहीं कर सके, उसको रिमूव नहीं कर सके। अपनी मनमर्जी नहीं कर सके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री. रामनारायण चौधरी : इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करवाना चाहते हैं एक काम्प्रिहेन्सिव बिल लाया जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप विडम्बना देखिये, आपका न्याय देखिये।

श्री रामनारायण चौधरी : हमें नये बिल में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह कम्प्लीट बिल नहीं है, यह ऐसा बिल लाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपका तो जनमत जानने के लिए प्रस्ताव है ही नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को यह सस्पैण्ड नहीं कर सकें, पूरे कार्यकाल तक वे कार्य करें, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि एण्टी डिफेक्शन बिल लाया जाए। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अमेंडमैन्ट ही नहीं है आपका तो। यह काहे के अन्तर्गत बोल रहे हैं, इनका है ही नहीं अमेंडमैन्ट। अमेंडमैन्ट ही नहीं है आपका तो।

श्री रामनारायण चौधरी : निर्दलीय है वह निर्दलीय रहे। (व्यवधान) अमेंडमैन्ट की जरूरत नहीं है इसमें। यह बिल ही डिफेक्टिव है।

डा. एन.एस. गुर्जर : थर्ड रीडिंग में बोलो, इसमें कैसे बोल रहे हो ? आपका नाम ही नहीं है इसमें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप जनता का विचार तो जानो।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपका तो नाम ही नहीं है। अमेंडमैन्ट ही नहीं है आपका तो, आप कैसे बोल रहे हो ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो हरिमोहनजी का ज्ञान बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आप तीसरे वाचन में बोलना, अभी तो केवल जनमत जानने की बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके अगर भारतीय जनता पार्टी के सिम्बल पर जीते हुए नगरपालिका के अध्यक्ष हैं और वे 12 हजार किलोमीटर की गाड़ी अपने निजी उपयोग में ले लें तो माननीय मंत्रीजी कुछ नहीं करेंगे। जवाब

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जरूर देंगे हमको, हां, भाई, हमारे चेयरमैन ने 18 हजार किलोमीटर की गाड़ी उसके निजी उपयोग में ली है। एक काम नहीं करेंगे। बजट पास कराने के लिए महीनों तक बोर्ड की मीटिंग नहीं रखें तो आप कुछ नहीं करोंगे। महीनों तक मीटिंग नहीं बुलाये और जिला कलक्टर निर्देश दे तो भी आप कुछ नहीं करेंगे। यह सारी स्थितियां जो आपके सामने हैं, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां डिवीजन के होने के कारण यहां थोड़ा न्याय करो। इतनी कल्पना नहीं थी सिंघवीजी से कि 100 फीसदी राजनीतिक आधार पर.... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : बिलकुल न्याय होगा। चिन्ता मत करो आप। आप तो विराज़ो अभी तो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी मैंने सुझाव दिये और आपके भी चेयरमैन हैं तो कहां तक मोहर रखोगे। उनके खिलाफ कार्यवाही क़रो। कुछ निष्पक्षता का परिचय दो। हमारे प्रभारी हैं बिड़ला साहब वह हमारी बात को जानते हैं। आप भी बूंदी जाते हो, सारी परिस्थतियों से वाकिफ हो। थोड़ा तो दोनों मिलकर न्याय कर दो और फिर आपकी मर्जी जैसा चाहो, वैसा करो।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान। (अनुपस्थित) डा. चन्द्रशेखर बैद। (अनुपस्थित) श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें क्या है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : है जो तो सुनिये न आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो शेर सुना दो। कल आप जो शेर नहीं सुना पाये वह शेर सुना दो आप तो।

श्री अध्यक्ष : इनको तो केवल पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर ही रोक सकते हैं। बाकी कोई नहीं रोक सकता।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यहां मुशायरे का आयोजन कर लें ? यहां विधायी कार्य हो रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा है, आपकी इजाजत हो तो मैं इन पर ही एक शेर सुना देता हूं। एक शायर ने सही कहा है और आप पर खासकर के सुना रहा हूं कि-

"खुदा महफूज रखे बड़ा जालिम जमाना है,

दिल में द्वेष रखते हैं और दिखावे में दोस्ताना है।"

यह मेरे से मन में बड़ा द्वेष रखते हैं और एक रोज मैंने प्रताप सिंह.... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : गलत बयानबाजी कर रहे हैं। दोनों पक्के मित्र हो और हमको बना रहे हो। दोनों पक्के मित्र हो और हमको बना रहे हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रताप सिंहजी के कमरे में मेरा जितना विरोध करना था, विरोध किया इन्होंने।

श्री मदन राठौड़ : मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो अध्यक्ष महोदय को बताने के लिये कहा है।

श्री संयम लोढ़ा : आप पहले यह बताओ कि बीवी कौन है ?

श्री ओम बिरला : इस पर सिंघवी साहब, आपको एक शेर सुना देता हूं। मेरे शेर का जवाब मत देना, मैं इतना माहिर नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : यह शेरो-शायरी की महफिल नहीं है, विधान सभा है।

श्री ओम बिरला : शेरो-शायरी तो सुनाई है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : आपका जब मौका आये, मौजूं टाइम पर कहना।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधयेक, 2005 के सम्बन्ध में तीन-चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहला, तो यह कि जब आपको मालूम

(मोहम्मद माहिर आजाद)

था कि 45 स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं तो आपने पहले से ही उनके परिसीमन का काम क्यों नहीं किया ? आपको सेंसस रिपोर्ट कब मिली ? मैं यह जानना चाहता हूं। क्या आपके पास सफिशियेंट टाइम नहीं था कि आप समय रहते यह कार्य करते क्योंकि कोई भी काम अध्यादेश के जरिये कराना अच्छी चीज नहीं है। जुलाई में विधान सभा चल रही थी, 4 अगस्त तक चली। चुनाव नवम्बर में हुए। आप तब भी यह काम कर सकते थे। लेकिन आपने नहीं किया। कोई बात नहीं लेकिन अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो गलती हो गयी, इसको सुधारने के लिये आप यह आज यहां पर संशोधन लाये हैं। लेकिन अब 138 या 141 नगरपालिकाओं के चुनाव अगस्त में होने जा रहे हैं। अब तो आपके पास सेंसस रिपोर्ट भी है और सफिशियेंट टाइम भी है तो क्या अब आप जो बाकी 138 या 141 नगरपालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, उनका तो परिसीमन करने का इरादा रखते हैं ? या उसके लिये भी आप बाद में ऐसा ही अध्यादेश लाकर इसी तरह से संशोधन में लाकर इस हाउस से जो आपने गलती की उसके ऊपर मोहर लगवाने का काम करेंगे ? मैं यह दो-तीन बातें आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. सी.पी. जोशी (अनुपस्थित) श्री केसर देव बाबर (अनुपस्थित) श्री मदन राठौड़।

डा. चन्द्रशेखर बैद : मेरा रह गया, मैडम। मैं आ गया था समय पर।

श्री अध्यक्ष : अब तो मदन राठौड़ का नाम पुकार दिया, उसके बाद आपका नम्बर आयेगा। हां, मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में मैं केवल दो-तीन निवेदन करूंगा। जब वार्डों का आरक्षण हो जाये स्थानीय निकायों में तो जो बार-बार दिया जाता है, वह यदि नहीं बदलें तो ठीक रहेगा। नहीं तो जो जिस वर्ग के लिये आरक्षित है यह उस वर्ग के उस प्रत्याशी को यह मालूम है कि अगली बार उस वर्ग के लिये आरक्षित नहीं रहेगा तो उस वार्ड की उपेक्षा करेगा। वह उस वार्ड की चिन्ता नहीं करेगा। इसलिये जब जनगणना हो और जनगणना के पश्चात् परिसीमन

(श्री मदन राठौड़)

हो उसी समय किसी वर्ग विशेष के लिये वार्ड आरक्षित हो जाना चाहिये और जब नया सेंसस हो, नया परिसीमन हो तब फिर बदल दिया जाये। लेकिन तब तक वह वार्ड है, वह उसी वर्ग के लिये आरक्षित रहे तब वह उस वर्ग का प्रतिनिधि चिन्ता करेगा उस वार्ड के नागरिकों की सेवा करने के लिये।

दूसरा, जब स्थानीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर हो रहे हैं तो एण्टी-डिफेक्शन बिल लागू होना चाहिये। दल-बदल विरोधी विधेयक लागू होना चाहिये। यह मेरा एक सुझाव रहेगा। स्थानीय निकाय के जो उम्मीदवार हैं वह उस वार्ड के मतदाता हों, यह ज्यादा जरूरी है अदरवाइज जिस वार्ड का जो उम्मीदवार है, उस वार्ड का मतदाता होकर दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव लड़ लेगा। यदि यह भी लागू किया जाये कि उसी वार्ड का हो तो एक नई लीडरशिप भी डवलप होगी और स्थानीय निकाय के अन्दर....(व्यवधान) मैं स्थानीय निकाय की बात कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : एम.एल.ए. पर तो लागू कर लो आप और लोकल पर आप नियन्त्रण कर लो। परिवार नियोजन का भी, सीमित बच्चे। पंचायती राज और नगरपालिकाओं में दो से ज्यादा हैं तो चुनाव नहीं लड़े और एम.एल.ए. के एक दर्जन भी हो तो भी लड़ ले। यह अच्छी चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माहिर साहब, आप बीच में विघ्न पैदा कर रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ : अच्छा ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैंने हालांकि जनमत जानने के लिये निवेदन कर दिया था। मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरदेव बाबर (अनुपस्थित) श्री अमराराम (धोद) (अनुपस्थित) डा. एन.एस. गुर्जर (अनुपस्थित) श्री सुभाष चन्द्र शर्मा।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : शॉर्ट में। नगरपालिका संशोधन विधेयक, 2005 पर मैं निवेदन कर रहा हूं। जैसा माननीय सदस्यों ने पहले भी कहा और पंचायती राज पर बहुत बातें हुई। जिस प्रकार से एंटीडिफेक्शन बिल लाये जाने की बात कही जा रही है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चेयरपर्सन का चुनाव सीधे चुनाव से

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

अगर करवाया गया तो मैं समझता हूं आपको इस बीमारी से पीछा छूट सकता है। उसका सीधे मतदाताओं से जैसे ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव किया जाता है ऐसे ही अगर चेयरपर्सन का चुनाव भी सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाये तो मैं समझता हूं यह जनहित में होगा।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि नगरपालिका अधिनियम की धारा 73 के तहत जो प्रशासनिक कमेटियां गठित की गयी हैं, उनकी मीटिंगों की नियमित व्यवस्था नहीं की गयी है। वह मैंडेटरी की गयी है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी अगर नियमित मीटिंग करने की अगर व्यवस्था की जाती है तो यह अच्छा होगा। इसके साथ बोर्ड की बैठकों के साथ भी यही चीज है। धारा-70 के तहत बोर्ड की बैठकें भी अनियमित होती हैं उसमें भी अगर यह संशोधन करके उसमें पाबन्दी लगाई जाये कि नियमित बैठकें हों तो वह भी जनहित में होगा। इसके अलावा छोटे कस्बों में, छोटी नगरपालिकाओं के अन्दर सीवरेज लाइन डालने की जो व्यवस्था आज तक नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, वह भी अगर उसके संशोधन के तहत.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या बोल रहे हैं आप ?

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : यह इससे सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय। सफाई का टैक्स लगाकर और इसके साथ इसको जोड़ दिया जाये तो मैं समझता हूं कि सब सफाई टैक्स भी हाउस टैक्स के रूप में देने को तैयार हैं और छोटे शहरों को भी एक अच्छे शहर का वातावरण मिल पायेगा। इसी के साथ मैंने जो विधेयक को परिचालन के लिये बात रखी थी, मैं उस बात को वापस लेते हुए बिल को पास करने का समर्थन करता हूं। यह जो संशोधन मैंने दिया उसके लिये निवेदन करता हूं कि इन संशोधन को शामिल किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल गुप्ता (अनुपस्थित) डा. चन्द्रशेखर बैद।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, मैं आशंका के साथ सूचना देना चाहता हूं कि अभी विधान सभा की लिफ्ट गिर गयी थी। यह सूचना सदन में आ गयी परन्तु जगन्नाथजी वर्मा थे, उस वक्त यह लिफ्ट क्यों टूटी? यह हमारी शंका का विषय है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं

(श्री अशोक बैरवा)

लिफ्ट गिरी उस वक्त जगन्नाथजी वर्मा थे और तीसरे माले से नीचे पड़ गयी। तो माननीय विधायक श्री जगन्नाथ वर्मा के टाइम वह क्यों टूटी ? यह जांच का विषय है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : वह थे जब ही टूटी, यह जांच का विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की एक लिफ्ट आज तीसरी मंजिल से टूटकर नीचे गिर गयी और उस लिफ्ट में मनोहरथाना से आने वाले माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ वर्मा थे। तो इनकी शंका यह है कि चूंकि उन्होंने बी.जे.पी. के साथ गड़बड़ की, उनको निकाल दिया गया था तो जो दुर्घटना यह जानबूझकर तो नहीं करायी गयी है ? इसकी जांच की जानी चाहिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : साजिश के तहत तो नहीं हुई है, यह थोड़ा सा जांच करा लें ताकि हमें आशंका नहीं रहे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : और कहीं संसदीय कार्य मंत्रीजी का हाथ तो नहीं है इसमें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे भी ऐसा बताया गया है, वह लिफ्ट 6 इंच नीचे उतर गयी थी पर बाकी कोई टूटी नहीं, बाकी कोई दुर्घटना नहीं हुई। 6 इंच नीचे उतरने से उनको थोड़ा, (व्यवधान) हां, फिर वह खुली नहीं, खोलने पर जब उन्होंने उसे थपथपाया तो वह खुल गयी। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो आपने कहा। वह आपकी गलत धारणा है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : वह शंका है, आशंका है।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक छोटा सा निवेदन आपसे करना है कि वित्त राज्य मंत्रीजी ने कल सदन में यह कहा कि मैंने रिश्वत देकर ट्रान्सफर करवाया था...

श्री अध्यक्ष : पहले यह तो हो जाने दो आप।

डा. सी.पी. जोशी : फिर बाद में यह खतम हो जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा : फिर खतम हो जायेगा। मैं छोटा सा निवेदन कर रहा हूं। अगर वो अपनी बात पर कायम हैं कि इन्होंने रिश्वत देकर अपना ट्रान्सफर करवाया था तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह राजस्थान के सर्वोच्च सदन में सरकार के मंत्री ने यह बात कही है तो आप इसके जांच के आदेश प्रदान करें और यह कहते हैं कि इन्होंने असत्य कहा तो इसको एक्सपंज करें। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भवानी सिंह राजावत : यह मंत्री नहीं थे, उससे पहले की बात है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह राजस्थान के सर्वोच्च सदन में सरकार के मंत्री ने यह बात कही है, या तो वह अपना कथन वापस लें अन्यथा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जांच के आदेश प्रदान करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज तो एज ए मिनिस्टर यह बात कही है न इसलिए मंत्री की बात पर भरोसा नहीं करें, यह हम से नहीं हो सकता। मिनिस्टर की बात को हम तो बिलकुल शत-प्रतिशत सही मानते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय की इजाजत से बोल रहा हूं।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की स्वस्थ परम्परा है, राजस्थान का बहुत मान है, बहुत मर्यादा है तो मान-मर्यादा बनी रहनी चाहिए। जब एक जिम्मेदार व्यक्ति यह कहे कि मैंने पिछली सरकार के मंत्री को रिश्वत देकर मैंने यह करवाया है तो इससे गम्भीर मामला नहीं हो सकता। रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार है जितना लेने वाला है इसलिए, मंत्रीजी इस बात पर आये तो, अध्यक्ष महोदय, आपको यदि मंत्रीजी इस बात पर कायम हैं तो अध्यक्ष की हैसियत से आपको पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाहिए कि हमारे सदन के अन्दर एक आदमी यह कह रहा है, वह मंत्री है और दूसरे मंत्री को कहा है तो कम से कम जनता के सामने तो यह बात आनी चाहिए। क्या तकलीफ है इसमें।

श्री अध्यक्ष : मैं कल की कार्यवाही को देखूंगी क्या शब्द उन्होंने कहे हैं और देखने के बाद में फिर उस पर अपना निर्णय दूंगी। ठीक है, देखने के बाद देखूंगी, कल दूंगी।

चलिये आगे चलिये। डा. चन्द्र शेखर बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं कुछ जो मेरे छोटे-छोटे सुझाव हैं वह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

यह जो राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 लाया गया यह इस चीज को ध्यान में रखकर लाया गया कि सैंसस के अन्दर और केन्द्र सरकार का जो प्रतिबन्ध लगा हुआ था वह हट कर डेमोक्रेटिक तरीके से समयानुसार चुनाव हो जाएं।

जब डेमोक्रेटिक एटिट्यूड का आपको इतना ही ख्याल था तो आपने इस चीज पर विचार नहीं किया कि आपकी सरकार को सत्ता में आने के बाद में कितने नगरपालिका अध्यक्षों, उपाध्यक्षों को, मैम्बरान को बेवजह राजनीतिक कारणों से सस्पैंड करना पड़ा, पहली बात।

दूसरी बात, आप एक चीज का अंदाजा लगा कर देखें कि इतनी मेहनत करने के बाद में, इतना त्याग करने के बाद में और इतना परिश्रम करने के बाद में कोई एम.एल.ए. इस सदन में पहुंच पाता है, वैसे ही नगरपालिका का सदस्य मेहनत करके नगरपालिका में पहुंचता है और आप बेवजह, अनडेमोक्रेटिक तरीके से बिना आरोप के उसको सस्पैंड कर देते हैं। यह सर्वथा अनुचित है।

इसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। अच्छा यह होता कि इसके अन्दर दूसरी ऐसी डेमोक्रेटिक चीजें इनकारपोरेट कर ली जाती जिससे कि नगरपालिका जिस लिए बनायी गयी है और जिस काम के लिए बनायी गयी है और जिन लोगों के हित के लिए बनायी गयी है उसका सुचारू रूप से संचालन हो पाता।

आप देखिये आज नगरपालिका के अन्दर वो मोशन आता है, उसको

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

सस्पैंड करने का जो तरीका है वह इतना फाल्टी है कि आप किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगा कर उसको सस्पैंड कर दें। वह कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाने के बाद में उसको दो साल लग जाते हैं, दो साल लगने के बाद में फिर अपील होती है, दूसरे चुनाव का टाइम आ जाता है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

नो-कांफिडेंस मोशन, हमारे पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर जो हमारे चूरू से आते हैं, वो उठ कर चले गये, उनके चूरू के अन्दर ही नो-कांफिडेंस मोशन जानबूझकर के उन्हीं के समर्थित लोगों द्वारा लाया गया। अब सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी, अब वह कोर्ट में गये और जो लोग नो-कांफिडेंस मोशन लेकर आये थे वही लोग नो-कांफिडेंस के समय अनुपस्थित रहे। अब एक बार नो-कांफिडेंस आने के बाद में फिर दो साल तक नहीं आ सकता नो-कांफिडेंस मोशन। तो इसमें भी सुधार किया जाना चाहिए, इसमें इस चीज को स्ट्रैस किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति दस्तखत करके नो-कांफिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं वह नो-कांफिडेंस मोशन के समय उपस्थित रहें।

आज नगरपालिका की जो दुर्दशा हो रही है वह इसलिए हो रही है कि वहां जो ई.ओ. लगा हुआ होता है वह किसी भी आपके बोर्ड के आदेश के ऊपर डीसेंट नोट लगा सकता है और वह राजनीति से प्रेरित होकर लगाता है। अगर डेमोक्रेटिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो जो बोर्ड का डिसीजन हो गया वह सर्वोपरि होना चाहिए। ई.ओ. जो है, सैक्रेटरी टु नगरपालिका अध्यक्ष एण्ड उपाध्यक्ष एण्ड बोर्ड, आप उसको सर्वोच्च पद पर नहीं बैठा सकते कि उसकी मर्जी के अनुसार जो होगा वह तो उचित है और जो उसको नहीं सुहाता होगा वह अनुचित है।

एंटी-डिफैक्शन बिल के लिए दूसरे लोगों ने भी कहा, जैसे अपने यहां पर एंटी-डिफैक्शन बिल लगा हुआ है वैसे ही वहां एंटी-डिफैक्शन बिल लगना चाहिए नहीं तो आप देखिये इस पंचायत चुनाव में जो स्थिति हुई कि मैम्बर किसी के जीत कर आये पंचायत समिति का अध्यक्ष कोई बन गया, कोई मैम्बर जीत कर आये जिला परिषद का जिला प्रधान दूसरा बन गया, यह उसके अन्दर नहीं होगा।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

देखिये, आपके पास कोटा फिक्स है, आप इसको इसमें भी यह इनकारपोरेट करिये। आज हर पार्षद चाहता है कि उसके वार्डों के अन्दर वह कुछ विकास के काम कर सके इसलिए अगर उसका कोटा होगा तो उसको भी खुशी होगी और अपने वार्ड के अन्दर विकास के काम करवा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं भी था, मैं उस वक्त था नहीं, दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री मोहन लाल गुप्ता : मंत्रीजी, दो मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थर्ड रीडिंग पर बोल लेना न।

श्री अध्यक्ष : क्या बोलोगे इसमें आप ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा जो अभी 45 नगरपालिकाओं के चुनाव करवाये गये थे उनको नवीन जनगणना के आधार पर करवाना चाहिए था परन्तु नयी जनगणना के आंकड़े हम को समय पर नहीं मिलने की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई और 1991 की जनगणना के हिसाब से हमको चुनाव करवाने पड़े इसीलिए यह अध्यादेश लाना पड़ा।

मैं आपको पूरी बात निवेदन करना चाहूंगा और जिन-जिन माननीय सदस्यों ने जो-जो सवाल मेरे सामने रखे हैं उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा।

यह जो संशोधन बिल लाया गया है......

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जो बोले वह बिल से सम्बन्धित नहीं.... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, पर फिर भी जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दो, छोटी सी बात है। सेंसस की बात है। बस कह दी उन्होंने। और क्या है ? बस सीधी सी बात है कि जनसंख्या के आधार पर करवाना चाहते हैं, नहीं करवा पाये इसलिए ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कराओ पास, हमें क्या दिक्कत है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कराओ पास, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी तो तैयार हैं, सदन अगर इस बात से बिलकुल सन्तुष्ट है तो हमें कुछ नहीं कहना। अगर सदन सन्तुष्ट है तो, अध्यक्ष महोदय, पारित कराएं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं तो तैयार हूं, अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : कराओ, कराओ, पास कराओ।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पास कराएं, अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, जवाब अच्छा है बढिया जवाब आ गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सब अपने संशोधन वापस लिये ?

श्री अध्यक्ष : आप लोगों ने संशोधन ले लिया वापस ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड-एक में संशोधन नहीं है।

खण्ड-दो, श्री जोगाराम पटेल।

एक माननीय सदस्य : गये वो तो।

श्री अध्यक्ष : गये कहां से, खड़े हैं न।

श्री जोगाराम पटेल : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन को मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव लाना होगा और आपकी अनुमति लेनी होगी। आपकी अनुमति लेकर विदड्रा कर सकते हैं, ऐसे नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कैसे ले लेंगे ? यह प्रस्ताव करेंगे वापस लेने के लिए। हाउस इसकी मंजूरी देगा, तब यह वापस होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, उनको प्रस्ताव लाना होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस की परमिशन के बिना वापस नहीं हो सकता। आप प्रस्ताव करो हाउस उसकी अनुमति देगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह उनका अधिकार है वह ले सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अधिकार तो है (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अधिकार तो है, प्रस्ताव लाएं फिर आसन की अनुमति लेवें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 में श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा ने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री जोगाराम पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने द्वारा प्रस्तावित संशोधन वापस लेता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-3 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 स्वीकार किया जाए ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किए जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : कोई बोलना चाहेंगे ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005 को पारित किया गया। सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.33 बजे दिनांक 21-2-2005 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जिला नागौर के अकाल राहत कार्यों हेतु श्रमिक सीमा

83. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डैगाना) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004-05 के दौरान जिला नागौर में कुल कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये ? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अकालग्रस्त गांवों में कौन-कौन से अकाल राहत कार्य कब कब प्रारम्भ किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला नागौर में कुल कितनी श्रमिक सीमा माह जनवरी-फरवरी, 2005 हेतु तय की गई ? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 के दौरान जिला नागौर में कुल 933 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं, विधान सभा क्षेत्रवार सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) अभावग्रस्त गांवों में संलग्न सूची के अनुसार जो कार्य 29-11-2004 में स्वीकृत किये गये थे कार्य 1-12-2004 से आरम्भ किये गये हैं तथा अन्य कार्य सूची में अंकितानुसार स्वीकृत किये जाकर क्रमश: 1-12-2004, 24-12-2004 तथा 27-12-2004 से ही आरम्भ कर दिये गये हैं। विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) नागौर जिले के लिए माह जनवरी हेतु 35500 तथा फरवरी, 2005 हेतु 50000 श्रमिक संख्या निर्धारित की गयी थी। श्रमिक संख्या विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार निर्धारित नहीं की जाकर पूरे जिले के लिए ही निर्धारित की जाती है। विधान सभा क्षेत्रवार श्रमिक सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु आबंटित राशि

84. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कुल कितनी योजनाएं निर्धारित की गई ? उक्त योजनाओं के लिए प्रत्येक मद में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए कितना बजट प्रावधान रखा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न जिलों को कितना-कितना बजट और क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये ? उक्त लक्ष्यों पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई और कितने लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण/बजट प्रावधान (केन्द्र एवं राज्य सरकार) वर्ष 2004-05 के लिए परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है।

(2) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिलों को आबंटित बजट/लक्ष्य एवं उन लक्ष्यों के विरुद्ध की गई प्रगति (माह दिसम्बर, 2004 तक) परिशिष्ट 2 पर अवलोकनीय है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्री किराये में प्रस्तावित वृद्धि

85. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यात्री किराया बढ़ाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कितना व कब से ?

(2) क्या यह सही है कि निगम वर्तमान में मुनाफे में चल रहा है ? यदि हां, तो कितना ? विगत तीन वर्षों का लाभ-हानि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत वर्षों में डीजल की दरों, वाहनों की लागत, टायर ट्यूब इत्यादि के मूल्य में हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का द्रुतगामी एवं साधारण बस सेवाओं में 2 पैसा प्रति किमी एवं नगर वाहन सेवाओं में प्रति स्टेज 1/- रूपया किराया बढ़ाये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है जो निर्णय हेतु विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। निगम वर्तमान में अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक की अवधि में 3797.62 लाख रुपये घाटे में है। विगत तीन वर्षों की वर्षवार हानि का विवरण निम्नलिखित है :-

वितीय वर्ष	हानि (लाख रू. में)
2001-2002	6291.18
2002-2003	4228.94
2003-2004	3762.43

निम्बाहेड़ा-नारेला सड़क का पुनर्निर्माण

86. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा माइन्स रोड निम्बाहेड़ा, नारेला सड़क का विगत वर्षों में निर्माण कराया गया है?

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क खनिज विभाग द्वारा निर्माण करवाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द की जानी थी ? यदि हां, तो यह सड़क सुपुर्द क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं पुनः निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाता है। अतः उन्हें सुपुर्द की कार्यवाही नहीं की जाती है।

(3) जी नहीं, निम्बाहेड़ा से नारेला खान सड़क पर गुजरने वाले वाहनों की संख्या नगण्य होने के कारण इस सड़क के मरम्मत का कार्य वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या 87

(स्थगित)

राज्य में पुलिस कर्मियों की भर्ती

88. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य में जनसंख्या व पुलिस कर्मियों का अनुपात क्या है ? क्या सरकार पुलिस भर्ती से रोक हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

राज्य की वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर पुलिस एवं जनसंख्या अनुपात 1:828 हैं।

(गृह मंत्री)

वर्ष 2004-05 में कांस्टेबल के 1000 पदों की भर्ती की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए नई भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों हेतु प्राप्त सहायता

89. श्री अमरा राम (धोद) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत 3 वर्षों में राज्य में कितने गांव सूखे के कारण अकाल प्रभावित रहे ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत 3 वर्षों में अकाल राहत कार्य कब शुरू किये गये तथा कितने लोगों को कार्यों पर लगाया गया ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) गत 3 वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को कितनी सहायता दी गई ?

उत्तर

(1) राज्य में गत तीन वर्ष में अकाल प्रभावित गांवों का विवरण निम्न प्रकार है :-

संवत	अभावग्रस्त गांवों की संख्या
2058	7964
2059	40990
2060	649

जिलेवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(सहायता मंत्री)

(2) सम्वत् 2058 में मई, 2002 से सम्वत् 2059 में अगस्त, 2002 से व सम्वत् 2060 में मई, 2004 से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये गये कार्यों पर लगाए गये श्रमिकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

संवत	अभावग्रस्त गांवों की संख्या
2058	160530
2059	3796480
2060	66873

जिलेवार संख्या सूची संलग्न है। परिशिष्ट-'ब'

(3) गत 3 वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई सहायता का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-"स")।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

हरड़ी खनन क्षेत्र, बस्सी में अवैध खनन

90. श्री रमेश खींची (कठूमर), श्री अशोक बैरवा (खण्डार), श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी जिला जयपुर के अन्तर्गत हरड़ी खनन क्षेत्र में खनन कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में किस-किस को खनन पट्टे कब-कब जारी किए गए ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में खनन कार्य हेतु उच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में न्यायालय द्वारा रोक लगी होने के बावजूद अवैध रूप से खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस किस के द्वारा और कब से?

(श्री रमेश खींची)

(4) क्या यह भी सही है कि खनन कार्य हेतु खनन पट्टे जारी करने से पूर्व उक्त क्षेत्र की पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना जरूरी होता है ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र में किये जा रहे अवैध खनन क्षेत्र में सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर खनन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अब उक्त अवैध खनन कार्य को बन्द कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। हरड़ी क्षेत्र में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया हुआ है। उपरोक्त क्षेत्र से निकलने वाले खनिज पर रायल्टी एवं परमिट फीस वसूली हेतु विभागीय नाका स्थापित किया हुआ है।

(2) उक्त क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-10-2004 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त क्षेत्र विशेष पर न्यायालय ने खनन पर कोई रोक नहीं लगा रखी है।

(4) जी नहीं। उपरोक्त क्षेत्र में खनिज मेसेनरी स्टोन, ब्लास्ट एवं ग्रिट का खनन कार्य होता है, जो अप्रधान खनिज है तथा एनवायर्नमेन्ट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के अन्तर्गत अप्रधान खनिजों के मामलों में एनवायर्नमेन्ट क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है, परन्तु वायु (प्रदूषण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अनुमति के सम्बन्ध में प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(खनिज मंत्री)

(5) उपरोक्त क्षेत्र से निकलने वाले खनिज पर प्रत्येक वाहन से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 62 के तहत परमिट फीस व रायल्टी वसूल की जाती है। अतः उक्त खनन अवैध खनन की श्रेणी में नहीं आता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

थाना सोडाला, जयपुर के फरार मुजरिम का गिरफ्तारी प्रकरण

91. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के सोडाला थाने में चोरी के एक मामले में पांच साल से फरार चल रहे मुल्जिम के स्थान पर हाल ही निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर जेल में डालने का मामला सामने आया है ? यदि हां, तो किस मामले में ? सम्बन्धित मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामले में असली अभियुक्त कौन था ? असली अभियुक्त के स्थान पर किस व्यक्ति को जेल में डाला गया तथा वह कितने समय तक जेल में रहा ?

(3) इस घटना के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(4) क्या सरकार निर्दोष को मुआवजा देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितना व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सोडाला थाने में चोरी के एक मामले में फरार चल रहे मुलजिम के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया

(गृह मंत्री)

गया था। ए.सी.जे. (जे.डी.) जे.एम. ने 15 द्वारा मु.नं. 418/90 धारा 380 भा.दं.सं. में दिनांक 1-12-1999 को मुल्जिम धीरिया पुत्र लादूराम व मुलिजम रामेश्वर के खिलाफ स्टेण्डिंग वारन्ट जारी किये थे। मुल्जिम धीरियां के स्थान पर गलती से एक अन्य व्यक्ति धीरिया पुत्र लादूराम निवासी पंचाला (पणाच) को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त मु.नं. 418/90 की एफ.आई.आर. प्रति संलग्न है।

(2) उक्त मामले में असली अभियुक्त धीरिया पुत्र लादूराम बागरिया निवासी पंचाला थाना फागी था। असली अभियुक्त के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम भी धीरिया पुत्र लादूराम बागरिया निवासी पंचाला (पणाच) थाना फागी जिला जयपुर है को गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति कुल 7 दिन (दिनांक 26-10-2004 से 2-11-2004) तक जेल में रहा।

(3) इस घटना के लिए श्री रमेश चन्द कानि. नं. 6140 एवं हनुमान सहाय कानि. 4971 को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 16/18 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। थानाधिकारी सोडाला श्री राजेन्द्र सिंह, पुनि. के विरुद्ध भी इन नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी किया गया है।

(4) जी नहीं। सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बाढ़ पीडितों को सहायता

92. श्री भरत सिंह (कोटा) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा में वर्ष 2004 में वर्षा ऋतु में बाढ़ से कुल कितने

(श्री भरत सिंह)

मकान आंशिक तथा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए ? ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की विधान सभा क्षेत्रवार अलग-अलग संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कुल कितने प्रभावित लोगों को सहायता राशि प्रदान की गई ? ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जहां कोटा शहर में प्रभावित परिवार को तत्काल सहायता राशि प्रदान की गई वहीं ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित परिवारों को सहायता राशि समय पर प्रदान नहीं की गई ? यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण रहे तथा अब कब तक सहायता राशि का भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में वर्ष 2004 में वर्षा ऋतु में बाढ़ से 7384 मकान आंशिक तथा पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त हुए। जिनका विधान सभा क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

विधान सभा क्षेत्र	शहरी क्षेत्र के	ग्रामीण क्षेत्र
कोटा	609	-
लाडपुरा	2182	1119
पीपलदा	-	135
रामगंजमण्डी	-	923
दीगोद	-	2416

क्षतिग्रस्त हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की विधान सभावार संख्या सूची संलग्न है (परिशिष्ट-1)

(सहायता मंत्री)

(2) प्रभावित लोगों को प्रदान की गई सहायता राशि का ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की विधान सभावार सूची संलग्न है। परिशिष्ट-1

(3) जी नहीं। प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल सहायता के रूप में चिकित्सा सहायता/भोजन सामग्री समय पर उपलब्ध कराई गई थी। क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे कराने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा देय नकद राशि भी तहसीलदार लाडपुरा को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी परन्तु स्थानीय निकायों के चुनावों की अधिसूचना जारी होने के कारण वितरण नहीं हो पाया। 28 फरवरी, 2005 से पूर्व सभी प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि का विवरण कर दिया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

गरीबी रेखा में चयनित परिवारों हेतु संचालित योजनाएं

93. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गरीबी रेखा में परिवारों के चयन का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त चयनित परिवारों की सूची जारी करने में देरी के क्या कारण हैं ? सरकार द्वारा अब कब तक इन सूचियों को जारी कर दिया जाएगा ?

(2) वर्तमान में उक्त परिवारों के चयन का क्या आधार है ?

(3) उक्त परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की कौन-कौनसी योजनाएं हैं और उनके तहत इन परिवारों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वस्तुस्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के चयन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के सभी

(ग्रामीण विकास मंत्री)

परिवारों का अंक आधारित सर्वे कार्य ही कराया गया है। जहां तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों की सूची जारी किये जाने का प्रश्न है, उक्त कार्य ग्राम सभाओं की बैठक में समस्त ग्रामीण परिवारों की सूचियों के अनुमोदन एवं तत्पश्चात भारत सरकार/मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार किया जावेगा। वर्तमान में अन्तिम सूचियों के प्रकाशन का कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित पीयूसीएल बनाम भारत सरकार की रिट याचिका संख्या 196/2001 पर अन्तिम निर्णय होने तक भारत सरकार के निर्देशानुसार लम्बित रखा गया है।

(2) भारत सरकार के निर्देशानुसार बीपीएल सेन्सस 2002 के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों के चयन का आधार 13 सामाजिक एवं आर्थिक सूचकों पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 0 से 4 अंक दिये जाकर प्राप्त अंको के आधार पर परिवारों को आरोही क्रम में सूचीबद्ध कर ग्राम सभाओं से अनुमोदन उपरान्त राज्य सरकार द्वारा कट आफ प्वाइंट निर्धारित कर बीपीएल परिवारों का चयन किया जाना है।

(3) ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, डीपीआईपी योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु, इन्दिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रम रोजगार/व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं हेतु सहायता दी जाकर परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में रिक्त पद

115. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2005 को खेल अधिकारी व अन्य केडर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं इनमें से कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को वर्ष 2004-05 में किस-किस मद में कितना-कितना बजट व अनुदान प्राप्त हुआ एवं इसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2004 तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में किस-किस खेल के कितने-कितने प्रशिक्षक कार्यरत हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) भारतीय खेल प्राधिकरण के किस-किस खेल के कितने-कितने प्रशिक्षक राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद एवं जिला खेल प्रशिक्षण केन्द्रों पर कार्यरत हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार द्वारा जिला खेल अधिकारी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती या विभागीय पदौन्नति समिति की बैठकों के माध्यम से नहीं भरने के क्या कारण रहे हैं ? इन पदों को भरने हेतु अन्तिम विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें कब हुई थी, अब सरकार इन पदों को किस माध्यम से एवं कब तक भरने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 1-1-2005 को खेल अधिकारी व अन्य के स्वीकृत पद एवं रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(खेल मंत्री)

(2) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को वर्ष 2004-05 में स्वीकृत बजट एवं व्यय निम्नानुसार दिसम्बर, 2004 को है :-

क्र. सं.	मद	स्वीकृत बजट	संशोधित बजट	व्यय राशि
1.	आयोजना भिन्न मद	515.00 लाख	517.00 लाख	254.00 लाख
2.	आयोजना मद	641.00 लाख	621.00 लाख	60.13 लाख

(3) राज्य में विभिन्न खेलों में कार्यरत प्रशिक्षकों का वितरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(4) भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों पर कार्यरत की सूचना परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

(5) राज्य में खेल प्रशिक्षक एवं अन्य रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

जिला खेल अधिकारी के 14 पद निम्न प्रकार से रिक्त चल रहे हैं :-

वर्ष		रिक्त पद
1991-92	-	2
1997-98	-	1
1998-99	-	3
1999-2000	-	2
2000-01	-	1
2001-02	-	2
2002-03	-	2
2003-04	-	1
कुल योग		14

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में नये सेवा नियम उच्च स्तर पर विचाराधीन होने के कारण सीधी भर्ती या डी.पी.सी. के माध्यम से नहीं भरे

(खेल मंत्री)

गये। खेल अधिकारी के पद भरने हेतु अन्तिम डी.पी.सी. 24-7-1998 को की गई थी।

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के नये सेवा नियम पूर्ण होने पर नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बून्दी जिले में लाइम स्टोन पर रायल्टी

116. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में लाइम स्टोन पर ली जाने वाली रायल्टी की दर निर्धारित है, यदि हां, तो कब से ? जिलेवार निर्धारित दर के विवरण सहित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग से रवन्ना प्राप्त करने के लिये निर्धारित दर पर ही रायल्टी राशि जमा करवाई जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के सभी स्थानों पर इसका पालन किया जा रहा है ? तथ्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रायल्टी के रूप में प्राप्त निर्धारित से अधिक राशि को वापिस लौटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि रवन्ना प्राप्त करने के लिये बून्दी जिले में निर्धारित से अधिक राशि जमा करवाई जाती है ? यदि हां, तो क्यों तथा अब पूर्व की तरह निर्धारित राशि ही प्राप्त की जाने बाबत सरकार द्वारा कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। रायल्टी की दर जब से अप्रधान खनिज रियायत नियम

(खनिज मंत्री)

बने हैं, तब से निर्धारित है तथा समय-समय पर दरों में संशोधन जारी किये गये हैं। वर्तमान में रायल्टी की दर की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट "अ", "ब"), जिसमें जिलेवार निर्धारित दर दशाई गई है।

(2) जी हां। सभी कार्यालयों में रवन्ना जारी करते समय प्रत्येक रवन्ना से औसत निर्गमन के आधार पर निर्धारित दर से अग्रिम रायल्टी राशि वसूल कर रवन्ना जारी किये जाते हैं। यह व्यवस्था सभी स्थानों पर लागू है।

(3) जी हां। अधिशुल्क निर्धारण के पश्चात् यदि यह पाया जाए कि पट्टाधारी द्वारा रायल्टी की राशि अधिक जमा करा दी है तो उसे आगामी वर्ष की मांग में समायोजित की जाती है।

(4) जी नहीं। बूंदी जिले में सम्भावित औसत वजन प्रति वाहन व निर्धारित रायल्टी की दर से गणना कर अग्रिम राशि जमा कर रवन्ना जारी की जाती है तथा वार्षिक अधिशुल्क निर्धारण के पश्चात् यदि पट्टाधारी के पक्ष में राशि अधिक जमा हो तो उसे अगले वर्ष की मांग के विरुद्ध समायोजित कर दिया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में वाहन चोरी के प्रकरण

117. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2003-04 में वाहन चोरी की वारदातें बढ़ी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? विगत तीन वर्षों में हुई वाहन चोरी का विवरण वाहन के प्रकार, वाहन नम्बर एवं वाहन मालिक के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में चोरी गये वाहनों में से कितने वाहनों की बरामदगी हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवीशंकर भूतड़ा)

(3) क्या उक्त चोरी की वारदातों में लिप्त अपराधी पकड़े गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार वाहन चोरी की वारदातें रोकने के लिए अलग से कोई प्रकोष्ठ बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2003, 2004 में वाहन चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। विवरण निम्न में अंकित है :-

क्र. सं.	वर्ष	शीर्षक	कुल दर्ज मुकदमे	चालान	एफ. आर.	बरामद वाहन	गिरफ्तार व्यक्ति
1.	2002	वाहन चोरी	29	13	16	14	17
2.	2003	वाहन चोरी	51	11	40	15	12
3.	2004	वाहन चोरी	83	14	74	24	24

जनसंख्या एवं बेरोजगारी के साथ प्रत्येक जन मानस की भावना एवं आपस में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा के कारण वाहनों की चोरी बढ़ने का मुख्य कारण प्रतीत होता है।

विगत तीन वर्षों में हुई वाहन चोरी का विवरण मय वाहन के प्रकार, वाहन नम्बर एवं वाहन मालिक के नाम की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में चोरी गये 163 वाहनों में से 53 वाहनों की बरामदगी की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) वाहन चोरी में 53 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों से वाहन बरामद कर चालान न्यायालय में पेश किये गये जो न्यायालय में विचाराधीन है।

(गृह मंत्री)

(4) सरकार का वाहन चोरी की वारदात रोकने के लिए अलग से कोई प्रकोष्ठ बनाने का विचार नहीं है। वाहन चोरी की वारदात रोकने हेतु वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत समुचित कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जन प्रतिनिधियों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण

118. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में सरकार द्वारा अनेक जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध दायर मुकदमे वापस लिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन के ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध किन-किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज किये गये व इनमें से कितनों के चालान पेश किये गये व कितनों में अन्तिम प्रतिवेदन लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध आरोप पत्र (चालान) न्यायालय में पेश किये गये हैं विभिन्न धाराओं सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उक्त प्रकरणों में एफ.आर. नहीं लगाई गई है, अपितु चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2004 से जन प्रतिनिधियों के नाम जिनके विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लिये गये-

1. श्री रणधीर सिंह भिण्डर
2. श्री ज्ञान चन्द पारख
3. श्री नवनीत नीनामा
4. श्री भवानी जोशी
5. श्री ओम बिरला
6. डा. किरोड़ी लाल मीणा
7. श्री हरिशंकर भाभड़ा
8. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
9. श्री गुलाब चन्द कटारिया
10. श्री बत्ती लाल मीणा

परिशिष्ट-2

1.	श्री रणधीर सिंह भिण्डर	-	1.	एफ.आई.आर. 21/98 थाना कानोड़ अन्तर्गत धारा 147, 148, 336, 120 बी, भा.दं.सं.।
			2.	एफ.आई.आर. 69/02, थाना भिण्डर, अन्तर्गत धारा 451, 442, 332, 353, 384, भा.दं.सं. व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट
2.	श्री ज्ञान चन्द पारख	-	1.	एफ.आई.आर. 145/97 थाना औद्योगिक क्षेत्र पाली अन्तर्गत धारा 147, 323 भा.दं.सं.
3.	श्री नवनीत नीनामा	-	1.	एफ.आई.आर. 129/01 थाना खपेरा अन्तर्गत धारा 143, 149, 341, 283 भा.दं.सं.
4.	श्री भवानी जोशी	-	1.	एफ.आई.आर. 436/02, थाना कोतवाली बांसवाड़ा, अन्तर्गत धारा 332, 353 भा.दं.सं.
5.	श्री ओम बिरला	-	1.	एफ.आई.आर. 449/2000 थाना कुन्हाड़ी अन्तर्गत धारा 143, 341, 283 भा.दं.सं.
			2.	एफ.आई.आर. 67/02 थाना उद्योग नगर कोटा, अन्तर्गत धारा 143, 283 भा.दं.सं.
6.	डा. किरोड़ी लाल मीणा	-	1.	एफ.आई.आर. 273/92 थाना मेहवा, अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 332, 353, 336 भा.दं.सं.
7.	श्री हरिशंकर भाभड़ा	-	1.	एफ.आई.आर. 281/91 अन्तर्गत धारा 127 ए लोक प्रतिनिधित्व 1951
8.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	-	1.	एफ.आई.आर. 449/2000 थाना कुन्हाड़ी अन्तर्गत धारा 143, 341, 283 भा.दं.सं.
9.	श्री गुलाब चन्द कटारिया	-	1.	एफ.आई.आर. 498/99 थाना राजनगर, राजसमन्द, अन्तर्गत धारा 143, 147, 447 भा.दं.सं.
10.	श्री बत्तीलाल मीणा	-	1.	एफ.आई.आर. 5/2000 थाना नादौती करौली, अन्तर्गत धारा 353, 451 भा.दं.सं.

ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपाय

119. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में मोटर यान, मोटर साइकिलें, स्कूटर आदि के कितने कितने दुर्घटना के मुकदमे दर्ज किये गये ?

(2) उक्त अवधि में दुर्घटना के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने लोगों के फ्रेक्चर हुए ?

(3) क्या सरकार इन बढ़ती हुई दुर्घटना के कारणों को पता लगाने एवं किस प्रकार यह दुर्घटनायें कम हो सकती हैं ? पर गम्भीरता से विचार कर रही है।

उत्तर

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक राजस्थान राज्य में सड़क दुर्घटना के 23243 मुकदमे दर्ज हुये हैं।

(2) उक्त अवधि में दुर्घटना के कारण 6477 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 5436 व्यक्तियों के फ्रैक्चर हुये।

(3) इन बढ़ती दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने एवं किस प्रकार ये दुर्घटनाऐं कम हो सकती हैं, इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य तथा जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जो समय-समय पर बैठक आयोजित कर सड़क दुर्घटना के कारणों पर विचार-विमर्श कर, दुर्घटना होने की दशाओं, परिस्थितियों के सम्बन्ध में आवश्यक उपाय बतायेंगी। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार (अनु. 3) विभाग द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक प.6(42)प्रसु/अनु./3/2004/8115 दिनांक 3/6-9-2004 की छाया प्रति संलग्न है।

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

क्रमांक : प.6(42)प्रसु/अनु-3/2004/8115 जयपुर, दिनांक : 3-9-2004

<u>आज्ञा</u>

राज्य में बढ़ती जा रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, घायलों को तुरन्त सहायता एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समन्वित एवं नियोजित प्रयास करने, सड़क दुर्घटना के कारणों एवं इनको रोकने के उपाय करने के लिए राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निम्नानुसार समितियों का गठन करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

राज्य स्तरीय समिति-

(ए)	परिवहन आयुक्त	अध्यक्ष
(बी)	निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य
(सी)	मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
(डी)	महा निरीक्षक/उप महा. निरीक्षक, यातायात, पुलिस मुख्यालय	सदस्य

समिति राज्य में दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या के लिए उत्तरदायी कारणों की जांच करेगी तथा इनको रोकने के लिए निर्णय लेगी/सिफारिश करेगी।

जिला स्तरीय समिति-

(ए)	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
(बी)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(सी)	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य

जिला स्तरीय समिति-

(डी) अधीक्षक/अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग — सदस्य

(ई) जिला परिवहन अधिकारी — सदस्य

समिति जिले में होने वाली सड़क दुर्घटना के कारणों पर विचार विमर्श करेगी तथा दुर्घटना होने की दशाओं, परिस्थितियों के सम्बन्ध में आवश्यक उपाय सुझायेगी। अन्तर्जिला स्तरीय उपायों के सम्बन्ध में निर्णय हेतु राज्य स्तरीय समिति से सम्पर्क किया जावेगा। समिति प्रशासनिक विभाग, परिवहन विभाग राजस्थान, जयपुर होगा।

आज्ञा से

उप शासन सचिव

पंच सितारा होटल/पर्यटन स्थलों पर अनैतिक आयोजन प्रकरण

120. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा), श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित रामबाग होटल में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरुद्ध अक्टूबर, 2004 में पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो किन धाराओं के तहत ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामले में किन-किन व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण की जांच पूरी कर ली गई है ? यदि हां, तो

(श्री नवरतन राजोरिया)

कब एवं नहीं, तो जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी ? जांच रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त शराब पार्टी में उच्च राजकीय अधिकारी/जनप्रतिनिधि भी शामिल थें ? यदि हां, तो कौन-कौन ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(5) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार का एक प्रकरण अजमेर जिले में भी घटित हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन धाराओं में तथा किन-किन के विरुद्ध ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार द्वारा उपरोक्त दोनों घटनाओं के सम्बन्ध में अभी तक कोई गिरफ्तारी की गई ? यदि हां, तो किस-किस की व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि जयपुर स्थित रामबाग होटल में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ अक्टूबर, 2004 में पुलिस द्वारा अभियोग सं. 264 दिनांक 23-10-2004 की अन्तर्गत धारा 295 ए भा.दं.सं. थाना अशोक नगर जिला जयपुर शहर (दक्षिण) पर पंजीबद्ध किया था। रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरण के अनुसन्धान से (1) श्री मनोज एडविन, (2) राहुल तनेजा, (3) योगेन्द्र गुप्ता, (4) पुनीत दत्त के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर अभियुक्त बनाया गया।

(3) जी हां। उक्त प्रकरण की जांच दिनांक 5-1-2005 को पूर्ण की जाकर प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर, जयपुर के मार्फत गृह विभाग (अभियोजन निदेशालय) में प्राप्त हुआ है एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु विचाराधीन।

(गृह मंत्री)

(4) उक्त शराब पार्टी मे उच्च राजकीय अधिकारी/जन प्रतिनिधि की इस पार्टी में उपस्थिति प्रमाणित नही हुई है।

(5) इस प्रकार का कोई प्रकरण अजमेर जिले में दर्ज नहीं हुआ है।

(6) इस सम्बन्ध में दिनांक 23-10-2004 को एक घटना रामबाग पैलेस में घटित हुई जिसमें अनुसन्धान के दौरान (1) श्री मनोज एडविन, (2) राहुल तनेजा, (3) योगेन्द्र गुप्ता, (4) पुनीत दत्त अपराधियों की अग्रिम जमानत सेशन न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 30-10-2004 को स्वीकार किये जाने से मुलजिमान के जमानत मुचलके स्वीकार किये गये।

तथ्यात्मक रिपोर्ट अभियोग संख्या 264/04 धारा 295ए ता.हि. दिनांक 23-10-2004 थाना अशोकनगर, जयपुर शहर दक्षिण, जयपुर।

वक्यात मुकदमा इस प्रकार से है कि दिनांक 23-10-2004 को दैनिक भास्कर, जयपुर संस्करण के मुख्य पृष्ठ पर छपी खबर "पब हुआ राममय" की जांच शुरू की गयी। दौराने जांच यह तथ्य सामाने आये कि रामबाग होटल में दिनांक 22-10-2004 की रात्री को 9.00 बजे से "दम मारो दम नाइट" का आयोजन रामबाग पैलेस होटल, जयपुर प्रशासन ने किया था। इस आयोजन होटल परिसर में स्थित स्टीम पब में किया गया था यह आयोजन मून्टीव पब के मैनेजर मनोज ऐडविन, राहुल तनेजा, पुनीत दत्त के. द्वारा किया गया था। दम मारो दम नाइट थीम पार्टी में होटल के वेटरों ने ग्राहकों को शराब भगवा वस्त्र रामनामी व रूद्राक्ष पहन कर शराब ग्राहकों को परोसी गयी। मुख्य वेटर योगेश गुप्ता की फोटो दैनिक भास्कर संस्करण, जयपुर में मुख्य पृष्ठ पर छपी। दशहरा के दिन ग्राहकों को शराब परोस कर हिन्दू धर्म के अनुयायों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का मामला प्रथम दृष्टया बनना पाया जाने पर उक्त अभियोग दर्ज कर दौराने अनुसन्धान मुकदमा हाजा मुस्तगीस श्री राजेन्द्र

प्रसाद शर्मा के बयान लिये गये। घटना स्थल पहुंच कर नक्शा निरीक्षण घटना स्थल किया गया।

मैनेजिंग डाइरेक्टर दिलीप पुरी से तफतीश कर बयान लिये गये। विज्ञापन की फोटो प्रति इनमेन्ट कलेण्डर जब्त पुलिस किये गये। मैनिजिंग डाइरेक्टर द्वारा इस प्रकरण में खेद प्रकट करने बाबत जारी प्रेस विज्ञप्ति शामिल पत्रावली की गयी। तालुका टेन्ट हाउस त्रिपोलिया बाजार पहुंच कर अशोक कुमार के बयान लिये गये। रामनामी सात कुर्ते गले की पांच बड़ी माला बाजू की छोटी माला ग्यारह रूद्राक्ष वास्ते बजह सबूत कब्जा पुलिस लिये गये। फोटो ग्राफर निरंजन चौहान व संवाददाता राजेश वैष्णव के बयान लिये गये। फर्द जब्ती कम्प्यूटर सीडी वास्ते बजह सबूत जब्त की गयी। अपराधियों की अग्रिम जमानत सैशन न्यायालय जयपुर शहर द्वारा हो जाने पर मुलजिमान श्री मनोज ऐडविन, राहुल तनेजा, पुनित दत्त, योगेश गुप्ता की 20-20 हजार रुपये की जमानत मुचलके भरे गये। अभिनव चौपड़ा से तफतीश कर बयान लिये गये। अब तक की तफतीश से मनोज ऐडविन, राहुल तनेजा, पुनित दत्त, योगेश गुप्ता के विरूद्ध हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य वैटरों को रामनामी वस्त्र व रूद्राक्ष पहना कर शराब परोसनी का अपराध साबित पाया गया है। जिनके विरूद्ध चालान पेश न्यायालय करने हेतु पत्रावली दिनांक 5-1-2005 को राज्य सरकार को भिजवायी गयी है। चालान स्वीकृति प्राप्त होते ही चालान शीघ्र ही न्यायालय में पेश किया जावेगा।

तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

जयपुर शहर के थाना प्रभारियों का स्थानान्तरण प्रकरण

121. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर के विभिन्न थानों में कौन-कौन थाना प्रभारी कब से कार्यरत है ? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरतन राजोरिया)

(2) थाना प्रभारियों के स्थानान्तरण के क्या नियम निर्धारित हैं तथा इनके स्थानान्तरण के लिए नियमों में सक्षम अधिकारी कौन है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2004 में अनेक थाना प्रभारियों के स्थानान्तरण नियम विरुद्ध कियें गये ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

(4) क्या सरकार थाना प्रभारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर के विभिन्न थानों पर पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची मय पदस्थापन दिनांक के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) थाना प्रभारियों के स्थानान्तरण के कोई नियम निर्धारित नहीं हैं। थाना प्रभारियों के स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में महानिरीक्षक पुलिस रेंज एवं एक थाने से दूसरे थाने पर स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक सक्षम अधिकारी हैं।

(3) जी नहीं।

(4) थाना प्रभारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मार्गदर्शी दिशा निर्देश तैयार करने की कार्यवाही विचाराधीन हैं।

Date : 7-2-2005

जयपुर शहर के विभिन्न थानों में पदस्थापित थाना प्रभारियों की सूची

क्र. सं.	नाम पुलिस निरीक्षक	पदस्थापन स्थान	वर्तमान पद पर पदस्थापन दि.
1.	श्री के.के. अवस्थी	थाना सांगानेर	25-2-2004
2.	श्री रघुराज सिंह	थाना सांगानेर सदर	25-2-2004
3.	श्री सोहेल राजा	थाना मालवीय नगर	23-9-2004
4.	श्री सत्यपाल सिंह	थाना गांधीनगर	6-10-2003
5.	श्री विष्णुदेव सामतानी	थाना बजाज नगर	23-9-2004
6.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	थाना मोती डूंगरी	25-9-2002
7.	श्री नरेन्द्र सिंह/भंवर सिंह	थाना आदर्श नगर	23-9-2004
8.	श्री सीताराम चौधरी	थाना जवाहर नगर	28-11-2001
9.	श्री महेश शर्मा/श्रीराम	थाना लालकोठी	26-2-2004
10.	श्री रामदेव सिंह	थाना टांसपोर्ट नगर	25-2-2004
11.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	थाना अशोक नगर	30-9-2004
12.	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत/ विशन सिंह	थाना विधायक पुरी	26-2-2004
13.	श्री समरवीर यादव	थाना ज्योति नगर	30-9-2004
14.	श्री गोपी सिंह शेखावत	थाना सदर	23-9-2004
15.	श्री रघुवीर सिंह/रामदयाल	थाना जालूपुरा	23-9-2004
16.	श्री गोवर्धन सिंह	थाना सिन्धी कैम्प	23-9-2004

1	2	3	4
17.	श्री राजेन्द्र सिंह/विक्रम सिंह	थाना सोडाला	23-9-2004
18.	श्री विद्याप्रकाश	थाना वैशाली नगर	23-9-2004
19.	श्री नरपत सिंह राठौड़	थाना श्याम नगर	24-9-2004
20.	श्री आशमोहम्मद	थाना मानसरोवर	23-9-2004
21.	श्री सुनिल पूनियां	थाना शिप्रा पथ	30-9-2004
22.	श्री महेश शर्मा/बोदनराम	थाना महेश नगर	23-9-2004
23.	श्री पृथ्वी सिंह	थाना महिला थाना (द./पू.)	23-9-2004
24.	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़	थाना माणक चौक	30-9-2004
25.	श्री भंवर लाल मीणा	थाना सुभाष चौक	23-9-2004
26.	श्री अशोक चौहान	थाना रामगंज	26-2-2004
27.	श्री महेन्द्र कुमार सैनी	थाना गलता गेट	23-9-2004
28.	श्री राजेन्द्र सिंह/हरलाल	थाना आमेर	25-9-2004
29.	श्री दिनेश शर्मा	थाना ब्रह्मपुरी	25-9-2004
30.	श्री छगन सिंह	थाना झोटवाड़ा	25-9-2004
31.	श्री रिछपाल सिंह	थाना विश्वकर्मा	28-2-2004
32.	श्री अतर सिंह पूनियां	थाना हरमाड़ा	30-9-2004
33.	श्री जहांगीर खां	थाना मुरलीपुरा	23-9-2004
34.	श्री योगेन्द्र जोशी	थाना बनीपार्क	23-9-2004

1	2	3	4
35.	श्री कानसिंह भाटी	थाना विद्याधर नगर	23-9-2004
36.	श्री रविशेखर मीश्रा	थाना शास्त्रीनगर	23-9-2004
37.	श्री राजेन्द्र त्यागी	थाना भट्टा बस्ती	23-9-2004
38.	श्री नरेन्द्र सिंह/जीवराज सिंह	थाना कोतवाली	30-9-2004
39.	श्री राजेश मलिक	थाना नाहरगढ़	25-9-2004
40.	श्री सुरेश सांवरिया	थाना संजय सर्किल	4-3-2004
41.	श्री बच्चू सिंह	थाना महिला थाना (उत्तर/पश्चिम)	23-9-2004
42.	श्री कृष्णकान्त शर्मा	पुलिस निरीक्षक (दुर्घटना पूर्व)	30-9-2004
43.	श्री महावीर प्रसाद	पुलिस निरीक्षक (दुर्घटना उ. क्षेत्र)	30-9-2004
44.	श्री बाबूलाल जोशी	पुलिस निरीक्षक (दुर्घटना द. क्षेत्र)	30-9-2004
45.	श्री रामकृष्ण मीणा	पुलिस निरीक्षक (दुर्घटना प. क्षेत्र)	30-9-2004

बूंदी जिले में मूर्ति चोरी के दर्ज प्रकरण

122. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बून्दी जिले में दिनांक 1 जनवरी, 2001 से 31 जनवरी, 2005 तक कितनी मूर्ति चोरी की वारदातें हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मूर्ति चोरी के प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरण वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में मूर्ति चोरी के मामले में कितने मुल्जिम गिरफ्तार किए गए तथा कितने शेष हैं ? प्रकरण वार नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बूंदी जिले में 1 जनवरी, 2001 से 31-1-2005 तक की अवधि में मूर्ति चोरी की 20 घटनायें घटित हुई है। अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त मूर्ति चोरी के प्रकरणों में की गई कार्यवाही की अभियोगवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) उक्त जिले में मूर्ति चोरी के मामलों में 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 5 अभियुक्तों के विरूद्ध प्रकरण धारा-173(8) जा.फो. में अनुसन्धान जारी है। अभियोगवार नामजद सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

क्र. सं.	वर्ष	नाम थाना	अभियोग सं. दिनांक धारा	चुराई गई मूर्ति का विवरण	बरामद मूर्तियां	गिरफ्तार मूल-मान का नाम	गिरफ्तारी से शेष अभियुक्त का नाम	नतीजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2001	बसौली	9/01 दि. 25-1-2001 धारा 457, 380 ता.हि.	चारभुजा की मूर्ति पत्थर कीमती 1000 रुपये ग्राम डेकनिया	बरामद खण्डित अवस्था में	शून्य	शून्य	एफआर नं. 4/31-3-2001 अदमपता मालमुलजिमान
2.	2001	हिण्डौली	297 दि. 2-8-2001 धारा 380 ता.हि.	लक्ष्मीनाथ की मूर्ति काले पत्थर की कीमती 5000 रू. ग्राम देवजी का थाना	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 92/31-10-2000 अदमपता मालमुलजिमान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	2001	देई	548 दि. 12-12-2001 धारा 379 ता.हि.	गणेशजी व सरस्वती की पत्थर की मूर्तिया ग्राम भणजेरी	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 30/22-3-2002 अदमपता मालमुलजिमान
4.	2001	तालेड़ा	113 दि. 3-5-2001 धारा 380 ता.हि.	पार्वती की मूर्ति पत्थर की ग्राम जलोदी कीमती 200 रू.	पार्वती की मूर्ति बारामदगी	शून्य	शून्य	एफआर नं. 117/29-6-2000 अदमपता मुलजिमान
5.	2001	बसौली	90 दि. 5-11-2001 धारा 457, 380	लक्ष्मीनाथ की मूर्ति पत्थर की कीमती 1000 रू. ग्राम डाट्न्दा	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 19/16-12-2000 अदमपता मालमुलजिमान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	2002	हिण्डौली	274/10-8-2002 धारा 380 ता.हि.	राधा, कृष्ण की मूर्तियां पीतल की	मूर्ति बरामद	शून्य	शून्य	एफआर नं. 65/3-11-2002 अदमपता मुलजिमान
7.	2003	सदर	54/13-2-2003 धारा 457, 380 ताहि.	पार्श्वनाथजी की मूर्ति पत्थर ग्राम माटून्दा	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 32/29-7-2003 अदमपता मालमुलजिमान
8.	2003	सदर	129/29-4-2003 धारा 457, 380 ता.हि.	महादेव की मूर्ति भिमलत महादेव	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 33/29-7-2003 अदमपता मालमुलजिमान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	2003	सदर	152/24-5-2003 धारा 457, 380 ता.हि	5 मूर्तियां पत्थर की 3 लाल 2 काले रंग की ग्राम सिलोर जैन मन्दिर	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 52/10-9-2003 अदमपता मालमुलजिमान
10.	2003	हिण्डौली	272/26-8-2003, 380 ता.हि	चारभुजा की मूर्ति पत्थर ग्राम सथूर	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 61/30-9-2003 अदमपता मालमुलजिमान
11.	2003	हिण्डौली	201/30-6-2003] 379 ता.हि	लक्ष्मीनाथ की मूर्ति पत्थर की ग्राम सेथूर	थाना विद्यानगर जयपुर में मूर्ति बरामद की गई	मुल. भरतलाल व जेगेन्द्र मीणा सवाई	मंशाराम, मेघराज, विजसिंह 173(8) जाफी.	चार्ज नं. 88/ 30-4-2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						माधोपुर कोगिर. किया	में अनु. जारी है	
12.	2003	नैनवां	180/20-6-2003 धारा 379 ता.हि	ग्राम गम्भीरा में दहेलवालजी के स्थान से गणेशजी की मूर्ति	21-6-2003 को ग्राम गम्भीरा में बरामद	शून्य	शून्य	एफआर नं. 27/23-6-2003 अदमपता मुलजिमान
13.	2003	देई	311/8-7-2003 धारा 457, 380 ता.हि	ग्राम गुढादेवजी में केशवरायजी की मूर्ति	मूर्ति की पोशाक व पायजेब बरामद	हीरालाल, सूरजमल, जगदीश, लक्ष्मीचन्द, जमनाशंकर, देवकरण, लटर व लट्टूर आ. रामा	फोरिया उर्फ फौरूलाल, केसरीलाल 173(8) जा.फौ. में अनु. जारी है।	चार्ज नं. 124/ 29-5-2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	2003	देई	130/13-3-2003, 380 ता.हि	ग्राम बोरदा में पंचायती मन्दिर से केशवराय की मूर्ति	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 55/6-5-2003 अदमपता मालमुलजिमान
15.	2004	बसौली	3/10-1-2004 धारा 457, 380 ता.हि	ग्राम डेकन्या में चारभुजा की मूर्ति खण्डित हाथ पैर कटे हुए पूर्व में 2001 में यह मूर्ति चोरी हुई थी।	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 2/26-2-2004 अदमपता मालमुलजिमान
16.	2004	सदर	22/14-1-2004 धारा 457, 380 ता.हि	ग्राम असतोली से चारभुजा की मूर्ति पत्थर	मूर्ति बरामद	शून्य	शून्य	एफआर नं. 28/31-3-2004 अदमपता मुलजिमान

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	2004	सदर	110/10-3-2004 धारा 457, 380 ता.हि	ग्राम सिलोर में जैन मंदिर से 5 मूर्तियां पत्थर की	5 मूर्तियां बरामद	पप्पू, नन्नू व हमीद	शून्य	चार्ज नं. 65/ 23-3-2004
18.	2004	देई	374/4-8-2004 धारा 457, 380 ता.हि	ग्राम आतंरदा में रामचन्द्रजी के मन्दिर में से एक जोड़ा रामचन्द्रजी की मूर्ति पत्थर की	शून्य	शून्य	शून्य	पेण्डिंग तफ्तीश
19.	2004	नैनवां	66/21-2-2004 धारा 380 ता.हि	चारभुजा का मन्दिर ग्राम दुगारी से रामजी की मूर्ति	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 29/29-3-2004 अदमपता मालमुलजिमान
20.	2005	नैनवां	326/3-10-2004 धारा 380 ता.हि	ग्राम ताकला में शिवजी के मन्दिर में से पार्वती व विष्णु की मूर्ति	शून्य	शून्य	शून्य	एफआर नं. 150/ 25-12-2004 अदमपता मालमुलजिमान

सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के पेंशन स्वीकृति के लम्बित प्रकरण

123. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है पुलिस विभाग के कई कर्मचारियों की विधवाओं को लम्बे समय से प्रार्थना पत्र देते रहने पर भी पेन्शन स्वीकृत नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस कांस्टेबल स्वर्गीय प्रहलाद सिंह पुत्र श्री हजारी सिंह राजपूत नं. 605/625 निवासी ग्राम हुलमाना कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर को लम्बी बीमारी के कारण राजकीय सेवा से मार्च, 1968 में सेवानिवृत्त कर दिया गया व उसी दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई ? यदि हां, तो स्व. प्रहलाद सिंह के सेवानिवृत्ति के आदेश व मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) मृतक कांस्टेबल की वृद्ध व असहाय विधवा को अब कब तक पेन्शन जारी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि पुलिस विभाग में कई कर्मियों की विधवाओं को लम्बे समय से प्रार्थना पत्र देते रहने के बावजूद भी पेन्शन स्वीकृत नहीं की गई। केवल चार प्रकरण पुलिस अधीक्षक, जोधपुर के कार्यालय में विचाराधीन है, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) यह सही है कि पुलिस कांस्टेबल श्री प्रहलाद सिंह राजपूत नम्बर 605 जिला अलवर को लम्बी बीमारी के कारण राजकीय सेवा से दिनांक 3-3-1968 को सेवा से पृथक किया गया और कर्मचारी की दिनांक 18-1-1969 को मृत्यु हुई है। कर्मचारी के सेवा पृथक आदेश परिशिष्ट "अ" एवं मृत्यु प्रमाण पत्र परिशिष्ट "ब" की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(3) स्वर्गीय श्री प्रहलाद सिंह, कांस्टेबल की मृत्यु सेवा से पृथक होने के बाद हुई थी। श्री सिंह की योग्यात्मक सेवाएं पेन्शन योग्य नहीं होने के कारण उन्हें पेन्शन स्वीकृत नहीं की गई थी। अतः राजस्थान सेवा नियमों के अध्याय XXIII(A) नियम 268(बी/बी) के अनुसार इनकी विधवा भी पारिवारिक पेन्शन हेतु पात्र नहीं है।

(अता. प्र. क्र. 123, [illegible])

परिशिष्ट [illegible]

[illegible] 1103—11-04—14,900 P. [illegible]

Discharge Certificate

[illegible] पुलिस, राजस्थान

[illegible]

[illegible]

पुलिस [illegible] 9618

[illegible]

हस्ताक्षर

जिला पुलिस अधीक्षक

[illegible] (राज०)

कार्यालय ग्राम पंचायत [illegible], पं. स. [illegible] (अलवर)

सेवक— [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] पंचायत समिति [illegible] (अलवर)

प्रति— [illegible]

क्रमांक— [illegible] दिनांक 10/6/92

[illegible] दिनांक 18/1/89 [illegible]

[illegible]

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति

124. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पानी की कमी के कारण केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान उजाड़ व पक्षी विहिन स्थिति में पहुंच गया है ? यदि हां, तो गत वर्षों में इस उद्यान में पानी की व्यवस्था कहां से की जाती रही है ?

(2) क्या यह सही है कि पानी के अभाव में विदेशी तथा देशी पक्षियों की संख्या में व्यापक कमी आ गई है व इनको देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी कमी हुई है ? इस उद्यान में गत वर्ष व इस वर्ष कुल कितने पक्षी किस-किस प्रजाति के आये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रदेश में "वाइल्ड लाईफ बोर्ड" है जो वन्य जीवों के संरक्षण के विषय में सुझाव देता है ? यदि हां, तो क्या इस राष्ट्रीय उद्यान में पानी की कमी से उत्पन्न हुई समस्या पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक बुलवाई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) पानी की कमी के कारण पक्षियों की संख्या में कुछ कमी आई हैं। उद्यान में जनवरी, 2005 एवं जनवरी, 2004 में आये पक्षियों की प्रजातिवार संख्या संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले पर्यटकों की संख्या में निम्नांनुसार कमी आई है।

अप्रैल, 2003-जनवरी, 2004	89,674
अप्रैल, 2004-जनवरी, 2005	81,387

(3) जी हां। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बोर्ड की बैठक अभी तक नहीं बुलवाई जा सकी है।

परिशिष्ट "क"

Comparative Statement of Water Fowl Count.

S. No.	Species	Period	
		Jan, 2005	Jan, 2004
1.	Black-winged Still	7	
2.	White-tailed Plover		9
3.	Red-wattled Lapwing		69
4.	Common Redshank		1
5.	Spotted Redshank	13	2
6.	Greenshank	3	2
7.	Green Sandpiper		1
8.	Common Sandpiper		6
9.	Common Snipe	9	4
10.	Ruff and Reeve	45	30
11.	Great Cormorant	11	68
12.	Little Cormorant	76	70
13.	Snake Bird (Darter)	8	27
14.	Black Bittern	2	3
15.	Night Heron	76	55
16.	Pond Heron	49	40

1	2	3	4
17.	Cattle Egret		3
18.	Intermediate Egret	5	
19.	Little Egret	6	14
20.	Medium Egret		31
21.	Great Egret	105	27
22.	Purple Heron	6	18
23.	Grey Heron	29	31
24.	Painted Stork		115
25.	Woolly-necked Stork	2	
26.	Black-necked Stork	6	3
27.	Open Bill Stork		3
28.	White (Black Headed) Ibis	8	30
29.	Glossy Ibis	6	16
30.	Spoonbill	109	96
31.	Lesser Whistling Duck	0	122
32.	Greylag Goose	1169	955
33.	Bar-headed Goose	377	543
34.	Brahmini Duck (Ruddy Shelduck)	14	6

1	2	3	4
35.	Comb Duck	145	29
36.	Cotton Teal		69
37.	Falcated Teal		1
38.	Gadwall	195	1677
39.	Commom Teal	848	1162
40.	Mallard	1	
41.	Spot-billed Duck	69	169
42.	Pintail	597	3347
43.	Garganey	0	30
44.	Shoveler	379	1496
45.	Red-crested Pochard	1	142
46.	Common Pochard	0	114
47.	White-eyed Pochard		23
48.	Common Crane	14	
49.	Sarus Crane	7	2
50.	White- breasted Waterhen	28	36
51.	Moorhen	159	544
52.	Purple Moorhen	74	126

1	2	3	4
53.	Coot	849	5223
54.	Bronze-winged Jacana	3	17
55.	Pheasant-tailed Jacana		14
56.	Dab Chick (Little Grebe)	8	120
57.	Wigeon	184	332
58.	White-throated Kingfisher	8	8
59.	White tailed lapwing	17	
60.	Black Tailed Godwit	20	
61.	Small Blue Kingfisher	6	
62.	Black Ibis	2	
63.	Little Green Heron	2	
64.	Northern Lapwing	10	
65.	Grey Headed Lapwing	2	
66.	Wood Sandpiper	19	
67.	River Tern	4	
		5792	17081

Rosy Pelican 200 birds came in the month of December but did not stay in the park due to territory problem with BN stork.

राज्य में कार्यरत गैस एजेन्सियों के गोदाम

125. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में रसोई गैस की कितनी अधिकृत एजेन्सियां हैं ? जिलेवार व कम्पनी अनुसार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन एजेन्सियों के सभी गोदाम नियमानुसार हैं ? क्या सरकार द्वारा इन गोदामों को निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने के बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये गये हैं ?

(3) क्या सरकार अनियमित रूप से बनाये गये गोदाम धारकों/एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) ऐसे कितने गोदाम हैं जिनमें दुर्घटना की स्थिति से निपटने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया गया है ? सरकार द्वारा अब तक ऐसी कितनी गैस एजेन्सियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 379 रसोई गैस की अधिकृत एजेन्सियां हैं। जिलेवार व कम्पनी अनुसार गैस एजेन्सियों की संख्या परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य में सभी गैस एजेन्सियों के सभी गोदाम नियमानुसार हैं। इन गोदामों को निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने के बाद ही अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं।

(3) राज्य में गैस एजेन्सियों द्वारा अनियमित रूप से कोई गोदाम नहीं बनाये गये हैं। अत: गोदाम धारकों/एजेन्सियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) राज्य में सभी गैस एजेन्सियों के गोदाम निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते हैं अत: किसी गैस एजेन्सी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

परिशिष्ट "1"

क्र. सं.	नाम जिला	इंडियन ऑयल की संख्या	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम की संख्या	भारत पैट्रोलियम की संख्या	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	10	7	5	22
2.	अलवर	7	6	4	17
3.	बांसवाड़ा	1	1	3	5
4.	बीकानेर	5	4	3	12
5.	भरतपुर	5	3	5	13
6.	भीलवाड़ा	9	3	3	15
7.	बूंदी	2	2	2	6
8.	बारां	1	4	0	5
9.	बाड़मेर	5	1	1	7
10.	चित्तौड़गढ़	7	6	2	15
11.	चूरू	4	3	5	12
12.	धौलपुर	1	2	1	4
13.	डूंगरपुर	1	1	1	3
14.	दौसा	3	1	2	6

1	2	3	4	5	6
15.	गंगानगर	4	4	6	14
16.	हनुमानगढ़	3	0	4	7
17.	जोधपुर	12	7	3	22
18.	जालोर	1	0	2	3
19.	झुन्झुनूं	13	3	3	19
20.	जैसलमेर	2	1	0	3
21.	झालावाड़	1	3	1	5
22.	जयपुर	26	17	15	58
23.	करौली	3	0	0	3
24.	कोटा	5	6	3	14
25.	नागौर	10	2	2	14
26.	पाली	6	6	2	14
27.	राजसमन्द	2	0	3	5
28.	सवाईमाधोपुर	4	1	0	5
29.	सीकर	3	4	7	14
30.	सिरोही	3	3	0	6
31.	टौंक	3	3	2	8
32.	उदयपुर	8	6	9	23
	योग	170	110	99	379

राज्य की होटलों में श्रम कानूनों का उल्लंघन

126. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में तीन सितारा या इससे अधिक सुविधाओं से युक्त कितने होटल में श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है ? होटल मालिक समूह एवं उनके प्रबन्धकों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा गत एक वर्ष में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर कितने होटलों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले होटलों के विरुद्ध अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो क्या इस अभियान को बीच में रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार भविष्य में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले होटलों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त होटलों में भविष्य निधि कानून के उल्लंघन के प्रकरण भी सामने आये हैं ? यदि हां, तो किन-किन होटलों में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में तीन सितारा या इससे अधिक सुविधाओं से युक्त 10 होटलों में श्रम कानूनों का उल्लंघन पाया गया, होटल मालिक समूह एवं प्रबन्धकों का विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध है।

(2) सरकार द्वारा गत एक वर्ष में उक्त होटलों में श्रम कानूनों का उल्लंघन पाए जाने पर 9 संस्थानों के विरुद्ध श्रम कानूनों के तहत एवं 3 संस्थानों पर भविष्यनिधि कानून के तहत कार्यवाही की गई जिनकी सूची संलग्न है।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(3) जी नहीं। सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया के तहत होटल संस्थानों के निरीक्षण किए गए थे तथा निरीक्षण कार्य पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है।

(4) जी हां। सरकार भविष्य में भी श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले होटल एवं अन्य संस्थानों के विरुद्ध श्रम कानूनों के तहत नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है।

(5) जी हां। भविष्य निधि कानून का उल्लंघन पाए जाने पर 3 संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिनकी सूची संलग्न है।

तीन सितारा एवं इससे अधिक सुविधाओं से युक्त होटलों पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र. सं.	संस्थान एवं होटल का नाम	नियोजक/प्रबन्धक का नाम
1.	मै. मानसिंह होटल, जयपुर (इण्डो कोन्टीनेन्टल होटल एण्ड रिसोर्ट्स लि., जयपुर)	श्री आर.एस. राठौड़, प्रबन्धक
2.	मै. जय महल पैलेस, जयपुर	1. श्री नीरज सक्सैना, कार्मिक प्रबन्धक 2. श्री गौरव पोखरिवाल, ज. मैनेजर
3.	मै. होटल क्लार्क, आमेर, जयपुर।	श्री अपूर्व कुमार गुप्ता, ई.डी.
4.	मै. राजविलास पैलेस होटल, जयपुर।	1. श्री विक्रम ओबेराय, डायरेक्टर 2. श्री पाल जोन्स, मैनेजर

1	2	3
5.	मै. होटल जयपुर पैलेस, जयपुर।	1. श्री रामाकान्त शर्मा, एम.डी. 2. श्री दीपक शर्मा, ज. मैनेजर
6.	मै. राजपूताना पैलेस शेरटन होटल, जयपुर।	श्री संजय कृपाल, ज. मैनेजर
7.	मै. चोखी ढाणी, रिसोटर्स, जयपुर।	श्री सुभाष वासवानी, डायरेक्टर
8.	मै. होटल रामबाग पैलेस, जयपुर।	श्री दिलीप पुरी, महाप्रबन्धक
9.	मै. के.के. रायल डेज, जयपुर।	1. श्री इन्दर थापा, मैनेजर 2. श्री ओ.पी. मित्तल, मालिक
भविष्य निधि कानून के तहत पाए गए उल्लंघन		
10.	मै. रामबाग पैलेस, जयपुर	
11.	मै. होटल जयपुर पैलेस, जयपुर	
12.	मै. होटल सरिस्का पैलेस, अलवर	

सहकारी सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण

127. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर), श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गत दो वर्षों में कितने विभागीय अधिकारियों को अपने पद से स्थानान्तरित कर कुछ माह पश्चात् ही पुनः उसी पद पर पदस्थापित

(श्री मदन राठौड़)

किया गया ? पदाधिकारियों की सूची, स्थानान्तरण स्थान व पुनः लगाने की तिथि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सहकारी सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में नीति बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहकारिता के कुल 16 अधिकारी इस श्रेणी में आते हैं, जिनकी सूची विवरण सहित संलग्न है।

(2) जी नहीं।

सहकारी विभाग के अधिकारियों को उनके पद से स्थानान्तरित कर कुछ माह पश्चात् पुनः उसी पद पर पदस्थापित किया गया।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	पूर्व पदस्थापन स्थान	दिनांक	स्थानान्तरण स्थान	दिनांक	वर्तमान पदस्थापन स्थापन	दिनांक	पदस्थापन	दिनांक
1.	श्री मथुरा प्रसाद जाट	संयुक्त रजिस्ट्रार	प्रबन्ध संचालक केन्द्रीय सहकारी बैंक, गंगानगर	25-5-2003	अवसायक, भूपाल को-ऑपरेटिव सोसायटी, उदयपुर	29-9-2004	प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक, गंगानगर	4-11-2004	-	-
2.	श्री गंगासहाय मीणा	उप रजिस्ट्रार	प्रबन्ध निदेशक, अरबन बैंक, कोटा	20-3-1999	परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए., बीकानेर	2-7-2004	प्रबन्ध निदेशक, अरबन बैंक, कोटा	9-7-2004	-	-
3.	श्री जी. एल. गुप्ता	उप रजिस्ट्रार	सचिव, भूमि विकास बैंक, अजमेर	26-7-2002	आदेशों की प्रतीक्षा में	26-6-2004	सचिव, भूमि विकास बैंक, अजमेर	9-7-2004	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	श्री लोकेश गांधी	उप रजिस्ट्रार	प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, डूंगरपुर	5-8-2002	आदेशों की प्रतीक्षा में	2-7-2004	प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, डूंगरपुर	9-7-2004	-	-
5.	श्री मोहन लाल	उप रजिस्ट्रार	प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, पाली	15-7-2003	विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, कोटा	19-8-2004	प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, पाली	30-9-2004	-	-
6.	श्री वी. डी. गोदारा	उप रजिस्ट्रार	प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, झुन्झुनूं	26-6-2004	अधिशासी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक, पाली	30-9-2004	प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, झुन्झुनूं	13-10-2004	-	-
7.	श्री मोहम्मद असलम	उप रजिस्ट्रार	सचिव, भूमि विकास बैंक, भीलवाड़ा	26-7-2002	क्षेत्रीय अंकेक्षक, सहकारी समितियां, भरतपुर	26-6-2004	सचिव, भूमि विकास बैंक, भीलवाड़ा	2-7-2004	अधिशासी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी	9-7-2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									बैंक, भीलवाड़ा	
8.	श्री आशुतोष भट्ट	सहायक रजिस्ट्रार	सचिव, भूमि विकास बैंक, डूंगरपुर	26-7-2002	आदेशों की प्रतीक्षा में	26-6-2004	सचिव, भूमि विकास बैंक, डूंगरपुर	2-7-2004	सचिव, भूमि विकास बैंक, बांसवाड़ा	9-7-2004
9.	श्री अनिल कुमार काबरा	सहायक रजिस्ट्रार	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भीलवाड़ा	15-7-2002	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़	26-6-2004	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भीलवाड़ा	2-7-2004	-	-
10.	श्री केदारमल मीणा	सहायक रजिस्ट्रार	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सवाईमोधापुर	4-9-2001	विशेष लेखा परीक्षक, सह. समितियां, अजमेर	26-6-2004	सचिव, भूमि विकास बैंक, सवाईमाधोपुर	2-7-2004	विशेष लेखा परीखक, स.स., अजमेर	9-7-2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	श्री ललित मीणा	सहायक रजिस्ट्रार	सहायक रजिस्ट्रार, सचिवालय	20-2-2003	सहायक रजिस्ट्रार, मिल्क यूनियन, जयपुर	2-7-2004	आदेशों की प्रतीक्षा में	19-8-2004	सहायक रजिस्ट्रार स.स. सचिवालय	18-10-2004
12.	श्री ओमप्रकाश जैन	सहायक रजिस्ट्रार	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, टोंक	25-4-2003	सचिव, भूमि विकास बैंक, टोंक	26-6-2004	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, टोंक	9-7-2004	-	-
13.	श्री रणजीतसिंह चूड़ावत	सहायक रजिस्ट्रार	सचिव, भूमि विकास बैंक, भीलवाड़ा	26-6-2004	अधिशासी अधिकारी, सी.सी.बी. भीलवाड़ा	2-7-2004	सचिव, भूमि विकास बैंक, भीलवाड़ा	9-7-2004	-	-
14.	श्री राजेश टोंक	सहायक रजिस्ट्रार	महाप्रबन्धक, भण्डार, बीकानेर	26-6-2004	आदेशों की प्रतीक्षा में	2-7-2004	महाप्रबन्धक, भण्डार, बीकानेर	9-7-2004	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	श्री शिवदयाल मीणा	सहायक रजिस्ट्रार	सचिव, भूमि विकास बैंक, सवाईमाधोपुर	26-7-2002	विशेष लेखा परीक्षक, स.स. अजमेर	2-7-2004	सचिव, भूमि विकास बैंक, सवाईमाधोपुर	9-7-2004	-	-
16.	श्री आलोक कुमार चौधरी	सहायक रजिस्ट्रार	विशेष लेखा परीक्षक, स.स., भीलवाड़ा	11-6-2001	सहायक रजिस्ट्रार, स.स., भीलवाड़ा	26-6-2004	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समिसितयां	9-7-2004	वि.ले.प. स.स. भीलवाड़ा	30-9-2004

संयुक्त रजिस्ट्रार (मानव संसाधन विकास)

शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति का अवसायन प्रकरण

128. श्री समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति का पंजीयक सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1992 को समिति के अवसायन की सम्पूर्ण कार्यवाही की जाकर पंजीयन निरस्त किया जा चुका है ? यदि हां, तो अवसायन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति को आदेश दिनांक 24 जनवरी, 2004 द्वारा अवसायन में लाया जाकर अवसायक नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अवसायक द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर (शहर) द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2003 को दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में नोटिस क्रमांक ( )उरज/शहर/अवसायन/3563 दिनांक 5 दिसम्बर, 2003 को प्रकाशित किया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध प्रशासक को रिकार्ड नहीं सम्भलवाने के कारण तत्समय प्रभावी राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 132 के तहत वाद भी विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। समिति से रिकार्ड प्राप्ति हेतु दिनांक 29-9-2004 को

(सहकारिता मंत्री)

"महका भारत" एवं दिनांक 23-1-2005 को "राजस्थान पत्रिका" में सूचना प्रकाशित की गई है।

(3) जी हां। उक्त नोटिस के प्रकाशन के पश्चात् शांतिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. को आदेश दिनांक 24-1-2004 द्वारा अवसायन में लाया जा चुका है। समिति के पूर्व पदाधिकारियों से रिकार्ड प्राप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। शांति नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के विरुद्ध तत्समय प्रभावी राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1995 की धारा 132 के तहत वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद में सुनवाई जारी है।

राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना

129. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त योजना में अब तक कितने कार्ड तैयार किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के आधार पर कितने कार्ड धारकों को ऋण राशि दी गई ? विवरण संवर्गवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह योजना सहकारी बैंकों में दिनांक 1-4-1999 से लागू है।

(2) इस योजना में माह दिसम्बर, 2004 तक केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 25, 83, 57 पात्र सदस्यों को किसान क्रेडिट कार्ड तैयार कर वितरित किये गये हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान माह दिसम्बर, 2004 तक 1635.90 करोड़ रू. का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया गया है। इसमें से 620.32 करोड़ का ऋण वितरण लघु एवं सीमान्त कृषकों को किया गया है। समस्त अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का निलम्बन

130. **मोहम्मद माहिर आजाद (नगर), श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 के मध्य पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को ? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अवधि में निलम्बित जन प्रतिनिधियों में से कतिपय जन प्रतिनिधियों को पुनः बहाल किया गया ? यदि हां, तो किन-किन को व किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायतीराज के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निलम्बित किया गया है। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। बहाल किये गये जन प्रतिनिधियों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ के राज्य कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

131. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नन्दलाल मीणा)

(1) अरनोद एवं प्रतापगढ़ पंचायत समितियों के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें वर्ष 2002 से 2004 में प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों में किन-किन मामलों में जांच पूर्ण हो गई ? प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कितने मामलों में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत अदालतों में चालान पेश किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी प्रतापगढ़ को ग्राम पंचायत देवगढ़ के सरपंच से रिश्वत लेते समय पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी का निलम्बन कब किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में जांच विभागीय स्तर पर की गई ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रश्न के भाग संख्या 2 में वर्णित प्रकरण के अलावा पंचायत समिति अरनौद एवं प्रतापगढ़ के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध वर्ष 2002, 2003 व 2004 में भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। यह सही है कि दिनांक 30-4-2003 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इकाई उदयपुर द्वारा श्री सतीश चंद बूंदीवाल तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति प्रतापगढ़ को परिवादी श्री इन्दरमल मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़ पंचायत समिति प्रतापगढ़ से बतौर रिश्वत 3000 रू. मांगने और ग्रहण करने पर पकड़ा है। उक्त श्री सतीशचंद बूंदीवाल विकास अधिकारी को पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 6-6-2003 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। इस प्रकरण में विभागीय स्तर पर जांच नहीं की गई अपितु प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर के पास लम्बित है उक्त श्री

(पंचायतीराज मंत्री)

सतीशचंद बूंदीवाल तत्कालीन विकास अधिकारी की सेवाएं दिनांक 18-8-2003 को पैतृक विभाग (शिक्षा विभाग) को लौटायी जा चुकी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रकरण नियुक्ति अधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को भेज रखा है, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से अनुसन्धान अधिकारी अर्थात् अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु विचार-विमर्श नहीं हुआ है, विचार-विमर्श के बाद अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

ब्यावर के अकाल राहत श्रमिकों को भुगतान

132. **श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)** : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2002 से अब तक कौन-कौन से राहत कार्य स्वीकृत किए गए ? ग्राम पंचायतवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राहत कार्यों के तहत कार्य पर लगाये गये श्रमिक को पारिश्रमिक का भुगतान किस प्रकार किया गया एवं इस पर कितनी राशि व्यय हुई ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में वर्ष 2002 से अब तक निम्न प्रकार कार्य स्वीकृत किये गये :-

क्र. सं.	नाम कार्यकारी एजेन्सी	वर्ष 2002 (संवत 2059)	वर्ष 2004 (संवत 2061)
1.	सा.नि. विभाग	128	23

(सहायता मंत्री)

क्र. सं.	नाम कार्यकारी एजेन्सी	वर्ष 2002 (संवत 2059)	वर्ष 2004 (संवत 2061)
2.	सिंचाई विभाग	48	18
3.	पंचायत समिति	211	-

वर्ष 2003 (संवत 2060) में अकाल नहीं था। ग्राम पंचायतवार व वर्षवार स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष 2002 (संवत 2059) में 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से टास्क के आधार पर 25% नगद व 75% गेहूं के रूप में तथा वर्ष 2004 (संवत 2061) में 73 रू. प्रतिदिन की दर से टास्क के आधार पर 25% नगद व 75% गेहूं के रूप में भुगतान किया तथा इस पर व्यय हुई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	नाम कार्यकारी एजेन्सी	वर्ष 2002 से जुलाई, 15-7-2003 तक	वर्ष 2004
1.	सा.नि. विभाग ब्यावर	143.07	13.58
2.	सिंचाई विभाग	68.73	8.43
3.	पं.सं. जवाजा	314.72	-

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सरदारशहर तहसील के अकाल राहत श्रमिकों का लम्बित भुगतान

133. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) अकाल राहत कार्यों पर मजदूरों को लगाये जाने के क्या मानदण्ड हैं ? सरदारशहर तहसील में क्या उक्त मानदण्डों की पूर्णतः पालना की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सरदारशहर तहसील के किन-किन गांवों में किस-किस कार्य पर दिसम्बर, 2004 से अकाल राहत में कितने-कितने मजदूर लगाये गये ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त कार्यों पर लगाये गये मजदूरों को कितना-कितना भुगतान किया गया है ? भुगतान की गई मजदूरी की औसत दर क्या थी ? मजदूरी का भुगतान कब-कब का बकाया हैं तथा बकाया भुगतान अब कब तक कर दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों पर श्रमिकों के नियोजन हेतु निम्नानुसार प्राथमिकताऐं निर्धारित की गई हैं :-

1. गरीबी रेखा के नीचे चयनित परिवार का सदस्य।
2. भूमिहीन श्रमिक।
3. सीमान्त कृषक
4. लघु कृषक
5. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के श्रमिक जो उक्त 1 से 4 में भी है।
6. अन्य व्यक्ति जिन्हें कार्य की आवश्यकता हो साथ ही यह भी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं कि एक परिवार से

(सहायता मंत्री)

एक ही व्यक्ति को राहत कार्य पर नियोजित किया जावें। सरदारशहर तहसील में अकाल राहत कार्यों पर श्रमिकों के नियोजन में उक्त मापदण्डों की पूर्ण रूपेण पालना की गई है।

(2) सरदारशहर तहसील के कुल 246 अकाल राहत कार्यों पर माह दिसम्बर, 2004 से राहत कार्यों पर 9704 श्रमिक स्वीकृत किये गये हैं। जिनकी ग्रामवार एवं कार्यवार स्वीकृत श्रमिक संख्या की सूची संलग्न हैं। (परिशिष्ट अ)

(3) अकाल राहत कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों को टास्क के आधार पर अधिकतम 73/- रुपये प्रतिदिन प्रति श्रमिक मजदूरी मानते हुए भुगतान की गई मजदूरी के भुगतान की औसत दर 47.50 रुपये है। नियोजित श्रमिकों को 20 जनवरी, 2005 तक की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। 21 जनवरी, 2005 से 31 जनवरी, 2005 (तृतीय चरण) का भुगतान फरवरी माह के चालू चरण (11 से 20 फरवरी तक) में कर दिया जावेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित अवैध बसें

134. श्री अमराराम (धोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितनी अनुबन्धित बसें कौन-कौन से मार्गों पर संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बस मालिकों की कितनी बसें परमिट द्वारा तथा कितनी बसें अवैध रूप से चल रही हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों में 223 निजी बसें अनुबन्ध पर संचालित हैं। आगारवार निजी वाहनों की संख्या के सामने संचालित मार्ग का नाम दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) राष्ट्रीयकृत मार्गों पर नवम्बर, 2004 तक 1318 निजी वाहनों को पर्यटक अनुज्ञापत्र जारी किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा 48 उप नगरीय मार्ग खोले गये हैं तथा इन मार्गों पर दिसम्बर, 2004 तक 41 वाहनों को अनुज्ञापत्र जारी किए जा चुके हैं। समय-समय पर राष्ट्रीयकृत मार्गों पर वाहनों की चैकिंग की जाती है तथा ऐसे वाहन जो बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त कर अथवा अनुज्ञापत्र की शर्तों की अवहेलना करते पाए जाते हैं, के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

जहां तक अवैध वाहनों की संख्या का प्रश्न है ऐसे वाहनों की संख्या बताया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि अवैध वाहनों का कोई निश्चित मार्ग अथवा समय नहीं होता।

परिशिष्ट "1"

आगार वार निजी अनुबन्धित वाहनों द्वारा संचालित मार्गों का विवरण

क्र. सं.	आगार का नाम		वाहन संख्या	संचालित मार्ग का नाम
1.	डीलक्स	1.	आरजे 14 1पी 2154	जयपुर-जोधपुर
		2.	आरजे 14 1पी 2902	जयपुर-दिल्ली
		3.	आरजे 14 1पी 2932	जयपुर-दिल्ली
		4.	आरजे 14 1पी 3068	जयपुर-दिल्ली
		5.	आरजे 14 1पी 3069	जयपुर-दिल्ली

1	2	3	4	5
		6.	आरजे 14 1पी 3405	जयपुर-दिल्ली
		7.	आरजे 14 1पी 3543	जयपुर-दिल्ली
		8.	आरजे 14 1पी 3829	जयपुर-दिल्ली
		9.	आरजे 14 1पी 3830	जयपुर-दिल्ली
2.	दौसा	1.	आरजे 29पी 0869	दौसा-राजगढ़-पहाड़ी
		2.	आरजे 29पी 898	दौसा-राजगढ़-पहाड़ी
		3.	आरजे 29पी 863	दौसा-घाटगेट-नदबई
		4.	आरजे 14 1पी 2145	दौसा-घाटगेट-बयाना
3.	सीकर	1.	आरजे 23पी 3185	सीकर-जयपुर-लाडनू
		2.	आरजे 23पी 3131	सीकर-जोधपुर
		3.	आरजे 23पी 2555	सीकर-जोधपुर
		4.	आरजे 23पी 1601	सीकर-जयपुर-भादरा
		5.	आरजे 23पी 1832	सीकर-जयपुर-चूरू
		6.	आरजे 23पी 2225	सीकर-चूरू-कोटा
		7.	आरजे 23पी 2500	सीकर-जोधपुर
		8.	आरजे 23पी 1491	सीकर-पाली
		9.	आरजे 23पी 1523	सीकर-पाली

1	2	3	4	5
		10.	आरजे 23पी 2176	सीकर-लाडनू-जयपुर-डीडवाना
		11.	आरजे 23पी 3161	सीकर-बीकानेर-जयपुर
		12.	आरजे 23पी 1380	सीकर-चूरू-जयपुर
		13.	आरजे 23पी 1578	सीकर-पाली
		14.	आरजे 23पी 1514	सीकर-चूरू-जयपुर-सालासर
		15.	आरजे 23पी 2261	सीकर-उदयपुरवाटी
		16.	आरजे 23पी 2307	सीकर-उदयपुरवाटी
		17.	आरजे 23पी 2036	सीकर-जयपुर-लाडनू
		18.	आरजे 23पी 1423	सीकर-लाडनू-जयपुर-सुजानगढ़
4.	खेतड़ी	1.	आरजे 19 1पी 0014	खेतड़ी-जोधपुर
		2.	आरजे 19 1पी 0715	खेतड़ी-जोधपुर
		3.	आरजे 21 पी 1389	खेतड़ी-जोधपुर
5.	झुन्झुनूं	1.	आरजे 18पी 2037	राजगढ़-जयपुर
		2.	आरजे 18पी 2234	पिलानी-जयपुर
		3.	आरजे 23पी 2496	पिलानी-जयपुर
		4.	आरजे 23पी 2551	पिलानी-निम्बाहेड़ा
		5.	आरजे 23पी 3521	पिलानी-निम्बाहेड़ा

1	2	3	4	5
		6.	आरजे 23पी 3581	जयपुर-राजगढ़
		7.	आरजे 23पी 3585	पिलानी-जयपुर
		8.	आरजे 19पी 7787	पिलानी-जयपुर
		9.	आरजे 19पी 9266	पिलानी-जोधपुर
6.	चूरू	1.	आरजे 07पी 2827	चूरू-जयपुर
		2.	आरजे 18पी 1634	चूरू-जयपुर
		3.	आरजे 18पी 2009	चूरू-जयपुर
		4.	आरजे 14 1पी 2814	चूरू-जयपुर
		5.	आरजे 10पी 3549	चूरू-जयपुर
		6.	आरजे 07पी 4021	चूरू-जयपुर
7.	श्रीमाधोपुर	1.	आरजे 21पी 1379	श्रीमाधोपुर-जोधपुर
		2.	आरजे 23पी 3091	श्रीमाधोपुर-सिरोही वाया जयपुर-अजमेर
		3.	आरजे 23पी 3189	श्रीमाधोपुर-सिरोही वाया " "
8.	बीकानेर	1.	आरजे 07पी 3005	बीकानेर-जोधपुर-बीकानेर
		2.	आरजे 07पी 3729	बीकानेर-जोधपुर-बीकानेर
		3.	आरजे 07पी 3534	बीकानेर-जोधपुर-बीकानेर

1	2	3	4	5
		4.	आरजे 07पी 2950	बीकानेर-जोधपुर-बीकानेर
		5.	आरजे 07पी 3255	बीकानेर-जोधपुर-बीकानेर
		6.	आरजे 07पी 3651	बीकानेर-अजमेर-बीकानेर
		7.	आरजे 07पी 2919	बीकानेर-गंगानगर-बीकानेर
		8.	आरजे 07पी 2937	बीकानेर-गंगानगर-बीकानेर
		9.	आरजे 07पी 2991	बीकानेर-गंगानगर-बीकानेर
		10.	आरजे 07पी 3511	बीकानेर-जयपुर-बीकानेर
		11.	आरजे 07पी 3981	बीकानेर-जयपुर-बीकानेर
		12.	आरजे 07पी 2801	बीकानेर-गंगानगर-बीकानेर
		13.	आरजे 07पी 3233	बीकानेर-गंगानगर-बीकानेर
		14.	आरजे 07पी 2920	बीकानेर-गंगानगर-बीकानेर
		15.	आरजे 07पी 3077	बीकानेर-जयपुर-बीकानेर
		16.	आरजे 07पी 3747	बीकानेर-जयपुर-बीकानेर
		17.	आरजे 07पी 3756	बीकानेर-जयपुर-बीकानेर
		18.	आरजे 07पी 3766	बीकानेर-जयपुर-बीकानेर
		19.	आरजे 07पी 0786	बीकानेर-हनुमानगढ़-बीकानेर
		20.	आरजे 07पी 3723	बीकानेर-गंगानगर-बीकानेर

1	2	3	4	5
		21.	आरजे 07पी 4757	बीकानेर-गंगानगर-बीकानेर
		22.	आरजे 07पी 5051	बीकानेर-जयपुर-बीकानेर
		23.	आरजे 07पी 4072	बीकानेर-गंगानगर-बीकानेर
		24.	आरजे 07पी 4786	बीकानेर-जयपुर-बीकानेर
		25.	आरजे 07पी 4511	बीकानेर-गंगानगर-बीकानेर
		26.	आरजे 07पी 4651	बीकानेर-जयपुर-बीकानेर
9.	हनुमानगढ़	1.	आरजे 07पी 3891	गंगानगर-जयपुर
		2.	आरजे 07पी 4027	सूरतगढ़-बीकानेर
		3.	आरजे 07पी 4071	हनुमानगढ़-बीकानेर
		4.	आरजे 07पी 4067	सूरतगढ़-बीकानेर
		5.	आरजे 07पी 4128	घड़साना-सूरतगढ़
		6.	आरजे 07पी 4295	हनुमानगढ़-बीकानेर
10.	सरदारशहर	1.	आरजे 20पी 5544	सरदारशहर-कोटा
		2.	आरजे 07पी 3928	सरदारशहर-बीकानेर-नोहर
		3.	आरजे 07पी 3936	सरदारशहर-कोटा
		4.	आरजे 10पी 3903	सरदारशहर-जयपुर
		5.	आरजे 23पी 2404	सरदारशहर-जयपुर

1	2	3	4	5
		6.	आरजे 07पी 4201	सरदारशहर-जयपुर
		7.	आरजे 23पी 3163	सरदारशहर-जयपुर
11.	अनूपगढ़	1.	आरजे 07पी 2951	अनूपगढ़-जयपुर
		2.	आरजे 07पी 3999	अनूपगढ़-जयपुर
		3.	आरजे 07पी 4089	अनूपगढ़-जोधपुर
		4.	आरजे 07पी 3830	अनूपगढ़-जोधपुर
		5.	आरजे 07पी 3985	अनूपगढ़-बीकानेर-गंगानगर
		6.	आरजे 07पी 4015	अनूपगढ़-गंगानगर-बीकानेर
		7.	आरजे 07पी 3071	अनूपगढ़-गंगानगर-बीकानेर
12.	डूंगरपुर	1.	आरजे 141पी 1055	डूंगरपुर-जयपुर वाया चित्तौड़
		2.	आरजे 141पी 4074	डूंगरपुर-जयपुर वाया चित्तौड़
		3.	आरजे 141पी 2162	डूंगरपुर-जयपुर वाया ब्यावर
		4.	आरजे 19पी 9841	डूंगरपुर-जयपुर वाया ब्यावर
		5.	आरजे 19पी 9745	डूंगरपुर-जोधपुर वाया गोगून्दा
		6.	आरजे 14पी 9972	डूंगरपुर-जोधपुर वाया गोगून्दा
13.	बांसवाड़ा	1.	आरजे 19पी 139	बांसवाड़ा-अजमेर वाया उदयपुर
		2.	आरजे 19पी 9422	बांसवाड़ा-अजमेर वाया उदयपुर

1	2	3	4	5
		3.	आरजे 19पी 331	बांसवाड़ा-जोधपुर वाया रणकपुर
		4.	आरजे 19पी 332	बांसवाड़ा-जोधपुर वाया रणकपुर
		5.	आरजे 14पी 4255	बांसवाड़ा-जयपुर वाया प्रतापगढ़
14.	कोटा	1.	आरजे 20पी 5018	कोटा-जयपुर
		2.	आरजे 07पी 3433	कोटा-बीकानेर
		3.	आरजे 07पी 3577	कोटा-बीकानेर
		4.	आरजे 19पी 9409	कोटा-जोधपुर
		5.	आरजे 20पी 6375	कोटा-जयपुर
15.	झालावाड़	1.	आरजे 20पी 5947	पाटन-जोधपुर
		2.	आरजे 19पी 760	पाटन-जोधपुर
16.	ब्यावर	1.	आरजे 19पी 0013	ब्यावर-जोधपुर
		2.	आरजे 19पी 0016	ब्यावर-जोधपुर-रावतभाटा
		3.	आरजे 19पी 9519	ब्यावर-जोधपुर-रावतभाटा
		4.	आरजे 19पी 7001	ब्यावर-किशनगढ़-जोधपुर
		5.	आरजे 19पी 9295	ब्यावर-कोटा-जोधपुर
		6.	आरजे 19पी 9174	ब्यावर-कोटा-जोधपुर
		7.	आरजे 21पी 1277	ब्यावर-पाली-जोधपुर

1	2	3	4	5
17.	भरतपुर	1.	आरजे 18पी 2157	भरतपुर-बांसवाड़ा
18.	अजमेर	1.	आरजे 01पी 4180	अजमेर-मनोहरथाना
19.	नागौर	1.	आरजे 01पी 1242	नागौर-गंगानगर-जोधपुर
		2.	आरजे 21पी 3773	नागौर-गंगानगर-जोधपुर
		3.	आरजे 07पी 3731	नागौर-जोधपुर-बीकानेर
		4.	आरजे 19पी 9606	नागौर-जयपुर वाया सीकर
		5.	आरजे 19पी 8856	नागौर-जोधपुर-बीकानेर
		6.	आरजे 19पी 8827	नागौर-जयपुर
		7.	आरजे 19पी 8857	नागौर-सीकर-जोधपुर
		8.	आरजे 21पी 1329	नागौर-सीकर-जोधपुर
		9.	आरजे 21पी 1327	नागौर-बीकानेर-अजमेर
20.	भीलवाड़ा	1.	आरजे 07पी 3875	भीलवाड़ा-बीकानेर
		2.	आरजे 07पी 3989	भीलवाड़ा-बीकानेर
21.	जोधपुर	1.	आरजे 19पी 6631	सांचोर-जोधपुर-आसोप
		2.	आरजे 19पी 6763	आसोप-जोधपुर-सांचोर
		3.	आरजे 19पी 6937	जोधपुर-अजमेर
		4.	आरजे 19पी 8739	जोधपुर-सांचोर

1	2	3	4	5
		5.	आरजे 19पी 1114	जोधपुर-सांचोर
		6.	आरजे 19पी 9941	जोधपुर-सांचोर
		7.	आरजे 19पी 652	कवासपुरा-जोधपुर-सांचोर
		8.	आरजे 19पी 8836	सांचोर-जोधपुर-कवासपुरा
		9.	आरजे 19पी 0005	ब्यावर-जोधपुर-अजमेर
		10.	आरजे 19पी 0015	अजमेर-जोधपुर-ब्यावर
		11.	आरजे 19पी 9426	जोधपुर-अजमेर
		12.	आरजे 19पी 9624	अजमेर-जोधपुर-अजमेर
		13.	आरजे 19पी 9246	जोधपुर-अजमेर
		14.	आरजे 19पी 9517	जोधपुर-जयपुर-अजमेर
		15.	आरजे 19पी 113	जोधपुर-अजमेर
		16.	आरजे 19पी 9516	जोधपुर-अजमेर
		17.	आरजे 19पी 778	जोधपुर-अजमेर
		18.	आरजे 19पी 1133	जोधपुर-सिरोही
		19.	आरजे 19पी 768	जोधपुर-सिरोही
22.	सिरोही	1.	आरजे 19पी 9925	सिरोही-जोधपुर-मा. आबू
		2.	आरजे 19पी 8841	सिरोही-जोधपुर-मा. आबू

1	2	3	4	5
		3.	आरजे 19पी 8432	सिरोही-बीकानेर-सिरोही
		4.	आरजे 21पी 1024	सिरोही-बीकानेर-सिरोही
		5.	आरजे 19पी 9394	आबूरोड-जोधपुर-आबूरोड
		6.	आरजे 21पी 1310	सिरोही-जयपुर-सिरोही
		7.	आरजे 21पी 2021	सिरोही-अजमेर-सिरोही
		8.	आरजे 19पी 8767	सिरोही-जोधपुर-सिरोही
		9.	आरजे 19पी 1002	सिरोही-जोधपुर-सिरोही
		10.	आरजे 19पी 7427	सिरोही-जोधपुर-सिरोही
23.	जालौर	1.	आरजे 16पी 0648	जालौर-जोधपुर
		2.	आरजे 19पी 1174	जालौर-जोधपुर-रानीवाडा
		3.	आरजे 19पी 1084	जालौर-जोधपुर-सुधामाता
		4.	आरजे 19पी 7029	जालौर-जोधपुर-रानीवाडा
		5.	आरजे 07पी 3862	जालौर-भीनमाल-बीकानेर
		6.	आरजे 07पी 3855	जालौर-भीनमाल-बीकानेर
		7.	आरजे 15पी 0467	जालौर-जोधपुर-भीनमाल
24.	पाली	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2.	आरजे 19पी 9627	पाली-सिरोही-जोधपुर

1	2	3	4	5
25.	रेवदर	1.	आरजे 19पी 0221	रेवदर-जोधपुर-रेवदर
		2.	आरजे 19पी 9628	रेवदर-जोधपुर-रेवदर
26.	फलौदी	1.	आरजे 07पी 3033	फलौदी-पोकरण-सरदारशहर
		2.	आरजे 04पी 485	फलौदी-पोकरण-सरदारशहर
		3.	आरजे 15पी 721	फलौदी-बीकानेर-जैसलमेर
		4.	आरजे 15पी 3532	फलौदी-बीकानेर-जैसलमेर
		5.	आरजे 19पी 3644	फलौदी-पोकरण-बीकानेर-जोधपुर
		6.	आरजे 04पी 475	फलौदी-बीकानेर-जैसलमेर
		7.	आरजे 19पी 6876	फलौदी-जोधपुर-पोकरण-बीकानेर
		8.	आरजे 19पी 6931	फलौदी-पोकरण-बीकानेर-जोधपुर
27.	बाड़मेर	1.	आरजे 04पीओ 468	बाड़मेर-बीकानेर
		2.	आरजे 04पीओ 472	जैसलमेर-सांचोर
		3.	आरजे 04पीओ 483	बाडमेर-जोधपुर
		4.	आरजे 04पीओ 488	जैसलमेर-बालोतरा
		5.	आरजे 04पीओ 491	जैसलमेर-बीकानेर
		6.	आरजे 04पीओ 492	जैसलमेर-सांचोर
		7.	आरजे 04पीओ 501	बाड़मेर-जोधपुर

1	2	3	4	5
		8.	आरजे 04पीओ 529	जैसलमेर-अंकली
		9.	आरजे 04पीओ 599	बाड़मेर-जयपुर
		10.	आरजे 04पीओ 629	जैसलमेर-अंकली
		11.	आरजे 04पीओ 669	बाड़मेर-अजमेर
		12.	आरजे 04पीओ 671	बाड़मेर-जोधपुर
		13.	आरजे 04पीओ 701	बाड़मेर-जोधपुर
		14.	आरजे 04पीओ 706	बाड़मेर-जोधपुर
		15.	आरजे 04पीओ 711	बाड़मेर-जोधपुर
		16.	आरजे 19पी 8490	बाड़मेर-जोधपुर
		17.	आरजे 19पी 9192	बाड़मेर-जोधपुर
		18.	आरजे 19पी 9291	जैसलमेर-चौहटन
		19.	आरजे 19पी 9527	बाड़मेर-जोधपुर
		20.	आरजे 04पीओ 783	बाड़मेर-जोधपुर
		21.	आरजे 04पीओ 791	बाड़मेर-जोधपुर
		22.	आरजे 04पीओ 805	बाड़मेर-जयपुर
		23.	आरजे 04पीओ 921	बाड़मेर-जोधपुर
		24.	आरजे 19पी 9828	बाड़मेर-जोधपुर

1	2	3	4	5
		25.	आरजे 19पी 9885	बाड़मेर-अजमेर
28.	आबूरोड़	1.	आरजे 14पी 476	आबूरोड़-जोधपुर
		2.	आरजे 16पी 0457	आबूरोड़-जोधपुर
		3.	आरजे 16पी 0458	आबूरोड़-जोधपुर
		4.	आरजे 19पी 8791	आबूरोड़-जोधपुर
		5.	आरजे 19पी 9178	आबूरोड़-जोधपुर
		6.	आरजे 19पी 9530	आबूरोड़-जोधपुर
		7.	आरजे 19पी 0759	आबूरोड़-जोधपुर
29.	गंगानगर	1.	आरजे 07पी 3051	गंगानगर-बीकानेर-अनूपगढ़
		2.	आरजे 07पी 3042	गंगानगर-सूरतगढ़
		3.	आरजे 07पी 3606	गंगानगर-सूरतगढ़
		4.	आरजे 07पी 3859	गंगानगर-सूरतगढ़
		5.	आरजे 07पी 3925	गंगानगर-सूरतगढ़
		6.	आरजे 07पी 3996	गंगानगर-सूरतगढ़-विजयनगर
		7.	आरजे 07पी 4069	गंगानगर-सूरतगढ़-विजयनगर

अन्ता-सांगोद (कोटा) मार्ग पर निगम बस सेवा

135. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही हैं कि अन्ता से सांगोद वाया कुन्दनपुर-राजगढ मार्ग पर निजी बसों का संचालन गत बीस वर्षों से हो रहा था, जो वर्तमान में बन्द है व इस मार्ग पर कोई बसें नहीं चल रही हैं ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान पथ परिवहन निगम कोटा व जिला कलक्टर कोटा को समय-समय पर ग्रामवासियों द्वारा इस मार्ग पर निगम की बसें चलाने का अनुरोध किया गया ? यदि हां, तो अब कब से उक्त मार्ग पर बस का संचालन कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मार्ग पर गत बीस वर्षों से निजी बसों का संचालन था किन्तु यात्रियों द्वारा किराया नहीं देने, मारपीट पर उतारू होने, मार्ग के वर्षा ऋतु में वाहन संचालन योग्य नहीं होने तथा वाहन स्वामियों को यह मार्ग इन कारणों से अनार्थिक होने के कारण वाहन स्वामियों ने संचालन बन्द कर दिया है।

(2) जी हां। निगम द्वारा दिनांक 9-2-2005 से अन्ता से सांगोद वाया कुन्दनपुरा-राजगढ मार्ग पर वाहन संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

परिवहन निगम को घाटे से उबारने हेतु कार्य-योजना

136. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो कितना ? विगत पांच वर्ष का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(2) उक्त निगम के घाटे से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा घाटे से उबारने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निगम को घाटे से उबारने के लिए चालक एवं परिचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तथा बडे अधिकारियों के विरुद्ध न्यूनतम कार्यवाही की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दिसम्बर, 2004 तक 378.83 करोड रुपये संकलित घाटे की स्थिति में है। निगम की विगत 5 वर्षों के घाटे का वर्षवार विवरण निम्नलिखित है :-

वित्तिय वर्ष	घाटा (करोड़ रू. में)
1999-2000	73.79
2000-2001	85.61
2001-2002	62.91
2002-2003	42.29
2003-2004	37.62

इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक निगम 37.98 करोड़ रू. के प्रोविजन घाटे में है।

(2) निगम को घाटे से उबारने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है। निगम एक राजकीय उपक्रम है तथा सरकार भी चाहती है कि निगम घाटे में नहीं रहे इसके लिए राज्य

(यातायात मंत्री)

सरकार ने निगम द्वारा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु रियायती सेवायें देने के लिए निगम को पूरे वर्ष में देय कर में से दो माह के कर की राशि इन रियायती सेवाओं के मद्दे समायोजित किए जाने का प्रावधान गत वित्तीय वर्ष 2003-04 से किया गया है तथा साथ ही निगम की पूर्व वर्षों की रियायती सेवाओं की ऐवज में निगम को 177.10 करोड रुपये की राशि स्वीकृत की गई। जिसमें से 112.11 करोड रुपये की राशि पूंजी अंशदान के रूप में उपलब्ध करायी गई है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

निगम को घाटे से उबारने के लिए निगम स्तर पर किये जा रहे प्रयास

(1) तेल कम्पनियों से वार्ता कर डीजल/ऑयल लूब्रिकेन्ट की खरीद पर छूट ली जा रही है।

(2) बिना टिकिट यात्रियों की रोकथाम हेतु सघन निरीक्षण अभियान से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

(3) लागत नियंत्रण के उद्देश्य से वाहनों में नई तकनीक के इंजिन लगाये जाने व अन्य सुधारात्मक प्रयासों के फलस्वरूप डीजल/ऑयल औसत, टायर केसिंग लाईफ आदि के अच्छे सुधार परिलक्षित हुये हैं।

(4) उत्तरांचल परिवहन निगम के टायरों को निगम के टायर प्लांट में रिट्रेड कर असंचालित आय में वृद्धि की गई है।

(5) बैंकों से वार्ता करके पूर्व में लिये गये ऋणों पर ब्याज दरों में कमी करवाई गई है।

(6) विज्ञापनों के माध्यम से असंचालित आय में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।

(7) निगम बसों में पार्सल एवं कोरियर सेवा से असंचालित आय में वृद्धि की गई है।

(8) निगम के विभिन्न आगारों एवं कार्यशालाओं में उपलब्ध भूमि डीजल/पैट्रोल पम्पों के आबंटन के प्रयास किए जा रहे हैं।

(9) सेवाओं की गुणवत्ता रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिये जाने के परिणामस्वरूप संवाओं की नियमितता, समय पाबन्दी, दुर्घटना एवं ब्रेक डाउन दर नियंत्रित होने से सुधार परिलक्षित हुये हैं।

(10) डीजल औसत में और वृद्धि हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

(11) बेडा उपयोगिता प्रतिशत एवं वाहन उपयोगिता में सुधार किये गये हैं।

(12) यात्रियों की सुविधा एवं आकर्षण करने हेतु नई बसों को बेडे में शामिल किया जा रहा है।

(13) कार्य में दक्षता लाने के उद्देश्य से निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।

(14) सेवाओं के समानान्तर संचालन पर रोक लगाई गई है।

(15) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की अवधि में प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि की गई है।

(16) आय में वृद्धि हेतु परिचालकों के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं

निगम बस स्टैण्ड साण्डेराव (पाली) परिसर में हाथ ठेलों को अनुमति

137. श्री मदन राठौड (सुमेरपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के सांडेराव बस स्टैण्ड परिसर में प्राइवेट बसों व हाथ ठेलों से किराया लेकर खड़े रहने की अनुमति दी जा सकती है ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बस स्टैण्ड पर लगी झाडियों व गन्दगी की सफाई करवाकर उक्त स्थल पर हाथ ठेलों को खड़ा रहने की अनुमति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) साण्डेराव बस स्टैण्ड परिसर में झाडियां व गन्दगी पड़ी हुई नहीं हैं। समय-समय पर सफाई कराई जाती रही है। हाथ ठेलों को किराये पर खड़ा रहने की अनुमति देने का फिलहाल कोई विचार नहीं है क्योंकि इनसे बस स्टैण्ड पर अव्यवस्था एवं गन्दगी फैलती है।

परिशिष्ट-1
(तारांकित प्रश्न संख्या 77 का विवरण)
ALLOTMENT (2004-2005)

परिशिष्ट "अ"

S. No.	District	PWD	Road Works		FLOOD			Flood Assistance Collectors	Total
			Collectors	Marketing Board	Local Bodies	Irrigation	PHED		
1.	Ajmer	100.00	50.00	15.00	356.63	16.50	-	1.00	539.13
2.	Alwar	20.00	-		-	15.00	-		35.00
3.	Banswara	600.00	45.82		84.60	25.43	-	61.00	816.85
4.	Baran	156.00	8.95	5.00	211.35	41.50	3.50	13.00	439.30
5.	Barmer	-	-		-	-	-		-
6.	Bharatpur	20.00	-		20.00	8.68	-	2.50	51.18
7.	Bhilwara	150.00	40.00	20.00	137.01	91.20	10.00	147.20	595.41
8.	Bikaner		-		-	-	-	1.98	1.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Bundi	50.42	6.75	5.00	22.10	33.24	5.00	3.00	125.51
10.	Chittorgarh	140.00	40.00	3.00	181.60	44.30	-	4.00	412.90
11.	Churu	64.00	-		20.00	-	-	2.00	86.00
12.	Dausa	260.40	-	9.50	-	10.50	-	2.00	282.40
13.	Dholpur	50.00	-		58.80	-	-		108.80
14.	Dungarpur	150.00	30.00		94.18	22.85	-	16.00	313.03
15.	Ganganagar		-		-	-	-		-
16.	Hanumangarh		-		-	-	-	2.00	2.00
17.	Jaipur	210.00	10.05	25.00	281.76	-	-	1.00	527.81
18.	Jaisalmer		-		-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Jalore		4.00		-	-	-	0.40	4.40
20.	Jhalawar	751.30	55.75	9.75	184.32	19.50	11.50	41.50	1073.62
21.	Jhunujhunu		-		-	-	-	1.00	1.00
22.	Jodhpur		-		-	-	-		-
23.	Karauli	340.00	25.00	20.00	140.73	9.50	-		535.23
24.	Kota	200.00	29.10	12.00	652.25	30.00	10.00	185.00	1118.35
25.	Nagaur		-		-	-	-		-
26.	Pali	60.00	3.12		48.00	-	-	2.00	113.12
27.	Rajsamand	41.34	14.99		5.80	-	-		62.13
28.	S. Madhopur	536.54	55.00	65.75	264.09	100.00	10.00	5.00	1036.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Sikar		-		2.69	-	-	2.00	4.69
30.	Sirohi		0.93		14.39	-	-	2.36	17.68
31.	Tonk	100.00	24.90	10.00	219.70	20.80	-	11.00	386.40
32.	Udaipur	280.00	70.00			11.00	-	6.00	367.00
	Total	4280.00	514.36	200.00	3000.00	500.00	50.00	512.94	9057.30

परिशिष्ट "ब"

बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों एवं अन्य कार्यों के मरम्मत के लिए जिलेवार आबंटित राशि के उपयोग का विवरण

नाम जिला	कार्यों का नाम				
अजमेर	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य	--	स्थानीय निकाय के कार्य
अलवर	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	--	--	--
बांसवाड़ा	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	--	--	स्थानीय निकाय के कार्य
बारां	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य	पी.एच.ई.डी. के कार्य	स्थानीय निकाय के कार्य
बाड़मेर	--	--	--	--	--
भरतपुर	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	--	--	स्थानीय निकाय के कार्य
भीलवाड़ा	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य	पी.एच.ई.डी. के कार्य	स्थानीय निकाय के कार्य

1	2				
बीकानेर	--	--	--	--	--
बूंदी	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य	पी.एच.ई.डी. के कार्य	स्थानीय निकाय के कार्य
चित्तौड़गढ़	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य	--	स्थानीय निकाय के कार्य
चूरू	सड़क मरम्मत	--	--	--	स्थानीय निकाय के कार्य
दौसा	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य	--	--
धौलपुर	सड़क मरम्मत	--	--	--	स्थानीय निकाय के कार्य
डूंगरपुर	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	--	--	स्थानीय निकाय के कार्य
गंगानगर	--	--	--	--	--

1	2				
हनुमानगढ़	--	--	--	--	--
जयपुर	सड़क मरम्मत	--	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य		स्थानीय निकाय के कार्य
जैसलमेर	--	--	--	--	--
जालौर	सड़क मरम्मत	--	--	--	--
झालावाड़	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य	पी.एच.ई.डी. के कार्य	स्थानीय निकाय के कार्य
झुन्झुनूं	--	--	--	--	--
जोधपुर	--	--	--	--	--
करौली	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य	--	स्थानीय निकाय के कार्य
कोटा	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य	--	स्थानीय निकाय के कार्य

1	2				
नागौर	--	--	--	--	--
पाली	सड़क मरम्मत	--	--	--	स्थानीय निकाय के कार्य
राजसमन्द	सड़क मरम्मत	--	--	--	स्थानीय निकाय के कार्य
सवाई माधोपुर	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	कृषि विपणन बोर्ड के कार्य	--	स्थानीय निकाय के कार्य
सीकर	--	--	--	--	स्थानीय निकाय के कार्य
सिरोही	सड़क मरम्मत	--	--	--	स्थानीय निकाय के कार्य
टौंक	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	--	--	स्थानीय निकाय के कार्य
उदयपुर	सड़क मरम्मत	बांध/तालाब मरम्मत	--	--	--

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 78 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

1. कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अनुपात।
2. कृषि श्रमिकों का कुल श्रमिकों से अनुपात।
3. निर्माण इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों का कुल श्रमिकों से अनुपात।
4. प्रति 100 स्क्वेयर किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क किलोमीटर।
5. महिला साक्षरता।
6. कुल साक्षरता।
7. पांच किलोमीटर क्षेत्र तक प्राथमिक विद्यालय नहीं होने वाले गांवों का अनुपात।
8. पांच किलोमीटर क्षेत्र तक स्वास्थ्य सेवा नहीं होने वाले गांवों का अनुपात।
9. कुल फसल क्षेत्र में से बोया गया क्षेत्र।
10. कुल फसल क्षेत्र में से सिंचित क्षेत्र।
11. फसल उत्पादकता।

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 79 का विवरण)

परिशिष्ट "1"

विधान सभा क्षेत्र निवाई के निवाई शहर के लिये संचालित विभिन्न आगारों द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	आगार का नाम	मार्ग का नाम	दैनिक संचालित एकल परिचक्र	संचालित बसें
1.	जयपुर	जयपुर-इन्दौर	8	4
		जयपुर-भोपाल	4	2
		जयपुर-सवाईमाधोपुर	2	2
2.	चूरू	चूरू-ओकारेश्वर	2	2
3.	सीकर	चूरू-कोटा	2	2
4.	झुन्झुनूं	झुन्झुनूं-कोटा	2	2
5.	खेतड़ी	संगरिया-रावतभाटा	2	2
6.	गंगानगर	गंगानगर-कोटा	2	2
7.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़-जयपुर वाया बेगूं	4	4
		चित्तौड़-जयपुर वाया भीलवाड़ा	2	2
8.	मत्स्यनगर	अलवर-टौंक	2	2

1	2	3	4	5
9.	वैशालीनगर	जयपुर-वनस्थली	20	5
		जयपुर-बोंली	8	4
		जयपुर-जोधपुरिया	4	1
		जयपुर-सवाईमाधोपुर वाया बोंली	2	2
10.	टोंक	टोंक-देहली	2	2
		टोंक-फरीदाबाद	2	2
		टोंक-फिरोजाबाद	2	2
		टोंक-फर्रूखाबाद	2	2
		टोंक-अलीगढ़	2	2
		भोपाल-जयपुर	4	4
		सवाईमाधोपुर-जयपुर वाया उनियारा	2	2
		टापुर-जयपुर	2	1
		टोंक-जयपुर	39	10
		जयपुर-उदयपुर	1	1
11.	कोटा	कोटा-दिल्ली	8	8
		कोटा-फरीदाबाद	2	2
		कोटा-कानपुर	2	2

1	2	3	4	5
		कोटा-पिलानी	2	2
		कोटा-जयपुर वाया देवली	16	10
		कोटा-जयपुर वाया नैनवां	2	2
12.	बून्दी	बून्दी-जयपुर वाया नैनवां	2	2
		जयपुर-बून्दी	1	1
		कोटा-गोवर्धनजी	2	2
		कोटा-दिल्ली	2	2
13.	झालावाड़	इकलेरा-जयपुर	2	2
		पाटन-अलवर	2	2
		पाटन-जयपुर	4	4
		पाटन-जयपुर वाया नैनवां	2	2
		झालावाड़-जयपुर (पनवाड़)	2	2
		पाटन-देहली	4	4
		झालावाड़-देहली वाया नैनवां	4	4
		झालावाड़-जयपुर	2	2
14.	बारां	बारां-दिल्ली वाया नैनवां	2	2
		बारां-दिल्ली वाया देवली	4	4
		बारां-जयपुर	2	2
		बारां-अलवर	2	2
			195	**131**

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या 80 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक प.11 (27) वन/ दिनांक 3-3-1994

<u>अधिसूचना</u>

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) (बी) के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं को मारने की अनुमति देने के लिए अजमेर, अलवर, बाडमेर, बारां, बून्दी, भरतपुर, सीकर, झुंन्झुनू, कोटा, जालोर, नागोर, श्रीगंगानगर, दौसा, जोधपुर, टौंक, सिरोही, भीलवाडा, पाली एवं जयपुर जिले के मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्राधिकृत किया जाता है कि इस प्रकार की अनुमति पूर्ण रूप से जांच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात ही जारी की जावेगी।

आज्ञा से,

सी.एस. भगौरिया
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक : प. 11(27)वन/91 दिनांक : 19-1-1996

<u>अधिसूचना</u>

वन्य जीव संरक्षण (अधिनियम 1972) (केन्द्रीय अधिनियम-53) की धारा 5 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय जो कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, को मारने की अनुमति देने के लिये अजमेर, अलवर, बाडमेर, बारां, बून्दी, भरतपुर, सीकर, झुन्झुनू, कोटा, जालोर, नागौर, श्रीगंगानगर, दौसा, जोधपुर, टौंक, सिरोही, भीलवाडा, पाली एवं जयपुर जिले के लिये इस विभाग की पूर्व अधिसूचना संख्या 11(27) वन/91 दिनांक 3-3-1994 के द्वारा मण्डल वन अधिकारी/वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को प्राधिकृत किया गया था।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (केन्द्रीय अधिनियम 53) की धारा 5 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अब उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) बी के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय जो कृषकों की फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, को मारने की अनुमति देने के लिये मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक/उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक जैसलमेर तथा बीकानेर को भी प्राधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित जिलों के सम्मुख अंकित प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंजरों को भी प्राधिकृत किया जाता है:-

जिले का नाम	प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंज का नाम
1-अजमेर	ब्यावर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ, पुष्कर।

जिले का नाम	प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंज का नाम
2-अलवर	अलवर, बानसूर, बेहरोड़, किशनगढ बास, लक्ष्मणगढ, राजगढ, थानागाजी।
3-बाडमेर	बाजुत, शिव चोहटन, शिवाना, सिन्दाडी, धोरीमन्ना, बालोतरा, बाडमेर।
4-बारां	बारां, किशनगढ, नाहरगढ, छिपाबडोद, अटरू, शाहबाद।
5-बून्दी	नैनवां, ढाबी, हिन्डौली, बून्दी, इन्द्रगढ।
6-भरतपुर	बयाना, नदबई, भरतपुर, सिकरी, डीग।
7-भीलवाडा	भीलवाडा, माण्डलगढ, शाहपुरा, जहाजपुर।
8-सीकर	सीकर, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, दांतारामगढ।
9-झुन्झुनूं	झुन्झुनूं, नवलगढ, चिडावा, उदयपुरवाटी, खेतडी।
10-कोटा	लाडपुरा, मण्डाना, कनवास, सुलतानपुर, मोडक।
11-जालौर	जालौर, जसवन्तपुरा, सांचौर, रानीवाडा, अहोडी।
12-नागौर	नागौर, मेडता, कुचामन, परबतसर, लाडनूं।
13-श्रीगंगानगर	रायसिंह नगर, रावली, विजयनगर, श्रीगंगानगर, गोधसना, अनूपगढ, बाडा, पदमपुर, करनपुर, रोजडी, सूरजगढ।
14-दौसा	दौसा, बान्दीकुई, लालसोट, महुवा।
15-जोधपुर	जोधपुर, बालेसर, बिलाडा, औसियां, फलोदी, चौखा, अराना।

जिले का नाम	प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंज का नाम
16-टौंक	देवली, टौंक, मालपुरा, निवाई, उनियारा।
17-सिरोही	आबूरोड, पिंडवाडा, सिरोही, सिरोडी।
18-पाली	पाली, बाली, सोजत, देसूरी, सुमेरपुर, सेन्दडा।
19-जयपुर	चाकसू, चौमूं, दूदू, जयपुर, शाहपुरा, कोटपूतली, बस्सी, झोटवाडा, आमेर, जुमवारामगढ, नाहरगढ, विराटनगर, जयपुर।

इस प्रकार की अनुमति पूर्ण रूप से जांच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात् ही जारी की जावेगी।

आज्ञा से,

अतिरिक्त शासन सचिव, वन

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक प.11(27) वन/ दिनांक : 30-4-1997

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19-1-1996 के काम में वन्य जीव संरक्षक अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम-53) की धारा 5(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा 11 (1) (बी) के अन्तर्गत ऐसी नीलगाय जो कृषकों की फसल की नुकसान करती हैं, को मारने की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित जिलों के अंकित प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेन्जरों को की प्राधिकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	जिले का नाम	प्रादेशिक (टेरीटोरियल) रेंज का नाम
1.	राजसमन्द	राजसमन्द, नाथद्वारा, भीम, कुम्भलगढ, मावली
2.	हनुमानगढ	रावतसर, सार्दुलशहर, भादरा, हनुमानगढ, मस्तीवाली, पल्लु, नोहर
3.	चितौडगढ	चितौड़गढ़, भैसरोड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बेगु, खोखेर, विजयपुर
4.	सवाईमाधोपुर	गंगानगर, गुढाचन्द्रजी, खण्डार, सवाईमाधोपुर, गोली, सपोटरा, केलादेवी
5.	धोलपुर	बाडी, सरमथुरा, धोलपुर, राजाखेडा,

इस प्रकार की अनुमति पूर्ण रूप से जांच कर सन्तुष्ट होने के पश्चात ही जारी की जावेंगी।

आज्ञा से

एस. प्रसाद
विशेषाधिकारी, वन

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.11(27) वन/ दिनांक : 31-8-2000

<u>अधिसूचना</u>

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 4 उप द्वारा (1) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में पदस्थापित सभी जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक उप खण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, सहायक वन संरक्षक, विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी अधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम की अनुसूची-III में उल्लेखित नील गाय (Boschaphan Progo-canous) के क्षेत्र में उक्त अधिनियम की धारा-II की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये तत्काल प्रभाव से एतद् प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करती हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से

लक्ष्मण सिंह
शासन उप सचिव, वन

परिशिष्ट 'ख'

24 Field Ammunition Depot
C/o56 APO

1770/Gen		16thFeb. 2004

The District Forest Officer
Sri Ganganagar
District Sri Ganganagar (Raj.)

SAFETY OF SOLDIERS AGAINST WILD ANIMAL (NEEL GAI)

Sir,

1. Kindly refer to your Office letter No. F.2/Misc/03-04 dated 16th Jan. 2004.

2. It is intimated that one wild animal Neel Gai has injured one jawan while he was on sentry duty on 15th Feb. 2004. As a result, the individual was evacuated to MI Room for medical treatment. In this respect, photocopy of Morning Sick Report dated 16.2.2004 is enclosed herewith for perusal please.

3. From the above, it may be seen that the above Neel Gai is roaming around the guard posts of this depot and has caused panic amongst the guarding troops. It is also likely that the above animal may further attack on the life of soldiers.

4. In view of the above, it is requested that immediate action may please be taken for the disposal of above Neel Gai or this unit may be permitted to shoot with service weapon.

5. Your kind co-operation in this regard is solicited please.

Yours Faithfully

Rakesh Kumar
Captain
CCME
For Offg Commandant

Enclosure : one

कार्यालय उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी श्रीगंगानगर (राज)

क्रमांक : एफ () विविध/1299   दिनांक : 17-2-2004

निमित :-

श्रीमान् मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,

राजस्थान, जयपुर।

विषय : पागल रोजडा (नील गाय) से बचाव के सम्बन्ध में

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्र सं. 387-89 दिनांक 16-1-2004

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय के प्रसांगिक पत्र द्वारा सैनिक छावनी डिपो श्रीगंगानगर के सन्तरियों को पागल रोजडा (नील गाय) से खतरा होने की आशंका बताई जाकर इसे मारने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया था।

24 फील्ड एमुनीशन डीपपेट केयर आफ 56 एपीओ ने दिनांक 16-2-2004 को कार्यालय में उपस्थित होकर पत्र सं. 1710/जन/16-2-2004 देकर सूचित किया है कि उक्त पागल रोजडा (नील गाय) द्वारा कम्पनी के एक जवान को घायल कर दिया है जो इस समय होस्पीटल में उपचाराधीन है एवं अन्य सैनिकों पर भी अटैक करने की सम्भावना है। उपचाराधीन सैनिक से सम्बन्धित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां भी उक्त पत्र के साथ प्रस्तुत की गई हैं।

अत: पुन: निवेदन है कि उक्त पागल रोजडा (नील गाय) जो सैनिकों पर आक्रमण कर रहा है उसे मारने की स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें ताकि अन्य किसी घटना से बचा जा सके।

भवदीय

उप वन संरक्षक,

सामाजिक वानिकी

श्रीगंगानगर

कार्यालय अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रति.,
राज., जयपुर

क्रमांक/एफ3(511)पार्ट-11/तक.व.जी./मुवजीप्र/99/10816 दिनांक : 17-2-2004

कार्यालय आदेश

उप वन संरक्षक, सा.वा. श्रीगंगानगर के प्रस्तावनानुसार पागल ब्लु बल (रोजडा) नीलगाय द्वारा 24 फील्ड एमुनीयशन डिपोट केयर आफ 56 ए.पी.ओ. के एक जवान को घायल कर दिया गया है। एवं अन्य सैनिकों पर भी पागल रोजडा (ब्लु बल) द्वारा आक्रमण करने की सम्भावना है।

अतः उप वन संरक्षक, सा.वा., श्रीगंगानगर द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर पागल (ब्लु बल) रोजडा को मारने के लिये उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा-11/1/बी के अन्तर्गत अधिकृत किया जाता है।

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर।

सदस्य सूची

शुक्रवार, 18 फरवरी, 2005

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अध्यक्ष

विधेयक का पारण

-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन), 2005 — 204

-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 — 183

स्थगन प्रस्ताव

-मोहम्मद माहिर आजाद एवं 14 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के पूर्वी जिलों के विकास में कथित उपेक्षा के संबंध में — 40

-श्री महिपाल सिंह यादव एवं 16 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में विद्युत सप्लाई अनियमित रूप से होने एवं विद्युत संबंधी अन्य समस्याओं के संबंध में — 40

-श्री सी.डी. देवल एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से जिला पाली में बढ़ रहे अपराधों के संबंध में — 40

श्री अमराराम (धोद)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

यातायात एवं परिवहन

-राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित अवैध बसें — 271

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-अकाल ग्रस्त क्षेत्रों हेतु प्राप्त सहायता — 209

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-सोम-कमला-अम्बा परियोजना, आसपुर (डूंगरपुर) के डूब क्षेत्र का मुआवजा — 46

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)

तारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज

-निम्बाहेड़ा-नारेला सड़क का पुनर्निर्माण 207

श्री अशोक बैरवा (खण्डार)

तारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज

-हरड़ी खनन क्षेत्र, बस्सी में अवैध खनन 210

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह)

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लक्ष्यों की प्रगति 23

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-जिला परिषद में नियुक्तियां 62

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

-विज्ञापनों में माननीय अध्यक्ष को प्रवक्ता, विधान सभा लिखे जाने बाबत् 67

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्रामीण विकास

-जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लक्ष्यों की प्रगति 19

डा. किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर), मंत्री

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-भरतपुर एवं अलवर जिले को बाढ़ राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त राशि का आबंटन 2

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-भरतपुर एवं अलवर जिले को बाढ़ राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त राशि का आबंटन	13
श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की ढाणियों में विद्युत कनेक्शन	63
श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-पुलिस अभिरक्षा से फरार कैदी	37
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जिला परिषद में नियुक्तियां	59
विधेयक का पारण	
-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	153
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	79
डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण	222
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005	199
-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	113

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री जुबेर खान (रामगढ़)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-भरतपुर एवं अलवर जिले को बाढ़ राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त राशि का आबंटन	1
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जिला परिषद में नियुक्तियां	56
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	125
श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में अकाल राहत कार्य	56
श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)	
तारांकित प्रश्नोतर	
अकाल एवं सहायता	
-भरतपुर एवं अलवर जिले को बाढ़ राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त राशि का आबंटन	7
श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-ब्यावर के अकाल राहत श्रमिकों को भुगतान	268
गृह	
-ब्यावर में वाहन चोरी के प्रकरण	220

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची (टिब्बी)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-नरमा-कपास की फसल का पूर्ण भाव दिलवाने	47
श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचायती राज	
-प्रतापगढ़ के राज्य कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें	266
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लक्ष्यों की प्रगति	18
श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
खादी एवं ग्रामोद्योग	
-राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (वर्ष 2000-2001)	77
श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-जयपुर शहर के थाना प्रभारियों का स्थानान्तरण प्रकरण	230
-पंच सितारा होटल/पर्यटन स्थलों पर अनैतिक आयोजन प्रकरण	227
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-थाना सोड़ाला, जयपुर के फरार मुजरिम का गिरफ्तारी प्रकरण	212

नाम	पृष्ठ संख्या
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की कतिपय सड़कों की मरम्मत	49
श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), राज्य मंत्री	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005	204
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005	184
श्री प्रमोद जैन 'भाया' (बारां)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
खेल	
-राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में रिक्त पद	217
श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी)	
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005	184
-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	79
श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-मृत प्रायः समाज़ कल्याण संस्थानों के कार्यों में गति	35
श्री बाबूलाल नागर (दूदू)	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
खनिज	
-हरड़ी खनन क्षेत्र, बस्सी में अवैध खनन	210

नाम	पृष्ठ संख्या
डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)	
विधेयक का पारण	
-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	165
श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में सीवरेज लाइन समस्या	51
श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-सरदारशहर तहसील के अकाल राहत श्रमिकों का लम्बित भुगतान	269
श्री भरत सिंह (दीगोद)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-अन्ता-सांगोद (कोटा) मार्ग पर निगम बस सेवा	286
वन	
-केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति	247
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बाढ़ पीड़ितों को सहायता	213
श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
समाज कल्याण	
-मृत प्राय: समाज कल्याण संस्थानों के कार्यों में गति	35

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-निगम बस स्टैण्ड साण्डेराव (पाली) परिसर में हाथ ठेलों को अनुमति	290
सहकारिता	
-सहकारी सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण	257
तारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-राज्य में पुलिस कर्मियों की भर्ती	208
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005	194
श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	183
तारांकित प्रश्नोत्तर	
ग्रामीण विकास	
-जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लक्ष्यों की प्रगति	23
श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
गृह	
-सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के पेंशन स्वीकृति के लम्बित प्रकरण	243
श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-किशनपोल विधान सभा क्षेत्र स्थित चिकित्सालयों में पर्याप्त चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था	48

नाम	पृष्ठ संख्या
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	128
श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)	
अतारांकित प्रश्नोत्तर	
पंचातयी राज	
-पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का निलम्बन	266
तारांकित प्रश्नोत्तर	
अकाल एवं सहायता	
-भरतपुर एवं अलवर जिले को बाढ़ राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त राशि का आबंटन	12
यातायात एवं परिवहन	
-राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्री किराये में प्रस्तावित वृद्धि	206
वन	
-वन्य जीव रोजड़ा से फसलों को होने वाली हानि से बचाव ,,	34
विधेयक का पारण	
-राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2005	173
विधेयक पर विचार	
-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2005	192
श्री युनूस खान (डीडवाना), मंत्री	
तारांकित प्रश्नोत्तर	
यातायात एवं परिवहन	
-निवाई के निगम बस अड्डा का अन्यत्र स्थानान्तरण	28
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान क्रीड़ा (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2005	78

नाम	पृष्ठ संख्या

श्री रमेश खींची (कठूमर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज

-हरड़ी खनन क्षेत्र, बस्सी में अवैध खनन 210

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)

तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह

-पुलिस अभिरक्षा से फरार कैदी 37

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

-विभिन्न योजनाओं में दिये गये कूपन राशन डीलर द्वारा ले लेने के बावजूद भी गेहूं नहीं देना 64

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खनिज

-बूंदी जिले में लाइम स्टोन पर रायल्टी 219

गृह

-बूंदी जिले में मूर्ति चोरी के दर्ज प्रकरण 235

यातायात एवं परिवहन

-परिवहन निगम को घाटे से उबारने हेतु कार्य-योजना 286

तारांकित प्रश्नोत्तर

अकाल एवं सहायता

-भरतपुर एवं अलवर जिले को बाढ़ राहत कार्यों हेतु अतिरिक्त राशि का आबंटन 14

वन

-वन्य जीव रोजड़ा से फसलों को होने वाली हानि से बचाव 30